

राज्य रक्तरीय विशेषज्ञ मृत्युकर्ता समिति, छठीसगढ़

मानव संस्कार

पर्यावरण, दूषण और प्रदूषकों की विवरणीय संचालन

पर्यावरण विभाग, संसदीय-१५, नवा राष्ट्रीय प्रखण्ड बांगला लिपि-राष्ट्रीय (३० न)

www.english-test.net

तिथि- वार्षिक कार्यपालिका प्रमाणान्वयन समिति (एस.ए.एस.), असामीनगু কৰি দিনক
১২/১২/২০২৩ ফন্টে পুরণ কৰিব উচ্চ পা সামগ্ৰী শিখল

— 8 —

राज्य सार्वीय वित्तीय मुद्राविन नियमिति (एसडीएसी), सर्वीसगढ़ की 453वीं बैठक-
दिनांक 10/05/2023 को द्वा दीर्घ गोपनीय राज्य सार्वीय वित्तीय मुद्राविन
नियमिति की अमलता के लिये हुई। ऐसके बाहर नियमिति के विवरितिका राजस्वी में भाग
तिथि-

1. श्री. गीतेन्द्र कुमार पाठाय, समस्या, साम्य सहीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री. एम.के. चालाकर, सदस्य, साम्य सहीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री. डिप्पन मिश्र धूष, सदस्य, साम्य सहीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. श्री. नवीन कुमार गोपकर, सदस्य, साम्य सहीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री. श्री. राहुल वैष्णव, सदस्य समिति, साम्य सहीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति समिति इत्य संसदाभ्युक्ति में उपस्थिति विज्ञापन संसदाभ्युक्ति विज्ञापन समिति

एकांकी आवेदन क्रमांक—१: ४८२३ी ऐतक दिनांक ०५/०५/२०२१ के कार्यकारी विषय के अनुसरण से लिखा गया।

एवं एक समीक्षा विवरण बूँदोंकान रामेशि (एसईएसी), प्रतीकांगड़ की 462वीं दिनांक 06/06/2023 की संपन्न गुर्ह है। समीक्षा को अवगत कराया जाय कि यहक का कानूनिकी विवरण लीया जा रहा है, जिसे समीक्षा के सभी दोष प्रमाणित कराया। तथा जिसे से तीक्ष्ण साक्षर है।

[View exact results](#)

ਗੈਰ/ਪੁਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੀਕ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੀਖ੍ਯਾਂ / ਵੈਡੀਆ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਵਾ।

१. गोकर्ण आवासेटा लाईग रहेते वर्षानिंग ट्रॉयेक्ट (गुरुदेवो विश्वामी कार्यपालम निर्मितेऽ), शाम-आवासेटा, गहसील-बकलावा, विज्ञा-जीवनी-चोता (संविवालय का नवीनी असंग १६३०)

कीमतांकन आवेदन - यहाँ में प्रयोगश्वरूप नम्बर - एसआईए/ सीटी/ एमआईएन/ २८४३२/२०२१, दिनांक २१/११/२०२० द्वारा दीजीआर हेतु आवेदन किया गया था।
कीमतांकन में प्रयोगश्वरूप नम्बर - एसआईए/ सीटी/ एमआईएन /२९६२०२/२०२१,
दिनांक ०३/०१/२०२१ द्वारा दीजीआर द्वारा दीजीआर हेतु आवेदन किया गया। परन्तु

परिषेक बोर्डल में जानवीय समस्य होने के कारण आमोदन दिनांक 25/03/2023
को आमोदन बीनलाईन बोर्डल में प्रतिवित हुआ।

प्रस्ताव का विवरण - यह जातीयत भूमि पर्याप्त (पौल राष्ट्रिय) जमान है। अद्याय याम-ज्ञानसेवा, ज्ञानीय-अकालीन, विद्या-प्राचीनीय-याम विवर जमान उम्मीक 289/2 एवं अन्य 64 जमान गिजी भूमि एवं वस्तुता उम्मीक 312/2 जातीय भूमि, कुल कीमत 46.352 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। जमान की आवेदित जमानन सम्पत्ति 10,00,350 टक्के द्वितीय है।

ਪਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾਰ ਮਿਤੀ 30/12/2022 ਦੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਟੀਕੀਜ਼ਾਰ ਨੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾਰ ਮਿਤੀ 30/12/2022 ਦੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਟੀਕੀਜ਼ਾਰ ਨੇ

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा आरोग्यीकरण (टीक सुनाई चाहिए) में आरोग्यीकरण कलानम अन्तरा—10.00.380 टन प्रतिवर्ष के लकान पर आरोग्यीकरण कलानम अन्तरा—10.00.386 टन प्रतिवर्ष किसे जौने हेतु अनुशेष किया गया है। इस कलानम परियोजना प्रस्तावक द्वारा आरोग्यीकरण छोड़—1, छोड़—2, छोड़—3, छोड़—4 विभिन्न विभिन्न रिकॉर्ट द्वारा दिया गया है।
 - पूरी में प्रस्तुतीकरण की दीवान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 35 लकान कलानक का विवरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें 35 लकान कलानक जिनकी भूमि एवं खामी अन्तर्गत 312/2 लाखालीय भूमि का होना बताया गया। वर्तमान में प्रस्तुत विषय अंतर्गत भूमि लकान एवं ग्रोवोरियर नाईन बलोजल लकान में कुल 35 लकान कलानक का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुसार 30 लकान कलानक जिनकी भूमि एवं खामी अन्तर्गत 307, 350, 351, 354 एवं 313-316 लाखालीय भूमि का होना बताया गया है।
 - परियोजना के कार्यकालीन एवं प्रस्तावी में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

तात्पुरता परियोजना प्रकाश की एसटीपीसी, भलीमगढ़ के द्वारा दिनांक ०५/०६/२०२३ द्वारा प्रकृतीकृत हो गया गया।

Steps and Figures -

(b) ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੀ 26/06/2022

अमरावती नगरपालिका के अधिकारी ने बताया कि यह एक बड़ा गुप्त विद्युत उपकरण है।

ਕਮੀਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਈਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਈਸ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਡਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਣ ਕੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਈਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਈਸ਼ਾਨੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਤੀਂ ਕਿਆ ਜਾਏ।

2. नेपाल सुरक्षा बीम नाइन (प्रौ.- रामेश, राम पंचायत बासनवाही (वी) एमेल कुमार भट्टाचार्य), राम-सुरक्षा, रामलीला-बाबता, जिला-उत्तर बहादुर कालेंद्र (जनप्रियतय बा नवाही इमेल 2386)

लीनालाई बाइंडन - अधिकारी वक्तव्य - एमआईए/ लीनी/ एमआईए/ 422942 / 2023, दिनांक 29/03/2023 द्वारा पर्याप्ततीम लीनालाई हेतु आवेदन दिया गया है।

प्रकाश का विवरण - यह प्रकाशक ऐत (भैष लग्नित) वादान है। वादान राम-सुरक्षा, राम पंचायत-बासनवाही, रामलीला-बाबता, जिला-उत्तर बहादुर कालेंद्र विला पाट-जीक वाला इमेल 847, कुल क्रमांक-25.05 हिन्दौर में से 6 हिन्दौर में प्रकाशित है। उत्तराधिकारी द्वारा वादान प्रकाशित है। वादान की आवेदित ऐत प्रकाशन वामता-1,00,000 रुपयोंटर प्रतिवर्ष है।

वादानुसार वरिष्ठोंना उत्तराधिकारी एमआईए/ लीनालाई को जापन दिनांक 03/03/2023 द्वारा प्रस्तुतिका हेतु सूचित किया गया।

विवर का विवरण -

- (अ) लीनालाई की 440वीं वैठक दिनांक 10/03/2023:

उत्तराधिकारी हेतु जी एमेल कुमार भट्टाचार्य, राम पंचायत बासनवाही जनप्रियत द्वारा। लीनालाई द्वारा नवाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विषय विशेषित पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्याप्ततीम लीनालाई संकेती विवरण- इस वादान की पूर्व में पर्याप्ततीम लीनालाई जारी नहीं की गई है।
- जाम पंचायत का अनावरित इमान एवं - विला उत्तराधिकारी द्वारा जारी जाम पंचायत बासनवाही का विनांक 13/03/2023 का अनावरित इमान एवं प्रस्तुत किया गया है।
- विनांकित/सीनांकित - वादान विनांकित/सीनांकित कर लीनित कर बायोलैट कलेक्टर, लीनित वादान तो प्रस्तुत एवं प्रस्तुत करने हेतु लीनि अधिकारी, जिला-उत्तर बहादुर कालेंद्र की कारबोली, राम पंचायत बासनवाही द्वारा दिनांक 10/03/2023 की आवेदन किया गया है।
- वादान दोजना - कारबी प्रस्तुत किया गया है, जो यम-संवादाक (यम्प्र.), जिला-उत्तर बहादुर कालेंद्र की इमान दिनांक 471/लीनित/सालावी अनुसारी 20/03/2023-23 उत्तर बहादुर कालेंद्र दिनांक 07/03/2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- 800 मीटर की दूरी में विला वादान - बायोलैट कलेक्टर (लीनित जारा), जिला-उत्तर बहादुर कालेंद्र के जापन इमान 882/लीनित/सालि/४३/2023 द्वारा, दिनांक 24/03/2023 के अनुसार लीनित वादान सी 800 मीटर की दूरी अवलोकित अन्य ऐत वादानों की संख्या निरूपित है।
- 200 मीटर की दूरी में विला बायोलैटिक लीन/सालावाद - बायोलैट बायोलैट (लीनित जारा), जिला-उत्तर बहादुर कालेंद्र के जापन इमान 881/लीनित/सालि/४३/2023 द्वारा, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी इमान एवं अनुसार वादा वादान के 200 मीटर की दूरी में कोई लीनित बायोलैटिक लीन जीसे राष्ट्रीय वादानांति, पुरा, जारी, भवित्व, विविध,

प्राचीनतम् यथा एसोसिएट अवृद्धि प्रतिवर्षिका सेत्र निर्मित नहीं है। गीतांक 100 लिटर की दूरी पर लिखा है।

7. एलओआई जलकीय लिपावट - एलओआई जलकीय जाम बचाव जलवायनकी की जाम पर है। जो जलवायन बचावातार (जलनि जाम), लिपा-जलन बचाव-जांचर के जामन जनांक 205/प्रभिज/७८/2023 जांचर, दिनांक 24/02/2023 द्वारा जामी की गई, जिसकी उल्लंग जाही लिपावट से, जामी की जबकी जाक है। जामी एलओआई में "जलवायन बढ़ावे लिपोक की जलवायन की लिपावट से 05 वर्ष की अवधि के लिए लिपी जाना होगा।" का चलनांक है।
8. जल लिपावट का जलनापत्रि इमान वाल - कांचीलाल जल वर्षावायिकाली, जांचर जल वर्षावल लिपा-जांचर के जामन जनांक/प्रभिज/७८/2023/७८। जांचर, दिनांक 07/10/2022 से जाही जलनापत्रि इमान वाल अनुसार अवृद्धित सेत्र लिपावट जल बोर की सीमा की 3 किमी की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट जले लिपोर्ट - जामी 2019 की डिस्ट्रीक्ट जले लिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रवर्तन की गई है।
10. नहरवायी संरक्षणकारी की दूरी - निकाल्यन आवादी याम-न्यूनतम 500 फीट, स्थूल जाम-जलवायनकी 2.3 किमी, एवं अन्यताल जलवायन 2.2 किमी, की दूरी पर लिखा है। जाहील रखायार्द 45 किमी, एवं रखायार्द 2 किमी, दूर है। अवृद्धित ऐत जलवायन के 1 किमी की दूरी तक युल/एवीडर लिपा नहीं है।
11. यांत्रिकीय/जीवशिक्षिका संवैदनकील सेत्र - यांत्रिकीय प्रसामान छात 10 किमी, की अविधि में जलार्दनीय गीता, जाहील जलवायन, अन्यताल जलवायन लिपोर्ट सेत्र है। इस यांत्रिकीय जीवशिक्षिका पील्युट्रिक वरिया, यांत्रिकीय जलार्दनकील सेत्र का शोधित जीवशिक्षिका सेत्र लिपा नहीं जोना अविधित लिपा है।
12. जलनन क्षमता पर नहीं हो जाए की जीकर्द्य एवं जलवायन की नहीं लट से दूरी - अवृद्धित अनुसार जलनन क्षमता पर नहीं हो जाए की जीकर्द्य - अविधितम 354 फीटर, न्यूनतम 294 फीटर तथा जलनन क्षमता की लंबाई - अविधितम 352 फीटर, न्यूनतम 388 फीटर एवं जलनन क्षमता की जीकर्द्य - अविधितम 142 फीटर, न्यूनतम 137 फीटर दर्शाई गई है। जलवायन की नहीं लट के लिपारे से दूरी अवृद्धितम 116 फीटर, न्यूनतम 35 फीटर है।
जाहील द्वारा यामा गया हि लिपा जलनन क्षमता पर नहीं हो जाए की जाट की जीकर्द्य 354 फीटर है, यामा जलवायन क्षमता पर नहीं हो जाए की जीकर्द्य 35 फीटर है तथा जलनन क्षमता पर नहीं हो जाए की जीकर्द्य 354 फीटर है, यामा जलनन क्षमता पर नहीं हो जाए की जीकर्द्य 35 फीटर है। इस गीत जाहील जलवायन में जाहीलेत जीत होती है।
13. जलवायन क्षमता पर ऐत की जीकर्द्य - अवृद्धित अनुसार ज्ञात पर ऐत की जीकर्द्य-३ से ५ फीटर तक जात की अवलम्बित गहराई-२ फीटर दर्शाई गई है। अनुप्रीति जाहीलेत ज्ञात अनुसार जलवायन में जाहीलेत जीत की जीकर्द्य-1,00,000 घण्टीटर है। ऐत जलवायन हेतु प्रसारावित ज्ञात पर जहाँगान में जलवायन ऐत लट की जीकर्द्य जानने के लिए, अवलम्बित ज्ञात पर ५ फीटर (फुट) जीतकर जात की जीकर्द्य गहराई का अध्यन जार, खुलिय लिपान से अवलम्बित जातकारी प्रवर्तन की गई है। इसके अनुसार ऐत की उपलब्ध जीकर्द्य

गहराई ३ फीट है। इस की वास्तविक गहराई ऐसु पर्याप्त प्रकृति की नहीं है।

- वायान शेत्र में ऐसा वातावरण के लोकलास - ऐसा वातावरण है जो प्रस्तुतियां स्थान एवं प्रस्तुतियां स्थान में 26 ग्रीटर बुज़ा 26 ग्रीटर के लिए किन्तु यह पर दिनांक 27/03/2020 को ऐसा वातावरण के उत्तमान लोकलास (Local) लोकल, उन्होंने स्थानिक विभाग से प्रधानीकरण स्थानांतर पाठीदोषामास घोषित जानवारी/पशुपालक प्रस्तुता दिये गये हैं।
 - कीरीबिट पर्यावरणीय संधियां (C.E.S.) - परियोजना प्रवाहक इलाका वायानी की सभी लिस्टाएँ से यही उपर्यांत मिन्नान्तुसार विस्तृत व्यवस्था प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.5	3%	0.87	Following activities at Nearby Village- Bhuligam	
			Plantation at government land near by forest area	5.43
			Total	5.43

16. सीटीजार के अंतर्गत लीज बोर के सीधे प्रबलवीय भूमि में (बड़ा, योगता, नीम, कांस, आम, इमली, अर्जुन आदि) पूराईपाल हेतु प्रभुत प्रसादम अनुसार 800 वर्ग फीटी के लिए राहि 36,000 रुपये, लैंडिंग के लिए राहि 60,000 रुपये, स्काद के लिए राहि 6,000 रुपये, रक्षा-प्रशाद आदि के लिए राहि 87,000 रुपये, इस प्रकार ज्ञान वर्ष में कुल राहि 213,000 रुपये रखा आगामी 4 वर्षों में रक्षा-प्रशाद हेतु कुल राहि 3,30,000 रुपये हेतु प्रकाशन व्यय का विवरण प्रभुत दिया गया है। चरितोऽना प्रसादम द्वारा याम प्रयोग के सहनिः जननात यथार्थीया न्याय (वकास एवं दीप्तप्रसाद जीवित) के लाभ में यामनी प्रभुत दिया जाना आवश्यक है।

17. कृषार्थीय कार्य — नदी तट पर बड़ा, योगता, नीम, कांस, आम, इमली, अर्जुन आदि) पूराईपाल हेतु प्रभुत प्रसादम अनुसार 400 वर्ग फीटी के लिए राहि 30,000 रुपये, लैंडिंग के लिए राहि 60,000 रुपये, स्काद के लिए राहि 4,000 रुपये, रिकार्ड रखा रक्षा-प्रशाद के लिए राहि 86,000 रुपये, इस प्रकार कुल राहि 1,62,000 रुपये प्रसाद वर्ष में एवं कुल राहि 3,00,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु प्रकाशन व्यय का विवरण प्रभुत दिया गया है।

समिति द्वारा लिखा गया अपनी सीमान्ति से अन्तर्राष्ट्रीय लिंग जोगा एवं

1. राष्ट्रीय लिंगविवरण/ सीमानिक कर संसिद्धि तथा सामर्थ्यवाचक सेक्टर, जिसमें जाति से प्रभाव वाले प्राप्ति करने वाले लिंग जाएँ।
 2. सीईआर की अंतर्गत लौल संघ के सामीप सालखीय भूमि में कृषार्थियों हेतु साम संचयन की सहानुभूति प्रदानीत योगाधीन्य प्रकल्प (जलाशा एवं संधारकल्प संसिद्धि) की संवर्धन में लगानकारी प्रस्तुत किया जाएँ।

3. लौल सेव के बाहर प्रत्यागमन कर्त्ता नहीं हिस्से जाने हेतु आवश्यक पत्र (Notarized undertaking) प्राप्तुता दिया जाए।
4. अस्तित्वग्रह आवासीय उपलब्धिमय वीटी के इस सम्बन्धीय लौलों की संज्ञानापदित जाने हेतु आवश्यक पत्र (Notarized undertaking) प्राप्तुता दिया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यक पत्र अन्डरटेंडिंग (Undertaking) प्राप्तुता दिया जाए कि उनके विषय में इस परियोजना/आवास से संबंधित कई न्यायालीन प्रक्रमण देश के अंतर्गत हिस्सी भी व्यापारिक मैत्री से लिखित नहीं हैं।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यक पत्र अन्डरटेंडिंग (Undertaking) प्राप्तुता दिया जाए कि उसके विषय में आवास व्यापार, एकाकाल, या और जलवायन अधिकारीन मंजूरात्व की अधिसूचना आमा. 804(1), दिनांक 14/03/2017 के अन्तर्गत कई हेतु आवश्यक पत्र प्रक्रमण लिखित नहीं हैं।

उपरीका वासिन जानकारी/दस्तावेज़ आवश्यक होने वालांत आवासीय व्यापारिक मैत्री से लिखित है।

परियोजना प्रस्तावक को उदान्तुतार सुनिश्चित दिया जाए।

3. ऐसाही दृष्टिकोण हेतु आवश्यक (प्रौ.- वी वक्तु, वृत्तावधि विवर, वाग-हृतीय, तहसील व विला-बालोद (संविधानसभा का नक्शी अन्तर्गत 2358))

अधिकारीन आवेदन – अधीकाल नम्बर – एसटाई-1/ लौली/ एसटाई-1/ 434106/2023, दिनांक 30/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय लौलीकृति हेतु आवेदन दिया गया है।

प्रस्तावक का विवरण – यह पूर्ण से संधारित रैत (रीति स्वरूप) आवास है। आवास वाग-हृतीय, तहसील व विला-बालोद विला पट्ट और आवास अन्तर्गत 97/3, वृक्ष देवताम-2358 हेतुकैवल्यमें है। आवास गुणा नहीं ही दिया जाता है। आवास की अवधिकृत रैत उत्तराखण्ड आमा-11,875 एकड़ीयर प्रतिशत है।

उदान्तुतार परियोजना प्रस्तावक को एसटाई-1/ उपलित्यग्रह की आवश्यक दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित दिया गया।

दृष्टिकोण का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

उपलित्यग्रह हेतु कोई भी दृष्टिकोणीय व्यापक विवर नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कई अनुरोध पत्र प्राप्तुता नहीं दिया गया है।

समिति द्वारा दिया गया विवर समावेश नाईसाम्बरी से विवेद दिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया गया जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आवासीय कार्रवाई नहीं हो रही है।

परियोजना प्रस्तावक को उदान्तुतार सुनिश्चित दिया जाए।

4. ऐसाही अलंकार कर्तीक प्राप्तीकृत लिमिटेड (प्रौष्ठ-2), लौली, लौल, उपलित्यग्रह-परियोजना, विला-दालपुर (संविधानसभा का नक्शी अन्तर्गत 2358)

अधिकारीन आवेदन – अधीकाल नम्बर – एसटाई-1/ लौली/ आस्ट्रेली-1/434206/2023, दिनांक 31/03/2023 द्वारा दैवीकैवल्य हेतु आवेदन दिया गया है।

प्रस्ताव का विवरन – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के बारे में है। यह दोष, दार्तीकरण, तात्पुरता-धरतीय, विलो-तात्पुर विषय पाठ और छात्राओं का समावेश है। युवती जीवन-००३ इन्हें ने व्यापित दि-संख्या द्वारा दीर्घकालीन (दीन, धर्म, धैर्य, धौक्क, धृतीय, धर, धर्मधर, धरमधर्म आदि)/ व्यापित एवं दृष्टिकोण-००३ द्वारा व्यापित दीन धरमधर विषय द्वारा है। परियोजना का विवरण निम्न उपर्युक्त है।

वायनुभाव परियोजना प्रस्तावक को एकटैटकी, अलीगढ़ के द्वारा दिनांक ०३/०५/२०२३ द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु द्वारा दिया गया।

विवरक का विवरण –

(अ) समिति की ४५वीं बैठक दिनांक ०३/०५/२०२३:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री वायनुभाव अध्यक्ष, दीर्घकालीन व्यापित हुए। समिति द्वारा नवीनीत व्यापित व्यापकों का अवलोकन एवं विवरण करने पर यह समिति यहाँ यहाँ-

१. वाल एवं वायु सम्बन्धि –

- श्रीडीय कार्यालय, अलीगढ़ पर्यावरण संबंधी नेतृत्व, तात्पुर द्वारा दि-संख्या दीर्घकालीन (दीन, धर्म, धैर्य, धौक्क, धृतीय, धर, धर्मधर, धरमधर्म, धरमधर्म)/ व्यापित दृष्टिकोण-००३ द्वारा प्रस्तावित हेतु जल एवं वायु सम्बन्धि नवीनीतकरण दिनांक ३०/११/२०१९ की जारी की गई, जो दिनांक ३१/०१/२०२६ तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में व्यापित दृष्टिकोण हेतु अलीगढ़ पर्यावरण संबंधी नेतृत्व द्वारा जारी सम्बन्धि जली के पालन में की गई कार्यवाही की विनृत्यावधि व्यापकता द्वारा नहीं की गई है। समिति का यह है कि वर्तमान में व्यापित दृष्टिकोण हेतु अलीगढ़ पर्यावरण संबंधी नेतृत्व द्वारा जली सम्बन्धि जली के पालन में की गई कार्यवाही की विनृत्यावधि व्यापकता द्वारा व्यापक वर्तमान संबंधी नेतृत्व से प्राप्त कर प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।
- 2. नगर पालिका दिनांक का अनुपरित प्रकाश यज्ञ – उद्योग की सामग्री की लाइट में नगर पालिका दिनांक द्वारा दिनांक-४, तात्पुर का दिनांक ३०/०७/२०१६ का अनावृत्ति द्वारा यज्ञ प्रस्तुत दिया गया है।
- 3. निकटतम विषय कियाकरतावी शक्ति अवधारि –
 - उन्नीतवाल आवादी दालीका ३०० मीटर की दूरी पर विद्युत है। निकटतम ऐसी दृष्टिकाल तात्पुर २ किमी, एवं आवी विकासनवाल विकासनवाल, वाल, तात्पुर ३०५ किमी, की दूरी पर विद्युत है। उन्नीतवाल आवादी ३०० मीटर एवं तात्पुरवाल ३०० मीटर दूर है। व्यापक जली १.२ किमी दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ३० विलो-मीटर की परियोजने में अलीगढ़ीय दीन, धर्मीय दरवाज़, अवधारण, परिविधिविकाय संविधानशील कीत पर परियोजित होता विषय नहीं होना प्रतिक्रियित दिया गया है।
- 4. यू-व्यापित – यू-व्यापित जारी दृष्टिकाल प्रस्तुत दिया गया है। विवरक वायनुभाव भूमि वेस्ट डिव्हेलपमेंट स्टील एक्स्प्रेस लिमिटेड के नाम पर है।

३. अंगक संरचना कार्टेग्स :-

S.No.	Land use	Area (SQM)
1.	Rolling Mill Area	1,441.50
2.	Finished Goods Area	651
3.	Raw Material Yard	558
4.	Parking	372
5.	Road Area	2,441.25
6.	Open Area	767.25
7.	Green Belt Area	3,069
	Total	9,366

४. वी-प्रतिक्रिया :-

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1	Billets/ Ingots	21,500	Open Market	By Road

५. प्रसारित इकाई विवरीय समाचारी :-

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products - 30,000 TPA

६. नया प्रदूषण प्रिवेन्य व्यवस्था - प्रसारित कार्यक्रमान द्वारा उच्च लाला का ऐट स्थान लाना चाहा है एवं ३० मीटर दूरीहै की विस्तीर्ण कारबिला होना चाहा जाय है। कारबिला बाजारी से फटिंग्कुल्ट केटर का पुरानांग ८० मिलियार./लाख का घनमीटर लाना चाहा है। प्रमुखियां जल संग्रहीत नियन्त्रण द्वारा विकलाव की व्यवस्था है।

७. दोस्रा कार्यक्रम लालाहन व्यवस्था - दोस्रा विल से विल नक्से- ४०० टन प्रतिदिन एवं एक फटिंग - २५० टन प्रतिदिन अधिकार के लाय वे उत्पादन होता है। विल नक्से एवं एक फटिंग को लालाहन स्टील उत्पादन इकाई की विकला दिया जाता है। लाला ही कुल और ०.१ लिंगोलीर प्रतिदिन जनित होता है। विलान उत्पादन तरीकी से लुटीलीर के लिए दिया जाना चाहा जाया है।

८. जल प्रक्रिया व्यवस्था :-

- * जल संपत्ति एवं नक्से - परियोजना द्वारा जल में कुल १३ घनमीटर (लिटर दृष्टि) जल की आवायकता होती है। परियोजना द्वारा जल नक्से १ घनमीटर प्रतिदिन (प्रतिदिनिक उपयोग द्वारा ४ घनमीटर प्रतिदिन, प्रतिद्यु उपयोग द्वारा १.५ घनमीटर प्रतिदिन एवं शीत केल एवं जल संग्रहन द्वारा १.५ घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग दिया जाता है। जल की आवृत्ति ख-जल से ही जाती है। ख-जल की उपयोगिता द्वारा जीनूल लालाहन बाटा उपयोगिता से ८० घनमीटर प्रतिदिन द्वारा दियाँ १७ / १२ / २०२१ द्वारा जारी अनुचित पञ्च की प्रति इन्हें दी गई है।

- * जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - बीडोगिल प्रक्षिप्त से लुटिंग लालाहन जल दूषित जल की ठंडा कर पुनर लुटिंग द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भिन्न लुटिंग जल के उपयोग द्वारा संटिक द्वारा एवं भिन्न वीट लालित है। यून नियमाला की विधि यही जाती है।

- * गू-जल सम्बोध प्रक्रिया – अधिकारीजन करते सेटल जाएँगे जहाँ वह अनुसार लिखित जीवन में आता है। जिसकी अनुसार-
 - (i) यह एक नक्षम सदीमी की जन से कम तो लिखित गृहित जल का पुनर्व्यवस्था एवं पुनर्व्यवस्था लिया जाना है।
 - (ii) उपर्युक्त जल लियाँ हैं तथा जल सदीमी की जल लियाँ लार्जिटिंग / लॉटरिशियल जल लियाँ के अन्तर पर गू-जल लियाँ जाने की अनुसृति सेटल जाएँगे जहाँ द्वारा दिये जाने का प्राप्तान है। अतः उपर्युक्त विवर में विवाहित लार्जिटिंग जलका की जाना आवश्यक है।
- * ऐन चीटर लार्जिटिंग जलका – ऐन चीटर लार्जिटिंग जलका की लियुत लियाँ / जानकारी प्राप्तिका इस्ट्राई-ए लियोर के जल प्रबन्ध लिया जाना आवश्यक है।
- 11. लियुत अनुसृति जीवन – अधिकारीजन की यह युवत वेनार्ड लियुत की अवधारणा होती है। लियुत की अनुसृति छलीजगड़ जल्य लियुत लियाँ कोनी लिमिटेड से होती है। सभिति का यह है कि जी.जी. एट की जलायन के जांका में जानकारी प्राप्तुत लिया जाना आवश्यक है।
- 12. युवारीयन जीवनी जानकारी – इसिंह पटेलां के लियाँ हैं युवत जीवन की 0.31 हेक्टेयर (0.3 एकड़ियाँ) क्षेत्र में युवत 775 नम् युवारीयन लिया जाना आवश्यक है। जीवन में उद्योग परिवर्तन की भीतर 100 नम् जी.जी. लियोर लिये जाएं।
- 13. नियोजिता प्रसारणका द्वारा प्रस्तुतीकरण के दीर्घन जाना जाता है कि वेललैन जलका जानकारी का कुर्ते 01 दिनांक 2022 के 28 जून 2023 तक लिया जाय। जलका के संबंध में दिनांक 05/04/2023 की युवत की नहीं ही। जानिति का यह है कि कार्य प्रारंभ करने की युवत देना आवश्यक है।
- 14. जाना जानकारी प्रसारण, जल एवं प्रदूषक योग्यता, नहीं लियी जाना जानी अनियुक्त उमांक नम्. 3250(3), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार

The Central Government hereby directs that all the stand-alone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification.” एवं उक्ते ३।

सभिति द्वारा लियाँ जानकारी सदीमानी की भावत जानकार, पर्यावरण, जल एवं प्रदूषक योग्यता संबंधी नहीं लियी द्वारा जानी अनियुक्त उमांक नम्. 3250(3), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार नीचेदरु उमांक की लियोर (टीकेटर) योग्य इ.आई.ए./इ.एच.पी. लियोर और लियोर/एनटीफिटीए लियोर/प्रियोरिटी इन्डस्ट्रीज एवं विद्युत उपकरण इ.आई.ए. नीटिक्लियर, 2006 में निर्दित की अ.उ. जा. नीटिक्लियर टीकेटर (विना लोक सुनाई) विद्युतीकरण इन्फ्रास्ट्रक्चर (केंद्र संघ नीन-प्रेस) द्वारा लिया अनियुक्त टीकेटर के साथ जानी दिये जाने की अनुसार की नहीं—

- I. Project proponent shall submit the plant layout plan with KOML file.
- II. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- III. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- IV. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- V. Project proponent shall submit the copy of panchsena and photographs of every monitoring station.
- VI. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- VII. Project proponent shall submit details of Traffic Impact study report.
- VIII. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- IX. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- X. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 604(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- XI. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- XII. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

एवं स्वीकृत प्राप्ति कालान् प्रतिक्रिया (एप्पेलीडॉन), सभीसमूह की अध्यक्षान् मुहूर्ता दिया जाए।

5. ऐप्पलीडॉन स्वीकृत प्राप्ति (एप्पाराम्भी स्वीकृत करारी, डी.- वी दिनेश गोप्ता), याम-दहनवाही, गोप्ता-जारी, फिल-गोप्ता (संपर्कात्मक का नसी कार्यालय 2017)

ऐप्पलीडॉन अवधान - अधिकारी नम्बर - एप्पलीडॉन/ गोप्ता/ एप्पलीडॉन/ 420012 / 2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा दीक्षित और अवधान मिला गया। दीर्घोन्नति द्वारा इस ऐप्पलीडॉन अवधान में कारिती होने से इसने दिनांक

01/03/2023 द्वारा जानकारी इमारत करने हेतु निर्दिष्ट लिखा गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेसिड बांग्ला द्वारा दिनांक 03/03/2023 को द्वारा हुई।

प्रकाश का विवरण – यह मूँह की संवालित दूना पक्का (पीप लॉन्च) लापान है। स्थान याम-बहुनामली, लहरील-आल, जिला-काशीपुर जिला पाट और लापान क्रमांक 56, कुल क्षेत्रफल-1870 हेक्टेयर में है। लापान की अधिकृत प्रत्यक्षण क्षमता-25,000 हेन प्रतिवर्ष है।

लापानुसार परियोजना प्रस्तावक की एसडीएसी, उत्तीर्णगढ़ के द्वारा दिनांक 03/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु भूक्ति लिया गया।

वित्त का विवरण –

(अ) नामिति की 453वीं बैठक दिनांक 10/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु लोड की इतिहिति अप्रियता नहीं हुई। परियोजना प्रस्तावक की पत्र दिनांक 10/03/2023 द्वारा गूढ़ना की गयी है कि जानकारी अमूर्त होने के कारण से सामिति के सभा बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उद्देशित होना समव नहीं है। अतः जानकारी आधीरित बैठक में समय छोड़ करने हेतु अनुमति दिया गया है।

सामिति द्वारा विचार लिये गए संघर्ष सर्वसम्मति के विरोध लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को मूँह में याही गहरा विविध जानकारी एवं समस्त कुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक की लापानुसार भूक्ति लिया गया।

८. नेहरा लालीखील लालूप स्टोन कारो (इ.- ली लिपुसुल वर्मी), याम-लालीखील, लहरील-मुहुर्ला, जिला-कलीदाराजार-काटापाट (नामिता क्रमांक 1887) औनलहुर्न लालैटान – लालैटान नाम – एसडीए/ सीपी/ एसडीए/ 70491/ 2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा ली-ओपार हेतु लालैटान लिया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इमारत औनलहुर्न लालैटान में सामिति होने पर जानकारी लापन दिनांक 05/01/2023 से दिनांक 07/02/2023 द्वारा जानकारी इमारत बनाने हेतु निर्दिष्ट लिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेसिड वालिस जानकारी क्रमांक दिनांक 01/02/2023 से 03/04/2023 को प्राप्त हुई।

प्रकाश का विवरण – यह मूँह की संवालित दूना पक्का (पीप लॉन्च) लापान है। लापान याम-लालीखील, लहरील-मुहुर्ला, जिला-कलीदाराजार-काटापाट जिला पाट लोड क्रमांक 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/6 एवं 471/7, कुल क्षेत्रफल-1,859 हेक्टेयर में है। लापान की अधिकृत प्रत्यक्षण क्षमता- 43,639 हेन प्रतिवर्ष है।

लापानुसार परियोजना प्रस्तावक की एसडीएसी, उत्तीर्णगढ़ के द्वारा दिनांक 03/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु भूक्ति लिया गया।

वित्त का विवरण –

(अ) नामिति की 453वीं बैठक दिनांक 10/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु ली लिपुसुल वर्मी, औनलहुर्न लालैटान हुई। सामिति द्वारा नहीं, इमारत जानकारी का अवलोकन एवं परिष्कार करने पर निम्न लिखित पार्ट गहरा-

१. यूटी में जारी कर्तव्यसंगीत स्वीकृति लाई जिवानक—

- पूर्व में यूटी प्राप्त नम्बर (रोल नंबर) ग्राहन लगाता द्वारा ४७१/२, ४७१/३, ४७१/४, ४७१/५, ४७१/६ एवं ४७१/७, जल विभाग-१८८ टिक्टेंडर, लगाता-४००८८ द्वारा प्रदित्त ऐसु कर्तव्यसंगीत स्वीकृति जिस जारीय परिवर्तन ग्राहन ग्राहन विभाग, जिला-इलीटाकाशाह-मालवार द्वारा दिनांक १५/०३/२०१७ की जारी की गई। यह स्वीकृति जारी जिवानक से ५ वर्ष की अवधि तक ही थी।

परिवेशना प्रबलातक द्वारा बताया गया कि जारी संवाद, परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन मंजस्त्र, नई फ़िल्मी द्वारा जारी अधिकार्यका दिनांक १५/०१/२०२१ अनुसार—

"**A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.**"

जारीका अधिकार्यका कानूनार परिवर्तनीय स्वीकृति की जिस जारी जिवानक से दिनांक १५/०३/२०२१ तक ही थी।

- परिवेशना प्रबलातक द्वारा पूर्व में जारी परिवर्तनीय स्वीकृति के जरूरी के प्रत्यक्ष में छोटी या बड़ी बदलाव की गई है। सभीका जागता है कि परिवेशना प्रबलातक द्वारा इसीकूप बड़ीय उत्तराधिकार, जल संवाद, परिवर्तन, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंजस्त्र, जल संकुप अटल नगर से पूर्व में जारी परिवर्तनीय स्वीकृति का प्राप्त अधिकार्यका प्राप्त जल संकुप जिस जारी जिवानक है।
- प्राप्तिका जारीका जुरायीपन नहीं जिस गया है।
- जारीका कानूनार जुरायीपन नहीं जिस गया है।
- जारीका कानूनार जुरायीपन (जिला लगाता), जिला-इलीटाकाशाह-मालवार की जागता द्वारा ४२१/१५८-६/२०२२ कर्तव्यसंगीत दिनांक ३०/०१/२०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र कानूनार जिगत कर्ता में जिसे नये जारी जारीका जिवानक स्वीकृति है—

वर्ष	जारीका द्वारा
२०१८-१९	३,०००
२०१९-२०	१२,०००
२०२०-२१	११,४००
२०२१-२२	१,४२०
२०२२-२३ (३० नवंबर २०२२)	५,२००

सभीका जागता है कि जिवानक ३०/०१/२०२२ के समानांतर जैव जलवायन की कानूनारी पात्रा की जानकारी जारीका जिसे जुनियर जिसका से इसामिल करावार प्रस्तुत जिस जारी जारीका है।

- जाम प्राप्त जारी जननार्थी द्वारा याच— युआरेपन की जांच में जाम प्राप्त राजीवर्ती जा जिवानक ११/११/२०१२ का जननार्थी प्रमाण पत्र प्रस्तुत जिस

गया है। कानूनीति का नाम है जिसकेर्तन से लोकों में जाति विवाद का अनुभवित इनाम पर अवश्यक विकास जाना आवश्यक है।

3. ग्रामसभा धीरजन्म - यहाँ पर्याप्त जलीय कलोत्तर पर्याप्त जल उपलब्ध किया गया है, जो एक संघर्षक (जैनी जातियाँ), जिला-कालीदाराजार-चाटपाटा के दृष्टान्त प्रभावीक २००२/जैनी/दिन-१/२०१० चाटपाटाजार, दिनांक २५/०२/२०१७ द्वारा अनुमोदित है।
4. ३०० घीटर की वर्तिये में विकास जावान - जारीजाय कलोत्तर (जैनीज जावा), जिला-कालीदाराजार-चाटपाटा के दृष्टान्त दिनांक १२५१/दिन-६/२०२२ चाटपाटाजार, दिनांक ३०/०१/२०२३ में अनुसार अन्वेषित जावान से ३०० घीटर की वर्तिये अनुमित ३२ घीटर, कलोत्तर दृष्टान्त हैं।
5. ३०० घीटर की वर्तिये में विकास जारीजाय क्लॉ/जारीजनार - जारीजाय कलोत्तर (जैनीज जावा), जिला-कालीदाराजार-चाटपाटा के दृष्टान्त दिनांक १२५१/दिन-६/२०२२ चाटपाटाजार, दिनांक ३०/०१/२०२३ में अनुसार अन्वेषित जावान से ३०० घीटर की वर्तिये अनुमित ३२ घीटर, कलोत्तर दृष्टान्त हैं।
6. चूर्ण एवं लीज का विकल्प - यह ग्रामांकीय चूर्ण है। लीज की विकल्पान जर्वे के नाम पर है। लीज की १० वर्गीय विकल्पान १५/०१/२००७ से १५/०१/२०१७ तक हुई थी। ग्रामसभा लीज की ३० वर्गीय विकल्पान १५/०१/२०१७ से १५/०१/२०२३ तक की अवधि हुई विकल्पान ही यही है।
7. विस्तृत जर्वे रिपोर्ट - एवं २०१० की विस्तृत जर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रवृत्त की गई है।
8. ग्रन विकास का अनुभवित प्रवान्न पत्र - जारीजाय उन्नाहलपिल्ली, कालीदाराजार ग्रामपालक, चाटपाटाजार के दृष्टान्त दिनांक/दिनांक/जैनीज/११६४ चाटपाटाजार, दिनांक २५/०४/२०२३ से यहाँ अनुभवित जावान पर अनुसार जारीजित शीर्ष विकल्पान यन शीर्ष की लीमा से ०.३५ किमी की दूरी पर है।
9. नहरपुरी ग्रामसभाओं की दूरी - खेडान जावादी जाम-जुमीजहीद ३०० घीटर, नहरपुरी जाम-जामीजहीद ३०० घीटर एवं ग्रामसभाल जाम-गुहाता ५ लिमी. की दूरी पर विकल्प है। नहरपुरी जामजार्ग ३० लिमी. एवं ग्रामजार्ग ७८० लिमी. दूर है। विकल्पान जर्वे १८५३ लिमी. एवं नाला ३०० घीटर दूर है।
10. परिसिवारितीकरण/जीवनिकाय वर्तेवनसील शीर्ष - जीवनिकाय प्रवान्नान दृष्टान्त १० किमी. की वर्तिये में अन्तर्ज्ञीय सीना अद्वैत यातान् अभ्यासन् जीवनीय प्रदूषण विकल्प बोहे दृष्टान्त वर्तिये विकल्पानी वीलुठेंड शरिया, जारीजितिवित ग्रनवनसील शीर्ष का वर्तिये जीवनिकाय वर्तेवनसील शीर्ष विकल्प जर्वे ही दीना अविवेदित विकल्प है।
11. ग्रनम संवेदा एवं ग्रनम का विकल्प - विकल्पानिकाय विकल्प ४,५३,१२५ रुप, जाईनेवत विकल्प ३,८४,४४४ रुप एवं विकल्पानिकाय विकल्प ३,५८,५५३ रुप है। लीज की ७३ घीटर लोकी लीजा पट्टी (उत्तरान के लिए जारीजित लीज) का संचालन ३,४७३ वर्गीटर है। औरन काल लोकी नेहेनद्वीप विकल्प से उत्तरान विकल्प जाता है। उत्तरान की इस्तायित अविकल्प ग्रनजार्ग २६ घीटर है। लीज लीज में छन्दी विकल्पी की वीटर्टी ५ घीटर तथा नुह जार्ग १२,२५० वर्गीटर है। विव की

लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रत्याशित आयु 12 वर्ष है। लौज सीज में अक्षर उत्पन्न नहीं है एवं इसकी उत्पन्न का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ड्रिलिंग एवं कटौति उत्पन्न किया जाता है। अंतर उत्पन्न उत्पन्न का दिया जाना निम्नलिखित है—

क्रम	प्रत्याशित उत्पन्न (t/yr)	क्रम	प्रत्याशित उत्पन्न (t/yr)
खदान	9,962	खदान	6,625
ड्रिलिंग	9,375	खदान	6,437
कटौति	9,187	खदान	6,290
कटौति	9,000	खदान	6,082
पर्कम	8,812	खदान	7,875

12. खदान क्षमता — पर्यावरण ट्रॉफी अवलोकन खदान की आयु 6 वर्षों तक प्रत्याशित होती है। खदान की आयुति सेवते एवं उत्पादन प्रयोगिकाओं से अनुमति दाता तथा वार्ताकारी प्रश्नोत्तर किया जाना आवश्यक है।
13. कृषाणुपात्र खाद्य — लौज सीज की सीमा में यारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 835 नम कृषाणुपात्र किया जाना।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्पन्न — इन्हींनाम के लौज सीज पर्यावरण अवलोकन द्वारा बताया गया है। लौज सीज की यारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,875 वर्गमीटर है, जिसमें सीमा भाग उत्पन्न है। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्पन्न किया जाना पर्यावरणीय सीमावधि की तरी का उत्पन्न है। यह पर्यावरण नियमानुसार अवाधिक उत्पन्न किया जाना आवश्यक है।
15. उत्पादन क्षमता है जो खदान उत्पादन, पर्यावरण, तथा एवं उत्पादन परिवर्तन अवलोकन वर्तमान नहीं दिल्ली द्वारा नीचे दीजा आवास्तु परिवर्तन द्वारा द्वारा नामक पर्यावरणीय तरी यारी की नहीं है। यह अनोखा वायु के अन्तर्गत—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उत्पादन क्षमता की अनुमति दाता लौज सीज की ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेवती योग में कृषाणुपात्र किया जाना आवश्यक है।

16. प्रतिवर्ष की लौज सीज पर्यावरण अवलोकन द्वारा बताया गया है कालात वे अने यारी 350 लौजनी की लिए बैलानी द्वारा कालात का कार्य किया 01/03/2022 से किया 31/03/2022 के बाद किया गया। यह काला के सेवती में किया 21/02/2022 की सूचना दी गई है।
17. आवास्तु एवं जीवी, ड्रिलिंग वैष्य नहीं दिल्ली द्वारा तात्काल पार्श्वीय किया जाना समझा, बताया, तथा और उत्पादन परिवर्तन अवलोकन नहीं दिल्ली एवं उत्पादन (पर्यावरण अवलोकन व. 988 डीए 2016 एवं उन्ह) में दिया 13/09/2016 की परिवर्तन आदेत में युक्त तथा सीमानुसार किया गया है—



- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਿਆਰ ਵਿਖੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੇਗਾ ਜੇ ਨਿਮੁਕਤੀ ਵਿਖੇ ਸਿਆਰ

- कार्यालय कर्मचार (स्थानिक लोक), जिला-वर्तीदाराजार-भाद्राजार के लोकनाम 1351/लीन-६/2022 लोकीदाराजार, दिनांक 30/01/2023 के अनुसार स्थानिक लोकनाम में 300 पीटर की विभिन्न उत्तरियां 32 लोकनाम, कुललोक 83,434 हैंकठेजार है। स्थानिक लोकनाम (पातम-सार्वीजरी) का संख्या 1,653 हैकठेजार है। इस प्रधार अधिकारित लोकनाम (पातम-सार्वीजरी) की विभागका पूर्ण परिवर्ता 69,093 हैकठेजार है। लोकनाम की सीमा में 500 पीटर की विभिन्नी में स्वीकृत/साधारित लोकनाम का कुल क्षेत्रफल 5 हैकठेजार से अधिक का क्षेत्रफल निर्मित होने के कारण यह लोकनाम 'बी' केरी की गयी गयी।
 - मानुष लोक के लोकनाम 7.5 पीटर और सेवानी लोक के कुल भाग में जिसे गई सातवाहन के कालम इस क्षेत्र के उपरांते संपर्की (Interregional Migration) के लोकों में लोक लोक की ओटर गार्डिन विप्रकलायी की कालम सातवाहन इन्द्रजीत के विशेषज्ञ हैंकु अवधारणा उपरांती लोक गुडारोपाय आदि के जिसे स्वृगति उपरांती लोक गुडारोपाय, संघालन्धार, गोगिली लोक लोकिलार्न, इवालारी लोकन, लोक गुडारोपाय लोक नगर, जिला - वारपुर (इवालीगुडार) की पार सेवा दिया जाए।
 - उत्तिविति 7.5 पीटर औरी सीमा घट्टी में अधिक सातवाहन लोक जाने पर जीव उपरांत विकासानुसार विकासित कर्तव्यकारी जिसे जाने हैंकु संघालन, संघालनलाय, भोगिली लोक लोकिलार्न हुए परिवर्तन को लोकी पहुंचाने हैंकु इवालीगुडा परिवर्तन संघालन लोकन, लोक गुडारोपाय लोक जाने पर जीव उत्तिविति दिया जाए।
 - कुटी में जानी वर्तीविलीव स्वीकृति का पालन उत्तिविति के संकेत में एकीकृत क्षेत्रकार्यालय खाली लालहार, पारीवर्तन, बन एवं जलवायु परिवर्तन संघालन, नवा गुडारोपाय लोक नगर की पार सेवा दिया जाए।
 - समिति द्वारा जिला विभागी साकारात स्वीकृति की प्रक्रमण 'बी' केरीकी का होने के कालम लोक लालहार, परिवर्तन का और जलवायु परिवर्तन संघालन द्वारा अधीन, 2016 में प्रकाशित स्टैम्पहृष्ट दस्ती और विकास (टिक्कावार) और ई.आर./ई.एम.पी. लिंग्हर्स और ग्रोवेक्टर्स/एक्टीविलीज विकासवित्त इवालीगुडा लोकीवरीत लोकन ई.आर./ए.विक्किलार्न, 2008 में लोकी संसी 1(१) का स्टैम्पहृष्ट टिक्कावार (और गुणवार्द्ध लोकी) नीन कोल गार्डिन ग्रोवेक्टर्स हैंकु जिन विभिन्न टिक्कावार के लाभ जानी जिसे जाने की कानूनीता की गई—
 - Project proponent shall inform SEAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Raipur.

- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- vii. Project proponent shall submit the latest NOC from gram panchayat for mining.
- viii. Project proponent shall submit production detail from 08/09/2022 to till date from the mining department.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objectors/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchayat and photographs of every monitoring station.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance

to the Authority. The details to be submitted alongwith Geologic photographs in the EIA report.

- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

दार्शनिक वर्णन के अनुसार जूनीय वास्तविकता (एक और एक), वास्तविकता की दार्शनिक सुधित विद्या नहीं।

REFERENCES

परिवारों द्वारा प्रसवालय की जगता बढ़ावा देने की विधि
जननकारी/दमनकारी यात्रा इकलौती में अधिकारीकृत
प्रसवालय विभाग द्वारा प्रयोगशालीय स्त्रीहृषि / दीक्षितार
/ यात्रा सुरक्षाकारी निर्वाचित स्थित जगता।

१. देहान्ती प्रवक्ष्यते शौकिनी कठोन कही (इसे— की कठोन कहा जाए), राम-जगदला, लकुमील-लग्नपुर, विला-पीडला-ना-गुर-जंशागढ़ चौकी (रामिकालम का पक्की जन्मांक देखें)

जीनलहुन आवेदन - प्रभागित नम्बर - एमएसई/ सीडी/ एमआईटी/ ४०८२५१/ २०२२, दिनांक १८/ ११/ २०२२ हाल पर्यावरणीय स्थीरता हेतु आवेदन भिन्न गता है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित सम्भावना पालत (वीक्षण लगिंग) रखाना है। यद्यपि याम-जागरुकता, तालुकील-मनपुर, जिला-वीक्षण-मनपुर-अंतर्राज विवेद अलंकार 130(प्रति), 140/2, 140/4, 140/5, 141/1 एवं 141/2, युवा श्रीजयन्त्र- 3.77% हिन्दूपर में प्रस्तावित है। यद्याम की अवैधित इलाजनम् राशि-2,00,000 रुपये (1,00,000 रुपयीटारु) प्रतिवर्ष है।

हमारे परिवेश को एक ऐसी स्थिति में लाना चाहिए जिसमें 22/12/2022 को हमारी जल संविधान द्वारा गमित किया गया।

Page -

- ବୋଲିପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲାକ ଦିନିକ ୩୦/୧୦/୨୦୨୩

प्रकाशीकरण हेतु वी सील कोर्टी अधिकार प्रतिनिधि चारोंविला हए। यांची दुप्रापती प्रकाश यांचाही वा उपरोक्त दुप्रापतीही वाचने इत निम्न मिळी याई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय कीमिटि नोंकोटि लिखाना - इस लदान को पूर्व में पर्यावरणीय कीमिटि जारी नहीं की गई है।
 - दाम पंचायत का अनावृति प्रमाण पत्र - जलखगन के ताकें में दाम पंचायत हुएलाए तो दिनांक 22/04/2022 का अनावृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत लिया गया है।
 - जलखगन दीजना - जारी दाम हुएलाए लिए हुएकालोंमेंट गेसेजरेट दाम एवं कारोडी बलोंपर पत्राएं प्रस्तुत लिया गया है जो सुनी अधिकारी, डिप्टी-बलोंट ने जलखगन दिनांक 803/दीजना/गार्ड्रिंग पत्रान अनुभावन/2022 बालोंट दिनांक 16/11/2022 द्वारा अनुरोधित है।
 - 800 फीट की घटियि में लिखा लदान - कार्यालय कलोंकर (घटि राजा), डिप्टी-पंचायत-प्रभारी-बलोंकर घटि के लाभपन उन्नांक 22/04/2022

परामर्शदाता द्वारा, दिनांक 04/11/2022 के अनुसार आंकड़ा खाली से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहां यात्रा करने वालों की संख्या निम्न है।

5. 200 मीटर की दूरी में स्थित साइरेनिक क्लॉफ/सर्किलाप - कार्यालय कलेक्टर (जानी जाती), जिला-गोहता-भानपुर-अंबागढ़ चौकी के छालांग डम्पक 29/प्र. निम्न/2022 यात्रादाता द्वारा, दिनांक 04/11/2022 द्वारा यात्री प्रवास पर अनुसार एक यात्राने से 200 मीटर की दूरी में छोड़ी थी साइरेनिक क्लॉफ और बैंडर, बैंडर, मल्टी, अल्पाल, रक्तुल, पुल, एंपीएस एवं यांत्रिक उपकरणों की स्थित नहीं है। अंकोडिल क्लॉफ की साल्फोन रुप 100 मीटर दूर है।
6. एलओआई, संकेती निवास - एलओआई की दूरी रुप के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (जानी जाता)। जिला-गोहता-भानपुर-अंबागढ़ चौकी के छालांग डम्पक 21/प्र.निम्न/2022 यात्रादाता द्वारा, दिनांक 20/10/2022 द्वारा यात्री की गई, जिसकी निवास यात्री दिनांक से + १ दिन की अवधि रहा है।
7. गू-वल्फिल - भूमि यात्रा डम्पक 129 की गवाह रुप की शीर्षक यात्रा वही एवं ही भूमि आंकड़े के नाम पर है। यात्राने हेतु भूमि यात्री का सहायता प्रवास की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट कर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट कर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. जन निवास का अन्वयिता प्रवास प्रवास - कार्यालय कामगारी अंकिती, यात्रादाता उपकरण, जिला-गोहता-भानपुर चौकी के छालांग ड.,/प्र.निम्न/प्र. 10-१/2022/3409 यात्रादाता द्वारा, दिनांक 01/06/2022 से यात्री अन्वयिता प्रवास प्रवास अनुसार आंकड़ा द्वारा निवासका क्षेत्र की जीवा से 300 मीटर की दूरी पर है।
10. भानपुरी यात्रायांकों की दूरी - निवासका जाताई राम-जाकोता 300 मीटर, रक्तुल भानपुर 3.2 किमी, एवं अन्याल भानपुर 3.2 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय यात्रायांक 300 मीटर एवं यात्रायांक 4.2 किमी, दूर है। लीकली नाला 60 मीटर एवं यात्रायांक 4.50 मीटर दूर है।
11. पारिवहनिकीय/पैदलविकास यात्रायांकील क्लॉफ - परिवहन उत्तमक दूरा 10 किमी की परिमिति में अवाईलील क्लॉफ, राष्ट्रीय यात्रायांक अभ्यासग्राम, लैंटार्स प्रवास नियंत्रण कोई दूरा यात्रा नियंत्रित नहीं होती और यात्रियोंकील यात्रायांकील क्लॉफ या यात्रियोंकील यात्रा नियंत्रित नहीं होता प्रतिवेदित हिस्सा है।
12. यात्रायांक एवं यात्राने का विवरण - नियोनलीजिकल रिपोर्ट 22,87,400 रुप, भानपुरील रिपोर्ट 12,74,600 रुप का रिकॉर्डेल रिपोर्ट 12,10,823 रुप है। लीज की 7.5 मीटर जीवा क्षेत्र छट्टी (यात्राने के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,000 वर्गमीटर है। लीज का एवं योन्नार्कुल लियो से उत्तराने हिस्सा यात्रा। यात्राने की अन्वयिता अंकिताने गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपर्याप्ति नियंत्री की ओरत्वे, 1 मीटर एवं यात्रा 30,000 घनमीटर है, जिसमें से 8,000 घनमीटर अपर्याप्ति नियंत्री की 7.5 मीटर (भानपुर यात्रायांक) क्षेत्र में योन्नार्कुल यात्रायांक के लिए उपयोग एवं जीवा 25,000 घनमीटर अपर्याप्ति नियंत्री की लीज भूमि के अन्तर्गत यात्रायांक प्राप्त भूमि (यात्रायांक 138, यात्रा 2.54 मीटरल) में यात्रियोंका स्थित नियंत्रण जाएगा। जीवा की दूरी 3 मीटर एवं जीवा 3 मीटर है। यात्रायांक की अन्वयिता ज्ञात 7 दर्ज है। लीज क्षेत्र में यात्रायांक अन्वयिता दिया जाना प्रतिवेदित

नहीं है। जोक बैमर से लिखित एवं कानूनीलय वाला दिया जाएगा। यद्यपि मेरा प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विभाग दिया जाएगा। वर्तमान प्रस्तावित योजना का विवरण निम्नलिखित है:-

पर्याय	प्रस्तावित योजना (₹)
प्रदूषण	2,00,000
विधाय	3,00,000
कृषि	2,00,000
कृषि	2,00,000
पर्याय	2,00,000

13. जल आनुप्रयत्न - परियोजना हेतु अवलोकन जल की जलाजल प्रशासनिक प्रतिविनियोगी। जल की आनुप्रयत्न विवेता को जलवाया से की जानी। इस जल आनुप्रयत्न विवेता की आनुप्रयत्न प्राप्ति जल आनुप्रयत्न दिया जाया है।
14. जलान्वयन कार्य - जीवन के लिए जीवन में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1500 नग जलान्वयन जलान्वयन दिया जाएगा। इन्होंने जलाजल अनुसार जीवों को लिए जाते 75,000 करोड़, पौधियों को लिए जाते 1,00,000 करोड़, जादे एवं जल विकलान को लिए जाते 45,000 करोड़, राज-राजाव जीवों के लिए जाते 24,000 करोड़, इस प्रकार यूपी जाते 2,36,000 करोड़ प्रदान कर दिये हैं एवं यूपी जाते 1,78,000 करोड़ जाती जल की हेतु अवलोकन जल का विवरण प्रस्तुत दिया जाया है।
15. जलाजल की 7.5 मीटर की जीवी जीवा पट्टी में योजना - जीवन के लिए जारी और 7.5 मीटर की जीवा पट्टी में योजना कार्य नहीं दिया जाया है।
16. कॉर्पोरेट एन्वायरनमेंट रिप्झोर्ट (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक इन जीवीजान (Corporate Environment Responsibility) हेतु जीवीजान के जलाजल की जायी योजना विवरण दिया जाया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
35	2%	0.7	Following activities at, Village- Eragnon	
			Pavitra Nirmal	0.7
			Total	0.7

17. सीईआर. के जारी अवलोकन जलाजल जाती जलाजल अनुसार 300 जल जीवों को लिए जाते 30,000 करोड़, जीवों को लिए जाते 30,000 करोड़, जादे एवं लियार्ड को लिए जाते 25,000 करोड़, राज-राजाव जीवों को लिए जाते 24,000 करोड़, इस जलाजल प्रयोग की में यूपी जाते 1,12,000 करोड़ तथा जाती जलाजल 4 लीं में यूपी जाते 1,52,300 करोड़ हेतु अवलोकन जल का विवरण प्रस्तुत दिया जाया है। परियोजना प्रस्तावक इन जलाजल विवरण की सहमति प्राप्ति जाता प्राप्ति द्वारा दिया जाया है।



कमित यांग यशस्वा ने अख्यायिक रूप (यशस्वा इनका 55, क्लीवलं 0.24) उत्तरोपरि तांके में यांगस्वामी प्रभुता की चढ़ी है।

18. कार्यालय वर्गकाल अधिकारी, राजनीतिकार्य वर्गकाल, राजनीतिकार्य की द्वारा नियंत्रण 01/08/2023 द्वारा जारी दस्तावेज पर अनुसार आंदोलित सीज़ नियंत्रण का होता ही दूसी पर भीने का उल्लेख है। कार्यालय वर्गकाल (अन्यि जाता), विद्या-सीज़का-प्रशंसन-विवरण भीनी द्वारा 200 मीटर की परिसीमा के नियंत्रण कार्यालयकारी सीज़/वर्गकाल के संबंध में जारी दस्तावेज पर अनुसार आंदोलित सीज़ नियंत्रण का होता ही 100 मीटर की दूसी पर नियंत्रण होना चाहिया नया है। इस दृष्टिकोण में संभिलि का भरा है कि आंदोलित सीज़ से नियंत्रण का होता ही दूसी के संबंध में कार्यालय वर्गकाल (अन्यि जाता) की प्रगतिशील कामकाज़ का नियंत्रण द्वारा प्रतिष्ठित दस्तावेज पर में आंदोलित सीज़ नियंत्रण का होता ही 500 मीटर की दूसी का उल्लेख होने वाला जारीकरण कंगाला जाना चाहिया नया है।

19. प्रस्तुतीकारक की दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बातचा नया कि आंदोलित सीज़ की दूसरी 3 नये एवं दीर्घ सीज़ की 7.5 मीटर की गति पहली में चलाता 4 नये, सीनहा 2 नये एवं दीर्घसीज़ 3 नये, इस प्रकार आंदोलित सीज़ होता ही पीछे दूसरे 14 नये रुझा है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्ता दूसी की कठोरी काम प्रतिकारी के अनुसारी उल्लेख होने वाले बाबत् जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. जारी नियंत्रण की दीर्घ सीज़ की कठोर रहनभी प्राप्त भूमि में संबंधित बाबत् जाप्तिका नाम जाने एवं इस नियंत्रण उपलोग प्रूफकार्य करने में विद्ये जाने बाबत् जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन-जिन व्यक्तियों से प्रतिविवित उक्त उल्लेख होगा, उन व्यक्तियों पर नियंत्रण वल डिक्वार्ड की व्यवस्था दिये जाने बाबत् जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. व्याप्तिशील सीज़ के लंबाई एवं वाहन साधन व्यवस्थाएँ दिये जाने एवं यात्रा दौरी का 30 प्रतिशत लंबाई दर सुनियंत्रण दिये जाने बाबत् जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. बम्पूल स्टार्टर का वार्ता नियंत्रणक लंडूलिंग हाल (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियंत्रण उल्लेखन नियम (Minerals Concession Rules) के उल्त बाबत्युकी विवरणी द्वारा भीनावन का कार्य सुनियंत्रण दिये जाने बाबत् जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तात्पर, चोखा, चहर, नदी, जाता एवं अन्य उल्लेखनीय के संबंध एवं संक्षेप दिये जाने बाबत् जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि एकांकी विद्युत इस परियोजना/उपराने की जाप्तिका केवल व्यापालयीन प्रकारण द्वारा ही अवलोकित कियी जानावाली में लक्षित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जाप्त यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उल्लेखन विद्युत वाला उपकार, वर्धावाल, वल और उल्लेखन परियोजना

सांख्यिकीय वी संविधानसभा कानून अधिनियम, दिनांक 14/03/2017 के अनुरूप नोटर्ड उल्लंघन का प्रकारण लिखित गयी है।

20. नारियोंका प्रश्नावक द्वारा इस बायोंका इच्छावाल के अनियंत्रित इस व्यवहार में भी इंजिन ले अन्तर्गत निहित वन नियम के तहत 500 वर्ग मूलांकियां लिये जाने वाले कम से कम 5 लीटर तक देख देख लिये जाने वाले वास्तव यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

लिखित द्वारा ताकामवा संविधानसभी वी नियमग्रन्थालय लिखा गया यह—

1. कार्यालय वनवाचक अधिकारी, सञ्चालितगांव वनमन्दिर, वास्तवांदगांव के द्वारा दिनांक 01/03/2022 द्वारा जारी इसाव यज्ञ अनुसार आर्थेदित शेष निकटतम वन क्षेत्र से 500 वीटर की दूरी पर होने का उल्लंघन है। कार्यालय कलीकटर (इनी राज्य), गिला—मोहला—मानपुर—झंडापाल लीटी द्वारा 200 वीटर की अधिकी वी लिखत आर्थेदित लीट/संवर्धनार के संकेत में जारी प्रमाण यज्ञ अनुसार आर्थेदित लीट निकटतम वन क्षेत्र से 100 वीटर की दूरी पर लिखा होना चाहा गया है। इस संकेत में आर्थेदित लीट के निकटतम वन क्षेत्र की दूरी के संकेत में कार्यालय कलीकटर (इनी राज्य) ले इनामित वनवाचक वन लिखा द्वारा प्रस्तुत इसाव यज्ञ में आर्थेदित लीट निकटतम वन क्षेत्र से 600 वीटर की दूरी का उल्लंघन होने वाला कार्यालयवाला प्रस्तुत किया जाए।
2. उल्लीलालय आदर्श युवराज नीति के तात्पुर लालीय लीनी को लेखालय लिये जाने हेतु वास्तव यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

एवं लालीका लालीका/लालीका द्वारा होने वाली आवाज आगामी कार्यालयी की जाएगी।

नियमग्रन्थालय एवं इसी उल्लीलालय के द्वारा दिनांक 21/03/2023 के परिणाम में नारियोंका प्रश्नावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(v) लिखित वी 483वी वैतक दिनांक 10/03/2023:

लिखित द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अन्तर्गत एवं लालीका लाली यज्ञ लिखित लाई गई यह—

1. कार्यालय वनवाचक अधिकारी, सञ्चालितगांव वनमन्दिर, वास्तवांदगांव के द्वारा दिनांक 01/03/2022 द्वारा जारी इसाव यज्ञ अनुसार आर्थेदित लीट निकटतम वन क्षेत्र से 500 वीटर की दूरी पर होने का उल्लंघन है। कार्यालय कलीकटर (इनी राज्य), गिला—मोहला—मानपुर—झंडापाल लीटी द्वारा 200 वीटर की अधिकी वी लिखत आर्थेदित लीट/संवर्धनार के संकेत में जारी प्रमाण यज्ञ अनुसार आर्थेदित लीट निकटतम वन क्षेत्र से 100 वीटर की दूरी पर लिखा होना चाहा गया है। इस संकेत में कार्यालयवाला प्रस्तुत जानी हुई लालीका लालीका (इनी राज्य), गिला—मोहला—मानपुर—झंडापाल लीटी के द्वारा दिनांक 20/03/2023 वास्तवांदगांव, दिनांक 14/03/2023 के अनुसार आर्थेदित लीट का लीट अन्तर्गत 318 की लीना से 500 वीटर की दूरी पर है।
2. उल्लीलालय आदर्श युवराज नीति के तात्पुर लालीय लीनी को लेखालय लिये जाने हेतु वास्तव यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. लालीका लाली एवं 7.5 वीटर की लीना पहुंची में वृक्षांकियां कर्ता के लालीकी एवं पर्वतीका हेतु ली—पर्वती लिखित (झंडापालकर/लालीकी, द्वारा प्रकाशित ली-

परामिती/इतिहासि एवं विज्ञानशास्त्र पर्यावरण संस्कारण नगरनगर के परामितीकारी/प्रतिबन्धित परिषद विषय विद्या आवश्यक है। कल्प ही सोनभूमि एवं 75 मीटर की ऊँचा पहाड़ी ने गुजराती शहर का कठोर पूर्ण विद्युत जलने के लकड़ी विभिन्न विद्युतीय उभिति से वित्तीय विभिन्न कल्पवाचा विद्या आवश्यक है।

4. भारतीय एनजीटी, विशेषज्ञ बैरा, नई दिल्ली द्वारा सहायता प्रदाता के रूप में जलवाया वर्ग और जलवाया वर्गिकरण संकाय, नई दिल्ली द्वारा जलवाया वर्गिकरण एनजीटीएल नं. 100 की (2016 एवं अन्य) में विस्तृत 13/09/2016 की पारित आदेश में सुनिय सम से सम्मानित विधा का है।—

 - a) Providing for EA, EIA^{*} and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EA / EIA^{*} be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

परिपूर्ण दृष्टि विकार विषयी प्रबन्ध संस्थानों की विविधता विभिन्न विषयों पर आधारित है।

1. नवलीला कल्याण (खाने वाला), बिला-गोहता-मानपुर-बंडेश्वर गांवी के ग्राम पंचायत २५/सं.पि.०२/२०२२ राजभास्तराध, दिनांक ०४/११/२०२२ के अनुसार अधिकृत ग्राम से ५०० बीटर के भौतिक उद्योगिता कानून खादनी की संख्या निर्दिष्ट है। अधिकृत ग्राम (खाने-जबकता) का नम्बर ३.७७९ हिन्दूयर है। ग्राम की लीका से ५०० बीटर की चारसि वे भौतिक / वातालित खादनी का कुल क्षेत्रफल ५ हिन्दूयर या लगभग कम होने के बाबत इस ग्राम की ग्रामीणी की नामी नहीं।
 2. मार्गि छात्र विद्यालय विद्यालय गांवाला गांवालमण्डि से आदेश — मेली खादना और्किनी एटीए ग्रामी (प्रौ.- श्री गोताम राम), बान-जबकता, तहसील—मानपुर, बिला-गोहता-मानपुर-बंडेश्वर गांवी के ग्राम पंचायत १३०(खाने), १४०/२, १४०/४, १४०/५, १४१/१ एवं १४१/२ में विद्यालय गांवाला ग्राम (खाने वाले) ग्राम, कुल क्षेत्रफल — ३.७७९ हिन्दूयर, वायता — २,००,००० रुप. (१,००,००० रुपनीट्टा) प्रतिवर्ष देख विद्यालय-०१ में विद्यालय ग्रामी के अधीन पर्यावरणीय भौतिकि विए जाने की अनुशंसा की गई।

सर्वांगीन विद्यालय अभ्यास अधिकारी विभाग (विद्यालय एवं), प्रशिक्षणात् को संबंधित लक्षित विषय प्रति :

2. शेषां प्राप्तीर इकिया प्राप्तिक लिमिटेड (शेषांप्राप्तीर कंपनीसहित अविवाही पट्टील जारी कीयेकर- की सूचील देन). प्राप्तीरकोलका, राहगील-अवागम चैकी लिपा-भौतिल-मान्दुर-अवागम चैकी (लिपिकालय का जारी कर्त्ता कम्बल २०७१) भौतिलद्वय जारीदार - प्रदीपल गम्भीर - एसडाईर/ शीर्षी/ एसडाईर/ ३०३५३३/ २०२२ दिनक ०७/१०/२०२२ द्वारा वार्ताकर्त्ता चैकीपृष्ठे देखा अधीक्षण लिपा गए।

प्रथम का दिवस — यह प्रथमीय समाज एवं भौतिक विद्यालय है। यहां इन—गोदानीजा, गोसाई—अचार्य धौली, बिला—गोदानी—गोपाल—अचार्य धौली विद्यालय के अन्तर्गत 453 / 3, 450 / 1, 450 / 2, 450 / 3, 451 / 1, 451 / 2, 452

493 तथा 496, यूनिट लोडलाइन-2.75 फ्लॉट्स में प्रकाशित है। खदान की आवंटित उत्तराधारी जमीन-40,000 रुपये (20,000 प्रमाणीटर) दरितर है।

३४मुक्तम् परिवेष्करण उपकारक की एसीएसी अधीक्षणाम् के जात्य दिनांक ०५ / १२ / २०२२ द्वारा अनुमोदित होने पूर्विक दिन द्वारा गया।

पैठान का विवरण -

(१) समिति की ४३६वीं बैठक दिनांक ०७ / १२ / २०२२:

अनुमोदित दिन द्वारा दी गयीजीव जायजेवर जारीकर हुए। समिति द्वारा नारी, लग्नु जानकारी का उपलेखन एवं जारीकरने का यह मिम सिविति पाई गई-

१. दूरी में जारी पर्याप्ततावालीक सीमित जांकी विवरण - इस खदान की दूरी में पर्याप्ततावालीक सीमित जांकी नहीं की गई है।
२. जाम प्रयोगक का अनापेक्षित प्रयोग पत्र - उत्तराधार एवं उत्तराधार की स्थापना के संबंध में जाम प्रयोगक जीवेष्करण का दिनांक ३० / ०४ / २०२२ का अनापेक्षित उभार यह प्रस्तुत किया गया है।
३. उत्तराधार जीवना - जारी जाम (१८००० डिक्टूलार्नीमेट मैट्रेसेट प्रायग एवं जारी जीवेष्करण जाम) प्रस्तुत किया गया है, जो संकुल-जीवनाम (जनि जाम), जीवनामादार, जीमिती जाम जीमिती, जाम जामुर अटल नगर के जायग ज्ञ. ४९१ / जनि ०२ / जाम अनुमोदन / न.क्र.०६ / २०१९ (१) जाम जामुर, दिनांक १५ / ०३ / २०२२ द्वारा अनुमोदित है।
४. ५०० फीटर की जीमिति में जीवन खदान - जारीजय जीवनाम (जनि जाम), जीला-जीला-जामुर-जीवेष्करी के जायग ज्ञ.नं. ३ / ज्ञ.जि. ५२ / २०२२ जायनादार, दिनांक १२ / ०९ / २०२२ अनुमार अनुमोदित खदान की ५०० फीटर की जीमिति में दिनांक ०९ / ०९ / २०१३ के बाद कोई भी जारीजीप्रदाता सीमित नहीं है, यह सेवा है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवंटित खदान से ५०० फीटर की जीमिति में दिनांक ०९ / ०९ / २०१३ के पूर्व एवं उसके पश्चात् के खदानों को जारीजय जानी द्वारा जारी द्वारा जारीजीप्रदाता ५०० फीटर की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
५. ३०० फीटर की जीमिति में जीवन जारीजमिक जीव/जीवनाम - जारीजय जीवनाम (जनि जाम), जीला-जीला-जामुर-जीवेष्करी के जायग ज्ञ.नं. ३ / ज्ञ.जि. ५२ / २०२२ जायनादार, दिनांक १२ / ०९ / २०२२ जारी जामी पत्र अनुमार उभा खदान से ३०० फीटर की जीमिति में कोई भी जारीजमिक जीव जीवी युवा, कम्हवट, जावनामी, जामिक एवं जीवेष्करण ज्ञ.नं. ३८४५ / ज्ञ.जि. ०२ / २०२२ जायनादार, दिनांक १० / ०९ / २०२२ जारी जामी की पत्र, जीवानी जीला जामी दिनांक ०१ एवं की अवधि तक है। यही जायनाम ५० फीटर की दूरी पर लिया गया है।
६. एस.ओ.आर., जांकी विवरण - एस.ओ.आर., जीवानी जायनाम इकिया जामुर, जीवेष्करण-दी जुनीज जीव की नाम पर है, जो कार्यालय जीवेष्कर (जनि जाम), जीला-जायनादार, जीवनाम १५४५ / ज्ञ.जि. ०२ / २०२२ जायनादार, दिनांक १० / ०९ / २०२२ जारी जामी की पत्र, जीवानी जीला जामी दिनांक ०१ एवं की अवधि तक है।
७. यू-जायनाम - यूमि जायन ज्ञ.नं. ४९३ / ३, ४९१ / १, ४९१ / २, ४९२, ४९३ एवं ४९५ दी जीलादार, जायन ज्ञ.नं. ४९३ / १ दी जीलादार, ४९३ / २ दी जीलादार

एवं ४५०/३ की वेतनम के बारे पर है। उत्तरानन्द टिक्का भूमि रक्षणीय का सम्प्रति पत्र उपलब्ध भिजा गया है।

- विस्तृत सर्व रिपोर्ट – को 2019 की विस्तृत सर्व रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति सम्मुखी की गई है।
 - काल डिनग का अनादित उभार यह – कार्यक्रम वर्षान्तकाल अधिकारी, राजनांदगांव अनाधार, विला-पालनांदगांव की छापन ३५./३५५./वडा १०-१/२०२२/४३३२ राजनांदगांव डिनग १०/०६/२०२२ तो पाली अनादित उभार पर अगुआप अधिकारी संत यह दीव की सीमा से १.५ किमी की दूरी पर है।
 - पहलापुरी सर्वसाक्षी की दूरी – निकटतम अवारी गांव-बीरेवाला १३० मीटर एवं अनपाल अगुआप दीवी ७ दिनी की दूरी पर रिपा है। राष्ट्रीय राजमार्ग ४० किमी, एवं राजमार्ग १.५ किमी दूर है। गालाब ५० मीटर दूर है।
 - परिविहारीय/जीवसिक्षित सर्वसाक्षी दीव – परिविहारी प्रस्तावक द्वारा ५० किमी की दूरी में अलीबांध सीमा, राष्ट्रीय गांव, अनवाराय, कंचीय अद्वारा निवास दीव द्वारा परिविहारी प्रस्तुत एवं राष्ट्रीय परिविहारीय सर्वसाक्षी दीव या घोषित जीवसिक्षित दीव रिपा नहीं होना प्रतिक्रिया दिया है।
 - खगन लोपण एवं खगन का रिपल – खिलाड़ीरेल रिपल १८,५०,००० टन, गाँगेश्वर रिपल ८,३२,५५० टन एवं रिक्कारेल रिपल ८,२८,१५० टन है। लीज की ८.५ मीटर लीडी सीमा यहां (उत्तरान के लिए अधिकारीत दीव) का संतरफल १.४५ वर्गमीटर है। लीपन काल सीमी बैठनाईपल रिपा के गालाबन रिपा जाएगा। गालाबन की इतरायित अधिकारम गालाब ३१ मीटर है। लीज दीव में लगायी निट्रो की गोटाई + मीटर है तथा युल यात्रा १८,००० परमीटर है। योग की कंधाई ३ मीटर एवं बोकाई ३ मीटर है। गदान की कंधाई अग्र १६ चांडे है। लीज दीव में खगन लोपित रिपा याना प्रस्तावित है, रिपला बीबकल २,३५० वर्गमीटर है। लीज हील के गुरुत्व एवं लालिट्य रिपा जाएगा। खगन में गालु प्रदूषण निवास देने वाल का रिपलाव रिपा जाएगा। लोपण प्रस्तावित पर्यावरण का रिपल रिपागाराह है।

वर्ष	प्रकल्पीत बजारमूलक [₹]
आधुनिक	40,000
ट्रिलियन	40,000
सुरक्षा	40,000
वित्तीय	40,000
प्रदूषण	40,000

- पल आपूर्ति - परियोजना ही आवश्यक पल की पात्रा के अनुमति प्राप्तिका होगी। पल की आपूर्ति बीमार के अवस्था से दी जावेगी। इस पाल आपूर्ति आवश्यक बीमा अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर उम्रुता मिला गया है।
 - कृषिपक्ष कार्ड - लौज लोन की दीप्ति में चारों को 7.5 फीटर की घट्टी में 1,400 वटा कृषिपक्ष मिला जाएगा। परियोजना का प्रबलासक इस लौज लोन की दीप्ति परिवर्तीप्रक्रिया के द्वारा मिलानुसार कार्ड प्रदाता है।

विवरण		क्रमांक (लाखोंरुपयां)	प्रारंभिक (लाखोंरुपयां)	सूचीबद्ध (लाखोंरुपयां)	वृद्धि/घटना (लाखोंरुपयां)	परिणाम (लाखोंरुपयां)
संग्रह के बाहरी संस्थान में (1,400 लाख)	संग्रहालय प्रतिष्ठान चीफ़ कर्पॉरेट चीफ़	70,000	32,000	32,000	7,000	7,000
	कौशिंह द्वारा लाई	30,000	—	4,000	—	5,000
संग्रहालय द्वारा	विभिन्न एवं व्याप- कारी संस्थान द्वारा लाई	25,000	10,000	24,000	10,000	9,000
	व्याप- कारी संस्थान द्वारा	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	कुल राशि = 3,84,000	1,39,000	68,000	70,000	41,000	48,000

१५. विद्यालय की ७.५ बीटर की छोड़ी सीधा पट्टी में लकड़ियाँ - लैंग लंब के जौनी और ७.५ बीटर की सीधा पट्टी में लकड़ियाँ बर्बं तभी लिप्ता गया है।

१८. कॉर्पोरेट एंविरोनमेंटल रिपोर्ट (C.E.R.) – वरियोजना प्रकाशक द्वारा बीईआर (Corporate Environment Responsibility) ऐसु फॉर्मेट के साथ रिपोर्ट की तरीफ सम्बन्धित जिम्मेदारी विषय प्रकाश एवं अनुप्रयोग की गयी है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at nearby Village- Meeshekhohla Pavitra Van Nirmam Total	3.05

सीरिज़ आर. के अंतर्गत "नवीन इन निर्माण" की तरह (अंडेशा, काशी, बद्री पीपल, नीम, जाम, अदृश, ऐल लाइ) भूमध्योग्य और उच्चतम असाधारण अनुसार ५०० वर्ष पैदी की लिए तकि ४५,००० रुपये, लौटिन की लिए तकि ३०,००० रुपये, लिंगाई तथा बाल के लिए तकि ३५,००० रुपये, रुप-विकास आदि की लिए तकि ३५,००० रुपये, इस प्रकार इसमें तर्ज़ वे कुल तकि १,०५,००० रुपये तक आवासी ५ वर्ष में कुल तकि १,०५,००० रुपये हैं। पठानखान इसका डिवरन प्रमुख निष्पत्ति करा है। पौरिलोकना असाधारण द्वातः साम पंचायत नीमोंकोइक्स के भालवारी उपरान्त विवाहीय स्थान (पार्ट और वासा अन्याय ५५२, औरकल ०.२०२ लैक्टेन) की संकेत में व्यापक व्यापक व्यापक व्यापक ही गई है।

१७. परियोजना प्रकार्तव के द्वारा समझ पत्र (Motivation understanding) प्रस्तुत किया जाता है जिसे एक प्रश्नपत्र द्वारा अलग संस्कृति चूषण से लीजाता है जो अंतिम किये जाने वाले कृतिपत्र के प्राचारन सम से कम ३ वर्षों तक देख-प्रेत किया जाता है।

18. वरिष्ठोंका प्रस्तावक हारे लालनी की जम से कम 200 मीटर से ऊपरी इन बाहरी जलपान गिरे जाने सकते ताकि यह प्रस्ताव गिरना चाहा है।

18. सभी निवासी को लीज होते हुए कर संबंधित रहे जाने हेतु निवासी का अन्यत्र उपयोग न करने, निकल न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस निवासी का उपयोग पुनरावृत्त के द्वारा जाने वाला उपयोग पर प्रत्युत्तम किया गया है।
 19. किसी भी अकृतिक जल स्रोत, नदी, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किये जाने एवं अकृतिक जल स्रोत, नदी, नदी, तालाब इत्यादि का संखाच किये जाने वाला उपयोग पर प्रत्युत्तम किया गया है।
 20. ग्रेट्रोन असिस्टेंट का कार्य विष्योंटक लाईसेंस वाला (Explosive License Holder) द्वारा करने जाने वाला उपयोग पर (Notarised undertaking) प्रत्युत्तम किया गया है।
 21. परियोजना के विन-विन स्थलों से लूपितिया काट जानावरों होता हुआ उन स्थलों पर नियमित जल निकलने की अवस्था किये जाने वाला उपयोग पर (Notarised undertaking) प्रत्युत्तम किया गया है।
 22. भार्डिन जीव होते ही अदर एवं काफर स्थल पूरातेपन किये जाने एवं सुरक्षित रखने का वालावित रेट (Survival rate) 20 प्रतिशत लूपितिया किये जाने वाला उपयोग पर (Notarised undertaking) प्रत्युत्तम किया गया है।
 23. परियोजना प्रसारक द्वारा नियन्त्रण करनावाहन रिले (Minerals Conservation Rule) के तात्पर बाधाओं के विवरों द्वारा सीमावर्तन का कार्य लूपितिया किये जाने वाला उपयोग पर (Notarised undertaking) प्रत्युत्तम किया गया है।
 24. परियोजना प्रसारक द्वारा कार्य पर (Notarised undertaking) प्रत्युत्तम किया गया है कि उनके विकल्प इस परियोजना/वाला से संबंधित कोई अवासनीम प्रकरण देख के आवर्त्तित किसी भी न्यायालय में लम्हित नहीं है।
 25. परियोजना प्रसारक द्वारा अपयोग पर (Notarised undertaking) प्रत्युत्तम किया गया है कि उनके विकल्प वाला संसदीय, पर्यावरण, जल और जलवाया परिवर्तन अधिकारी का अधिकार वाला अधिकारी, दिनांक 14/03/2017 की अवधि की संलग्नता का प्रत्युत्तम लम्हित नहीं है।

ਜਾਣਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

- आर्थिक वार्षण से 500 ग्रैंट की परिमि गे दिनांक 09/09/2013 को सूर्य एवं उपर्युक्त वर्षावात की खाद्यानी को सार्वजनिक बनाते हुए समिति नियाम से प्रभावित करते हुए संहोलित 500 ग्रैंट की जानकारी प्रस्तुत किया गया।
 - उपर में बता प्रदूषण नियंत्रण के साथ में की गई व्यापका की जानकारी उपलब्ध की जाए।
 - समर्थ नियंत्रण के व्यापक ऐसे कारी नियंत्रण प्रयोग योजना की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਿਨਿ ਸਾਹਮਣੀ/ਵਲਕਾਈ ਪਾਸ ਹੀਨੇ ਛਾਪਾਂ ਆਗਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਾਸਾਂ।

तथा ग्राम एसटीएली, प्रतीकूल की जाति दिनांक 25/01/2023 की नियमित व परिवेशना प्रतीकूल द्वारा दिनांक 20/03/2023 की आवश्यक/प्रत्यक्ष अप्रू
पित गति।

(ii) समिति की छठवीं बैठक दिनांक 10/03/2023-

समिति द्वारा यही अनुसन्धानी का कानूनीकरण एवं प्रतीक्षा जारी पर लिया गया गई है।

1. कार्यालय कानूनीकरण (खासी आवश्यक), विजल-पीहला-गान्धीजी-अंशगढ़ शीर्षी का आकान इमारत 32/वालिंग/2023 राजस्वादागार, दिनांक 17/03/2023 के अनुसार आवेदित लकड़ान से 500 मीटर की ओर प्रतीक्षित सदृश्य जादानी की संख्या निर्दित है।
2. उत्तर में यामु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल को दिन भेद से कब्ज़े लिया जाएगा। साथ ही उत्तर लकड़ान हेतु जल विकास लिया जाएगा एवं लकड़ान की जारी और प्रतीक्षित लिया जाएगा।
3. शीर्ष शीर्ष में जमीन खिटड़ी की जीटाई 1 मीटर है तथा यह नापा 15,000 चम्कीली है, जिसमें से आवश्यकतानुसार उपरी खिटड़ी की लीज की 7.5 मीटर शीर्ष जमीन पहुंची (आकान की लिए प्रतीक्षित शीर्ष) में लोकानन दुर्घटना हेतु सुरक्षागत लिया जाएगा तथा इन जमीन खिटड़ी की जाम प्रतीक्षित नीतियोंका से अलगति जापा भुवि (जिसका इमारत 452, लोकान 0.005 हेक्टेकर) में अन्वरित कर जाएगा तथा जाएगा।
4. शीर्ष जाप जारी एवं 7.5 मीटर की जमीन पहुंची में दुर्घटना कर्ता के प्रतिक्रिया एवं पर्यावरण हेतु फि-एक्सीय समिति (फैसलाकारी/प्रतिक्रिया जाम प्रतीक्षित वर्तमानी/प्रतिक्रिया एवं वित्त प्रबन्धन वा उत्तरीयांग वर्तमान संखात्र गवाहन के प्रतिक्रिया/प्रतिक्रिया) गठित लिया जाना आवश्यक है। साथ ही शीर्ष जाप एवं 7.5 मीटर की जमीन पहुंची में दुर्घटना कर जाने पूर्व लिये जाने की उपलब्ध गतित फि-एक्सीय कर्मसूति से संतुष्टिपूर्ण कराया जाना आवश्यक है।
5. जानवीर एन.टी.टी., वित्तियत बैध, नई दिल्ली द्वारा सार्वेंद्र पाल्कौष विकास भारत राजकार, पर्यावरण, जल और जलवायी परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रतिविवरण दृष्टिकोण नं. 186 जीव 2010 एवं अन्य) में दिनांक 13/03/2018 की वारित आदेश में सुनिय कर्य को नियमानुसार नियोजित लिया जाये है।
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा लिया जाना जानीमति से नियमानुसार नियोजित लिया जाया है।

1. कार्यालय कानूनीकरण (खासी आवश्यक), विजल-पीहला-गान्धीजी-अंशगढ़ शीर्षी का आकान इमारत 32/वालिंग/2023 राजस्वादागार, दिनांक 17/03/2023 के अनुसार आवेदित लकड़ान से 500 मीटर की ओर प्रतीक्षित सदृश्य जादानी की संख्या निर्दित है। आवेदित लकड़ान (जाम-पीरीसोलका) का वकारा 2.75 हेक्टेकर है। लकड़ान की जींदा से 500 मीटर की परिधि में सदृश्य पर्यावरण/प्रतीक्षित लकड़ानी का यह ज्ञान लोकान 5 हेक्टेकर वा उससे ज्यादा की कामना यह लकड़ान की-2 बड़ी की जानी गयी।
2. समिति द्वारा लिया जाना जानीमति से आदेश – जैवी यांत्रिक उत्क्रिया विनियोग (नियोजितहारा जौहिंगी रोटी जारी, जौवरीलट्टे – जौ

सूची के दो पार्ट-प्रीफेक्चरल, लहरील-ज़ामान्हु तोड़ी, जिस-मौहल-ज़ामान्हु-ज़ामान्हु तोड़ी के बास्तव इनांक 453/2, 450/1, 450/2, 450/3, 451/1, 451/2, 452, 453 एवं 455 में फिरा रखाया गया था (वीक लिपियाँ) खाताएँ बत्ते कंकाल - 3.76 लैन्टेपर, ज़ामान्हु - 40,000 रुपये (20,000 रामपैटर) उत्तिर्ण दिन प्रीफेक्चर-45 में वार्षिक जारी के अद्वितीय प्रधानमंत्री प्रीफेक्चर दिए जाने की घन्सिया की नहीं।

कानून विधीय पर्यावरण विभाग आवश्यक जारीकरण (एसडीआईएटी) अधीनसंग को लापागुलाम सुचित किया जाए।

3. गेलारी नवदन स्टैकटरी प्राप्तिक लिमिटेड, पाल-पालस्ट, पहलील-लिंगा, लिंग-पालमुन (संयुक्तावलय का नामी हनमानगढ़).

लौटाईने जारीदा - यहाँ में प्रधानमंत्री - एमआईए/ सीओ/ अर्थव्यवस्था/ ८१४५५ / ३०२१, दिनांक ११/०३/२०२१ द्वारा दीर्घीशार हेतु असेंदान लिया गया था। यहाँमात्र में प्रधानमंत्री - एमआईए/ सीओ/ अर्थव्यवस्था/ ४०७०६० / ३०२१, दिनांक २८/०३/२०२१ द्वारा पर्यावरणीय विविधताएँ द्वारा करते के लिए कार्यान्वयन दीजाइए लियोर्ट जन्मत की वक्तु है।

जातीय का विकल्प — परियोजना प्रस्तावक हाला यान—परमाणु, जहांसील-रिस्टा, गिरा—काश्मीर लिंग सामाजिक ५०८/१, ५०८/२, ५०८, ५०७, ५०८/१, ५०८/२, ५१०/१ एवं ५१०/३, बुल लैफल — ५१२३ इंचेंजर में उत्तराखण्ड संघ स्वास्थ्य विकास प्रांत (सीएआरडी रिस्टा १५० लैफीटी x १ लम्बी) कमता — ५२,७०० टन प्रतिवर्ष, उपरान्त यान्त्रिक लिंग गोदान (एचएल इंगार्ड/रिस्टेंस) (५० लम्ब x २ लम्ब) कमता — ५०,००० टन प्रतिवर्ष, लैटिट लैंपर लैट (रेफट हॉट रिस्टर्करी लैटलर) — ५५ मीट्रिकट की परामरणीय स्थिति हेतु अधिक लिंग यात्रा है। प्रस्तावित परियोजना के विविधों का यात्रा लापता ७० करोड़ रुपये।

एवं इसी उल्लेखनाम के समय तिथि ३००, विधेय २५/०६/२०२१ द्वारा प्रकाशित होने के कारण यात्रा करकार पर्यावरण का और प्रश्नाकान्तु परिवहन संबंधित दाता अवैध, २०१८ में उल्लेखित गोपनीय तथा डीएस विधेयों (टीवीडीएस) को द्वारा ए/ईएस द्वारा रिपोर्ट करने वाले प्रक्रियाएँ/एकार्डिटीज विधायकसभा द्वारा प्रत्येक कठीनगरित रूप से द्वारा नीति विभाग द्वारा या संचालक टीवीडीएस (टीवी युनियन ऑफ) द्वारा विधायकसभा द्वारा संचालित विधायकसभा के द्वारा दिया गया।

तमानुसार परिणीति उपायक को सम्प्रीति, अलीसाहब के ज्ञान दिनांक
25/12/2022 हना प्रत्यक्षित हैं जहाँ लिखा गया।

Next up: Glass

(2) नविंगी श्री कारो फॉन विल्हेम ३५ / ११ / २०२२

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमल अग्रवाल, सोहूलो, एवं पर्यावरण सलाहकार के समवेत विभिन्न विद्यालयों के छायिट लिमिटेड, गोपनीय ही दोनों सो श्री बीमांशु श्री अवधार चतुर्भिंश्च द्वारा। लभिति इस चारी, प्रस्तुत चर्चाका का उद्देश्यालय एवं परिकल्पन करने पर धैर्य लिखित दावे गईं—

1. निम्नलिखित में से जिसका लाभ अधिक नहीं होता -

- निकटतम अग्री पानी-पर्यावरण एवं सांचर राष्ट्रपुर 3.0 किमी की दूरी पर फैला है। निकटतम बेले चौकन जिल्हा 3.5 किमी की दूरी पर फैला है। अग्री रिहायर रिसोर्स्स, माना, राष्ट्रपुर 40.7 किमी की दूरी पर फैला है। अट्टीचा यातारार्क 6.97 किमी दूर है। विलासी गुप्ता आवासित वन 2.9 किमी की दूरी पर फैला है और आवासित वन 1.2 किमी दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की वृत्ति में आर्थिकीय सीधे कानूनीय उत्तरान अभ्यासाध्य कीनीय प्रदूषण नियंत्रण कोई द्वारा घोषित विभिन्नती पौराणिक संघ, परिवर्तितिवाली वाकेनवीन संघ एवं घोषित जीवविविधता संघ नियत नहीं होना प्रतिक्रियित गिया है।
- 3. भू-उत्तमिति – पूर्ण में खुले वैश्वारी नदीन पानी पानुपरी इंजिनियरिंग के नाम पर आ। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि खुले वैश्वारी वैश्वारीजी में आगे उत्तमिति कानूनक वैश्वारी नदीन संसर्वती पानुपरी इंजिनियरिंग से खुले वैश्वारी वैश्वारीजी निया जाना अनावश्यक है। उत्तमिति का भा है कि खुले वैश्वारी वैश्वारीजी को अनुग्रह दिया जाना अनावश्यक है।
- 4. लैंड एरिया रेटेटर्ड –

S.No.	Land use	Proposed Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Bulidup Area	0.091	20.64
2.	Road and paved Area	0.73	5.58
3.	Green Belt	1.66	40.62
4.	Open Area	1.31	31.77
5.	Reservoir	0.094	1.31
6.	Parking	0.028	0.68
Total		4.123	100

4. बी-मूलसंग्रह –

Raw Material requirement for Induction Furnace Division				
S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transportation
A For Sponge Iron Plant				
i.	Iron Ore	1,90,320	Odisha Iron Ore Mine & NMDC	By rail and road (through covered trucks)
ii.	Coal	94,950	SECL Coal Mines	By road through covered trucks
iii.	Lime Stone / Dolomite	3,135	Open market	By road through covered trucks
iv.	Refractory Material	1800	Open market	By road through covered trucks
B For Steel Melting Shop				
i.	Sponge Iron	99,000	Captive production / Local Market	Internally available / By road through covered vehicles
ii.	Pig Iron / CI scrap	12,347	Local Market	By road through covered vehicles
iii.	Melting Scrap	2,000	Captive	Internally available /

			Generation / Local Market	By road through covered trucks
iv.	Ferro Alloys	193	Local Market	
v.	Aluminium	49.5	Open Market / Bunkers	
vi.	Ramming Mass	495	Open Market	By road through covered vehicles
vii.	Steel Sheet Former	495	Open Market	
viii.	LDI for Ladle Preheating	90	Open Market	
Raw Material requirement for Hot Charging Rolling Mill				
	Hot Billet	99,000		Internal transfer from own Induction furnace and CCM

3. प्राकृतिक संकेतों की व्यवस्था :-

S. No.	Product	Facility	Capacity
1.	Sponge Iron	DRI kiln (190 TPD X 1 no)	62,700 TPA
2.	MS Billets	Induction Furnaces with CCM (10 MT X 3 no's)	99,000 TPA
3.	Captive Power	WHRB with TG set	4.5 MW

4. बाह्य प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था - दीजलजल लिन में बाह्य प्रदूषण नियन्त्रण हेतु वास्त एक्सट्राक्शन लिफ्ट, ईएलवी के साथ 37 गीटर जली रिचर्जरी एवं 4 नदी बिंग लिफ्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। स्टील पैटिला तोंपे में बाह्य प्रदूषण नियन्त्रण हेतु कूटेश्वर रखावाल द्वारा एवं बिंग लिफ्टर के साथ 35 गीटर जली रिचर्जरी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इमारताल मिलियन चौकी घूमिल भैंसीक द्वारा और आर्टिकुलेशन वाली बीम के साथ बिंग लिफ्टर के वर्षभूमि में जल उत्तेजित स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के अन्त पारिन्यूजिंग सेक्टर का वास्तविक ऊर्जा विद्युत/सूक्ष्मान्वय ग्रान्डीटर से कम हीना प्रस्तावित है। अनुचितिवाली वातावरण नियन्त्रण हेतु जल नियुक्तार किया जाएगा।

7. रोमा कापालिक वापरहान व्यवस्था :-

S. No.	Waste	Quantity (in TPA)	Method of Disposal
1.	Char Dolochhar	18,810	Sold to Cement Plant / Power Plant
2.	Bottom Dust Ash	31,350	To be given for brick making
3.	Kiln Accretion & Refractory Waste	564	Given to refractory recycling units / Used in Brick making and low lying areas
4.	Defective Billets	2,000	Used as melting in open plants/Sold outside Rolling mills
5.	Mill Scale	990	Used in Ferro Alloys as raw material/sold to Ferro Alloys / Pellet Plants

6.	Slag from Induction furnace	12,127	Used in metal recovery units outside. Grinded slag will be used in Brick manufacturing unit
7.	Refractory & Flaming Mass Waste	248	Given to refractory recycling units / used in Fly ash brick making unit / landfill
8.	STP Sludge	06	Used for Composting and then applied for Green Belt

८. खतरनाक (Hazardous) अधिकृत व्यवस्था—

Type of Hazardous Waste	H.W. Category (as per HWM Schedule 1)	Quantity	Disposal
Waste OilUsed Oil	6.1	2 KiloLitreum	Will be given to authorized recycler having authorization from competent authority.
ETP Sludge	35.3	25 TPA	Given to Cement Plants or used in Brick making. The sludge will not have any Toxic Chemicals. Mostly will be Calcium, Magnesium, Silica Hardness Salts and Iron Oxide.

९. जल प्रक्षेपण व्यवस्था —

- जल क्षमता एवं नीति — परियोजना हेतु जल 300 प्रयोगीतर प्रतिदिन (प्रयोग क्षमता हेतु 80 प्रयोगीतर प्रतिदिन, उपयोग नियोजन हेतु 25 प्रयोगीतर प्रतिदिन, कैरियर पीलिंग प्लाट हेतु 120 प्रयोगीतर प्रतिदिन, पारेश चक्रवार्ग हेतु 8 प्रयोगीतर प्रतिदिन, गार्डनिंग एवं नियोजित हेतु 3 प्रयोगीतर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अवश्यक जल की आवृत्ति घू-जल से की जाएगी। घू-जल की उपयोगिता हेतु संदूष बाहर की ओर आविष्टी से अनुभवी प्रयोग कर उपयोग किया जाया है।
- जल प्रदूषण नियोजन व्यवस्था — कैरियर पीलिंग प्लाट से 10 प्रयोगीतर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होता, जिसकी उपयोग हेतु 25 प्रयोगीतर प्रतिदिन जलता का दृष्टीयोग्य/ अनुदित्तव्यतात्त्वात् दृष्टि व्यवस्था जिसका प्रस्तावित है। उपयोगिता जल की उपयोग करेगा एवं/सलग लैंडफिल में रखवायें किया जायेगा। जल की उपयोग करेगा एवं/सलग लैंडफिल में रखवायें किया जायेगा। जल आगवान, दूषज्ञतान पर्यावरण अधि इकाईयों से नुस्खिंग उत्पादन उत्पन्न दूषित जल की उपयोग कर मुक्त नुस्खिंग हेतु व्यवधान में जाना जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना से जलान्वयन की दृष्टि जल की जाना 7 प्रयोगीतर प्रतिदिन होती, जिसकी उपयोग हेतु एम्बोर्डेल तकनीक अवधित सौकेत्तु द्वितीय प्लाट जलता 10 प्रयोगीतर प्रतिदिन की उपयोग प्रस्तावित है। सूची नियोजनाना की विधि नहीं जाएगी।
- घू-जल सुरक्षित इकाईन — परियोजना क्षमता संट्राल बाहर काटने की अनुमति संप्राप्त जाना जाता है। जिसकी अनुमति—

(x) गृहिणी के समान उदाहरणों को जल से कम 40 फ्लोएल दूषित जल का पुनरुत्थान एवं पुनरुत्थानोंग विषया जाना है।

(xi) वायाम साधन विषयों द्वारा अपनाई जाने वालीक या ऐनवाटर इंजिनियर / ऑफिसरिंग जल विषयों को व्यापक पर मूँजल विषयों जाने की अनुमति सेवन यात्रा घटार बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रबन्धणा है। अत यदोंग को ऐनवाटर इंजिनियर यात्रा विषया जाना अनिवार्य है।

10. प्रबलासित इकाई द्वारा प्रदूषण चार की विधान विवरण -

Stack Emissions details of all stacks (CONTROLLED)				
Stack attached to	Height	PM (TPA)	SO ₂ (TPA)	NO _x (TPA)
Induction (99,000 TPA) 1 stack	33	2.67	-	-
Sponge iron plant 62750 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	17.11	171.07	87.02
DG sets 2x550 KVA	10	0.57	0.09	11.40
(UNCONTROLLED)				
Induction (99,000 TPA) 1 stack	33	262.3	-	-
Sponge iron plant 62750 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	1,576	51	-
DG sets 2x550 KVA	10	66.43	-	-

11. ऐन बीटर इंजिनियरिंग यात्रा - उदाहित घटीवार में यहाँ की वानी का औजल वर्षावीक 17,484 अनवाटर इंजिनियर है। प्रबलासित ऐन बीटर इंजिनियरिंग यात्रा के आवार्गी 3 वर्ष विषयों में (संचार 3 बीटर बीकृष्ण 3 बीटर एवं गहराई 4 बीटर) विभिन्न विषय जाना प्रस्तुतित है। प्रबलासित ऐन बीटर इंजिनियरिंग यात्रा यात्रा नीतिकर एवं औजल वर्षावीक वानी विषयों विषया जानकारी। यहाँ विषयों बहुतवर्षीय हुआ प्रबल विभिन्न विषय जानने की इन्हें यात्रा यात्रा में यहाँ जल का बहाव ही लाए।

12. शिल्प अधिकृती विवरण - परिस्थिति विभाग द्वारा 11 मियांगीट शिल्प की वायामयात्रा है, विवरणों में 4.5 मेट्रोटीट बीटिंग बीटर जांड से एवं 10.5 मियांगीट शिल्प की अधिकृती अस्तीतिवाद यात्रा विश्वा विवरण विवरणों लिमिटेट दो विषय जाएगा। विकासित यात्रा है द्वारा 2 नम 650 ली.की.ए. कमता वार बी.टी. सीट व्यवधित विषय जाएगा।

13. प्रबलासित विवरण - हमित परिस्थिति की विवरण है द्वारा कुल बीतपत्र के 1.65 हेक्टेक्टर (40.02 प्रतिशत) ली.ए में 4.125 वार वी.टी. विवरण विषय यात्रा प्रस्तुतित है। वानीकी का नाम है जि. वायीम परिस्थिति की बीतर कुलांगियन है द्वारा ली.टी. विवरण, यात्रा एवं विषयाई यात्रा लड़-व्यापार की विभ. 5 वार (30 प्रतिशत ली.व्यापार दर के समान पर) का यात्रकाल यात्रा का विषय विश्वा विवरण विवरण प्रस्तुत विषय यात्रा अवश्यक है।

14. ई.आई.ए. विवरण का विवरण-

- i. यस एवं सभु वारि गुणवत्ता विवरण की वायामी वायामाई - वायीमिटरिंग वारि विषयम् 2020 से वायामी 2021 के यथ विषय यात्रा है। लाए ही 15 अक्टूबर 2021 से 14 वायाम 2021 के यथ अविवित 1 वार का वायीमिटरिंग कार्य विषय यात्रा है। 10 विवरणोंटर की आवार्गी 9 वायामी वार वायीमिटरिंग वारु गुणवत्ता वायाम, 9 वायामी वार मूँजल गुणवत्ता वायाम, 9 वायामी वार व्यवधि वायाम,

7. यहां पर सरकारी जल गुणवत्ता नाम के साथी पर मिट्टी के बगूते एकलिंग का विकलेपण किया गया है।
- v. इंडस्ट्रीज़ खट्टी के परियोजना के अनुसार लौह, एथले, एथली, का उत्पन्न संग्रह—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	17.5	35.5	60
PM _{2.5}	49.9	80.5	100
SO ₂	5.6	12.2	60
NO ₂	7.0	26.0	80

- vi. परियोजना स्थल के आवासान जल खट्टी की गुणवत्ता— इंडिएटर के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये इसल अनुसार कलोताइक, लालूटूदार, लालूर, कार्बोनेट्स, अमीरिक, लैल एवं अन्य रासायनिक खट्टी का उत्पादन जैव भावीय गुणवत्ता की कम है।
- vii. परियोजना व्यापक स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{dn}	46.1	60.8	75
Night L _{dn}	37.2	52.5	70

जी यहां दोनों के विविध गुणवत्ता स्तर से कम है।

- viii. गैसीय और ग्राफ्ट— यादी कार्बनी / मल्टीएक्सेस इंडी याहनी की समर्थित खट्टी हृष्टे इंडिएटर अवधारण लियोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अवधारण में 75% गैसीय उत्पादन है। इसलिए परियोजना उपरांत 40.5 गैसीय की गुणि होगी। अपाराह्न तक 4.337.5 गैसीय उत्पादन एवं ली/गै अनुसार (L/GC ratio) 0.65 होगी। जिसका के उपरांत भी गै—मल्टीएक्सेस / ग्रोवार्टर की परिवहन हैंगु जलक गर्ने की लोग बींग जाना विकिपिडिया गुणवत्ता (Very Good) के गैरिक है।
- ix. लोक सुनाई दिनांक 01/04/2022 सुनाई 02:00 बजे ज्ञान — याम पालामुक्त परिवार, लालूलील-जिला, जिला—राष्ट्रपुर में जापन हुई। लोक सुनाई दिनांक चारबय गाँवी, लालूलीलालू वर्करामा चारबय चाल, नक्का राष्ट्रपुर अठल चारबय जिला—राष्ट्रपुर की वार दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
- x. लालूतीलालू के दीर्घन समिति द्वारा भौत किया गया कि यह सुनाई में कालीन विकिपिडियो द्वारा इस उदाहरण की जारीता का विवेता किया गया है। यह की विविध का भए है कि परियोजना इसलाभ द्वारा लोक सुनाई के दीर्घन उदाहरण में लिखित जूदी एवं उनके लिखान की किया में भौति जाने वाले उपयोग के संबंध में वाराणीस्क इन्हन अंगूजी (tabular form in english) में एवं उन उदाहरण के सुनिधननुसार गालीकर्य इन्हनी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- xi. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्राप्तानक द्वारा भीईआर (Corporate Environment Responsibility) हैंगु गाँवी के सभा जिलार से उपरांत गिरावनुसार जिम्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
7000	2%	140	Following activities at nearby Village-Bhurwada, Bafani & Jota Eco Park Cum Chitzone	140 Total 140

सीटूलाल के अंतर्गत "हुनि पाही तम जीवितीजीन" (आगरा, बड़ा देवत, नीम, आम, अरुण, बेस जादि) हुनु चार यात्रे कथा पत्ताया, जीता, मुरदुआ एवं बेटारी के लिए प्रसूत इच्छा अनुकूल 1,000 वर्ष पौधों के लिए राशि 6,50,000 रुपये, बोरिसग के लिए प्रसूत राशि 1,64,200 रुपये, चाट के लिए राशि 50,000 रुपये, भैरिटा देवत के लिए राशि 1,00,000 रुपये, लिंगार्ड तथा रुद्र-प्रसाद जादि के लिए राशि 9,40,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 18,04,200 रुपये तथा अन्तर्गत 4 वर्षों में कुल राशि 16,84,800 रुपये हुनु लिखि 36,00,300 रुपये प्रती याम्। यह काम तथा वह लियक व्रतसूत्र लिया गया है। अब यान जानी हुनु कुल राशि 1,40,00,000 रुपये तथा लिया गया प्रसारित है। परिवेशना इतावक इच्छा याम प्रवापत जीता, मुरदुआ एवं बेटारी की जाह्नवी उपरात बालाकोव कथान लियकृत 0.4 लैन्टियर राशि याम् की संख्या में जानकारी प्रसूत की गई है। उक्त की संख्या में जाह्नवी का भाग है जो जरिवेजना प्रसारक द्वारा एक याम प्रवापत जाह्नवी उपरात वालाकोव कथान लिया एवं दीक्षात लिया एवं प्रत्येक यामकान लम्हा की संख्या में जानकारी प्रसूत लिया गया आवश्यक है।

१०. यांत्रिकी का नाम है कि निवासन स्थानों की प्राप्त-प्राप्ति सदा १.१ किलोमीटर तक उत्तीर्ण रोड बनाये जाने वाला अंदरवाहक (Under-taking) प्रक्रिया विषय जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सरलय संवैधानिकी के लिए सामाजिक विभिन्न विषयों पर

1. संस्कृत भाषा पंचांश का अन्तर्गत उभयं वज्र प्रस्तुत किया जाए।
 2. भूमि संकेती दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए।
 3. फिल्मट्रैप आवारी वाम—प्रवाम १.१ किमी, तथा कंट्रोल रोड बनावे जाने का अन्तर्गत किंग (KingofKings) लागू किया जाए।
 4. डिनिसोग की चूल लगाव का देश—जब प्रस्तुत किया जाए।
 5. वाहांग खरिसर के मील त्रिपाठी देश खेड़ी, कंडिग, खाड़ एवं शिरार्घ वज्र—त्वाव के लिए ५ दर्ती (५० प्रतिशत जीवन दर के अन्तर दर्ती) का घटकाव वज्र का निर्माण प्रस्तुत प्रस्ताव (हीरीजीवन) कर्तित प्रस्तुत किया जाए।
 6. वायु प्रदूषण नियंत्रण देश लिमनी की उत्तरार्घ वज्र बड़ी जानवरी प्रस्तुत की जाए।

- प्रसारित परियोजना के लैंगेनियर / इंजीनियर के परिवहन तो कीसी भी सुधि होने से परियोजना वामु पुरकला (वैदेशी, एवं एनओ) की गति में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्रसुत किया जाए।
- प्रसुतीकरण की दीवान उभिति द्वारा लैट किया जाए कि जब सुखाई में खानीय निष्ठाहिती द्वारा इस चालीम की ज्ञानना का विस्तृत किया गया है। परियोजना प्रसारित परिवहन की दीवान चालीम के विकिपिड्या कुदरी एवं उनकी निष्ठाहिती की दिला में हिंदी भाषे वाले जापन के गंभीर में सार्वजनिक द्वारा लैटेडी (latent form in English) में एवं जब जापनीचय की सुनिकितनुसार सार्वजनिक प्रसार हिन्दी (local form in Hindi) में भी प्रसुत किया जाए।
- सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के अंतर्गत जल संवर्धन प्रसारा की सहायि उपर्युक्त चालीम ज्ञान (ज्ञाना एवं कौशल वालित) एवं प्रत्येक चालीम (जौता, मुख्यमुद्दा एवं बेलारी) जापन की जैव में जानकारी प्रसुत किया जाए। जापन ही चालीम (प्रसारा, जौता, मुख्यमुद्दा एवं बेलारी) सीईआर कार्य का विस्तृत प्रश्नावली प्रियोरी (हीडीआर) प्रसुत किया जाए।

सार्वजनिक जानकारी/इकाईयों द्वारा ही उपर्युक्त जागती जानकारी की जाएगी।

तदनुसार एसईएसी... जलीसगढ़ के जापन दिनांक 22/02/2023 के परिवेद में परियोजना प्रसारित द्वारा कियाँक 20/03/2023 की जानकारी/इकाईयों जागता किया जाए।

(b) समिति की बहारी बैठक दिनांक 10/05/2023:

समिति द्वारा नवीनी प्रसुत जानकारी का अवलोकन एवं परिवेद करने पर निम्न फूटि यार्ड गढ़:-

- जाम पंचायत का अन्यायित प्रमाण एवं प्राप्त जरने हेतु आवेदन किया गया है, जो जलीसगढ़ है। इस जैकल में वीरियोजना प्रसारित द्वारा जापन पत्र (Memorandum understanding) प्रसुत किया गया है, जिसके अनुसार "वीरियोजना में ज्ञानना का कार्य जाम पंचायत से एनडीटी द्वारा होने के जापन ही जारी किया जाएगा। जिन जाम चालीम की एनडीटी के परियोजना में ज्ञानना एवं जिलीय का कार्य जारी रखने वाली किया जाएगा।" का घोषणा है।

जाप द्वारा परियोजना प्रसारित का कारण है कि यह परियोजना जाप से वरियोजना की ज्ञानना संभव नहीं है। अतिरिक्त ज्ञानना हेतु जाप पंचायतन संघरण एकल से जल एवं जाम अधिनियम के अंतर्गत संघरण सम्मति वी आवादक है। हेतु इस ज्ञानना सम्मति हेतु जाम चालीम की एनडीटी एवं अधिनियम उल्लेख है, ताकि यह किया जाम पंचायत की एनडीटी के ज्ञानना सम्मति वी जाप नहीं हो सकती ताकि परियोजना की ज्ञानना का कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है।

इस जापी परियोजनाएँ वीरियोजनी जली किये जाने हेतु अनुसंधान किया जाए है। इस संघरण में समिति का यह है कि वर्तमान में संवित जाम पंचायत का अन्यायित प्रश्न एवं प्रसुत किया जाना आवश्यक है।

- भूमि भैसासी नदीय फैसलों प्रक्रियेट लिमिटेड के बारे यह है। इस हेतु भूमि भैसासी की-। उपर्युक्त किया गया है। भूमि भैसासी नदीय फैसलों फैसलों लिमिटेड की भैसासी नदीय फैसलों फैसलों लिमिटेड की जाम एवं वीरियोजना की

यहाँ ही, इस नामांतरण क्रांति से ही “वार्षिक कानूनियों पर” प्रलेप किया गया है। सभी ही भूमि वाधवासीन संसदीय दस्तावेज़ प्रलेप किया गया है।

- परियोजना अनुबंधक द्वारा इस आवय का जप्त पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि "परियोजना की स्थापना के साथ ही परियोजना के अनुसार वार्षिक उत्पादन वेत्ते परस्ताया गांव तक पहुँचायें। किंतु, यदि (जिसके कारण परियोजना स्थल की प्रस्तापित है) वो ५ मीटर की ऊंचाई से नीचे द्वारा कमाया जाएगा तो वह नुसार सह-उत्पादन की किया जावेगा। वह कार्य स्थापित स्थीरता एवं जल एवं धारा अधिनियम के तहत कारबन समिति लीडिंगी के परिवर्त प्राप्ति किया जावेगा तथा संचालन वार्षिकी के पूर्ण रूप का निर्भाव नीचे कर किया जावेगा।"
 - विशेषज्ञ की इस आगत का बोक—अम अप्रत्यक्ष किया गया है विशेषज्ञ के प्रगतार-

Particulars	Amount (In lakh Rs.)
Land and Site development	300
Building and Civil	1,100
Plant and Machinery	4,800
Misc. Fixed Assets	150
Electrical Installation	300
Pre and Post-Operative	150
Contingencies	150
Total	7,800

- परिसीधन इकायों का द्वारा दीव बैट द्वारा उत्पादित हुये हैं—आखिर प्राप्ति किया गया है। यहां प्राचीन परिसीधन की भौतिक सूचीसेवा हैं औ यीसी, परिसीधन, बड़ा एवं लिंगार्थ तथा नदी-ताजा के लिए ५ मरी (५० प्रतिशत लौबन वर के आवाह पर) का खट्टकारा वाय का विवरण विस्तृत प्राप्ति (दी.पी.आर.) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - दमु प्रदूषण विवरण हैं विमर्शी की लंबाई वाय का लौबन जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुसार विमर्शी की लंबाई की वर्णन करने वाली विमर्श में लगने वाले कौपते (३५,८८० टन प्रतिवर्ष के आवाह पर) तथा उक्त वाय का अभियान ताजा (५० प्रतिशत) की वाय के आवाह पर विमर्श जाने के वाय प्रस्तुति विमर्शी की लंबाई ३७ बीटे रखी गई है। इसके अल्लिका दृष्टिकोण करने में किसी प्रकार के छिप का लम्बाई न होने के बाय प्रस्तुति गुणात्मक ३३ बीटे कीमत की विमर्शी पर्याप्त है।
 - संज्ञ आवाह में पार्टिक्युलेट मेटर का उत्तराधिन ३० विलियाम/लाम्बन्य चलनीटर से कम रहे जाने से पार्टिक्युलेट मेटर उत्तराधिन की गति १२.५८ टन प्रतिवर्ष तथा दृष्टिकोण करने में पार्टिक्युलेट मेटर का उत्तराधिन ३० विलियाम/लाम्बन्य चलनीटर से कम रहे जाने से पार्टिक्युलेट मेटर उत्तराधिन की गति २४३ टन प्रतिवर्ष होती है। यहांपर्याप्त का बता है कि प्रस्तुति विमर्शी विमर्शी के दी—प्रोटोकॉल / ड्रेक्ट्रटा के विवरण से दी.पी.आर. में दृष्टि रखने से प्रतिवेशीय कम्यु मुख्यालय (पी.एम. एस.डी.एस.डी.) की वाय के होने वाले विवरण हैं औ यीएलटी. प्रतिवेशीय वाय की प्रस्तुति किया जाना आवश्यक है।
 - जब सूनवाई में विवरणीय विवरणीयों द्वारा इस छाँगी की स्थापना का विवरण विमिन इकाय की अभियान प्रदूषणी की वाय होता है। इस अनुसूनार्थ की दीवान कम्यु रखने की विमर्श विवरणीय विमान सुनवाई/विवरण प्रस्तुति किये गये हैं—

- i. अतांग की स्थापना से यानु व्यूक्त होगा।
 - ii. जल का स्थेत एवं जल प्रदूषण होगा।
 - iii. भारतीय जन भवानीका से गुरुत्वादार होगी।
 - iv. बृहि यह प्रभाव पड़ेगा।
 - v. व्याकुल यह प्रभाव पड़ेगा।
 - vi. यात्रा जन्मा का असाधित प्रभाव यह जाति दिवा जन्मा आवश्यक है।
 - vii. लीड्स जन्मा की जाति दिवा कार्य दिवा जन्मा आवश्यक है।
 - viii. अस्थिकाना के जन्मा का असाधित जन्मा के लोगों नों ही जीवन दिवा जन्मा आवश्यक है।

जीके गुप्तार्थ के लिए उत्तर वाले शिखिन गुहारी के निवारण की जिमा में परिवर्तना प्रस्तावना की जौन से उपरिक्त डिपिनिय/सोलसट वा कम्पनि विभागावार है।-

- L. पर्सियोजना में पर्यावरण संबंधी गोलका अधिकारी हैं एवं उनमें सामान्य 6.9 करोड़ रुपये का खर्च किया जाता प्रत्यापिता है, जिसमें बद्य प्रदूषण नियन्त्रण और फैलावी, दैग किलोवर, नियन्त्रकर्ता, वाहिनी गोलीन, नीतियां गोलीन आदि जैसा प्राकृतिक प्रकार भूमि का भी उल्लाप है।

परिवैकाशा ये उत्तम आवल्म खाट से निकलने वाले थुंड ही पर्वी का सुखदीय कन कबन्धु एवं आटी के हाथ मिलते बनाना प्रस्तावित है। यहाँ उत्तम आवल्म खाट से उत्पन्न होने वाले थुंड का निषेद्धन होगा। उत्तम खाट ही एक जी के वासन से निर्दिष्ट मानवी एवं बूजकल निषेद्धन करना स्वतंत्रित है।

परियोजना में पाटीकुलोट गैंडर हॉमीजन स्प्रॉग्जन फलस्वरूपी की छठीजन प्रत्यक्षित 50 प्रिलीयाम/काम्बन्ड भवनीजन के फलज पर एकाकर 30 प्रिलीयाम/काम्बन्ड भवनीजन वर्तने का प्रत्याप है। जिस हेतु 4 लीन के इन्सोल तथा चारों द्वारा को वैग विकार का ज्ञान है। इस हेतु शीनाराहिन नीचिटिग चिकित्सा की ज़बरदस्ति है जो कि नीड्सीडी/नीड्सीडी कार्ड के प्राप्त रहेगा। लीन परियोजना से आवश्यक जी लेत में वर्षा युक्तता प्रदूषण निवारण माली के अनुकूल ही रहेगा। इस हेतु फैलाई में वर्षाकृत माला की गई है तथा समाधित ग्रामीण के लालन हेतु वर्षाकृत रामनकारी वर्षायी जा रखाया दिया गया है। गढ़ी परियोजना से आवश्यक के लाल में इन्होंने नाम दिया।

८. परियोजना हेतु यस का सौन्दर्य भूमिगत जल होगा। परियोजना स्थल के लिए भूमिगत यसका प्राप्ति करने के अनुसार हीक जैव में जाता है। संगीय भूमिगत यस प्राप्ति करने के लिए अप्राप्ति प्राप्त की जाती है तब उसके नामकरण की वास्तविकता नियम लायेगा। संगीय भूमिगत जल प्राप्ति के लिए नियमों के अनुसार ऐसा बाटर हॉटेल लिया जायेगा। परियोजना का संरियोजना स्थल का आवासक की कीष में वर्णित का विवारण लिया जायेगा। जिससे वास्तविकता की जांच होती है। यस का उपयोग कुलाहा की जलन हेतु आवश्यक होगा, जिस हेतु कलाई बनाइट भूमिगत नियम का उपयोग किया जाएगा।

- iii. विधीयता में उपर्युक्त होने वाले बहनों की दुर्बलताओं से जबाब देते निम्न उचाय दिया जाती है - वास्तवी का क्रम जबलीज होना अनिवार्य होगा। वास्तवी की सामना-समझ पर दुर्बलता वालन वास्तव हैं तो विशिष्ट एवं शोलाहित दिया जाती है। वहीं की अवस्था में वालन वास्तव पूर्णतः विशिष्ट वाली होती है। उभया वालावालव वाले वालनों को उपर्युक्त को वालावालता ही जाती है। सभी वास्तव द्वारका विधीयता दिया जातेगा। वहीं सीना की विशिष्टता वालने हैं वालन वालावाले का वास्तव समझ पर शोलाहित दिया जातेगा। वालियों में वेकलने हैं एक निम्न अनिवार्य होगा।
- iv. परिवोजना में दूर्घटी के वास्तव पर्याप्त उपर्युक्त को अवश्यकता का प्रस्तावित है विशेषी परिवोजना से आवश्यक की दौड़ में नगरन्य व्यापार संभवित है। कम् अद्यतन के बादीर वालावालों के सामने उपर्युक्त वास्तव दूर्घटी विशेषी के वास्तव आवश्यक की दूर्घटी का दुर्घटना संभवित नहीं है। परन्तु वहीं आवश्यकताओं विशेषी कीह दुर्घटना होता है, तो प्रक्रिया दूरके भवानी हैं तो कुछाली की वालावाला रहेगा। वालावाला विधीयता के आवश्यक की दूर्घटी की सुधारने तथा उनकी उत्पादी की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादी की उत्पिता मूल विशेषी हैं तो वालावालों को वालावाला प्रदान करेगा।
- परिवोजना की स्थानना के वास्तव परिवोजना में अवश्यक वाले वाले पर्याप्त व्यवस्था देनेवाला एवं सीईआर तथा सीएसआर से आवश्यक के पर्याप्तता पर ये वीवीए उपर्युक्त होती है। वाले परिवोजना से उत्पन्न होने वाले प्रदान उत्पादादी एवं आवश्यक वीवीए की विशेषी में सुधार होगा।
- v. चालोंक का संचालन विशि सम्भव रूप की आवश्यक अनुसारी प्राप्त कर दिया जावेगा। चालोंक द्वारा पर्याप्तता इकायन हैं तो बादीर वालावालों का अनुसारन दिया जायेगा ताकि उत्पादीवाले पर कोई दुर्घटना नहीं पहोंचे। दूर्घटना के कालान्तर पर्याप्त कुल ८० करोड़ रुपये हैं तथा उपर्युक्त पर वाय प्रस्तावित है। विशेषी आवश्यक के वालावाला पर परिवोजना की वापाव नगर्य होगी।
- vi. व्यापार जन सुनवाई प्रक्रियाविधी विधीयता के वालावाला सीखति हैं तो व्यापार जन एवं व्यापार व्यवस्था वीवीए के वाय सारीय विशेषज्ञ अवश्यक समिति के द्वारा इंडी ए नीटिक्सिकेशन २००८ के अनुसार वीईआर के अनुसार विशेषी हैल्फर हैं तो ही नहीं है। इदैव जन सुनवाई हैं तो याम वंशावल की एकलीकी की आवश्यकता नहीं है। परिवोजना स्थापना के पूर्व परिवोजना स्थापना हैं तो जाम वंशावल की एकलीकी आवश्यक है।
- vii. सीईआर का वार्ता पर्याप्तता वर्त एवं वालावालु परिवोजना वीवीए के वाय सारीय विशेषज्ञ अवश्यक समिति के विशानिदेशों की अनुसार दिया जायेगा। इस हैं तो परिवोजना में सीईआर का वार्ता पर्याप्तता के उन्नयन हैं तो प्राप्त-प्रदान, प्राप्त-सुलभता, प्राप्त-विशेषी एवं वाल-जीवा में इको वाले औरवीजोन विशेषी दिया जाय प्रस्तावित है। विशेषी द्वारा कुल १०० लाख रुपये का वार्ता दिया जाना इच्छावित है।
- viii. विशेषी वीवीएवालों की दूर्घटना की वालावाली सीधी की आवश्यकतासुधार देनेवाला हैं तो वालावालता की जायेगी।
- ix. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के अंतर्गत जन पर्याप्तता जीवा, सुलभता एवं विशेषी में सुनवाई विशेषी जाने वाला सामानी पर इस्तुता

किया जाता है, वरन्तु प्रस्तुत सहमति का मूलाधार किये जाने वाले कदाचन का अनादा अन्योन एवं उक्ता का बदलेवा नहीं है, जबकि ही वाम पंथवाद पद्धतया का भी सहमति का प्रस्तुत नहीं किया जाता है। सहमति का मत है कि गांधी जाम पंथाधारी के मूलाधार किये जाने वाले कदाचन का अनादा अन्योन एवं उक्ता का अन्योन करते हुए सहमति का प्रस्तुत किया जाना अवश्यक है एवं प्रस्तावित गांधी में (गुरुकृपा—गुरुकृपा की जीवन दर में) हेतु लीड, कॉर्सिग, जाव एवं सिंचाई जाप रक्ष—रक्षाओं के लिए इनकी का घटकात एवं समर्थन जाप का विवरण विस्तृत प्रावक्षण विशेष (जी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना अवश्यक है।

सहमति द्वारा विकास विभाग जापान सहमति से विभानुसार विभिन्न किया जाए—

1. संबंधित जाम पंथवाद का अनावलि प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाए।
2. उदाहित वर्षिकार के बीतर मूलाधार के हेतु लीड, कॉर्सिग, जाव एवं सिंचाई का रक्ष—रक्षाओं के लिए इनकी (जी.प्रिंसिपल जीवन दर की जापान पर) का घटकात जाप का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (जी.पी.आर.) विभिन्न प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित वर्षिकार के ही—भौतिक / गोदानदाता के विवरण से फैलीदू में दृष्टि होने से परिवेशीक जाप प्रावक्षण (जी.एम. एस.ओ., एवं एम.ओ.) की जाप में होने वाले परिवर्तन हेतु जी.एल.डी. लीड जापानी प्रस्तुत किया जाए।
4. जी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) की ओरागत प्रस्तावित गांधी में (गुरुकृपा—गुरुकृपा की जीवन दर) मूलाधार किये जाने वाला आगामी 4 वर्षी में मूलाधार का (जी.प्रिंसिपल जीवन दर में) हेतु लीड, कॉर्सिग, जाव एवं सिंचाई जाप रक्ष—रक्षाओं के लिए इनकी का घटकात एवं समर्थन जाप का विवरण विस्तृत प्रावक्षण विशेष (जी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए। जाप ही गांधी जाम पंथाधारी के मूलाधार किये जाने वाले जाप का जापान अन्योन एवं उक्ता का तत्त्वावधार जाप हेतु सहमति पर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त विभिन्न जापानी/जापानीज प्रस्तुत होने वालाने आगामी कार्यकारी की जाएगी।

परिवेशीक जापानादा को विभानुसार सुनिश्चित किया जाए।

4. नेपाली नामांक सुदूरप (जी.— की वहाँ जानी), छान—पालीद, लहसील—भाटामान, विला—इलीशावाला—भाटामान का नमी अन्योन 2140)

अनिलानीन जाहेदन — प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ लीड/ एसआईए/ 4000008 / 2022, दिनांक 13 / 11 / 2022 हाता पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जाहेदन किया गया। परिवेशीक जापान प्रस्तुत जाहेदन के कर्मियों होने से जापान विभानुसार एवं 22 / 11 / 2022 एवं 28 / 12 / 2022 हाता जापानी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाया। परिवेशीक जापान प्रस्तुत जापानी दिनांक 17 / 12 / 2022 एवं 08 / 01 / 2023 की अनिलानीन प्रस्तुत की जाए।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित गृह प्रस्ताव (गौण व्यविधि) जापान है। जापान जाम—पालीद, लहसील—भाटामान, विला—इलीशावाला—भाटामान विभास जापानी एवं 1879, जुलाई 2022—2.497 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। जापान की आविष्कार उत्तरानन कमाता—37,142.5 रुप प्रतिवर्ष है।


समाजुल्लास नियन्त्रण कानूनक को एक्टीविस्ट, अलीगढ़ के जान दिनां
03/02/2023 द्वारा समाजुल्लास हेतु शुरू किया गया।

विवरों का विवरण -

(अ) समिति की 450वीं मीठा रिपोर्ट 10/02/2023:

समाजुल्लास हेतु वीं मीठा रिपोर्ट, अलीगढ़ उपनिषद गुरु। समिति द्वारा जल्दी, प्रशुत
जानकारी का अधिकारी द्वारा परीक्षण करने पर रिपोर्ट पाई गई-

1. गुरु ने जारी वार्षिक रिपोर्ट की विवरण- इस रिपोर्ट को गुरु ने
वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।
2. द्वारा प्रकाशित का अनुचित प्रभाव पड़ - अलीगढ़ के जल्दी में द्वारा प्रकाशित
पाठीद का दिनांक 20/12/2022 का अनुचित प्रभाव पर प्रशुत रिपोर्ट गया है।
3. उत्तराखण्ड गोपनीय - गोपनीय उत्तराखण्ड एवं द्वितीय गोपनीय गोपनीय गोपनीय
रिपोर्ट इन्हाँ दोनों द्वितीय उत्तराखण्ड प्रशुत किया गया है, जो उत्तर-उत्तराखण्ड (जल्दी
दारा), रिपोर्ट-बलीदाराजार-बाटामार के द्वारा जान दिनांक 017/कानून/13/2020 बलीदाराजार, रिपोर्ट 04/11/2022 द्वारा अनुचित है।
4. 300 गोटर की चरिति ने रिपोर्ट जारी - कानूनिक उत्तराखण्ड (जल्दीदारा),
रिपोर्ट-बलीदाराजार-बाटामार के जान दिनांक 300/रिप-५/2022
बलीदाराजार, दिनांक 15/11/2022 अनुचित जारी जारी 300 गोटर की
चरिति अनुचित अन्य जारीनी की जारी रिपोर्ट है।
5. 200 गोटर की चरिति में रिपोर्ट जारीजिक कोर्ट/संसदीय - कानूनिक उत्तराखण्ड
(जल्दीदारा), रिपोर्ट-बलीदाराजार-बाटामार के जान दिनांक
200/रिप-५/2022 बलीदाराजार, दिनांक 15/11/2022 द्वारा जारी द्वारा
एवं अनुचित जारी जारी से 200 गोटर की चरिति में गोई वीं जारीजिक कोर्ट
जीर्णी गोटर, अनुचित, गोपनीय, पुल, जली, रेल लंबाई, अस्थाय, रेत, उत्तराखण्ड
कोर्ट एवं जल आनुसन्धानी जारी अनुचित जारी रिपोर्ट नहीं है।
6. गुरु एवं उत्तराखण्ड जारी रिपोर्ट - गुरु एवं उत्तराखण्ड, जारी जारीनी
जारीन, जो- जी भौमि जारी के नाम पर है, जो कानूनिक उत्तराखण्ड (जल्दी
दारा), रिपोर्ट-बलीदाराजार-बाटामार के जान दिनांक 700/रिप./रिप/2010
बलीदाराजार-बाटामार, दिनांक 21/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी
जारी जारी रिपोर्ट से 1 जर्वी की जारी रिपोर्ट है।
7. रिस्ट्रीक्ट जर्वी रिपोर्ट - जर्वी 2010 की रिस्ट्रीक्ट जर्वी रिपोर्ट (Restrict Survey
Report) की प्रति प्रशुत की गई है।
8. उन जिलान का अनुचित प्रभाव पड़ - कानूनिक उत्तराखण्डकीजारी,
बलीदाराजार, बनाम्बल बलीदाराजार के जान दिनांक/राज.उ.रिप/2010
बलीदाराजार, दिनांक 21/10/2022 में जर्वी अनुचित प्रभाव पर अनुचित
जारीजिक कोर्ट जिलान का जर्वी की जीवा से 10 किमी की दूरी पर है।
9. अनावृत्ति जीवनकाली की दूरी - जिलान जारी जर्वी-पाठी 2 किमी, एवं
जावृत्ति जान-पाठी 2 किमी की दूरी पर रिपोर्ट है; राष्ट्रीय जलजर्वी 10 किमी,
एवं जानपाठी 16.5 किमी दूर है; जिलान जारी 3.2 किमी दूर है।



10. परिवार्षिकीय/वैदिकिया नामेनवीन सेत्र – परिवार्षिका प्रकाशक द्वारा 10 लिंगों की परिवार्षिकीय में आर्थिकीय सीमा, बहुतीय संख्या, अभ्यासात्म, लोकोप्रदूषण विवरण सेत्रों द्वारा प्रोत्तिप्रिय वैदिकीय पौरुषोंका संस्कार, परिवार्षिकीय नामेनवीन सेत्र पर प्रोत्तिप्रिय वैदिकीया सेत्र विषय नहीं होना चाहींक्योंका विषय है।

11. जलन जलवा एवं जलन का विषय – विधीनसभिकल विषय 11,88,075 टर्न, जाइनेवल विषय 7,23,522 टर्न एवं विश्वासिकल विषय 6,98,246 टर्न है। सीज की 7.5 बीटर औकी सीमा पहुँची (उत्तरनन के लिए उत्तिवित सीज) का क्षेत्रफल 4,346 एकड़ीटर है। जीपन जात सेत्र में बैंकार्डिङ लिंगों से उत्तरनन विषय जाएगा। उत्तरन की जलवायित अवधिकरण गहराई 20 बीटर है। लीज सेत्र में जलवी विद्युती की मंडाई 1 बीटर के लक्ष तक भारत 20,825 एकड़ीटर है। विद्युती की 2,000 एकड़ीटर जलवी विद्युती की लीज की 7.5 बीटर औकी सीमा पहुँची (उत्तरन के लिए उत्तिवित सीज) में बैंकार्डिङ बुआठेपन विषय जाएगा जबकि जल लीज 18,025 एकड़ीटर जलवी विद्युती की लीज के से जलवी तक जलवी गुरु (जलवा जलनया जलावाह 1807, जला 6450 हेक्टेएर) में अवधिकरण का क्षेत्रिक जल जाएगा। बीज की लंबाई 3 बीटर एवं चौडाई 3 बीटर है। जलान की समवित लंबाई 12.5 वर्ष है। लीज हिन्द में विश्वित एवं बैंकार्डिङ विषय जाएगा। लीज सेत्र में जलन जलवायित विषय जाना प्रस्तावित नहीं है। जलान में जामु प्रदूषण विषयका तेजु जल का विषयका विषय जाएगा। कौशल प्रस्तावित उत्तरन का विषय विवाहित है।-

सर्व	प्रवाहित उत्तरन (एक्टर)
जलान	53,250
दिल्लीप	60,150
मुर्हिय	52,360
बहुवी	58,050
राघव	50,926

12. जल अनुसृति – परिवार्षिका हेतु जलावाह का जल की जाता 8 एकड़ीटर प्रस्तावित होगी। जल की जानुसृति भू-जल के मानदम से ली जायेगी। इस जाता सेन्ट्रल ब्राउंड बाटर क्षेत्रिकों से अनुग्रहि प्राप्त कर प्रस्तुत विषय जाएगा।

13. जलावाह कार्ड – लीज सेत्र की सीमा में जाती 7.5 बीटर की पहुँची में 2,100 गग जलावाह विषय जाएगा। प्रस्तुत जलावाह अनुसार औकी की लिए जाति 1,28,000 करों, फॉर्मिंग की लिए जाति 2,03,000 करों, खाद की लिए जाति 31,000 करों, लिंगाई पान रक्ष-रक्षाव अदि की लिए जाति 58,000 करों, इस प्रकाश तक जाति 3,95,000 करों जलवा जलवी हेतु रक्ष-रक्षाव हेतु तक जाति 2,50,800 करों जलावी जात वर्षी हेतु घटक्काव जल का विषय प्रस्तुत विषय जाएगा।

14. जलान की 7.5 बीटर की औकी सीमा पहुँची में उत्तरन – लीज सेत्र के जाती 7.5 बीटर की औकी पहुँची में उत्तरन कार्ड नहीं विषय जाएगा।

15. कौशिकीय पर्यावरणीय रिपोर्ट (C.E.R.) – परिवार्षिका प्रस्तावका द्वारा लीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु लिंगों के सम्बन्धित विषयाव जल विषय प्रस्तुत विषयावाह विषय प्रस्तुत विषय जाएगा।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
46.30	2%	0.926	Following activities at Village - Paased	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	1.206
			Total	1.206

16. शीर्षिअर के अंतर्गत लालाब की जाती और सूल 100 मग वीड़ी को नीचन दिया गया। कृष्णरेखा हेतु (खदम, वीम, भीम, आम, जामन, आदि) प्रस्तुत लालाब अनुसार जीवों की लिए जाती 6,500 लक्ष, लैंगिक ली लिए जाती 60,000 लक्ष, लाद की लिए जाती 1,000 लक्ष, लिंगही लाला रस-वलाह आदि को लिए जाती 10,000 लक्ष, इस प्रकार जाम रस में सूल जाती 77,500 लक्ष लाला आगामी 4 वर्ष में कूल जाती 43,000 लक्ष हेतु पटकालाब लाला का दिवाल प्रस्तुत दिया गया है। जाल ही परिस्थिति उत्तमतम लाला याम प्रवायत जालिया का लालमती प्रस्तुत दिया गया है। जापिति का नाम है कि लालाब की जाती और 100 मग वीड़ी का कृष्णरेखा दिया जाना चाहता है अब वह जीवों को लाला में दफ्तरी कूर अपश्लोकदार लाला लालाब का लालाब दफ्तरी एवं शोजल संस्कृती जानकारी प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।
17. कृपया निम्नलीखी लो जालियत जीवों जाने हेतु दिया जाने हेतु एवं इस निम्नलीखी का सम्पर्केन पुनर्जनन हेतु दिये जाने चाहते लाला पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
18. शीर्षिअर के अंतर्गत लालाब के जिनारे कृष्णरेखा जाम प्रवायत के लालमती लालाब दिये जाने लाला लून जीवों का रस-वलाह प्रस्तुत लालाब अनुसार दिये जाने चाहते लाला पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
19. लीला दीप की दीना में जाती और 7.5 मीटर ली दीना वट्टी में 2,100 मग कृष्णरेखा दिये जाने चाहते लाला पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
20. बाईंनीन लीला दीप के लाले लाला कृष्णरेखा दिये जाने एवं लोपित वीड़ी का सम्पर्कार्थी रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत कृष्णरेखा दिये जाने चाहते लाला पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
21. बमस्टिय का कार्य दीर्घिएक लाला अधिकूल दियालीक लाईंसेन्स लाला (Explosive License Holder) लाला कराये जाने चाहते लाला पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
22. परिस्थिति जी जिन-जिन जीवों से प्रशुरितिव लाले लालाजी हीगा, उन जीवों पर नियमित जल डिक्कोती की व्यवस्था दिये जाने चाहते लाला पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।

23. परियोजना प्रत्यक्ष द्वारा निश्चल कमीशन सिप्पम (Silent Commission Rule) की तहत कठोरी विलम्ब द्वारा शीघ्रताने का कार्य सुनिश्चित भिंडे जाने वाले वापस पत्र (Notarized undertaking) प्रदूषत किया जाता है।
24. उल्लीलाएँ आदती मुद्रणीय नीति की तहत अधिकारी लोगों को लैखनाम दिये जाने वाले वापस पत्र (Notarized undertaking) प्रदूषत किया जाता है।
25. परियोजना प्रत्यक्ष द्वारा वापस पत्र (Notarized undertaking) प्रदूषत किया जाता है कि उनकी विकल्प इस परियोजना/वाहन की संबंधित कठोरी न्यायालयीन वालालालन देख की अवधिक विभिन्न भी वालालालन में लैखित नहीं है।
26. परियोजना प्रत्यक्ष द्वारा वापस पत्र (Notarized undertaking) प्रदूषत किया जाता है कि उनकी विकल्प वाला वालालार, वाला और अवधारु परियोजना वालालाय की उल्लीलाएँ वाहन 804(2), दिनांक 14/03/2017 की कानूनी कठोरी वालालालन का प्रावधान लैखित नहीं है।

सभिति द्वारा अल्लाम शर्मिला की निम्नानुसार निर्धारित किया जाता था—

1. शीर्षक, की अवधिक वालालन की जाती और ५०० का कार्य का वालालालन किया जाना चाहिये है अवधा नहीं? की जांच में वालाले में दफ्तरी दूर सम्बन्धित वाला वालालाव का वालालाल लैखित एवं कैशकाल कांकी जानकारी प्रदूषत किया जाए।
2. अवधारित लौज शेष में विभा कुली की कठोरी वाला वालिलारी के अनुसारी वालालाल ही विभे जाने वाले वापस पत्र (Notarized undertaking) प्रदूषत किया जाए।

वालालाला वालिला जानकारी/वालालाल वापस हीमे उपराह जागारी वालालाली की जाएगी।

वादानुसार एसडीएसी, परियोजना की ५००वीं दिनांक 10/02/2023 के विस्तृत वे परियोजना प्रत्यक्ष द्वारा निम्नानुसार द्वारा वालालालन की जानकारी/वालालाल वालुषत किया जाता है।

(a) वालिलि की ५००वीं दिनांक 10/02/2023:

सभिति द्वारा नसी, वालुषत जानकारी का अवधारित एवं कैशकाल जाने पर विन विभी नहीं जाए—

1. वालुषत वाम पंचायत यारीद की वालाली पत्र अनुसार वालाल की जाती वाला विवाह वालाल जनाऊँ ३००, रकम 1,५५७ हेक्टेयर (Hectare) में ५०० का वालालाव कुली का उपराह किया जाना चाहिये है। जाव दी भूमि कांकी दफ्तरीय (पी-१, पी-२) एवं वालाल वालाल वालुषत किया जाता है।
2. अवधारित लौज शेष में विभा कुली की कठोरी वाला वालिलारी के अनुसारी वालाल ही विभे जाने वाले वापस पत्र (Notarized undertaking) प्रदूषत किया जाया है।
3. शीर्षक, जार्य एवं २३ मीटर की गीण पट्टी में वृक्षारोपण कार्य की वालिलिए एवं वालालाय देख दि—जारीय जालिले (प्रोविन्सियल/जालीय), जाव वालाला की वालालिलारी/जालिलिए एवं विभा वालालान वा उल्लीलाएँ वालिलान संस्कार वापस की वालालिलारी/प्रालिलिए) वालिला विभा वाला जानकार है। साथ ही शीर्षक, एवं २३ मीटर की गीण पट्टी में वृक्षारोपण का जार्य घूल विभे जाने की उपराह वालिला दि—जारीय जालिले वी वालालिले कराया जाना जावायक है।
4. जानकारी एवं जीर्णी, विभियस देख, नहीं विलम्ब द्वारा सर्वेव विकल्प वाला वालालार, वाला और अवधारु परियोजना वालालाल, नहीं दिनांक एवं जाव

(प्रौद्योगिकी एवं संस्कारण विभाग का नं. 100 अंक दस्तावेज एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आवेदन में निम्नलिखित विवर दर्शाते हैं—

- a) Providing for EA, EEP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-3 as per with category B-1 by SEAC / SEMA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EA / EEP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

ਜਾਪਿੰਡਿ ਇਸਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਥੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਗਲੀ ਦੀ ਮਿਆਨੁਤਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

- कालीखोला कर्मचारी विभाग (संग्रह सम्बन्धी) निया—कालीखोला जन—जनरल कम्पनी क्रमांक ४००/लीन-८/२०२२ कर्मचारीवार दिनांक १५/११/२०२२ अनुसार असंवित खादान से ३०० ग्रीन के पीछेर खालीखोला अन्न उद्यानी की साथा वितरण है। असंवित खादान (ज्ञान—प्रसारीद) का रकमा २.४८७ हेक्टेक्टर है। खादान की पीछा से ६०० घैटर की परिमि में सौरकृत/संवर्धित खादानी का यूज सोबत ३ हेक्टेक्टर का उपयोग कर रहे हैं जो काली यह खादान दी-३ क्षेत्री की मात्री नहीं।
 - समिति द्वारा नियार नियारी चालान संवर्धिती की अधोदृक — मैकान नहानामा उद्दीप (प्रो— की अंडे रानी) की प्राय—जास्तीद तहसील—भाटापाटा, निया—कालीखोला जन—जनरल कम्पनी क्रमांक १८८६ एवं १८८७ में वितर यूज नाम्बर (प्रीन विभाग) खादान, यूज सोबत २.४८७ हेक्टेक्टर, कम्पनी — ८७.१५२ रुप प्रतिहर्ष हेतु परिसीमा-०३ में वर्णित कर्ता के अंतर्गत पर्यावरणीय संवेदनीय विए जाने की अनुमति की गई।

काम्य सार्विक योग्यताम् प्रभाव आकर्षन् प्रसिद्धतया (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ की तदानुसारी पर्याप्त विद्या जारी।

६. नेमहं दिव्यात् लाद्यन चट्टन ज्याते (प).— श्री गणेश राम, याम-दिव्यानयक, लग्नात् ए चित्ता-वाचम् (सिद्धिवलद् का नामी रुपांतः ३४५).

जीवनशास्त्र जारीदार – यहाँ में जीवशास्त्र जारीदार – एसएडीए/ लीजी/ एमएडीए/ ३०३०१३/ २०२१, दिनांक १३/०३/२०२१ द्वारा दीर्घोंगार से जारीदार किया गया था। जीवनशास्त्र में जीवशास्त्र जारीदार – एसएडीए/ लीजी/ एमएडीए/ ४१३६१३/ २०२२, दिनांक ०८/०१/२०२२ द्वारा जीवशास्त्रीय वर्तीवृत्ति प्राप्त करने के लिए जारीनाम हुआ। इस लिये हमारा यहाँ रहता है।

प्रसाद का विकास – यह प्रसादाद्वय कूनी चमार (रीति चमिज) बदान है। यहाँ चाप-टिकन्याम, तांबील व चिला-बल्लन फिरा चमार कम्बां 175/1, 175/3 एवं 183, चुप्पे लोककल-278 ट्रैक्टर में भी 250 हेक्टेयर में प्रसादाद्वय है। बदान की अपेक्षित संतुलित कम्बा-83,500 टन उत्पादन है।

पूरी नई एनाईएसी, जलधिगंगड़ के ज्ञापन दिनांक 26/06/2021 द्वारा प्रकाशित 'कौटुम्बिकी का होने के बहाव भास्तु लकड़ार, पर्यावरण, का और जलधारा परिवर्तन संबंध द्वारा उद्दीप, 2015 में जलधिगंगड़ एनाईएसी टर्म ऑफ निफ्टेस (टीएनएस) को नई एनाईएस/एनएसपी रिपोर्ट नहीं दीजाएगा/एनटीडीपीय निकायान्वयन इन्वायरन्मेंटल अपार्टमेंट अपार्टमेंट, नीटिकोक्षन, 2020 में घोषित थीनी 100) का नियम दीजायेग (तोक सुनावने चाहिए) हेतु दीजायेगा जाति लिपा गता है।

तदानुसार परिवेशका उपलब्ध को एवं इसकी प्रतीकागत के लाभ के दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित होने दृष्टि दिया गया।

विवरों का विवरण –

(अ) जारीकी की 45वीं दिनांक 03/02/2023:

अनुमोदित द्वारा श्री महेन्द्र अग्रवाली, अधिकारी प्रशिक्षित एवं पर्यावरण संलग्नकार के द्वारा ने बैठाकी पदाधीर अधिकारी इन्हामालेट एन्ड कैन्टरपर्सेट, लखनऊ की ओर से श्री शुभेन्दु निहार याती जनरेशन द्वारा आवश्यक एवं परिषिक्षण करने पर दिया दिया गया है।

1. यूटी में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संकेती विवरण – इस खदान को यूटी में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. इस खदान का अनुमति प्रमाण पत्र – उद्देश्य के संकेत में याम पर्यावरण टिक्कनाम का दिनांक 01/09/2020 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया है।
3. अद्यतन योजना – जारी याम द्वारा यद्योंतर प्रमाण प्रदत्त किया गया है, जो लानी अविकारी, जिला-ठाकुर खदान दोषका के द्वारा दिनांक 090/समिति/स.पी./2021-22 दीक्षाता, दिनांक 02/02/2023 द्वारा प्रदत्त किया गया है।
4. 500 बीटर की घटियि में दिया खदान – जारीतय कलेक्टर (खणिज याता), अनदलपुर, जिला-खदान के द्वारा उपलब्ध 090/समिति/स.पी. 4/04/2020-21/स.पी./2021 अनदलपुर, दिनांक 08/09/2021 के अनुसार अनुमति दियाने से 500 बीटर की घटियि अनुमति 9 यादानी, दीक्षाता 2.1 हेक्टेएक्ट है।
5. 300 बीटर की घटियि में दिया खदानकर्मिक दोष/सारकनाम – जारीतय कलेक्टर (खणिज याता) अनदलपुर, जिला-खदान के द्वारा उपलब्ध 090/समिति/स.पी. 4/04/2020-21/स.पी./2021 अनदलपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यद्योंतर खदान से 300 बीटर की घटियि में कोई भी सार्वजनिक दोष दीर्घ समिलन, यापन, अपराध, चक्षुर, पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य अनुमति जारी प्रतिशोधित करने दिया गया है।
6. एलओआर, संकेती विवरण – इस एलओआर की विवरण याम के द्वारा दिया गया है, जो अन्योनय कलेक्टर (खणिज याता) अनदलपुर, जिला-खदान के द्वारा उपलब्ध 2220/समिति/स.पी. 04/2020/समिति/स.पी./2020 अनदलपुर, दिनांक 27/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी दिया याती दिनांक से 1 वर्ष की अवधीं होने दी गई। अन्यथापाल एलओआर की विवरण वृद्धि अनावासलय, घटियि याम समिक्षक, याम यायकार अटल नगर के द्वारा उ. 144/समि 02/स.पी.-अनु. नियम/नाम.50/2017(3) याम अनदलपुर, दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी दिया 1 वर्ष (अल्पात् दिनांक 26/11/2022) की अवधीं होने दी गई। अनुमोदित दिनांक की दीर्घ दरिघोङ्गना प्रमाणका द्वारा जारी याम के एलओआर की विवरण दृष्टि द्वारा जारी किया गया है, जो प्रतिशोधित है।
7. यू-समिति – यूमि याम का दिनांक 175/3 श्री अंगुष्ठाम, याम का दिनांक 175/1 श्री विजयलाल एवं याम का दिनांक 183 श्रीमती यामती के द्वारा दिया गया है। अन्यथापाल द्वारा यूमि स्थानिकों के द्वारा दृष्टि द्वारा दर्शाया गया है।

- प्रिन्टीस रेंट रिपोर्ट – वर्ष 2019 की प्रिस्टीयट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रकाशन की गई है।
 - उन लिखान का अनावलित प्रकाशन पत्र – कालांतरण एवं स्पष्टाकारी, उनमध्यल सत्त्वां, जगदलत्तुर के आवन इ./कलाव./486 जगदलत्तुर, दिनांक 30/12/2021 में जारी अनावलित प्रकाशन पत्र के अनुसार अवैधित कीते बन दीज की तीव्रा से ३ किमी. की दूरी पर है।
 - प्राचलपूर्व गाँवघारी की दूरी – निकटतम कालांती गांव-टिकनाल + किमी. रखूल गांव-टिकनाल ६०० मीटर एवं अन्यान्य दौलें ३ किमी. की दूरी पर हिला है। चाहू़ीय गाँवघारी १.५५ किमी. एवं गाँवघारी १.५ किमी. दूर है। गाँवघारी १.५० किमी. एवं इन्द्रावली नदी ०.५ किमी. बोरिया नदी २ किमी. एवं गाँवघारी नदी २०० मीटर दूर है।
 - परिविहारिकीय/वैलियिका सोसाइटीज दोनों – वरियोजना प्रकाशन द्वारा १० किमी. की परिमिति में अन्तर्भूतीय तीव्रा, चाहू़ीय उद्यान, अग्नाराजा, कंडीया प्रदेश निवासन दोनों द्वारा संचित लिंगिकली वैल्युटेक एविया, परिविहारिकीय सोसाइटीज दोनों का संचित लिंगिकला दोनों द्वारा नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
 - जनन संपदा एवं जनन का विकास – जिलेलीकाल विवर ७,८८,३५६ टन एवं मरुभैकल विवर ५,०१,३७२ टन है। लौग की ७.५ मीटर तीव्रा भीना पट्टी जिलेलीन के लिए संतोषजनक दोषों का कोशलत ८,२३६ वर्गमीटर है। अंगन काली गैंडेलाल्या दिले से जलजनन विक्षय जाएगा। उत्तरान नहीं प्रकाशित अधिकातम गवाहाई १३ मीटर है। उपरी गिरुडी की गोटाई + गोटाई एवं बाजा ५५.४३८ अन्तर्भूत है। देव की गोटाई १.५ मीटर एवं गोटाई १.५ मीटर है। बाजा की संतोषजनक ज्ञान १० वर्ष है। लौग दोनों में जातार स्पष्टपित विक्षय जाना प्रकाशित नहीं है। लौग हिंगर से लिंगिकम एवं लंगूली-स्लारिटेक विक्षय जाएगा। उद्यान के बाहु छातूण निवासन द्वारा जल का विकास विक्षय जाएगा। वर्षिया प्रकाशित जालनन का विकास विभानुसार है—

कार्य	प्रत्यापूर्त राशी-मान (₹)
उपयोग	43,939
हिस्टोरी	52,509
प्रारंभिक	48,940
वर्तुल	43,937.5
पदम	43,937.5

- पाल काम्पूली - परियोजना हेतु आवश्यक पाल की गति 4 किमी/घण्टा प्रतिविधि होती। पाल की काम्पूली बोर्डर के निकट ही होती जाती। इस काम्पूली में दो बोर्डर कम्पूलीहोंडी की अनुसन्धि प्राप्त कर उन्नत फिल्म जानक आवश्यक है।
 - मुख्योपयन कार्य - सीज बीच की सीधा में बाही और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,300 गग मुख्योपयन फिल्म जाएगा। इस सीधा में समिति जल यह है कि सीज सीज की सीधा में बाही और 7.5 मीटर की पट्टी में मुख्योपयन हेतु फैली फिल्म, गार एवं लिंगाई तथा रस-नसाय के लिए 5 गर्थी (50) प्रतिविधि बोर्डर हर की अनुसन्धि वर्षी का आवश्यक व्यव का फिल्म फिल्म प्रसार वाहित उन्नत फिल्म जानक आवश्यक है।

- प्रदान की 7.5 फीटर की दोहरी लीन पट्टी में उत्तमता - जैसे सेव के लाठे और 7.5 फीटर की लीन पट्टी में उत्तमता कार्य की किसा गया है।
 - इकाई एवं शिपिंग का विवरण-

- जल सुर्ज आवृत्ति गुणवत्ता संबंधी जानकारी – बीमिटरिंग कमर्श असेंटर 2021 से विकास 2021 के बाद हिता गया है। 10 लिंसेंसीटर के अन्तर्गत 8 जलाली पर बीमिटरीय जल सुर्ज गुणवत्ता यापन, 8 जलाली पर जल सुर्ज गुणवत्ता यापन, 8 जलाली पर जलाली जल यापन, 2 जलाली पर सरकारी जल सुर्ज गुणवत्ता यापन & जलाली पर फिल्टरी ही नहीं एकलिंग जल विभागीय हिता गया है।
 - बीमिटरिंग योग्यता के क्रमान्क फैसल, एसडी, एनडी, का सामन्वय संभव-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	39.11	54.63	60
PM ₁₀	51.28	68.63	100
SO ₂	7.00	15.38	80
NO ₂	12.10	25.47	80

- iii. परिवेशना क्षमता के अनुपात पर सर्वेती की गणकता— हालांकि Chapter-3 Description of Environment में दर्शाये गये ऐसे उपलब्ध अनुपात कोशिकाएँ, नाइट्रोजन, जलवाय, कार्बनिक एवं अन्य रासायनिक गतियों का सामग्री उपलब्ध गतिशील गणक से कम है।
 - iv. परिवेशीय गति गणक—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{dn}	52.2	65.9	70
Night L _{dn}	41.9	53.6	70

- जो जल्दी समाज के विभिन्न व्यापक क्षेत्र से उत्तर है।
पौरी रुपी गतिशीलता— जागी राजनी / पहली अवसर ही राजनी को समर्पित
करने वाले इतिहास अवधान लिपिए प्रस्तुत की गई है। लिखक कल्पनाएँ—

Status	PCI / Day	WC ratio
Existing	725	0.08
Proposed	1,245	0.08

विकास के उद्देश्य में सी-एसॅटिम / प्रोजेक्ट के परिवहन हेतु यह एक अति की लोड रिप्रेसिप इमारत निर्माण योग्यता (Excellence in Load) के बीच है।

18. जनसूचनाएँ के सौरात मुख्य कान से निम्न मुहाव/विचार प्रक्रम किसे नहीं हैं—
 i. समय की ज्ञान रखते हुए स्टार्टिंग किया जाए। बड़े सूरात का स्टार्टिंग नहीं किया जाए। सूरातों में सहा स्टार्टिंग किसी जाने से पहले में उल्लंघन होता है।

i. वादान के संवादमें से यूल फिल्डी अदि हमारे द्वारा बताए गए तुम्हारे नुसार होना।

ii. जल, जल्द, जल्दी का इनूलन नहीं होना चाहिए। फिरकी जल पालन उनीही जल बचाने चाहाया जाए।

iii. वादान में खानींद यारीनी की लंबाई दिया जाए।

जोड़ सुनावाई के द्वारा उदाहरण के दियें यूल फिल्डी के विवरण की दिशा में परिवेशना प्रश्नावली की ओर से प्रतिक्रिया इतिहासिक/कांगड़ीट का विवरण दियागुलाम है—

i. कांगड़ीट का जनय इतिहास दिया जाएगा। कांगड़ीट तो यहाँ स्थायी जलावाहा जानकारी सहित उसका जनय यहीं पर्याप्त नहीं है।

ii. यूल अदि जल प्राप्ति कंपनी के विवरण में द्वारा ही दी गई है। विवरण मुख्य रूप-वादान दिया जाएगा। लकड़ पर यारी का विवरण दिया जाएगा जिससे कि यूल फिल्डी का जनय हो।

iii. खानींद यारीनी की प्रकार का जल, जल्द, जल्दी का इनूलन नहीं होना। इसके लिए यूटी लंबाईनी करती जाएगी।

iv. खानींद यारीनी को ही गोजावार के अवसार प्रदान करें।

12. जलपटर हेतु जीवन इन्हाइटिमेंट ऐमेंटमेंट एम — जीवन इन्हाइटिमेंट ऐमेंटमेंट एम एवं जीवन इन्हाइटिमेंट ऐमेंटमेंट एम में परिवेशना प्रश्नावली की सहभागिता का विवरण इनूलत दिया जाना आवश्यक है। जल की उच्च जांच यूल फिल्डी जाने वाले यह प्रश्नात दिया जाना आवश्यक है।

13. कौटीरिट नवीनीय दारिद्र्य (C.E.R.) — परिवेशना प्रश्नावलक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत दर्शित द्वारा दिया की दिए गए जीवन इन्हाइटिमेंट (जीवन इन्हाइटिमेंट) एवं जीवन इन्हाइटिमेंट ऐमेंटमेंट एम में की 0.4 हेक्टेएर का अन्तर्वित यह प्रश्नात दिया जाता है। जी जीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत दर्शित द्वारा दिया हेतु जीवन इन्हाइटिमेंट एवं जीवन इन्हाइटिमेंट एम के लिए 0.4 की (0.4 प्रतिशत जीवन द्वारा के अधिक एवं) जल उत्पादनार जाय का विवरण विस्तृत इनूलत दिया जाना आवश्यक है।

निम्नलिखित द्वारा जालावाहा यारीनी की विवरणात्मक दिया जाए यह—

1. एस.डी.आर. जी दिया यूटी जीवन इन्हाइटिमेंट प्रश्नात दिया जाए।

2. जीवन फिल्डी इनूलत दीवना प्रश्नात दिया जाए।

3. यू-जल उपर्याह येतु यूल यान्नल दीवन अनीरिटी की अनुनति इनूलत द्वारा प्रश्नात दिया जाए।

4. जीवन दीवन की सीधा में यारी और रा दीवन की पट्टी में युवारेपन हेतु जीवन दीवित, जाव एवं दियाही तथा रक्ष-रक्षाव के लिए 0.4 की (0.4 जीवन दीवन द्वारा के अधिक एवं) जल उत्पादनार जाय का विवरण विस्तृत इनूलत दिया जाना आवश्यक है।

3. कौमन इन्हायरेंसीटल मेनेजमेंट बाल एवं कौमन इन्हायरेंसीटल मेनेजमेंट बाल में परियोजना प्रशासन की सहभागिता का विशुद्ध प्रशासन प्रस्तुत किया जाए। याकूब ही उक्त बारे दूरी दिये जाने वाला बाबू पर वापसी किया जाए।
4. ग्रीष्मीय (Corporate Environmental Responsibility) की तहत परियोजना में न्यु वीडी, वॉरिंग, बाल एवं विशुद्ध बाल यो-योजना के लिए 8 लाई (80 प्रतिशत अधिकान दर के आधार पर) का प्रशासन याप्त का विवरण विशुद्ध प्रशासन महिला प्रस्तुत किया जाए।
7. नोटोरिझ उन्डरटाइंग किये जाने वाला जाप्त याप्त याप्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. न्युवीडी की लैंगिक सेक्ष के बाबू भैयालिंग का संलिङ्ग रखे जाने हेतु, निटटी का दुरुप्रयोग न करने, विशुद्ध न करने एवं अन्य बाली के दुरुप्रयोग नहीं किये जाने एवं इस निटटी का बालीया पुनरावृत्ति में किये जाने वाला जाप्त याप्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. अन्युनियन लीज लोड की अंदर साधन दूसरोंका विक्री जाने एवं नीपित वीडी का सार्वान्वयन रेट (Survival rate) का ही कम 80 प्रतिशत अनुमित्तता किये जाने वाला जाप्त याप्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना के विन-विन खली से अनुचित रखने वालीया होगा, इन खली या विवरणित यात्रा विशुद्धात्मा की वालीया किये जाने वाला जाप्त याप्त याप्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रशासक द्वारा विभिन्न उन्नीसन नियम (Minerals Concession Rules) की तहत बालीयी विशुद्धी द्वारा गीयालांग का बली दुरुप्रयोग किये जाने वाला जाप्त याप्त याप्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. अलीमांगक बाली युवाओं वीडी के तहत स्थानीय लोगों को बोझावान दिये जाने हेतु जाप्त याप्त याप्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रशासक द्वारा विशुद्धी वीडी प्रशासन का दुरुप्रयोग जल संरक्षण, तालाब, नदी, नासा में नहीं किये जाने एवं इसकी वालीया किये जाने वाला जाप्त याप्त याप्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रशासक द्वारा उन्डरटाइंग (Understating) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विशुद्ध इस परियोजना/योजना के संबंधित कोई व्यापारालीय प्रकरण या उनकी अंतर्गत विशुद्धी वीडी नाप्रापत्ति में सहित नहीं है।
15. परियोजना प्रशासक द्वारा उन्डरटाइंग (Understating) प्रस्तुत किया जाए कि उनको विशुद्ध वाला जाप्त याप्त याप्त, एवं और उनका योग्य विवरण भैयालिंग की विशुद्धात्मा कराऊ छोड़ (अ), दिनांक 24/03/2017 के अंतर्गत ग्रीष्मीय उल्लंघन का प्रकरण नवित नहीं है।
- उपरोक्त विशुद्धा यानवारी/प्रशासन याप्त होने वाली बाली कानूनी वीडी जाएगी।
- योग्यतावाद दसहुए वीडी, अलीमांगक के ज्ञापन दिनांक 21/03/2023 के परिणय से परियोजना प्रशासक द्वारा दिनांक 21/03/2023 एवं 30/04/2023 की यानवारी/प्रशासन प्रस्तुत किया गया।

(iii) अधिकारी की अपेक्षा देवा दिनांक 10/06/2020

परमिति द्वारा नहीं, प्रसूत वायव्यताएँ का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न नियम है—

१. एस.ओ.आई. की विज्ञा कृषि बायप न्यायिक संचालक ग्रन्तिकी तथा अधिकार नवा चापदूर अटल नगर के पुरानीमाला इलाम इमारत ११९/२०२३ द्वारा यादी परिषिक्त आदेश विनाम्र २२/०३/२०२३ की प्रति उल्लेख की गई है जिसके अनुसार "सुपरोक्त विवेकना की कामार पर पुरानीमाला प्रकाशन स्वीकृत करती हुये, यह निर्दिष्ट विषय यादा है कि उल्लीलागढ़ गोदा छान्डोल विधाय, २०१५ के विधय ४२(१) वरन्युक के तहत उक्त प्रकाशन में पर्यावरण स्वीकृति प्रभा करने से एवं चालनाम पद्धति स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिकारिक सम्बालपुर प्रशासन करती हुए उल्लेखन करायेगा। जिला वकार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" इन वाराणी यादा है।
 २. सीज बोर्ड में उल्लील विट्टी की गोदार्ड १ वीटर एवं नवा १०.४३८ एकड़ीटर है। उक्त उल्लील विट्टी की ६,८७८ वर्गमीटर बोर्ड में ३ वीटर की गोदार्ड तक सहमति प्राप्त गयी (जालना वामांक ३८६, बीचफल ८४३ वर्गमीटर) हेतु में पर्यावरण कर परिवर्तित यादा याएगा।
 ३. शु—जल चापदूर हेतु लैन्डल वायप्स बीटर अधिकारिकी की अनुमति द्वारा कर प्रलूब दिया यादा है।
 ४. लील बोर्ड की सीमा में घासी कोर २.५ वीटर की घट्टी में ६५० नम इन्हालीमाल दिया जाएगा। उल्लेख प्रशासन अनुसार घीसी के लिए तात्त्व ८०,००० रुपये, वेश्विक के लिए तात्त्व ४,४५० रुपये, घासी के लिए तात्व १७,१७७ रुपये, लिंगार्ड के लिए तात्व १७,८०० रुपये, रख—खाल लादि के लिए तात्व ५५,००० रुपये, इस प्रकाश इयाम जीवं हेतु बूज तात्व १,७३,५५० रुपये एवं जानामी याद की हेतु बूज तात्व १५१,३५० रुपये का अटकावार यज्ञ विधायम इस्तेवा दिया यादा है।
 ५. जलसंग्रह हेतु कीमत इन्हालीमेटल ऐवेजमेट याद— परियोजना प्रशासनका द्वारा बताया यादा कि आर्थिक यादान को जानिस करती हुये जलसंग्रह में बूज के लागती है। जिसमें से ८ लखमी को पूरी तरह ही पर्यावरण स्वीकृति द्वारा है। आर्थिक याद—जलसंग्रह में जानिस आर्थिक यादान द्वारा कीमत इन्हालीमेटल मेंऐजमेट याद द्वारा प्रलूब दिया यादा है। कीमत इन्हालीमेटल ऐवेजमेट याद की तहत निम्न तात्व प्रस्तावित है—

विवरण	प्राप्ति (करोड़)	दिनांक (करोड़)	कृतीय (करोड़)	खर्च (करोड़)	वर्गमय (करोड़)	
संसद्ये कार्य वे 400 लाइसेंस एवं नम्बर नम्बर	कुलार्थीपाल प्रतिक्रिया वीच दर्शक हेतु चारि लाइसेंस हेतु चारि आद लाइसेंस कुलार्थीपाल हेतु लिंगाई एवं राज- सभा लाइसेंस	1,20,000	54,000	36,000	21,000	18,000
	कुल राशि = 2,49,000	1,20,000	54,000	36,000	21,000	18,000

जाने कर्तव्य सुन लिये जाने वाला ग्राम पत्र (Notarized undertaking) जम्हूरा दिया गया है।

- ii. नीरुद्धार (Corporate Environment Responsibility) द्वारा जम्हूरा प्रस्तुत दिया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at Gram Panchayat Village- Tikampur Pavitra Van Narmad Total	4.15 4.15

जीईआर, द्वारा दिया गया नियमिति के तहत (जोड़ा, गैम, आम, कामों जासून, अपालतारा, बनाम आदि) जलाशयोंमें प्रस्तुत जम्हूरा जम्हूरा 1,000 नमूनों को लिए गयी 1,00,000 रुपये, जिसमें जम्हूरा को लिए गयी 5,000 रुपये, जांद को लिए गयी 40,300 रुपये, जिसके को लिए गयी 20,000 रुपये तथा एवं-एवन आदि को लिए गयी 55,700 रुपये, इस प्रकार जम्हूरा को जम्हूरा जम्हूरा 2,00,000 रुपये को जम्हूरा जम्हूरा 4 बार में जम्हूरा जम्हूरा 2,15,000 रुपये हैं यह यटायत विकल्प प्रस्तुत दिया गया है। जीरियोजना प्रायोगिक द्वारा यह यटायत विकल्प की सहनीय उपलब्ध योग्यता भवान (जम्हूरा जम्हूरा 438, दीवाल 41.88 लीक्टेक्स में से 0.4 लीक्टेक्स) को जांच में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. नाट्रियम च्यानिट्रिंग दिये जाने वाला ग्राम पत्र (Notarized undertaking) जम्हूरा दिया गया है।
8. जम्हूरी मिट्टी की लौज दंत के बाहर बोरोलित कर यांत्रिक रूप से जाने हैं यह मिट्टी का दुरुमर्याद न करने दिया न करने एवं आम जारी में दुरुमर्याद नहीं दिये जाने एवं इस मिट्टी का दुरुमर्याद पुनर्वसन में दिये जाने वाला रूपये पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
9. नाट्रियम च्यान दंत की जंडा सुखन जलाशयोंमें दिये जाने एवं जीरियत दीर्घी का नालाईयत रेट (Survival rate) का से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित दिये जाने वाला ग्राम पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
10. जीरियोजना की जिन-जिन जली से प्रयुक्तिवाले जम्हूरा यटायत दीर्घी यह यटायत यह नियमित जल डिक्षावद की जावाहा दिये जाने वाला ग्राम पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
11. जीरियोजना प्रायोगिक द्वारा जिन्हें जम्हूरा जम्हूरा दिया (Minerals Concession Rule) के तहत जारी होनी वाली द्वारा जीरियत जल जारी सुनिश्चित दिये जाने वाला ग्राम पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।
12. जीरियोजना जारी कुलाली जीरी के तहत जलाशय लौगी की जीरियत दिये जाने हैं यह ग्राम पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया गया है।

13. परियोजना प्रसारक द्वारा किसी भी उकार का नुस्खा जल्द वा इताहा जारीकृत
जल्द जारी, तात्पूर, गही, यथा में नहीं लिखे जाने एवं इसकी संखाल लिखे जाने
बाबत् समझ पत्र (Notarized undertaking) अनुग्रह दिया जाया है।

14. परियोजना प्रसारक द्वारा लोकटैकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया जिया जाया है
कि उनके लियद्वा इस परियोजना/योजना से संबंधित कोई व्यापारिकीय प्रक्रिया
प्रैत् भी अवैध लिखी भी जायगाया में लिखा जाता है।

15. परियोजना प्रसारक द्वारा अंदरौदरीकैंग (undertaking) प्रस्तुत किया जाया है कि
उनके लियद्वा जाता जायगा योजना, या और जलाशय विभागीय नियमों की
अधिकृत्या काया. अतः अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई योजना का
प्रकरण लिखा जाता है।

16. जानित का जा रहा है कि सीईआर, जीवन इन्डस्ट्रीशिल कैरियरेट परामर्श, जीवन
इन्डस्ट्रीशिल मैनेजमेंट योग में परियोजना प्रसारक की सहायिता लाभों के
लक्ष-स्थान एवं युक्तिवाल यार्ड के लियटरिंग एवं लॉकेटिंग द्वारा भी-भीषण
जानिती (प्रैमिटिव/प्रैमिटि, या योग्यता के प्रतिक्रिया/प्रतिक्रिया एवं किया
प्रसारक से जातीजानदृ विवरण जायगा योजना की कार्यविधानी/प्रतिक्रिया) परियोजना
जायगा जायगाया है। यार्ड की सीईआर, जीवन इन्डस्ट्रीशिल मैनेजमेंट परामर्श,
जीवन इन्डस्ट्रीशिल मैनेजमेंट योग में परियोजना प्रसारक की
सहायिता, लाभों के लक्ष-स्थान एवं युक्तिवाल या यार्ड दूर्घ लिखे जाने से
एप्रहंत गठित भी-भीषण जानिती से जायगाया जायगा जायगाया है।

17. जानीय दस्तावेज़, लियोनल बैच, नई दिल्ली द्वारा सार्वेत प्रत्येक लियद्वा यारा
योजना, योजना, या और जलाशय विभागीय मंत्रालय, नई दिल्ली एवं जन्य
विभिन्नतात् एप्रिलेक्यन नं. 186 अंक 2016 एवं इसमें वे दिनांक 13/09/2016
को परियोजना आदेश में युक्त रूप से जिम्मेदार लियोनल किया जाया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where over 4 is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

जानित द्वारा किया जायगा सार्वानन्दी से जिम्मेदार लियोनल किया जाया—

- कार्यालय कैरियर (जानित यार्ड), जगदलपुर, लिला-बस्तर के पु. जायग
अन्मांक 450/सीटीज/स्ट्री.4/04/2020-21/प्रय./2021 जगदलपुर, दिनांक
09/03/2021 के अनुसार जानित यार्ड में 800 सीटर की बीतर जानिता व
जायगा, क्लॉफल 3.1 हेक्टेयर है। जानित यार्ड (एप्प-टिक्कनचाल) का क्लॉफल
2.79 हेक्टेयर में से 2.66 हेक्टेयर है। इस जायगा सार्वानन्दी यार्ड (एप्प-
टिक्कनचाल) की लियोनल कुल क्लॉफल 5.75 हेक्टेयर है। यार्ड की क्लॉफल
में 800 सीटर की जानिती में लॉकर/संचालित यार्डों का कुल क्लॉफल 5
हेक्टेयर है अधिक होने के जायगा यह यार्ड भी-1 क्लॉफल की जानी जायी।
- यारा याराय, योजना, या और जलाशय विभागीय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा
यारी द्वारा अधिकृत्या 2006 (योग्यताप्राप्ति) के यारायानी एवं यानीय एन-
जीटी द्वारा यारी आदेश के अनुसार कालाय में आने वाली यारायानी की यात्करण
जानितीलियों से परिवर्तीय योजने या यारायानी की संकलन द्वारा
कालाय में आने वाली यारायानी को यारियल करायी हुयी, कालाय द्वारा योग्य
जानिती द्वारा

हृष्णवायरदेव नेत्रोन्मेष चतुर्व शीर्ष दिये जाने तथा लिपालिपि करने के बृं
संभासक, संभासनासाथ, वीमिली द्वारा उपरिकाम, इच्छाती चतुर्व, तथा चाप्युत अटल
चतुर्व, जिला – चाप्युत (जल्लीसागढ़) की चतुर्व की प्रत्युत्तम ताप्यंकामि दिये जाने
हैं तु निर्दीकित दिया गया।

3. सभिति हृष्ण विचार विलो चतुर्वत ताप्यंकामि से आंदेह – वैशाख दिव्यन्यास
साईन लटीन कवारी (प्र॒ – वी गवेत चम्) को चाम-दिव्यन्यास, ताप्यंकामि व
जिला-कामत के चतुर्वत अन्तर्क १७५/१, १७५/३ एवं १८३ में दिया चूता प्रसाद
(वीण चमिलि) चतुर्वत चुत लेखकस – २७८ ईकट्ठेयर, अन्तर्क-५२,५०० टन प्रतिवर्ष हैं तु चमिलि-०४ में चमिलि जाति के अन्तर्क
पर्यावरणीय वीमिली दिए जाने की अनुमति की गई।

तथ्य सारीय पर्यावरण प्रसादक अन्तर्क अधिकारी (एसईआरपीए), छत्तीसगढ़ को
उत्तमुत्तम चुप्तित दिया गया।

4. वैष्णवी वी चामृ चतुर्वत ईकट्ठेयर – वी विजय चूम्याव जानी, शीर्षामात्रा ली-चैक
चामृय लटीन कवारी), चाम-वीर्यनास, ताप्यंकामि-चामामात्र, विला-कलीदामामात्र-चामामात्र का जल्ली अन्तर्क २००)

वीनसाईन अंदेह – अंदेह नम्बर – एसआरपी/ लीली/ एसआरपी/२७६६३४/२०२२, दिनांक ०५/०८/२०२२ हृष्ण पर्यावरणीय वीमिली हैं तु वीनसाईन
अंदेह जिला गया है। वैष्णवीकाम प्रसादक हृष्ण उत्तमुत अंदेह में कवितों होने से
इत्याम दिनांक २०/०८/२०२२ हृष्ण जानकारी उत्तमुत जर्मने हैं तु निर्दीकित दिया गया।
परिपूर्णता प्रसादक हृष्ण चाप्यंकामि दिनांक ०५/०८/२०२२ की वीनसाईन
उत्तमुत की गई।

प्रसादक का विवरण – यह चूते से संबलित दूता प्रसाद (वीण चमिलि) चतुर्वत है।
चतुर्वत चाम-वीर्यनास, ताप्यंकामि-चामामात्र, विला-कलीदामामात्र-चामामात्र विल
चतुर्वत अन्तर्क ३८, ५२/२, ५३, ६१/१ एवं ६३/२ चुत लेखकस-२३१२ ईकट्ठेयर में
है। चतुर्वत वी आंदेहित चामामात्र अन्तर्क-५२,५०० टन प्रतिवर्ष है।

उत्तमुत्तम पर्यावरण प्रसादक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्ययन दिनांक
१९/१०/२०२२ हृष्ण उत्तमुत्तम दिया चुप्तित दिया गया।

वैष्णवी का विवरण –

- (२) वीमिली वी ४३वी वैष्णव दिनांक २५/१०/२०२२:

उत्तमुत्तम दिया वी विजय चूम्याव जानी, वीनसाईन अधिकारी द्वारा। वीमिली हृष्ण जाती,
प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं अंदेहण करने पर निम्न विवरि पाई गई –

1. वीमिली वी लंकाम में यह तथ्य आया कि वैष्णवीकाम प्रसादक हृष्ण वीकाम में
अंदेह के अंदेह प्रस्तुत वीमिली जान के अनुग्रहात्मक चतुर्व, शीर्ष लील, वायवित्तम
कलीदाम द्वारा जानी उत्तम चतुर्वत वाय विवरण द्वारा जानी अनापत्ति प्रसाद-प्रस
में चतुर्वत अन्तर्क ३८, ५२/२, ५३, ६१/१ एवं ६३/२ का अल्लोक्य होना आया
गया है। उत्तमुत्तम वीमिली जान, चाम प्रसादक हृष्ण जानी अनापत्ति प्रसाद-प्रस
म-वीमिली उत्तमामेय एवं पूर्वे में जानि पर्यावरणीय वीमिली में चतुर्वत अन्तर्क ३८,
५२/२, ५३, ६३/१ एवं ६३/२ का अल्लोक्य होना आया है। अतः वीमिली का गहरा है कि
उत्तमुत्तम द्वारा जानी विवरणीयी की संकेत में उत्तमुत्तम उत्तम दिया जाना
अवश्यक है।

२. पूर्व में जारी पर्यावरणीय संीकृति संस्करण किए गए—

- १. पूर्व में गुना पात्रता लाइसेन्स द्वारा दिनांक ३८, ६२/१, ६२, ६२/१ एवं ६२/२, ७४८ संख्याएँ—२३१२ ईलॉटर लाइसेन्स—१८,५०० टन प्रतीक्षित होने वित्त संस्करण पर्यावरण लाइसेन्स नियमित प्रतिक्रिया, वित्त—बलीदारालाल—भारतपाता द्वारा पर्यावरणीय संीकृति दिनांक २३/०१/२०१८ को जारी की गई। यह संीकृति जारी दिनांक से ३ लाई तारीख की अवधि होने वाली है।**
- २. पर्यावरणीय लाइसेन्स द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय संीकृति के कानून के प्रत्येक में की तर्जुमालिकी की जानकारी दर्शायी जाती रही गई है। संभिति का यह है कि पर्यावरणीय लाइसेन्स द्वारा एकीकृत कीजीव जलपानालय, वात्ता कालकार, पर्यावरण, यथ एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, रायपुर हों पूर्व में जारी पर्यावरणीय संीकृति का नामन आर्थिक द्वारा कानून विषय स्वरूप वित्त लगाना आवश्यक है।**
- ३. नियमित जलगुणालय ३०० नग दूरतांगमन किया जाता है।**
- ४. संभिति का यह है कि वित्त लाई में विद्युत वाहे प्रत्यावरण की जलगुणालय कागजाती संभिति वित्त से अन्वित जलालय प्रत्युत किया जाना आवश्यक है।**
- ५. जल प्रत्यावरण का अनावृत्ति प्रशासन यज्ञ — जलालय की संस्कृत में जल प्रत्यावरण गीतानालय का दिनांक १५/०८/२०१८ का अनावृत्ति प्रशासन यज्ञ प्रत्युत किया जाता है।**
- ६. उल्लेखन गीताना — कर्तारी जल एकाग्र विद्युत जलगुणालय वित्त वित्त—बलीदारालाल—भारतपाता द्वारा जलगुणालय (जलप), जलपानालय, भौमिकी जला जागिरान, जला रायपुर अटल नगर के जलगुण नं. ११४२/ जलि ०३/मानवभूमिका/जल.०८/२०२१(३) नग रायपुर दिनांक १५/०३/२०२२ द्वारा अनुमोदित है।**
- ७. ५०० घीटर की वर्तिनी में वित्त जलगुण — जलपानालय वित्त (जलगुण जाला), वित्त—बलीदारालाल—भारतपाता के जलगुण जलगुण/१९२१/जलि/२०२१ बलीदारालाल, दिनांक २३/०३/२०२२ की अनुमान जारीदित जलगुण से ५०० घीटर के घीटर अनुमित अन्य जलगुणी की संख्या नियंत्रित है।**
- ८. ३०० घीटर की वर्तिनी में वित्त जारीजनिक लोड/जलपानालय — कार्यालय कलेक्टर (जारीज जाला), वित्त—बलीदारालाल—भारतपाता के जलगुण जलगुण/१९२१/जलि/२०२१ बलीदारालाल, दिनांक २३/०३/२०२२ द्वारा जली प्रशासन यज्ञ जलगुणालय जला जलगुण से ३०० घीटर की वर्तिनी में वर्ती भी जारीजनिक लोड दीने विद्युत वित्त वित्त, अस्पताल, स्कूल, युवा वर्गीकरण, जाले एवं जल आपूर्ति अधिकारियों द्वारा वित्त नहीं है।**
- ९. लीज का वित्त — पूर्व में लीज की युक्ति युक्ति की नाम रह ची। लीज लीज ३० वर्षी अवधि दिनांक ३०/०१/२०२० से १९/०१/२०५० तक की अवधि होने वाली है। लीज का इस्तोलालय दिनांक ०९/१२/२०२० को भी भर्ती जाहाज ट्रैकरी जाटील—भी वित्त जलगुण जाले एवं भी वित्त जलगुण (जलगुण) के नाम का किया गया है।**

8. शू-स्वामित्र - भूमि रक्कम क्रमांक 29, 42/2, फ़ा. 63/1 एवं 63/2 की हिंतरम के नाम पर है। इसका अनुमति प्राप्ति प्रक्रिया की गई प्रक्रिया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2022 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रक्रिया प्रक्रिया है।
10. दन विभाग का अनाधिकारी प्रभाल रक्कम - कर्तवीर्य वर्षानुसारीकरण, कर्तवीर्यवाहन अनुसारी, कर्तवीर्यवाहन के इसका क्रमांक/तारीखी/ नामिनि/2022/1348 कर्तवीर्यवाहन, दिनांक 18/05/2022 से जारी अनाधिकारी प्रभाल रक्कम प्रक्रिया किया गया है।
11. बहलम्पुरी कालापाली की दूरी - निकटतम आवासी घास-कीरामाला 1.5 किमी, बहलम्पुरी-कीरामाला 2.3 किमी एवं आवासी घास-कीरामाला 2.3 किमी की दूरी पर विद्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किमी एवं राजमार्ग 6 किमी दूर है। बहलम्पुरी 40 किमी दूर है।
12. पारिविकलिकीय/जीवानिकाय संचयनकील सेवा - चरिवीजन प्रसारक क्रमांक 10 किमी, जीवी परिविकलिकीय सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग, कृष्णीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारिविकलिकीय प्रौद्योगिकीय तुरीया, पारिविकलिकीय संचयनकील सेवा या पारिविकलिकीय सेवा विद्या नहीं होना प्रतिक्रिया किया है।
13. खगन बंडला एवं खगन का विकल्प - विकल्पीकृत विकल्प विकल्प 7,25,430 टक, यात्रीवाहन विवर 4,30,436 टक एवं विकल्पवाहन विवर 4,08,813 टक है। जीव जी 7.5 मीटर औरी सीमा वट्ठी (खगनका के लिए उत्तिविकल सेवा) का क्षेत्रफल 4,183 वर्गमीटर है। अधिक छान्दो सेवा मैकेनाइज्ड विद्या ने खगनका विद्या जाला है। उत्तरका की प्रसारित अविकलन वहरही 15 मीटर है। जीव सेवा में जारी रखायी गई 1.5 मीटर 1.5 मीटर है। जारी जीवी जीवाई 1.5 मीटर एवं गीड़वई 1.5 मीटर है। जारी जीवी की क्षमता 14 वर्ष है। जीव सेवा में जारी रखायी गई जीवी है एवं इसकी रखायन का प्रसारित नहीं किया गया है। यीक हुमर के विस्तिरण एवं कट्टोल बरास्टिंग किया जाता है। खगन में कानू प्रदूषण विकल्प हिंग जल का विकल्प विद्या जाला है। जीवीर जारी रखायी उत्तरका का विकल्प विकल्पवाहन है।

क्रम	प्रसारित खगनका [टक]
खगन	30,000
विकल्प	30,000
दूरीय	31,121.25
मार्ग	30,000
पर्याप्त	33,962.5

14. जल आमुरी - चरिवीजन हिंग जारी पर जल की मात्रा 2.5 जलसिंह उत्तिविकल होती है। जल की आमुरी कीलेल का व्यवहार की जाती है। इस जारी संचयन वाहन उत्तिविकली की अनुसन्धि द्वारा का प्रक्रिया किया गया है।
15. कृष्णार्थपाल जारी - जीव सेवा की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की वट्ठी में 660 नगर कृष्णार्थपाल विद्या जारी है। प्रक्रिया प्रसारित अनुसार कृष्णार्थपाल को लिए जाते 32,800 जारी, विस्तिरण को लिए जाते 1,85,150 जारी, जारी को लिए जाते 15,000 जारी, विचारक एवं जाग-जलाय को लिए जाते 1,80,000 जारी, इस व्यवहार कुल

राशि 4,12,850 करोड़ रुपये आगामी 5 वर्षी हितु अटकनार यत्न का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. अटकन की 7.5 फीटर की लीज सेंटर बदली में अटकन - लीज सेंटर के बारे और 7.5 फीटर की सीमा बदली में उत्तराधिक तरह नहीं विवरण दिया गया है।
17. कॉर्पोरेट एरियल रिपोर्ट (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) हितु उपस्थिति विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं दिया जाता है। यानिंदि का यह है कि अटकनार यत्न का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।
सभिंहि द्वारा उत्तराधिक वार्तामाला से विभानुतार विवरण दिया गया है-
1. अपारा गोको विकासालियों की नामों में उपर्योगमय प्रस्तुत किया जाए।
2. हीं में आदी पर्यावरणीय सीमावर्ती का प्रस्ताव प्रतिवेदन एकीकृत सीधीज कर्तव्यालय, याता सरकार, वर्तीवर्ता, यत्न और वायव्यायु विवितीन विभागों को बताए जाने हें हुए रूप से दिया जाए।
3. विषय कर्ता में दिये जाए उत्तराधिक की अदान जनकारी खनिज विषय से व्यापकिय अटकन प्रस्तुत किया जाए।
4. अपारी विद्युती के लव-प्रस्ताव हेतु अपारी विद्युती की गता एवं प्रस्ताव योजना प्रस्तुत किया जाए। यात्र ही उपर्योग विद्युती की लीज सेंटर के बाहर भागीदार कर वालोंको लौ जाने हेतु विद्युती का दुखवालीग न लगाने, विषय में बताए एवं अपारी गार्डों नहीं दिये जाए एवं इस विद्युती का उपर्योग पुनर्वाप्त हेतु दिये जाने वाला राष्ट्र राष्ट्र यत्न (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. कॉर्पोरेट का अटकनार यत्न का विवरण विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. विद्युती वालीदार दिये जाने वाला राष्ट्र यत्न (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. नार्विनिंग लीज सेंटर को अपारा गोको विवरण दिये जाने एवं नार्विनिंग लीजी का वायव्यावधि टर (survival rate) 60 प्रतिशत व्युक्तिशाली दिये जाने वाला राष्ट्र यत्न (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना द्वारा विवरण कर्मसूलाम विषय (Minerals Concession Rule) के लहू वायव्यी विवरणों द्वारा सीधाराम का तरह व्युक्तिशाली दिये जाने वाला राष्ट्र यत्न (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. विनियोजना प्रस्तावक द्वारा दियी गई द्रव्यम का दुर्लिङ जल का प्रसार प्रावृद्धिक रूप से लोक, वायव्य, जली, यात्रा में नहीं दिये जाने एवं दुसरे साक्षात् विवरण दिये जाने वाला राष्ट्र यत्न (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. उत्तरीसामन आदानी व्युवर्ती के लहू वायव्यी लींगों को रोजगार दिये जाने हेतु राष्ट्र यत्न (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. वायव्योजना प्रस्तावक द्वारा अंकर्टारिंग (Underlining) प्रस्तुत किया जाए कि उपर्योग विवरण द्वारा वायव्योजना/रुद्रान दोनों व्यावायर्दीग प्रकारम दोनों ही अंकर्टारिंग दोनों नहीं दिया जाता है।

12. परिवोजना प्रसारक द्वारा क्रमसंख्या (Underwriting) प्रस्तुत किया जाए तो
कहाँके लिए बाया गया था। परीक्षण, इन और अलगभूत चेतावनी संबंधित
कानूनीकरण कानून 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई सुन्नतपत्र का
प्रकाश अद्वितीय नहीं है।

परिवोजना प्रसारक यूनिवर्सली/एसटीएस प्रस्तुत किये जाने वायरल आवायी कार्यवाही
की जाएगी।

तदाक्रमान् एवं एसी. प्रस्तुतगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2022 के परिवेष में
परिवोजना प्रसारक द्वारा दिनांक 22/03/2023 की जानकारी/एसटीएस प्रस्तुत
किया गया।

(३) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 10/03/2023-

परिवोजना प्रसारक समिति का अवश्यकता एवं उनीच्छा लागत पर विषय
विभिन्नी गाया नहीं। प्रस्तुत जानकारी का अवश्यकता एवं उनीच्छा लागत पर विषय
विभिन्नी नहीं यह—

- परिवोजना प्रसारक द्वारा यात्रा संकेती विसंगतियों को लागत में कार्यवाही
कालेक्टर (क्रमिक रूपांतर), वित्ती-कारीदाराओं-वाटायार के ज्ञापन अनुसार
514/वी ३-१/नवा/2018 कारीदारायार, दिनांक 16/03/2023 द्वारा जारी
प्राप्त यह प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार “एक अन्तर्विषयक अंतर्गत
आदेत के अनुकूल में विभिन्नीय त्रुटियों यूक्त अनुकूल पत्र के अनुसारी में यात्रा
सम्बन्ध ५३/१ के अनुसार पर ८१/१ का उल्लेख होकर यात्रा अनुकूल का यह
विवरण ही यहा है। यथापि यष्टि-परीक्षक के द्वारा किये गए विवरण में जारी
जारी में उपराह यम्बन ८१/१ का उल्लेख न होकर सुधार के साथ यात्रा गायत
५३/१ उल्लेखित है। जहाँ प्राप्त विविधीय त्रुटि की संकेतित करती हुई
अन्तर्विषयक अंतर्गत आदेत में उल्लेखित यात्रा नम्बर ८१/१ के अनुसार पर
५३/१ किया, यात्रा के यहा जारी हो उल्लेख है।” का उल्लेख है।
- एवं विकल शेषीय कार्यवाही भवति कालकार यात्रायार, इन और यात्रायु चेतावनी
संबंधित, यहा याप्तपुर अटल नगर, वित्ती-कारीदार के ज्ञापन दिनांक
22/03/2023 द्वारा यूवे में जारी परीक्षालीय संस्थानी का पालन इतिहासिक
प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अधिकारी जारी (सभी अनुसार ८, ९, १०,
११, १२, १३, १४, १५, १६, २१, २२, ३२, ३३, ३५, ३६, ४०, ४१, ४२, ४६, ४७, ४८, ४९
एवं ५०) का अनुरूप पालन होना बताया गया है। समिति का यह है कि अनुरूप पालन
जारी के यात्रायार दृक्षय ठेकन एवं एटीएस (ATM) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- वार्षिक जालेक्टर (क्रमिक रूपांतर), वित्ती-कारीदारायार-वाटायार के ज्ञापन
अनुसार ८२१/वीन-१/2022 कारीदारायार, दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी
प्राप्त यह अनुसार विषय कारी में विवे गयी उल्लेख की जानकारी विस्तारित
है—

वर्ष	उल्लेख (रुप)
2019-20	रिवॉल्वर
2020-21	14,750
2021-22	16,700
01 अप्रैल 2022 से 30 निवारक 2023 तक	6,000

परियोजना का नाम है कि दिवाल 01/10/2022 से शिव गढ़ जलसंग्रह की समर्पित माला की अद्यतन जागरूकी वर्गीकृत विभाग के प्रयोगित जलसंग्रह प्रणाली द्वारा लाना चाहता है।

- परियोजना प्रशासक द्वारा गोईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विवेत प्रशासन अनुमति दिया गया है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
90	2%	1.82	Following activities at nearby, Govt. Middle School Village-Lohar Potable drinking water facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	0.69
			Total	1.19

गोईआर की तात्पुरता (टीएस, आरए, जलसंग्रह फैब्रिक, कवर्ट एडमिनिस्ट्रेशन) जलसंग्रह हेतु प्रणाली अन्तर्गत अनुमति 100 नम्बर गोई नदी 800 लक्षमं लाख के लिए जली 1,000 कम्बरे, जिसकी तात्पुरता 100-लाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जली 17,000 कम्बरे, इस जलसंग्रह की में युक्त जली 10,000 कम्बरे तात्पुरता जागरूकी 4 लाख में युक्त जली 80,400 लक्षमं हेतु घटकभाव लाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- गोईआर की तात्पुरता प्रयोगित समूह की प्राथमिक (Principles) का समर्पित वानर अनुमति दिया गया है।
- जली निट्रोट्रीजन की रक्षा-रक्षण हेतु जली निट्रोट्रीजनी जाता है एवं प्राप्तवान विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जलपरी निट्रोट्रीजन की जीव की जाति विवरण प्राप्तवान विवरण का संक्षिप्त रूप जाने हेतु निट्रोट्रीजन दुरुसंचालन य उद्देश्य, विवरण न जानने एवं अन्य जारी में प्राप्तवान नहीं किये जाने एवं इस निट्रोट्रीजन का एकाधीन पुनर्वाप्त हेतु विवेत जाने जाता राजस्व पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

- नोटोरीजन उद्देश्य की अंदर साधन युक्ताधारण किये जाने एवं जीवित जली का संरक्षण रेट (Survival rate) 80 अंतिम सुनिश्चित किये जाने वाला राजस्व पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रशासक द्वारा विवरत्वा वनस्पति विभाग (Minerals Concession Rules) की तात्पुरता जारीकृत विवरत्वा द्वारा जीववाचन का कार्ड सुनिश्चित रेट एवं वाला राजस्व पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निलंबी की प्रकल्प का सूचित जल वा जलहर प्राकृतिक जल बोर्ड, गोपनीय नदी, नदी में नदी निलंबी जलमें एवं इसकी संख्यागत निये जाने वाले जलहर यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया जाया है।
11. उत्तीर्णात् आदर्श युवाओं की वीड़ियो की तात्पुरता व्यक्तिगत वीड़ियो जाने विशुद्ध जल यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्डरटाइकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाया है कि इसकी विश्वदृष्टि इस परियोजना/जलहर के संबंधित बोर्ड व्यावासायीन प्रकल्प वीड़ियो के उत्तरांश निलंबी की व्यक्तिगत में लिखा नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्डरटाइकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाया है कि इसकी विश्वदृष्टि जलहर बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायन विभागीय संस्थानों की अधिकृत्यना करता है तथा ८५५(३), दिनांक ५४/०३/२०१७ के अन्तर्गत बोर्ड वालतंत्रम् का प्रकल्प लिखित नहीं है।

परियोजना द्वारा निलंबी सुपरियोजना संस्थानसभी ने विज्ञानुसार नियंत्रित किया जाया-

1. एकलीकृत श्रीकृष्ण जायजीवन, भारत जलवायन, पर्यावरण, वन और जलवायन विभागीय संस्थान, जल वायनुसार अटल नगर, विलाह-काल्पुर द्वारा सूचित घूर्ण में जारी व्यक्तिगतीय स्वीकृति का वालन प्रतिवेदन में अनूठी जलमें जली (उर्वा क्रमांक ८, ८, ९, ११, १३, १४, १५, १६, १८, २१, २२, ३२, ३३, ३५, ३६, ४०, ४१, ४२, ४६, ४७, ४८, ४९ एवं ५०) की वालनकारी एवजन ईवजन लिंगर्ड (ATR) प्रस्तुत किया जाए।
2. जलमें निलंबी की व्यवहार विशुद्ध जलमें निलंबी की व्यवहार एवं जलहर योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निलंबी की जलहर वा सूचित जल वा जलहर प्राकृतिक जल संरीण, गोपनीय, नदी, नदी में नदी निये जाने वाले इसकी जलहर योजना वाले जलहर यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना निलंबी/ इवजनक द्वारा होने वाली आगामी कार्यकारी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक की वायनुसार सूचित किया जाए।

7. ऐकात् ऐकी श्रीकृष्णकृष्ण जली (प्री.- श्री संतोष शिंह वायनुसार), याम-मैनी, विलाह-वायनुसार, विलाह-जायजीवन-जला (वायनुसार का नम्रता क्रमांक 1344)

कौनसाईन जायजेन — घूर्ण में प्रतीकात्मक नम्बर — एवजाहैर/ पीजी/ एवजाहैर/ 1800334/2020, दिनांक 09/07/2020 द्वारा श्रीकृष्ण विशुद्ध जलहर निये जाया जाया है। वायनुसार में प्रतीकात्मक नम्बर — एवजाहैर/ पीजी/ एवजाहैर/ 781117/2018, दिनांक 26/07/2022 द्वारा व्यक्तिगतीय स्वीकृति प्राप्त जलमें के लिए वायनुसार ईवजन लिंगर्ड प्रस्तुत की गई है।

जलहर का विवरण — यह जलहर नियाय का प्रकल्प है। यह घूर्ण में सांवित्रिक श्रीकृष्णकृष्ण (वीय जलमें) जलहर है। जलहर याम-मैनी, विलाह-वायनुसार, विलाह-जायजीवन-जला निये जलहर जलमें 1832/1, वृक्ष श्रीकृष्ण-4-497 ईलेक्ट्रोर में है। जलहर की आवेदित वायनुसार जलमें 1,00,983 दल वर्गित है।

घूर्ण में एवजाहैरसी. उत्तीर्णात् के जलमें 1838, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्राप्तनम् 'बी' कोटेश्वरी का होने के जलहर याम जलहर, पर्यावरण, वन और जलवायन

परिवारीन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टॉचर्ट रिपोर्ट (टीजीआर) कीरे कम्पार्टमेंट/इंडस्ट्री निधि कीर इंवेस्टमेंट/एक्टिविटीज नियमावली वर्कशॉप के अन्तर्गत अप्रैल 2016 तक, 2008 में जारी की गई 1(ए) का स्टॉचर्ट टीजीआर (सेक्टर गुणवत्ता नियम) के द्वितीयांतर आदि नियम एवं है।

प्रदानकर्ता परिवेश का एकाईयां, उत्तीर्ण की दृश्य दिनांक
04 / 11 / 2022 का अनुसन्धान हो चुका हिता था।

Best of Show -

(iii) रामेश्वर की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु वी काजप विलास, अविकृष्ट शोभायिते एवं चमकाय संसाधनाद के काम में नैतर्की एवं लिपिका विस्तृतान् एवं देखनीलोची आधिकृत लिपिकेषु नैतर्क चर्चाव्याप्ति की ओर वी वी औंकर उपलब्ध एवं सुखी भाषण दीक्षान् प्राप्तिका है। लिपिकी द्वारा नैतर्की प्रस्तुत वाक्यावी का अवलोकन एवं परिचालन करने पर गिर्वाणी लाई रहे—

1. यहाँ से जारी कर्मसूलीय चर्चाओं की ताकत दिलाया-

- पुर्व में शोलोमार्ट खदान लगाया जानकारी 1982/1, कुल शोलोमार्ट-2.437 हेक्टेयर, प्रत्यागमन लगता-66.294 हेक्टेयर इन अधिकारी द्वारा लिखा लालीय वर्तमान संस्थान निवासियों प्रतिवेदन, फिला-जात्यारी-घासा द्वारा पर्यावरणीय सौम्यता दिनांक 28/01/2017 की जारी की गई।
 - पुर्व में जारी पर्यावरणीय पर्यावरणी की जारी के फलन में दो यहू कार्यालयों की जानकारी एकीकृत कीर्ति करवाया, भारत कालान् पर्यावरण, जन एवं पर्यावरण बोर्डीन निवासिय, जबकि आयुर्वेद अटल बनर जै ज्ञान दिनांक 09/08/2022 से प्राप्त कर उत्पुत्त की गई है, जिसकी अनुशासन कुल 66 जारी (फिला दिनांक 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 22, 28 एवं 30) का ज्ञान प्राप्त होना कठाया गया है।
 - एवत्तम एक्शन रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन करने पर जानियोजना प्रकारात्मक द्वारा अनुरूप जारी की गयी में निम्नलिखित कार्यकालीन लिखा आया कठाया गया:-
 - एवत्तमन कार्य प्राप्त करने से लीन गह के बीचर सोना शिट/ऐन काट लावेस्टिंग का लिखा जाएगा, जिसकी लीन बीच के बाहर जल का लिखादारीकरण नहीं होगा। एवत्तमन के दीर्घ समय लगाने की जल संडेशन एवं वृक्षारोपण में उपर्योग लिखा जाएगा।
 - पश्चिमी जल छत्तरीन लिखाजल इनु नियमित जल का लिखावाला लिखा जाएगा।
 - जानियोजीप जापु गुम्बदाता बालन एवं जानियोजीप ज्वरि जल लिखेट समय-दृष्टि पर प्रकल्प लिखा जाएगा। जानियोजीप जापु गुम्बदाता बालन ऐप के लिखादाता बालक जल से जल नहीं, इस इनु जलाल गारका की जाएगी।
 - लिटोग्राफ बीत एवं नामालेज लैन का लिखीय लिखा गया है।

- जात्यान में लिखित कार्य प्राप्ति करने के लिए नाम के भीतर संकेत/टूटे-गार्ड लिखित कृतिवाचन लिखा जाएगा।
 - अधिकारी के लिए हेल्प फोल्डर की ओर दो बार अवॉर्डिंग लिखा जाएगा एवं हेल्प फोल्डर कृतिवाचन पर इम्प्रुत लिखा जाएगा।
 - जाती पर्यावरणीय संवैधानिक कालन प्रतिवेदन प्रस्तुत लिखा जाएगा।
- ii. नियोजित जातीनुसार कृतिवाचन नहीं लिखा गया है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खानी जाता), जिला-जातिवीर-जाता के जात्यान इनामक 2487/गौरी लक्ष्मी/खानी/प.का./2020-21 जातिवीर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जाती जात्यान पर अनुसार लिखा जाती है कि जाती जात्यान की जातिवाचन नियमानुसार है—
- | क्रम | जात्यान (इन) |
|-------------------------|--------------|
| 2018-19 | 1,060 |
| 2019-20 | 800 |
| 2020-21 (08/09/2020 तक) | गिरफ्त |
- iv. सभीकृत रूप मत है कि लिखा जाती (जाती पर्यावरणीय संवैधानिक दिनांक से) में लिए गए जात्यानन की वास्तविक जाता की जात्यान प्रकारका जातिवाचन लिखा ही प्राप्तविधि कलावन प्रस्तुत लिखा जाना आवश्यक है।
2. जाती पर्यावरण का अनावृत्ति प्रमाण पर — जात्यान एवं जाता की जात्यान की संकेत में जाती पर्यावरण वैनारी का दिनांक 18/12/2015 का अनावृत्ति ज्ञात्यान पर प्रस्तुत लिखा गया है।
3. एल्फनन घोषना — जातिवाचनीक जाती पर्यावरण एकीकृत लिखा जाती जातिवाचन ज्ञात्यान एवं दुन्हागारसेनेट मेंप्रत्येक एल्फनन प्रस्तुत लिखा गया है जो संयुक्त-जात्यानक, संघातनालय, भीमिशी जाता ज्ञानिकम् जात्यान गणर राजपुर के जात्यान इनामक 5335/माल्हीन-2/खानी/प.का./2015 जात्यान राजपुर, दिनांक 03/10/2016 द्वारा अनुदानित है।
4. 800 भीतर की जारीति में लिखा जात्यान — कार्यालय कलेक्टर (खानी जाता), जिला-जातिवीर-जाता के जात्यान इ. 1083/गौरी लक्ष्मी/खानी/2020-21 जातिवीर, दिनांक 04/07/2020 की अनुसार आवृद्धि जात्यान से 800 भीतर की जारीति ज्ञानिका 2 जात्यानीं जोगाह 6477 रुपटोंका है।
5. 200 भीतर की जारीति में लिखा जात्यानप्रीत हीन/संरक्षणम् — कार्यालय कलेक्टर (खानी जाता), जिला-जातिवीर-जाता के जात्यान इ. 2487/गौरी लक्ष्मी/खानी/खानी/प.का./2020-21 जातिवीर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जाती प्रमाण पर अनुसार जाता जात्यान से 200 भीतर की जारीति की जातिवाचनीक हीन द्वारा भवित्व, वसिसद, नवाहट, बंड, एनीवट, ऐल जाईन, राष्ट्रीय राजनार्थ, जात्यानर्थ, एवीएट, रटीच द्वारा एवं जल जात्यानी संबोध आदि उत्तिवर्तित हीन नियमित नहीं है।
6. गृहि एवं लौज का लिखान — इह जाताजीव गृहि है। लौज भी जाती लिखा जात्यान के बाग पर है। लौज लौज 80 जाती अपील दिनांक 23/09/2018 से 21/09/2020 तक जी जारी हुए थे।



7. विस्तृत सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जांच आगुआ की नहीं है।
8. का विभाग का अनापति इमार पर – कार्यालय वर्गानामालिकाती पांजगीर-चांपा बालकल, चांपा के आवास क्षेत्र/पक्ष/अधीन/2500 चांपा दिनांक 10/03/2021 से जांच अनापति इमार पर आगुआर अधिकार केरल का केन की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।
9. विस्तृत सर्वेनामी की दूरी – विस्तृत सर्वेनामी 1.5 किमी, नक्श दाम-मीली 1.5 किमी। एवं अनेकान वास्तव 4.3 किमी की दूरी पर सिफार है। विस्तृत सर्वेनामी 700 मीटर एवं अनेकानी 300 मीटर दूर है। लैलाकर नदी 8 किमी दूर है।
10. वारिसिकतिकीय/पौराणिकता संरक्षणीय हीर – परियोजना असामक द्वारा 10 किमी की परिधि में आर्थिकीय हीरा, विद्युत वाहन, आवास आदि-क्षेत्रों प्रदूषण नियन्त्रण केर्त्ते द्वारा खोलिये विरोक्ती वील्युटेड एरिया, वारिसिकतिकीय संरक्षणीय हीर या खोलिये पौराणिकता हीर नियम नहीं होना प्रतिबंधित है।
11. जनन संघटा एवं जनन का विवरण – विवोलीविकास नियर्व 16,73,950 टन, वार्षिक नियर्व 4,37,820 टन एवं विकासन नियर्व 3,85,045 टन है। सीमा की 75 मीटर की सीमा पट्टी उत्तरकल के लिए अनियन्त्रित क्षेत्र का क्षेत्रकल 2,669 कर्गीटर है। औपन काला विकासन विहि से उत्तरकल नियम जाता है। उत्तरकल की प्रशासित अधिकार वार्षाई 15 घंटा है। लैल लैल में जनन विही की गोदाई 1 मीटर है तथा कुल वार्षा 7,000 कर्गीटर है। देश की गोदाई 3 मीटर एवं वीकर्क 3 मीटर है। जनन की संवाधित कामु 6 घर्म है। लैल क्षेत्र में बहर जानीत है। जितना क्षेत्रकल 1,000 कर्गीटर है। काला में कामु प्रदूषण नियन्त्रण द्वारा लैल क्षेत्रिय की जानकारी उभयमित है। यैक दैन ऐ विलिंग एवं कॉटोल जलसिंग लिया जाता है। जनन में कामु प्रदूषण नियन्त्रण द्वारा जनन का विकासन लिया जाता है। वारियर प्रशासित उत्तरकल का लियन नियमजुमार है:-

क्रम	प्रशासित उत्तरकल (हेक्टर)
प्रथम	70,660
द्वितीय	1,00,000
तृतीय	1,00,663
चतुर्थ	70,206
पंचम	66,530

12. जल अनुर्भवी – परियोजना द्वारा जल की मात्रा 8 कर्गीटर प्रतिदिन होती है। जल की अनुर्भवी इन पर्याप्त द्वारा दैन के जालन से की जाती है। इन जलम् जाग पर्याप्त जा अनापति इमार पर इन्होंना लिया जाना आवश्यक है।
13. जलाशयन कार्य – लैल क्षेत्र की सीमा में जाते ओर 75 मीटर की चट्टी में जलाशयन लिया जाता है। जमियों का जल है जो लैल क्षेत्र की सीमा ओर 75 मीटर की सीमा पट्टी ने जलाशयन कर्म में ही जूरी जलाशयन लिये जाने तथा जागी 4 घर्मी में जलाशयन (30 वर्षीयता की जीलन दर से) हेतु जीलों परिवर्तन, जलाशयन

मिट्टी तथा धर्म-संकाल के लिए 5 वर्षों का अवधारण एवं सम्बन्धित व्यय का विवरण विस्तृत प्रसारण द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. स्वच्छता की 7.5 मीटर की चौड़ी सीधा पट्टी में उत्कर्षन - लीज सेव के बारे और 7.5 मीटर की सीधा पट्टी में उत्कर्षन कार्य नहीं किया गया है।

15. गैर मार्फतिश सेव - लीज सेव के बारे में वार्षिक वाहन पुलिसे के बाह्य संकाल बारे के दोनों तरफ कुल 24300 क्लोरिन सेव की गैर मार्फतिश सेव द्वारा दिया गया है, जिसका उल्लेख अनिवार्य विविधता करारी प्रकार में किया गया है। परिवेशका प्रसारण कुल लीज सेव के बीच गैर मार्फतिश सेव में 4500 नग शुद्धारेपन किया जाएगा। अनिवार्य प्रसारण कुल प्रकल्प दर्द में 1500 नग एवं आगामी 4 वर्षों में 1250 नग चौड़ी का शुद्धारेपन के द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस तांत्रिक नहीं दिया गया है कि लीज सेव के बीच गैर मार्फतिश सेव में प्रकल्प दर्द में ही दूरी शुद्धारेपन किये जाने का आगामी 4 वर्षों में शुद्धारेपन (40 प्रतिशत की बीच) दर भी है। लीज, लीजिंग, लाल एवं रिमोट तथा वडा-संकाल के लिए 6 वर्षों का अवधारण एवं सम्बन्धित व्यय का विवरण विस्तृत प्रसारण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आर.ए. रिपोर्ट का विवरण-

i. जल धर्म कानून अनुसार गुणवत्ता संबंधी जानकारी - वार्षिकीय तर्फ 01 वर्ष 2021 से 31 मार्च 2021 के बारे मिया गया है। 10 विस्तीर्णीय के अंतर्गत 10 जलानी पर वार्षिकीय वायु गुणवत्ता व्यापक, 6 जलानी पर धू-प्रसारण गुणवत्ता व्यापक, 10 जलानी पर अन्य साधा व्यापक, 6 जलानी पर जल गुणवत्ता तथा 5 जलानी पर विद्युती की जलानी एकान्तिक कर विवरण किया गया है।

ii. वार्षिकीय वरिष्ठानी की अनुसार चीएस, एसडी, एसडी, का जानकार संग्रह-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
$\text{PM}_{2.5}$	16.99	56.58	60
PM_{10}	28.20	62.53	100
SO_2	3.12	11.24	80
NO_x	5.93	16.54	80

iii. वार्षिकीय व्यापक के अन्वयन जल वर्षीयी की गुणवत्ता - ई.आर.ए. के Chapter-3 Description of environment में वर्णिये कर्दे उक्त अनुसार वार्षिकीय वायु गुणवत्ता व्यापक, लाल आर्मेन्ट्रू, लेड अर्टिशिक एवं अन्य साधानिक तर्फों का जानकार विवरण भावीय गणना की गयी है।

iv. वार्षिकीय वर्षीय व्यापक-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _a	36.7	56.5	75
Night L _a	39.5	47.8	70

जो व्यापक के विवरण जानकार जल से कम है।

- v. फैसीदू की परामर्श— वर्तमान में एवं प्रकाशित खटियोजना उत्तरांत याचि
याहुनी / मल्टीएक्सल इंडिया हालनी की समाहित करनी हुये हैं दृष्टिकोण अध्ययन
रिपोर्ट (फैसीदू, प्रतिवेदा एवं बी/सी अनुप्रयोग (MC Report) लिये) अनुप्र
यित्य जाना आवश्यक है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 26/11/2021 की तार 11:00 बजे वारान - दाम¹
खालील गोंदों के बारे बहुत परिचार “वेष्टिंग कूज मिहान”, जान-बीची,
साहसील-पामनद, जिला-जामशीर-जामा में संघर्ष हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज
उत्तरांत याचिय, जामीनदृष्ट पर्वतवान वाहान गोंद, जल संवर्धन अथवा
जिला-जामन के पत्र दिनांक 15/03/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. उत्तीर्ण प्रकाशन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उत्तरांत एवं उत्तरके
प्रिवाक्त्व ती दिना में फिये जाने वाले जामान के गोंद में सामीक्षा हुये प्रकाश
अर्थीय (fabulous form in Neutrality) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का
मत है कि जन सामना के सुनिष्टिज्ञान सामीक्षा हुये हिन्दी (fabulous form in Hindi)
में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. वस्तव ती दिन सुनायापत्तीमेटल मेमेजरेट पारान - लीमन हृष्टाक्षीमेटल
मेमेजरेट पारान एवं जीनम हृष्टाक्षीमेटल मेमेजरेट पारान में परिवेष्टना जामानक
ती रहमानिता का विस्तृत जाताव जागूत किया जाना आवश्यक है। जाम की
मज़ा कार्य तूरे फिये जाने वामप जाम एवं प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवेष्टना प्रत्याक्षक द्वारा सीईआर
(Corporate Environmental Responsibility) के जात याम पंचायत गोंदों की 1 वी
2 एवं 3 भूमि में 1,500 जम प्रतिवर्ष के जामार पर बहु 3 वर्षी में 7,500 याम
कुलारोपन गिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इस गोंदों में समिति का
मत है कि सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के जात प्रयम
र्थी में ही तूरे कुलारोपन गिये जाने लाया जागानी 4 वर्षी में कुलारोपन (50
प्रतिवर्ष की दीवान दर तो) हेतु बीजी, कोर्पोरेट पाराएवं डिनाई लाया रखा-जामा
का लिए 5 वर्षी जा घटक्कार एवं सम्बद्ध याम का वित्तन विस्तृत प्रस्ताव
प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जाम की सीईआर (Corporate
Environmental Responsibility) की जात कुलारोपन हेतु जाम पंचायत का सामिति
उत्तरांत तूरी की जामान जनाक एवं रक्कान की उत्तीर्ण की हुये जामानकी प्रस्तुत
किया जाना आवश्यक है।

21. परिवेष्टना प्रस्तावक द्वारा इस जामान का जामप वत्र (Notarized undertaking)-
प्रस्तुत किया गया है कि दामहे विकास द्वारा परिवेष्टना/जामान के संवित कोई
न्यायालयीय प्रक्रम देख के जामरोत किनी ती न्यायालय में लिया नहीं है।

22. परिवेष्टना प्रस्तावक द्वारा इस जामान का जामप वत्र (Notarized undertaking)-
प्रस्तुत किया गया है कि दामहे विकास भारत राजस्व, पर्यावरण, जल और
जलवायु परिवर्तन संबद्ध ती अधिकूपन कामार (MoEF). दिनांक
14/03/2017 की उत्तमी बीं उत्तमेपन का प्रकल्प लियत नहीं है।

23. लीज होउ मे जामार की जादी और कुलारोपन गिये जाने, जाम जामान हेतु जाम
विकास गिये जाने एवं जामार की जादी और 6 भीट की जाम स्थानित गिये
जाने जात अनुमतीविभाग (Underwriting) प्रस्तुत किया गया है।

24. लीज होउ के गीतार मेर नदीयन होउ मे कुलारोपन गिये जाने जात जामप वत्र
(Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तराखण्ड सर्वोच्चमंडली से विभागगुरुत्व किया जिया गया था—

1. परिवेशना की मूल लालहात का बेकाम प्रभाव नियम जाए।
2. विषय कर्ता (जनी पर्यावरणीय संस्थानीय विभाग से) ने लिए एवं उत्तराखण्ड की वास्तविक यथा की अवधारण लालहात के विभाग विभाग से प्रमाणित कराकर इन्हुने लिया जाए।
3. लालहात विभागी के रख-रखाव हेतु उपर्युक्त विभागी की उत्तराखण्ड सर्वोच्च विभाग जाए। जाय ही उपर्युक्त विभागी को लीज लेते से वाहन बेकाम कर नियमित रूप से जाने हेतु विभागी का दूसरांशीय न करने, लिखा य न करने एवं अन्य जारी वे दूसरांशीय नहीं लिये जाने एवं इस विभागी का दूसरांशीय दूसरांशीय हेतु लिये जाने वाले राज्य परम (Notarized undertaking) इन्हुने लिया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु याम पंचायत का अनापनी प्रभाव कर प्रभुत्व लिया जाए।
5. लीज लेते के बादी और 7.5 लीटर की लीमा पट्टी में प्रभाव जल में ही पूरी दूसरांशीय लिये जाने लाय जानी एवं जारी में दूसरांशीय (अ) प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु लीज, कैंसिल, वायर एवं लिंगाई लालहात-रखाव के लिए 6 जारी का घटकावार एवं समयदात व्यव का विभाग विभाग प्रभाव सहित प्रभुत्व लिया जाए। जाय ही लीज लेते की भीतर गैर नाईनियं लेते में दूसरांशीय लिये जाने लालहात राज्य परम (Notarized undertaking) इन्हुने लिया जाए।
6. लीज लेते की भीतर गैर नाईनियं लेते में जल की ही पूरी दूसरांशीय लिये जाने लाय जानी एवं जारी में दूसरांशीय (अ) प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु लीज, कैंसिल, वायर एवं लिंगाई लालहात-रखाव के घटकावार एवं समयदात व्यव का विभाग विभाग प्रभाव सहित प्रभुत्व लिया जाए। जाय ही लीज लेते की भीतर गैर नाईनियं लेते में दूसरांशीय लिये जाने लालहात राज्य परम (Notarized undertaking) इन्हुने लिया जाए।
7. लीजानम में एवं प्रश्नावित परिवेशना उपर्युक्त याति वाहनी / वालीदूषण उत्तराखण्ड को समर्हित करते हुये द्विविध काव्यन लिखें (वि.सी.पू. प्रतिशत एवं वी.सी. अनुमान (VC-rate) सहित) प्रभुत्व लिया जाए।
8. उत्तराखण्ड द्वारा लीज सुनाई की लीलन लालहात एवं लिंगाई गुदरी एवं फलों विभागदान की विभाग में लिये जाने वाले व्याप की संकेत में सारलीबद्ध प्रभाव अंगौरी (peculiar form in english) में एवं जन सामाजिक सुविधानुभाव सारलीबद्ध व्याप गिन्दी (fabulous form in hindi) में भी इन्हुने लिया जाए।
9. लीज दूसरांशीयमेट लालहात एवं लीज दूसरांशीयमेट लालहात में परिवेशना प्रसारावाक की सामर्हिता का विभाग विभाग प्रभुत्व लिया जाए। जाय ही उत्तराखण्ड कर्ता पूर्ण लिये जाने वाले राज्य व्यव का प्रभुत्व लिया जाए।
10. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) की तहत व्यव कर्ता वे ही पूरी दूसरांशीय लिये जाने लाय जानी एवं जारी में दूसरांशीय (अ) लीजानम की जीवन दर से) हेतु लीज, कैंसिल, वायर एवं लिंगाई लालहात-रखाव के लिए 8 जारी का घटकावार एवं समयदात व्यव का विभाग विभाग प्रभाव सहित प्रभुत्व लिया जाए। जाय ही सीईआर (Corporate Environment Responsibility) की तहत दूसरांशीय उत्तराखण्ड का सामर्हित उपरात भूमि के सारला व्याप का व्यव का उत्तराखण्ड कर्ता पूर्ण प्राप्तवानी इन्हुने लिया जाए।
11. नोटोरिस लाइसेंस लिये जाने वाले राज्य व्यव (Notarized undertaking) इन्हुने लिया जाए।



12. नाइनिंग सीज के बंदर सम्पर्क सुविधाएँ विनों जाने एवं संवित पैसों का वापसाफ़िता रेट (Bureval rate) एवं परिवहन सुविधाएँ विनों जाने वायर ग्राहक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परिवेशना इस्ताबक द्वारा नियमित उपलब्धता नियम (Annual Concession Rule) की वायर वाल्युट विनों द्वारा भीवाल्स का कार्य नुगेटिव विनों जाने वायर ग्राहक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परिवेशना इस्ताबक द्वारा विनों गी प्रकल का दूसरी जल का वायर प्राप्तीक जल रक्षण, तालम, नदी, नदी में वही विनों जाने एवं दूसरों ग्राहक विनों जाने वायर ग्राहक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. अनीसनद आदत पुनर्वापन पैरिंग के दृष्टि व्यावेश लोगों की भीवाल्स विनों जाने हेतु ग्राहक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. नीक्स्टुग्राहक के दीर्घ व्यावेश एवं ग्राहक मुद्राओं के निवालन हेतु विनों जाने वाली कार्य वायर ग्राहक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. ई-वाईएस जली गी वायर विनों की नियामित प्रस्तुत किया जाए।
18. कलस्टर हेतु विनों इन्वेस्ट इन्वेस्टिमेंट बैंकरीट पराम रीयर जन सम्पत्ति वायर की एक वाली वे प्रदीर्घ वाली हुये वालावाही प्रस्तुत की जाए। याम ही कलस्टर में आगे वाले सम्पत्ति वायर विनों इन्वेस्ट इन्वेस्टिमेंट बैंकरीट पराम के दृष्टि विनों जाने वाले कार्य हेतु अनुसार करावाल वानवाली प्रस्तुत की जाए।
19. कलस्टर में आगे वाले सम्पत्ति वायर के लिए वीथर विनों इन्वेस्ट इन्वेस्टिमेंट बैंकरीट पराम हेतु वाली वालावाही के अलावा एवं देखावार सहित वाली में वाली हुये प्रस्तुत किया जाए।
20. कलस्टर में आगे वाली वालावाही की उल्लेखन विनियोगियों से उद्दीप्तीय भाली एवं फ़ूने वाले अभावी की भीवाल्स हेतु कलस्टर में आगे वाले सम्पत्ति वायर की वामित वाली हुये कलस्टर हेतु विनों इन्वेस्ट इन्वेस्टिमेंट बैंकरीट पराम रीयर विनों जाने वाला विनामित वाली हेतु वालावाही, वाचावावालावाही, भीवाली वाला वामितर् वालावाही वालावाही, वाला वायर अटल नगर, विनों – वायरपुर (अनीसनद) की वाले वायर वायरपुर कार्यकाही विनों जाने हेतु विनियोगित किया जाए।

उपरोक्त विविध वालावाही/वालावाही प्रका द्वारे उपलब्ध आगामी कार्यकाही की जाएगी।

वायरपुर एसडीएसी, अनीसनद की आवान दिनांक 09/01/2023 की परिवेश में परिवेशना इस्ताबक द्वारा दिनांक 24/01/2023 की वानवाली/वालावाही वायरा किया जाए।

(३) वामिति की वायरी दिनांक 09/02/2023:

वामिति द्वारा वाली प्रस्तुत वानवाली का अवलोकन एवं परीक्षण करने का विनों विनामित पाई गई—

1. वालावाही की कूल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वालावाही की कूल सम्पत्ति वायरे 65 लाख है।
2. वायरपुर कलेक्टर (व्यावेश वाला), विनों-वालावाही-वायर की आवान छम्बा 321/वायर/वायर/2022 वालावाही, दिनांक 29/01/2023 द्वारा वाली इनाम

परं अग्रिम अनुदृश्य 2020 से लियमध्य 2022 तक शोलेश्वर का जलवायन 600 मीट्रिक टन बढ़ाया गया है।

3. लीज सोस में जारी निटटी की भौतिक 1 मीटर ही तक कुल यात्रा 1,000 प्रक्षेपण है। जारी निटटी को 7.5 मीटर की ओरी सीमा पार्टी (उत्तराखण्ड के लिए प्रतिबंधित होगा) एवं ऐर नार्सिंग (Airنصیر نامہ) को लीज में कैलाहल युआइंग के लिए उपयोग किया जाएगा।
 4. यात्रा की जारीत हेतु यात्रा विवरण एवं जा अनापालि इनाम यात्रा प्रक्षुप किया गया है।
 5. लीज सोस की सीमा में यात्री और 7.5 मीटर की दूरी में 600 नग शुल्कोपय किया जाएगा। प्रक्षुप प्रक्षात्र अनुसार यात्री के लिए राहि 33,400 रुपये, वर्तिय के लिए राहि 25,000 रुपये, गार्ड विवरण तका यात्रा यात्रा के लिए राहि 50,000 रुपये, रिटार्ड एवं रक्ष-रक्षाव के लिए राहि 25,000 रुपये इत्या प्रक्षात्र कुल राहि 1,38,400 रुपये प्रक्षम कर्ता हेतु एवं रक्ष-रक्षाव आदि के लिए कुल राहि 1,45,000 रुपये आगामी यात्रा कर्ता हेतु घटकात्र यात्रा का विवरण प्रक्षुप किया गया है।
 6. लीज सोस की भीतर ऐर नार्सिंग कोड में 6,000 नग शुल्कोपय किया जाएगा। प्रक्षुप प्रक्षात्र अनुसार यात्री के लिए राहि 3,30,000 रुपये, वर्तिय के लिए राहि 25,000 रुपये, गार्ड विवरण तका यात्रा यात्रा के लिए राहि 2,00,000 रुपये, रिटार्ड एवं रक्ष-रक्षाव के लिए राहि 25,000 रुपये इत्या प्रक्षात्र कुल राहि 6,85,000 रुपये प्रक्षम कर्ता हेतु एवं रक्ष-रक्षाव आदि के लिए कुल राहि 3,00,000 रुपये आगामी यात्रा कर्ता हेतु घटकात्र यात्रा का विवरण प्रक्षुप किया गया है। यात्रा की लीज कोड की भीतर ऐर नार्सिंग कोड में शुल्कोपय किये जाने यात्रा यात्रा का (Notarized undertaking) प्रक्षुप किया गया है।
 7. प्रक्षुप ईंचिक अवधान लिंगर अनुसार वर्तिय में यात्रीन सार्वत्र वे 5 वीं सीधे प्रतिपादा तक विभासाय-यात्राए रोक ने 5 वीं सीधे प्रतिपादा है। अवलाइल वर्तियोंका उपलब्ध वीं सीधे प्रतिपादा में होने वाली तुष्टि के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जिसकी की विभात के उपलब्ध वीं सीधे प्रतिपादा / घोकलदार के वरिष्ठान हेतु सकृद कर्ता वीं लोक वींचिक अप्पा निपर्सित मनजा की भीतर है अथवा नहीं की लोकों में जानकारी द्वाया किया जा सके। वर्तिय में एवं अवलाइल वर्तियोंका उपलब्ध वाली वाहनों / वाहनीदातात हीवी वाहनों को उपलित करने हुये ईंचिक अवधान लिंगर अनुसार की वर्ती है जिसके अनुसार-

Status	PCU / Hr	V/C ratio
Existing	5	0.0025
Proposed	61	0.000

वित्तीय के प्रयोग की सी-एक्सेल / प्रॉसेस के परिवहन द्वारा वार्षिकीय वार्षिक वित्तीय वार्षिक (Excelent 0.0-0.3) की गिरावट है।

- a. लोक सुनावाई के दीर्घन कारोग नवे विभिन्न गुणधीर एवं उनके नियमाला की दिशा में किये जाने वाले दृष्टिकोण की दृष्टिकोण में जन सभान्य के लुटियानुसार जातीका प्रयत्न हिन्दी (Hindi) form in Hindi) में अनुग्रह किया रखा है, जिसके अनुसार जनसुनावाई के दीर्घन गुणधीर कारोग की विभिन्न सुलभाद/विचार प्रक्रिया किये जावे हैं—

 - इनमें जाम पंचायत विभाग की अधीन में इतार नहीं खोला जाए जबकि इनमें जाम की विजी पटटवारका विभागी की पर्याप्त की इनामित जापेगा, युल और डेट एवं बलार्ट होका इसमें जाम की विभागी की वज्र इतार प्रक्रियामें

- लीना। आर. एस.ए. पर्सनल के सभी नवाचितों को अवधारणा में शामिल होना चाहिए है।
- ii. प्रत्यक्षिकाता के अवधारणा पर संबोधित ग्राही को जीवनी को दी बोलावर दिया जाना चाहिए।
- जोकि सुनवाई के दौरान उत्तरों को डिपेन्ड यूटी के विवरण की विज्ञ में वरिष्ठीकृत प्रश्नावल की ओर से प्राप्तिकृत इंसिडेंस/डेवलपमेंट का विवर दिया जानुपर्याप्त है—
- i. ग्राही कालान नियमों का वासन करने हुये और उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विषय-प्रिटेन्सों के अनुचार संबोधित दिया जाएगा। परियोजना स्थल के बारी और (7.5 बीटर के) सुनवा होने पर कार्य 1,23,400 की वार्षिक लागत कर पूछार्हेगा दिया जाएगा। यूल निलंबन के लिए दीन लकड़ी और पट्टा बोर के बीच दिन में दो बार फली का विकास एवं पुलार्हे के लिए दो बार निलंबन का उपयोग दिया जाएगा।
 - ii. नियमों वंशोजनाओं को दीनका के अवधारणा पर व्यापीय लोगों को आवश्यकतानुसार ऐनु प्रत्यक्षिकाता की जाएगी।
 - iii. बलवटर में लानिल (मुल 3) लागी देख लोगों इन्वेस्टमेंट प्राप्त के तहत प्रस्तुत जानकारी में लोकल प्रत्येक लोगों के संघर्ष में ही जानकारी प्रस्तुत किया जाये है। आर. एस.ए. इन्वेस्टमेंट प्राप्त के तहत प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है। याथ ही वर्दिन इन्वेस्टमेंट प्राप्त के तहत प्रस्तुत दिये जाने वायं में परियोजना प्रश्नावल की वार्षिकीया का विस्तृत प्रस्ताव इसका किया जाना आवश्यक है। कीमत इन्वेस्टमेंट प्राप्त के तहत प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है। कीमत इन्वेस्टमेंट प्राप्त के तहत प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है। याथ ही वर्दिन इन्वेस्टमेंट प्राप्त के तहत प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।
 - iv. परियोजना प्रश्नावल द्वारा ही इ.आर. (Corporate Environmental Responsibility) देख विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to-be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
66	2%	1.3	Following activities at nearby. Village-Bhainsho Pavitra Van Nirman	3.01 Total 3.01

सोर्टिंगर के अंतर्गत "परियंत्र वन निवास" के तात्पर विवरण, वन, धैर्य, वीम, अन्. अन्तुन, वायुमुख, अमलालाभ, कार्बन आदि) प्रस्तुत दिया है। प्रस्तुत दिया जाना अनुमति 2,023 लक्ष फीलो के लिए राशि 1,01,150 लक्ष, परियंत्र वन निवास के लिए राशि 75,000 लक्ष, निवासी, वायर तथा वन-वन्यजाति के लिए राशि 75,000 लक्ष, इस द्वारा प्राप्त दर्द में जुड़ा राशि 2,01,150 लक्षमें तथा आगामी 4 वर्षों में यूल राशि 50,000 लक्षमें है। पराक्रम वन वन निवास द्वारा प्रस्तुत किया जाये है। परियोजना प्रश्नावल द्वारा प्राप्त पंचवार्षीयों के वार्षिकीय उपयोग व्यापीय कार्य

(प्राप्ति अनुसंधान १९८४/१ द्वितीय उत्तर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. अटोल बहाविट्टा किये जाने वाला वापर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. बहुमिति लौज की ओर वाला बुकारेपन किये जाने एवं संवित लौज का समझौता रेट (Surviving rate) 50 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला वापर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. अग्रिमोत्तम उत्तमाधिक द्वारा दियावाला कानूनीतम नियम (Minerals Concession Rules) की वाला वापर वाली विस्तर से द्वारा सीधात्मक का कार्ड सुनिश्चित किये जाने वाला वापर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परिवीक्षण व्रद्धालयक द्वारा दियावाला कानूनीतम वाला का प्रबल प्राप्तिक वाला वाली, लालाव, वाली वाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संख्या किये जाने वाला वापर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. अवलीकारक आवासी बुनेवास नीति के वाला स्थानीय संघों की संकेतनाव किये जाने हेतु वापर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. लैंडस्युनिट के दीवान वालावी वाले समस्त युद्धों के नियन्त्रण हेतु किये जाने वाले कार्ड वाला वापर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. हिंआईए वर्टों में वालोंवा पीना की लक्षणिका प्रस्तुत किया गया है।

18. वलस्टर हेतु कीमत इन्वेस्टिमेंट बैनरिट पत्रन द्वारा कर वाला वालानी का एक वाली में इवार्टित करते हुये वालावारी प्रस्तुत नहीं की गई है। वाला वी वलस्टर में जाने वाले वाला वालानी द्वारा कीमत इन्वेस्टिमेंट बैनरिट पत्रन के वाला किये जाने वाले कार्ड हेतु अनुच्छेद वालावारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

19. वलस्टर में जाने वाले समस्त वालानी के लिए दीपावली बैनरिट इन्वेस्टिमेंट पत्रन हेतु सभी वालानी की वाली एवं दीपावली वालित नक्ते में वाली हुये वालावारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

20. वलस्टर में जाने वाली वालानी की वलस्टर नियांगियों से पर्यावरणीय घटकों पर पहुँचे वाले वालानी की संक्षाम हेतु वलस्टर में जाने वाले समस्त वालानी की वलस्टर वाली हुये वलस्टर हेतु कीमत इन्वेस्टिमेंट बैनरिट पत्रन द्वारा किये जाने वाला कियावित करते हेतु संवाद, संवादगत्वा, भीमिली वाला वालानी, इवार्टित वर्टन, नवा वापर्टुर वर्टन नगर, लिला - वापर्टुर (फॉलीवार्ग) के लाल से वापर्टुर वालेवाली किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

ਲਖਿੰਦੀ ਟਾਂਤ ਤਾਨਾਪਣ ਜਾਰੀਰਾਵਹਿ ਸੇ ਨਿੰਜਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਲਿਕਾ ਗਈ ਹੈ—

- प्रकृत इंजिन अध्ययन लिपेट अनुसार वर्तमान में सही लाईट में 8 फीटी.ए. प्रतिमंडा का विसालपुर-चमगढ़ रोड में 31 फीटी.ए. प्रतिमंडा है। प्रकृत इंजिन विद्योजना उत्तरी फीटी.ए. प्रतिमंडा में होने वाली बुद्धि के लिए में जानकारी प्रकृत दिया जाए।
 - कैलन इन्डस्ट्रीजल बैंकरेट परान प्रकृत दिया जाए। यह ही कैलन इन्डस्ट्रीजल बैंकरेट परान के तात दिये जाने वाले तार्क में परिवोजना प्रकृत द्वारा वाहनगति का लिए प्रकृत दिया जाए।

3. कलस्टर हेतु कीमत इन्वायर्नेंट मैनेजमेंट प्राप्त रियर कर सम्बंधित खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करती हुई जनकारी प्रस्तुत की जाए। याकूबी कलस्टर में आगे याकूबी सम्बंधित खदानों द्वारा कीमत इन्वायर्नेंट मैनेजमेंट प्राप्त के तहत दिये जाने याकूबी हेतु अनुकूल कलस्टर जनकारी प्रस्तुत की जाए।

4. कलस्टर में आगे याकूबी सम्बंधित खदानों के लिए रीपर कीमत इन्वायर्नेंट मैनेजमेंट प्राप्त हेतु याकूबी खदानों की आवास एवं दृश्यताम नीतियों काले में याकूबी हुये अनुकूल दिया जाए।

प्राप्तीका कीमित जनकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने परन्तु अन्यायी कालीकाही की जाएगी।

गवानुसार एकाई एकाई, अतीतकाल के बाबन दिनांक 16/03/2023 के परिणाम में परिवोजनवाले प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/03/2023 की जनकारी/दस्तावेज़ अनुकूल दिया गया।

(म) भविति की 450वीं वेतन दिनांक 10/03/2023:

भविति द्वारा नक्ती, प्रस्तुत जनकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर दिया गया यह यह—

- प्रस्तुत ट्रैफिक लायायन निवेदित अनुसार बोर्डर में याहून जाईट में 5 वीं लीट हेतु प्रतिवेदित रूपा विलालपुर-यामगढ़ रोड में 21 वीं लीट स्थीरिका है। प्रस्तुतिवाले उपरान्त नाईन जाईट में 21 वीं लीट स्थीरिका रूपा विलालपुर-यामगढ़ रोड में 67 वीं लीट हेतु प्रतिवेदित दृष्टि होती है।
- परिफेक्टना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को सामिल करते हुये अवाकाश में कुल 3 खदानी आती है। आवाकाश में सामिल खदानों कुआ जीवन इन्वायर्नेंट मैनेजमेंट प्राप्त प्रस्तुत दिया गया है। यीमन इन्वायर्नेंट मैनेजमेंट प्राप्त के तहत दिया गया जाताधित है।

विवरण	उच्चता (मीटर)	प्रियोग (मीटर)	कूपीय (मीटर)	प्रतुल्य (मीटर)	प्राप्त (मीटर)
प्रस्तुत विवरण हेतु प्रतिवेदित रूपा विलालपुर-यामगढ़ रोड की याकूबी जाईट के अवलोकन की विवरण हेतु याकूबी जाईट की याकूबी जाईट 900 वीटर	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
प्रतुल्य जाईट के अवलोकन की विवरण हेतु याकूबी जाईट की याकूबी जाईट	67,500	6,750	6,750	6,750	6,750
प्रतुल्य जाईट (1,200 वीट) की विवरण हेतु याकूबी जाईट	1,36,500	—	—	—	—
प्रतुल्य जाईट याकूबी जाईट	13,000	1,000	1,000	1,000	1,000
प्रतुल्य एवं याकूबी जाईट	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000

हेतु राशि					
सहकारी / पर्याप्त भवंति की रक्षा-रक्षण हेतु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
दूसरे विकल्प क्रमान्वय	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 24,00,000	8,00,000	4,37,750	4,37,750	4,37,750	4,37,750

कीमिन इन्हायाप्टोमेटेल ऐंबेलेंट खाता में परिवर्तित कराया गया रक्षावाक की सहभागिता दिखानुपरां दीर्घी:-

विवरण	प्रधान (रुपये)	दिव्यांश (रुपये)	दूसरीम (रुपये)	चूप्त (रुपये)	संधार (रुपये)
इन्हाया नियंत्रण हेतु परिवर्तित की दीर्घा सहकारी/चूप्त भवंति की सुलभ धूम चक्कारीन की विकल्प हेतु चक्का विकल्पान् विकल्प भवंति की सुलभ लम्बाई 202.82 दीर्घा	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350
पर्याप्त भवंति की सुलभी लम्बाई (400 दिन) परिवर्तित हेतु राशि	22,897	2,270	—	—	—
सहाय दैनिक हेतु राशि	45,562	—	—	—	—
सहाय दैनिक हेतु रक्षा-रक्षण हेतु राशि	4,540	336	336	336	336
सहकारी पर्याप्त भवंति की रक्षा-रक्षण हेतु राशि	76,812	3,362	3,362	3,362	3,362
सहकारी / पर्याप्त भवंति की रक्षा-रक्षण हेतु	67,250	67,250	67,250	67,250	67,250
दूसरा विकल्प क्रमान्वय कीरा विकल्पानी	33,625	33,625	33,625	33,625	33,625
कुल राशि = 8,10,808	2,30,896	1,47,193	1,47,193	1,47,193	1,47,193

3. अलगदर हेतु कीमिन इन्हायाप्टोमेट ऐंबेलेंट खाता दीर्घा कर समत्त लाभान्वी की एक नस्ती में इन्हायित रखते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। जाता ही अलगदर में आने वाले समस्त व्यापारी हुए कीमिन इन्हायाप्टोमेट ऐंबेलेंट खाता के दार्द लिये जाने वाले काफी हेतु अनुकूल रक्षावाक जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. अलगदर में आने वाले समस्त व्यापारी की लिए दीर्घा कीमिन इन्हायाप्टोमेट ऐंबेलेंट खाता हेतु भवी व्यापारी की अकाल एवं दीर्घावाली सहित नस्ती में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।
5. लीड्स अन् कीमिन इन्हायाप्टोमेट ऐंबेलेंट खाता दीर्घा कीमिन इन्हायाप्टोमेट ऐंबेलेंट खाता में परिवर्तित कराया गया रक्षावाक की सहभागिता सहकारी की रक्षा-रक्षण एवं

6. यानवीय एनबीटी, प्रिवेट बैच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च नियम तक
प्रभावत, पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन संबंधी नई दिल्ली एवं उत्तर
(जीवित पर्यावरण में 500 और 2010 वर्ष अन्त) में दिनांक 13./09./2016
की परिवर्तन आदेश में सुनिय रूप से विस्तृत नुसार निम्नलिखित विधा करा है:-

 - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

जमिनी द्वारा लिखा गया उक्तात चर्चामूली से विवरणित गिरफ्त लिखा गया-

1. नार्थेला प कलेक्टर (खानिय गांव), बिला-प्रतिवर्षी-गांव के द्वापर 19/10/2019/गोप समिय/नक./2020-21 गांवसीर दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आंकेड़ित खदान से 300 मीटर के भीतर आंकेड़ित 2 खदाने, शीरकल दृष्टि 4,437 हेक्टेयर है। आंकेड़ित खदान (प्राम-मैन्हो) का क्षेत्रफल 4,437 हेक्टेयर है। इस खदान आंकेड़ित खदान (प्राम-मैन्हो) को मिलाकर कुल खदान 13,374 हेक्टेयर है। खदान की सीधा से 300 मीटर की दूरी में नीरसु/संकरिता खदानी का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के बावजूद यह खदान की-सेवों की यानी नहीं।
 2. आगत सरकार परामरण, वन और जलवाय विभाग के संबलप, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआरए अधिसूचना, 2006 (या संलोकित) के अनुसार एवं मननीय एवं जीवी द्वारा यारी आदेत के अनुसार बलभट्टर में जाने वाली खदानों की संख्या अंकितिविधि से परामरणीय घटकों पर फ़ूले यारी ज्ञाती की देखतान हेतु बलभट्टर में जाने वाले समस्त खदानों को आंकेड़ित करती हुई, कलाट्य हेतु जीव अन्तर्बनोंमें ऐंटेक्सीट खदान त्रियन दिये जाने उक्त दिवानीकृत खदान के संबलक, गोपनीयताप्रद, भीमिकी तथा सुनिकाने, हुंडवाली वर्षन्, नवा राष्ट्रपुर अद्व वर् दिवा - बद्युत (जलीयताप्रद) के उक्त से एकत्रित आंकेड़ित दिये जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।
 3. जमिनी द्वारा दिया दिया हो सकावे सर्वानन्दी की आदेत - यारी देने वालोंकृष्ट खदान (प्र- वी संतोष दिव राजनूज) को प्राम-मैन्हो, राहगीत-प्रामगढ़ बिला-प्रतिवर्षी-गांव के खदान अनुकं 1652/1 में दिया जीवनेवालों (योग समिति) खदान, कुल क्षेत्रफल-4,437 हेक्टेयर, खदान - 1,00,553 उक्त आंकेड़ित हेतु नीरसु-५५ में दिया जाती के अवीन परामरणीय नीरसु दिये जाने की अनुमता की नहीं।

काम्प लॉगिय पर्सनल्स प्रमाण काक्षण्य प्रतिवेदन (विवरीजार्थी एवं). फलीयांगड़ वा संशोधनात् चुक्तिः लिपा जाए।

- अतः अन्य सार्वजनिक कानूनों की तुलना में जीवन सोक बिट/एन एस लाइसेंस का नियमित कर दिया जाएगा, जिससे सीज सोक की वजह से वह नियमानुसार नहीं होगा। उत्तराखण्ड के द्वारा जलान में जलान जल की उपर संधेन एवं शुल्कोंका ने जापानी दिया जाएगा।
 - भूमिकीव उत्तराखण्ड नियम द्वारा नियमित जल का नियन्त्रण दिया जाएगा।
 - परियोजित वन्य गुणवत्ता व्यवस्था एवं परियोजित जल का नियंत्रण-सम्बन्ध पर उत्तराखण्ड दिया जाएगा। परियोजित वन्य गुणवत्ता वन्य की नियमित वायक कार तो कर रहे, इस द्वारा वन्यवाहन की जारी है।
 - सेटिंग ट्रैक/सेटिंगेजन दोष एवं गोलोन्ह तंत्र का नियंत्रण दिया जाया है।
 - जलान के नियम कार्य प्रारंभ करने की दूसरी तरफ सीज/सेटिंग/ट्रैक-जारी नियमित शुल्कोंका जापान दिया जाएगा।
 - अधिकों की द्वारा उत्तराखण्ड की सम्पद-सम्बन्ध पर आवंशिक दिया जाएगा एवं उत्तराखण्ड नियंत्रित प्रभाव दिया जाएगा।
 - जारी व्यवितरणीय सीजकी जा अवैधिक प्राप्ति उत्तराखण्ड प्रभाव दिया जाएगा।
- iv. नियंत्रित जलीय गुणवत्ता नहीं दिया जाया है।
- v. जारी लाइसेंस (जारी राता), जिला-वायवीय-पाया के ज्ञापन द्वारा 2020/पीयु. वायवीय/जारी/एक./2020-21 लाइसेंस, दिनांक 08/10/2020 द्वारा यारी उत्तराखण्ड पर अनुसार दिया जारी है जो उत्तराखण्ड की जानकारी नियन्त्रणात है:-

क्र.	उत्तराखण्ड (एक)
2018-19	1,000
2019-20	600
2020-21 (08/09/2020 तक)	नियंत्रित

सीजकी का नहा है कि दिया जारी (जारी व्यवितरणीय सीजकी दिनांक है) में दिया गए उत्तराखण्ड की वायवीय जल की जलान जलवाही सीजकी दियाग से अवैधिक उत्तराखण्ड प्रभाव दिया जाना जायेगा।

1. जारी व्यवायत का अवैधिक प्रभाव यह -- उत्तराखण्ड के लालौर में जल उत्तराखण्ड का दिनांक 15/12/2016 का अवैधिक प्रभाव एवं प्रभाव दिया जाया है।
2. उत्तराखण्ड वायवीय -- लाइसेंसाईक वायवीय प्राप्ति उत्तराखण्ड वायवीय द्वारा इन्वेन्टरीट रिपोर्टमें प्राप्ति दिया गया है, जो जापुका-जापानात, जापानातवात्य, भौमिकी जल संनिकर्म, काटल वायवीय प्रभाव के ज्ञापन द्वारा 1040/वायवीय-2/क्यु.पी./एक.नं.83/2016 काटल गगर जापुर, दिनांक 03/10/2019 द्वारा अवैधिक है।
3. 600 ग्रीटर की परियोजि में दिया जलान -- जारी लाइसेंस (जारी राता), जिला-वायवीय-पाया के ज्ञापन नं. 1082/पीयु. वायवीय/जारी/2020-21

जालगांव, दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आंकड़ित जलान से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर, बोरेवल 8.544 हेक्टेएर है।

5. 800 मीटर की दूरी पर स्थित ग्रामीणीक लोड/स्टेशन – कार्यालय कर्मचारी (प्रतिवर्ष जालगांव), जिला-जलसंचयन-संसाधन के इलायन नं. 3468/पीप सर्विस/प्र. नं. /म.स./2020-21 जालगांव, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जारी उन्नान पर अनुसार यहां जलान से 200 मीटर की दूरी पर स्थित ग्रामीणीक लोड की स्थित, नीलांद, गलपट, कांड, एनीकट, ऐल लाहांग, लाल्हीय याजगांव, दाल्लांग, रानीकट, राटीय एवं जल शाल्हीय खोद तक प्रतिक्रिया को निर्दिष्ट नहीं है।
6. गूढ़ी एवं लीज का विवरण – यह जालगांव गूढ़ी है। लीज की जाम्बू जलान विशेष ज्ञान पर है। लीज कीक 50 की अवधि दिनांक 22/03/2018 से 21/03/2020 तक की अवधि हेतु देखे हैं।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – एस जॉन की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की परीक्षा प्रस्तुत की गई है।
8. जन विवाद का अनावश्यित जलान पर – कार्यालय वागान्धीजलसंचयन, जालगांव-जालगांव वागान्धीजलसंचयन के इलायन छन्दोल/तकनीकी/2008 जालगांव, दिनांक 18/03/2021 से जारी अनावश्यित प्रमाण पर अनुसार आंकड़ित लोड जल सेवा की जीवा से 800 मीटर की दूरी पर है।
9. लाल्हीय जलाननाली की दूरी – निकटतम जालगांव राम-बीनी 1.5 किमी, लाल्हीय जल-बीनी 1.5 किमी। एवं जलानन यात्राह 4.3 किमी की दूरी पर विद्युत है। लाल्हीय जलानन 700 मीटर एवं जलानन 300 मीटर दूर है। लीजलानन नहीं 0 किमी दूर है।
10. पारिवर्तनीयता/प्रौद्योगिकी संवेदनसील सेवा – पारिवर्तनीय प्राकाशक द्वारा 10 किमी की दूरी में जलाननीय सीमा, लाल्हीय जलानन, अमरालाल, लीजलानन इलायन विवेचन कोई द्वारा परिवर्तनीय विवेचन की विवेचन की जलानन नहीं जीवा प्रतिक्रिया दिया गया है।
11. जलानन संभवा एवं जलानन का विवरण – जिलोलीजिकल रिपोर्ट 48,80,500 टन, जालगांव रिपोर्ट 11,36,600 टन एवं निकटजलानन रिपोर्ट 10,76,356 टन है। लीज की 7.5 मीटर गोदी जीवा पट्टी (जलानन के लिए प्रतिक्रिया सेवा) का क्षेत्रफल 6,739 वर्गमीटर है। जीवा जालट नेव्हनाइज्ड विभि से उत्पन्न जिला जलानन है। जलानन की प्रकाशित अविकल्प यात्राह 16 मीटर है। लीज लोड में जलीय विहृती की गोदाह 1 मीटर है जब जल जला 16.642 वर्गमीटर है। ये गोदाह 3 मीटर एवं गोदाह 3 मीटर है। जलानन की समाप्ति जाम्बू 0 वर्ग है। लीज सेवा में जलान जलानन नहीं है। ये कृष्णगढ़ की विवेचन एवं जलानन जलानन विवेचन जलान है। जलानन में जाम्बू प्रदूषण विवेचन हेतु जल जल विकास दिया जाता है। जलानन अनावश्यित जलानन का विवरण निम्नलिखित है।-

क्रम	प्रकाशित जलानन (टन)
प्रथम	1,38,770
द्वितीय	2,09,356
तृतीय	2,12,213

कार्बन	2.22 एड
फेन	2.55 एड

12. वल आर्सी – परियोजना के अवस्था वल की जाता है एनसीटर प्रीतिह संस्थी है। वल की आर्सी याम विकास द्वारा उनके लिए वायम से ली जाती है। इस वायम याम विकास का अनावृत्ति प्रयोग पर प्रशुत लिया जाना आवश्यक है।

13. शुद्धारेपण कार्य – सीज कोर की सीमा में जानी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 न्यू शुद्धारेपण लिया जाएगा। यहिंती का का है कि सीज कोर की जानी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रवान एवं ऐसी ही एक शुद्धारेपण की जीवन दर भी हैं यही लिंगिन, खाद एवं नियाई तथा रख-खाय के लिए 5 जानी का अवलभाव एवं अवधारण एवं का विकल प्रशुत प्रसार गतिश इनका लिया जाना आवश्यक है।

14. चालान की 7.5 मीटर की छोटी सीमा पट्टी में उत्तरावन – सीज कोर के जानी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरावन करने वाली लिया जाए।

15. ऐर प्रहृष्टिन कीमत – सीज कोर के सभी चाला होने के काला 1,104 लार्पीटर एवं सीज कोर के सभी चाला होने के काला 2,282 लार्पीटर कीमत तुल प्रकल तुल 3,300 लार्पीटर कीमत हो ऐर प्रहृष्टिन कीमत चाला जाए है। जिसका उत्तरावन अनुप्राप्ति लिंगिन द्वारा जानी जाएगा में लिया जाए है। परियोजना प्रशासक द्वारा सीज कोर के लिंगिन ऐर प्रहृष्टिन कीमत में 840 न्यू शुद्धारेपण लिया जाएगा। अनुप्राप्त प्रशासक अनुमान जीवी के लिए रुपि 42,000 रुपये, लिंगिन के लिए रुपि 22,000 रुपये तथा खाद, वापलक लिंगिन, लिंगिन एवं रख-खाय के लिए रुपि 76,000 रुपये इव वापलक तुल रुपि 5,42,000 रुपये प्रयोग की हैं एवं रख-खाय अदि के लिए तुल रुपि 60,000 रुपये जानी जाए जाए हैं यह उत्तरावन एवं का विकल प्रशुत लिया जाए है।

16. ई-आई-ए लिंगिन का विवरण—

- पल एवं चालु अदि गुणवत्ता संकेती जानकारी – लिंगिनिंग कार्य 01 जूल 2021 से 31 जूल 2021 के बाब लिया जाए है। 10 लिंगिनिटर की अवलोकन 10 जानी पर लिंगिनीय चालु गुणवत्ता भवन, 8 जानी पर खु-जास गुणवत्ता भवन, 10 जानी पर खनी लल भवन, 8 जानी पर जानी जल गुणवत्ता भवन उ 8 जानी पर लिंगिनी के नमूने एकत्रित कर विलेवन लिया जाए है।
- लिंगिनिंग परियानी के अनुसार लिंग, वस्त्र, एक्सी, का वान्धन लोक्ता—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CGC Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	16.99	39.56	60
PM ₁₀	28.20	62.53	100
SO ₂	3.12	11.24	60
NO _x	5.50	16.54	80

- परियोजना क्षेत्र की जानकारी वल जीवी की गुणवत्ता— ई-आई-ए के Chapter-3 Description of environment में वजानी गयी उनक अनुमान

कलीनाद्वारा, नवांटीद्वारा, सालकर, कलीनीद्वारा, लेक, आस्तीनिक एवं अन्य राजापत्रिकाओंवाले कलीनद्वारा लिखित भावशील ग्रन्थोंमें दी करते हैं।

১০. অধিবেশন করি আবে-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise Level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day Len.	38.9	56.5	70
Night Len.	30.5	47.8	70

जी यहाँ दौर से लिखित वाक्य वाले के नाम हैं।

- v. कौशिकी यू. की जनना— कठीनमान में एवं प्रस्तावित परिधियोग्या एवं संतुष्टि ग्रहणी / बहुतीयत्वात् हीरो जननी को समर्पित करते हुए ईमेल जनना दियोग्य (कौशिकी यू. प्रस्तावित एवं कौशिकी यू. अनुप्रयता (MC neso) ग्रहणी) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लोक सुनावी दिनांक 29/11/2021 को द्वारा 1100 बजे खाले — यह प्रकाशित वीड़ी के हाई रेसल परिवर्त “कौशिक सुनावी दिनांक” (जनन जननी की संघ) द्वारा—वीड़ी, तहसील—पानगढ़, जिला—जामौरी—जाप वे संधन हुईं। लोक सुनावी दस्तावेज सदृश्य ग्रहित, प्रस्तीतियाँ जारीकरने लालचन मंडल, जवा चाषपुर बंडल नगर, जिला—काशीपुर के पास दिनांक 16/03/2022 द्वारा घोषित किया गया है।

18. जाहीर प्रकाश द्वारा लोक सुनावी के द्वारा लहावे वर्षे डिपेन्स मुद्रणी एवं लोकी नियमान्वय और दिला वे दिले जाने वाले लहावे के संबंध में साक्षीकृत प्रस्त अंतर्भुक्ती (Popular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का नाम है कि जन सामन्य की सुनिकायनात् साक्षीकृत्व उपर डिप्पी (Popular form in Hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. कल्पकार हेतु जीवन इन्हायरिंगेटल केनेक्सेट प्राप्ति — कीमत इन्हायरिंगेटल मेनेक्सेट प्राप्ति एवं कीमत इन्हायरिंगेटल केनेक्सेट प्राप्ति में चरियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का दिलाना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जाप ही उस वार्षे पूर्ण दिले जाने वाले लहावे पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. कौरीसीट पर्सिललीम समिति (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीर्हित (Corporate Environment Responsibility) की जाति जल संवर्धन वीक्सो की 1 से 2 एवं 3 चुम्बि में 1,800 नन प्रतिलीं की जाति पर बुल द वर्की में 7,500 नन एवं उपरियोग किये जाने का इन्हाव प्रस्तुत किया जाय है। इस ग्रहणी में समिति का नाम है कि गीर्हित (Corporate Environment Responsibility) की जाति प्रस्त वर्कों में ही पूर्ण जुलारीया किये जाने का आगामी 4 वर्की में जुलारीया (ीप्रतिलीं की जीवन वर से) हेतु वीक्सो, जीसेन, खाद एवं दिलाई तथा गो—खेल के लिए 5 वर्की का पटकारा एवं समर्थन वर का दिलाना दिलाकृत प्रकाश ग्रहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जाप ही गीर्हित (Corporate Environment Responsibility) की जाति जुलारीया हेतु यह प्रकाशित का सहभागी उपरांत चुम्बि की जाति जल संवर्धन एवं जलवा का उल्लेख जानी हुए जागरूकी जारी किया जाना आवश्यक है।

- परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस कानून का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसे उनके विशेष इस परिवीक्षण/वाचन से संबंधित होने वाली अकालीन घटनाएँ ज्ञानी भी व्यावाहारिक में लाई जाती है।
 - परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस कानून का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसके विशेष बाबत नियम, पारिवारिक वन और अलगाव परिवीक्षण व्यावाहारिक की अविस्मरण कानून 204(3), विनाश 14/03/2017 के अन्तर्गत ओडी उत्तराखण का उचित लाभित नहीं है।

समिति द्वारा गतवार्ष सर्वसमिति से विभागुकार नियंत्रण लिया गया था—

- परियोजना की सुन सकते का बोलबाल प्रस्तुत किया जाए।
 - विनाश कर्ता (जोकी उचितपूर्ण पर्याप्ति विनाश कर) में विनाश का उत्तराधिकारी वास्तविक भाव की अद्दल जानकारी खण्डित विभाग से प्राप्तिकृत कानूनी प्रस्तुत किया जाए।
 - जलनी भिट्ठी के रास-प्रकाश हेतु करनी भिट्ठी की उत्तराधिकृत प्रस्तुत किया जाए। यहाँ ही जलनी भिट्ठी की लीज ईड को बाहर भेजकर कर जारीकृत रखे जाने हेतु भिट्ठी का दुकानदार न करने, विनाश न करने एवं अन्य जलनी के उपयोग नहीं किये जाने एवं इस भिट्ठी का संपर्कीय दुकानदार हेतु विनाशक उत्तराधिकारी (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 - जल की कार्यकृति हेतु जल विनाश का अनुबंधित प्रयोग एवं प्रस्तुत किया जाए।
 - लीज ईड के जली कोर ८६ वीटर की सीमा घट्टी में छाप जली में ही दूष पूर्णतापन किये जाने तथा अन्यामी ५ वर्षों में दूषारोपण (to purify) विनाशक वर दें। हेतु वीथी, पोर्सेन, जल एवं विनाशक रास-प्रकाश के लिए ५ वर्षों का यटकार एवं समयकार जल का विनाश विनाशक उत्तराधिकृत प्रस्तुत किया जाए।
 - वर्तमान में एवं प्रत्यक्षित परियोजना उनकी जाहीर / भल्टीएक्सेस हेती वहनी को उपलब्धित करनी हुई इंफिक्शन प्रयोग विनाई (वीथी, हीटीप्रेटा एवं की, /की अनुजात (HCT test) महिला) प्रस्तुत किया जाए।
 - उदाहरण उक्त द्वारा लीज सुनवाई के द्वारा दुलाये गये विभिन्न मुद्रणों एवं उनके विनाशक वर्ग की विनाश में विनाश जाने जाने वाला वायर की वास्तव में सार्वजनिक प्रयोग अवैधी (tabular form in english) में एवं जल संग्रहण से सुरक्षितनुसार वास्तवीकृत प्रयोग कियी जाए।
 - कीमत इन्काउण्टरीट ऐंगेजमेंट जलान एवं कीमत इन्काउण्टरीट ऐंगेजमेंट जलान में परियोजना उत्तराधिकारी की सहायिता का विनाश प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। यहाँ ही जल कार्य पूर्ण किये जाने वाला तरफ एवं प्रस्तुत किया जाए।
 - सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के उत्तर प्रयोग वर्ग में ही हुई सुनवाईया किये जाने तथा अन्यामी ५ वर्षों में दूषारोपण (to purify) वीथी की वीथी दर से) हेतु वीथी, पोर्सेन, जल एवं विनाशक रास-प्रकाश के लिए ५ वर्षों का यटकार एवं समयकार जल का विनाश विनाशक उत्तराधिकृत प्रस्तुत किया जाए। यहाँ ही सीईआर (Corporate Environment Responsibility) की वायर सुनवाईया हेतु प्राप्त प्रयोग का सामने उपलब्ध भूमि के वाला अधिक एवं लम्बा का समर्थक वास्तव एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

कृपया निम्न वाक्यों/दस्तावेज़ द्वारा हीने लगातार आवासी कार्यवाही की जाएगी।

क्षमागुलाम एसटीएसी, अस्तीक्षण के इसमें दिनांक 09/04/2023 के परिणाम्य में
परिवर्तनाप्रस्तावक इस दिनांक 24/04/2023 को जनकारी/दस्तावेज प्रस्तुत
किया गया।

(v) जामिनी द्वी प्रदूषक विभाग ०९/०९/२०२३

पर्याप्ति द्वारा नहीं, इसके पासकालीन अवलोकन एवं कर्मशब्द करने पर विभिन्न प्रकार की—

- परिवेशना की बुल समत तो द्वितीय उम्मीद भिन्न रहा है, जिसके अनुसार परिवेशना की बुल समत लगभग ८२ साल है।
 - कापरिय उम्मीदन (वर्षिक राशि), जिस-जीवनी-प्रति के लाभन राशि ३२०/वर्षि/वर्ष/२०२२ वर्षिकीर दिनांक २३/०१/२०२३ द्वारा जारी प्रमाण पर्य क्लुसर अप्रूव २०२० से जितनमन २०२२ तक दोलीमाई का उत्पादन ८५० मीट्रिक टन भिन्न रहा है।

3. लीज कोर में उत्तरी भिट्ठी की जारीई - १ बीटर है। तथा कुल नाला 10,383 प्रमाणीटर है। उत्तरी भिट्ठी को ७.५ बीटर की गति से दौड़ा पट्टी विस्तार के लिए इतिहासिक कोर, ८,८०० प्रमाणीटर एवं ऐर बॉर्डिंग (३,३८८ प्रमाणीटर) कोर में फैलाकर कुलांगन के लिए उपयोग किया जाएगा। यद्यपि का का का है कि ७.५ बीटर की गति से दौड़ा पट्टी एवं ऐर बॉर्डिंग कोर का कुल क्षेत्रफल 10,125 प्रमाणीटर है तथा उत्तरी भिट्ठी का कुल नाला 16,982 प्रमाणीटर है। अतः अधिकतम। भिट्ठे की जारीई तक भिट्ठी को फैलाकर कुलांगन किया जाए। तदेवत्तर तो उत्तरी भिट्ठी की प्रसंगत दौड़ा छान्हा किया जाना आवश्यक है।
4. जल की आपूर्ति हेतु यान प्रवाह के बाहर का अन्यतरि प्रवाह पर प्रसुत किया जाया है।
5. लीज कोर की सीमा में जारी ४०.७३ बीटर की घट्टी में १,७०० वर्ष कुलांगन किया जाएगा। प्रसुत प्रवाह अनुकान की के लिए तकि ५५,००० स्थायी चौकिंग के लिए तकि ५५,००० स्थायी राफ्ट विस्तार तथा जाव के लिए तकि ५५,००० स्थायी, जियाई एवं रुद्ध-जलाव के लिए तकि ५५,००० स्थायी इस उपर कुल तकि २,३०,००० स्थायी जाव की हेतु एवं रुद्ध-जलाव अट्टे के लिए कुल तकि २,३२,००० स्थायी जावानी जल जली हेतु फैलाकर जाव का विस्तार प्रसुत किया जाया है।
6. प्रसुत इंप्रिंट अव्याधन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में यार्डन सहृदाई में ५ लीजीय प्रारिकरण तथा विश्वासन-पालन के लिए हैं। इनमें से एक ही लीजीय इतिहासिक वर्तमान में यार्डन सहृदाई प्रसुत किया जाना कामयाक है। विस्तार की विस्तार के उपरांत भी दी-मर्टिप्रिंट / ड्रेक्ट्रेट्स के वरिक्स हेतु याक मर्वी की लीज कीरिंग अभ्यास विस्तारित गाल के भीतर है। अब्यास नहीं के संकेत में यार्डन सहृदाई जावा किया जा रहा है। वर्तमान में एवं प्रसामित परियोजना उपरांत भी याकनी / बल्टीज्वाला हैंडी वड्डनी को वर्गांकित करते हुये इंप्रिंट अव्याधन रिपोर्ट प्रसुत की गई है, जिसके अनुसार-

Status	PCU/Hr.	VAC ratio
Existing	6	0.0025
Proposed	5.1	0.003

विस्तार के उपरांत भी दी-मर्टिप्रिंट / ड्रेक्ट्रेट्स के वरिक्स हेतु याक मर्वी की लीज कीरिंग अभ्यास विस्तारित गाल [Excellent 0.0-0.2] की जीत है।

7. लोक सुनवाई के दीवान जलाई गये विभिन्न भूदलों एवं उत्तरी विस्तार की विश्व में लिये जाने वाले उपाय के संकेत में जल जागरूक के तुकियानुसार जालीकरण अव्याधन (Focalular form in Head) में प्रसुत किया जाया है। विश्व के अनुसार जलसुनवाई को दीवान कुल कर की विश्व सुनवाई/विस्तार प्रसुत किये जाये हैं—
- जलाव कुलने की जलों के गाव के चतुर्मुखी के लिए जाली है जो पर्याप्त नहीं हो पाएंगा एवं हालांकि कल जलसुनवाई होगा और इसका उपाय जब्ती बुद्धी पर पड़ेगा।
 - जलाव जलाई के आव-याव विश्वानी का लोक लगा दूजा है, जबकि उल्लंघन से कल जलसुनवाई होना तथा वार्तिकरण से मजल वार्तिकरण होना, जब्ती एवं बुद्धी के लोक एवं विश्व पर विस्तारित उपाय पढ़ेंगा।
 - जलसुनवाई के आवाहन पर संबंधित जलों को ही गोचरण किया जाना चाहिए।

लोक सूनसाह के द्वारा लगाए गए विभिन्न तुदों के नियन्त्रण की जिम्मा में परिवोरता प्रस्तावक की ओर से समीक्षित प्रतिविधि/कानूनीट का नवान निर्णयानुसार है:-

1. प्रस्तावक की आवश्यक समझी परती भूमि वानन ऐतु अवृद्धि की वार्ता है, जानीभी की भूमि जो व्याप में उच्ची तुद प्रस्ताव में बासाह भूमि विवाद जापेक्षण के लिए 2,52,000 लाखों का बजट इस्तेवित किया है। वाम पंथपार के बहुमोग की बासाह भूमि विवाद का जीता जाएगा।
2. बाट उत्तरांशन को संकलन के लिए लीज शेष की जारी और 7.5 बीटर की गोप्य पट्टी में बुद्धांशेषण किया जाएगा जबकि नियन्त्रण लगाई जाएगी तुद हिंद में ही जान नियन्त्रण का बुद्धांशण किया जाएगा। जानीज जो परिवहन नियन्त्रण से इक्काँ तुद एवं उत्तरांशेषण की जारी है। जानीज से एक तुद भूमि एवं उत्तरांशेषण की अनुमति होती है। और को वाम कानों के लिए जारी द्वितीय विद्युत का उपयोग किया जाएगा।
3. विविध बैरोजारी को धैर्यता के ऊपर पर कानीक जीवी की अन्वयनानुसार जीतगार हैतु बासाहिता की जारीगी।
4. बलकटर में जानीज (छुआ 3) जावानी हैतु जीवन इन्वेस्टिमेंट वान के द्वारा इन्वेस्ट जानकारी में केवल उत्तरी जारीनी के संबंध में ही जानकारी इन्वेस्ट किया जाया है। अतः जीवन इन्वेस्टिमेंट इन्वेस्ट वान प्रस्तुत किया जाना अवश्यक है। जान द्वी जीवन इन्वेस्टिमेंट इन्वेस्ट वान के द्वारा किये जाने वाले काले में परिवेशना प्रस्तावक की बाहुपरिवर्तन का विवरण प्रस्ताव जारी किया जाना अवश्यक है। जीवन इन्वेस्टिमेंट इन्वेस्ट वान के द्वारा निर्धारित बजट का उत्तरांशन जीवन इन्वेस्टिमेंट इन्वेस्ट वान के कार्य में ही जीवन जाने वाला जाप्य रह (Notarized undertaking) प्रवृत्त किया जाया है।
5. परिवोरता प्रस्ताव इन्वेस्ट प्रस्तुत जारीगी (Corporate Environment Responsibility) हैतु विवेत प्रस्ताव जारीगा है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)										
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)									
52	2%	1.04	Following activities at nearby, Village-Bhainsip <table> <tr> <td>Pavitra</td> <td>Van</td> <td>3.61</td> </tr> <tr> <td>Hinman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>3.61</td> </tr> </table>	Pavitra	Van	3.61	Hinman			Total		3.61	
Pavitra	Van	3.61											
Hinman													
Total		3.61											

लौंडर की अन्तर्गत "परिव एवं जिनीन" के नाम (अमृता, वन, फैसल, नीम, आम, अर्जुन, जानुन, अमृतांश, वानस आदि) बुद्धांशेषण हैतु इन्वेस्ट जानकारी 2,022 लाख रुपयों के लिए राति 1.01,150 रुपये छोड़िये के लिए राति 76,000 लाखों, जिथाई, जान जान रात-रातव आदि के लिए राति 75,000 रुपये, इन प्रकार प्रस्ताव कर्ता ने बुद्ध राति 2,01,150 रुपये जान आगामी 4 वर्ष में कुल राति 50,500 रुपये हैतु अठवाना लाग का विवरण प्रस्तुत किया जाया है। परिवेशना प्रस्तावक इन जान जानकारी में से ही जानकारी उपलब्ध वालायोग ज्ञान

(वित्तीय वर्षांक 1954/5 के अन्त में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. नियमित लोक दंड के बाद सभी जुलाईया दिनों जाने एवं सेवित लोकों का जीवानशक्ति दर (survival rate) 60 वर्षीयता नियमित दिनों जाने वाले सभी दर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. नियमित व्यापक द्वारा नियमित कन्सेशन रिक्विएशन (Minerals Concession Rule) के तहत जापानी द्वारा लोकोंने का कार्य नियमित दिनों जाने वाले सभी दर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रकल्पक द्वारा दिनी भी इकार के दृष्टिकोण का प्रचाहर प्रत्यक्षिक दर नहीं, ताकि, वहीं, याता में नहीं दिनों जाने एवं इसके संलग्न दिनों जाने वाले सभी दर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. उत्तीर्णामः अलोकी पुर्वाना लोकों के द्वारा व्यावहारिक लोकों को नियमित दिनों जाने द्वारा सभी दर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. लोकगुप्तानी के द्वारा जाने वाले सभी पुर्वों के नियमित दिनों जाने वाले कार्य वाले सभी सभी दर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. कलस्टर द्वारा कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान त्रिपात्र द्वारा समस्त सदानी को एक नक्ती में व्यापक करती हुई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। सभा ही कलस्टर में आने वाले सभी समस्त सदानी द्वारा कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान के लक्षण दिनों जाने वाले कार्यों द्वारा अनुसंधान कराकर जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
16. कलस्टर में आने वाले सभी समस्त सदानी के लिए त्रिपात्र कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान द्वारा सभी सदानी की अलोक एवं देशान्तर वर्गित नक्ती में दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
17. कलस्टर में आने वाली सदानी की उत्तरवाच व्यावहारिक घटकों एवं पहली वाले प्रभावों की गोपन्यात्रा द्वारा कलस्टर में आने वाले सभी सदानी सदानी की गोपन्यात्रा हुई। कलस्टर द्वारा कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान त्रिपात्र दिनों जाने तथा विवरित करने द्वारा सभीलक, संवाजनालय, लोकियी दरकार गोपन्यात्रा, इंडोली गवर्न, या संवार अटल नगर, विजया – लखपुर (उत्तीर्णामः) के कार्य एवं उपयुक्त कार्यकारी दिनों जाने द्वारा व्यवस्थित किया जाए।

समीक्षा द्वारा उत्तमय संवेदनशक्ति से नियमित रिक्विएशन किया गया था—

1. इस्तुत ट्रैफिक अगाधन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नाईन लाईट में 3 वी.सी.ए. अधिकारी तथा विवारामुर-यमगाड़ रोड में 31 वी.सी.ए. अधिकारी हैं। व्यावहारिक नियमित व्यापक जनतांत्री वी.सी.ए. अधिकारी में होने वाली हुक्मों की संकेत में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान प्रस्तुत किया जाए। सभा ही कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान के लक्षण दिनों जाने वाले कार्यों में परियोजना जनतांत्री व्यापकीयता का विस्तृत प्रकाश प्रस्तुत किया जाए।
3. कलस्टर द्वारा कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान त्रिपात्र द्वारा समस्त सदानी को एक नक्ती में प्रदर्शित करती हुई जानकारी प्रस्तुत की जाए। सभा ही कलस्टर में आने वाले सभी सदानी द्वारा कीमन इन्डिपेंट नेटवर्केट प्लान के लक्षण दिनों जाने वाले कार्यों द्वारा अनुसंधान कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. कलसटर ने अपने यात्रे समाप्त यात्राओं के लिए दोपार कीमत इन्हामेंट कैमेंटमेंट प्लान हेतु सभी यात्राओं की अवधि एवं दौरा की वजह से बदली हुई प्रक्रिया किया गया।

उपरोक्त विविध जानकारी/दस्तावेज़ यात्रा हीने उपरोक्त आवासी कार्यालय की जगही।

उपरोक्त एन्ड्रीएसी, अवैकोनिक के लाभ दिनांक 16/03/2023 के परिणाम में अविवेकन प्रक्रियाकाल द्वारा दिनांक 23/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज़ प्रक्रिया किया गया।

(अ) उपरोक्त की आवासी दिनांक 10/06/2023

उपरोक्त द्वारा नहीं, प्रक्रिया उपरोक्त का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरी चाहूँ रखें—

- प्रक्रिया द्वारा उपरोक्त रिटेल इन्स्टर्न लॉबीमें बाहर बाहर में 6 वीं ली.सू. प्रतिपटा तथा विलासपुर-पानाड़ लैंड में 61 वीं सी.पू. प्रतिपटा है। उपरोक्त अविवेकन उपरोक्त माईन साईट में 21 वीं सी.पू. प्रतिपटा एवं विलासपुर-पानाड़ लैंड में 62 वीं सी.पू. प्रतिपटा त्रुटि होती है।
- अविवेकन प्रक्रियाकाल द्वारा यात्रा के लिए अवैकोनिक आवास की जामिल करने हुये कलसटर ने कुल 3 यात्राएं आई हैं। अतः कलसटर ने जामिल यात्राओं द्वारा कीमत इन्हामेंट कैमेंटमेंट प्लान प्रक्रिया किया गया है। जीमन इन्हामेंट कैमेंटमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य इस्तमाल हैं—

विवरण	प्रथम (वर्तमान)	द्वितीय (कलानी)	तृतीय (कलानी)	चतुर्थ (कलानी)	पंचम (कलानी)
इन्हाम प्रियोरिटी हेतु अवैकोनिक की दीर्घ सम्भावी/प्रत्येक वर्ष से संतुष्ट यूल उत्तराधीन के लियोन हेतु जाम लियाया, वर्तुल वर्गों की कुल जम्माई 300 मीटर	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
वर्तुल वर्ग के हानी तक	67,500	6,750	6,750	6,750	6,750
कुल (1,360 वर्ग)	1,36,500	—	—	—	—
जुलाई तक	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
इन्हाम प्रियोरिटी हेतु राज-प्राज्ञ द्वारा दर्ता	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000
प्रत्येक वर्ष-वर्ग के वर्तुल वर्ग	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
कुल राजी = 34,37,500	6,36,500	4,37,500	4,37,500	4,37,500	4,37,500

**कीमत इन्वेस्टमेंट बाजार में परियोजना प्रशासक की सहायिता
विभागानुसार होगी—**

विभाग	प्रधान (लाख)	दूसरी (लाख)	तृतीय (लाख)	चौथा (लाख)	पंचम (लाख)
इन्वेस्टमेंट बाजार के द्वारा लागत/पूँजी यारी से जापान भूमि उत्तराहार के निवासी हेतु जापान भूमि यारी से जापान भूमि की यारी लागत 325.00 लाख	43,338	43,338	43,338	43,338	43,338
पूँजी यारी के द्वारा लागत (450 लाख) जापानीयान हेतु	जापानीयान (45 प्रतिशत लागत दर) हेतु चाहिए	22,697	2,270	2,270	2,270
	लागत हेतु चाहिए	45,562	—	—	—
	लागत हेतु चाहिए	4,539	337	337	337
	जिवाई एवं एक-द्वारा हेतु चाहिए	16,812	3,363	3,363	3,363
लागत/पूँजी यारी से जापानीयान हेतु	67,250	67,250	67,250	67,250	67,250
हेतु लागत के पूँजी वित्तसंगीत	33,625	33,625	33,625	33,625	33,625
कुल चाहिए = 8,34,888	2,33,823	1,50,183	1,50,183	1,50,183	1,50,183

1. लागत हेतु जापान इन्वेस्टमेंट बाजार द्वारा कर समता लागती हो एक वर्षों में इवार्डिंग करती हुई जापानीयानी प्रस्तुत दिया जाया है। जापान के लागतर में आगे बढ़ते लागत लागती हुआ जापान इन्वेस्टमेंट बाजार के द्वारा दिये जाने वाली हेतु अनुसारे कलाकर जापानीयानी प्रस्तुत दिया जाया है।
2. लागतर में आगे बढ़ते समता लागती के लिए द्वारा कीमत इन्वेस्टमेंट बाजार हेतु लागती लागती को अद्वितीय एवं देखातार चाहिए वही में वहाँ ही हुई प्रस्तुत दिया जाया है।
3. दीड़ीजार, कीमत इन्वेस्टमेंट बाजार, कीमत इन्वेस्टमेंट बाजार में परियोजना प्रशासक की सहायिता लागती को एक-द्वारा एवं लागतीयान करती हो एवं नियमितरीय एवं परियोजना हेतु फि-प्रोजेक्ट लागती (प्रियोजेट), याम प्रशासक के प्रशासकीय/प्रशासकीय एवं वित्त प्रशासन का उत्तीर्णद्वारा वर्तीस्थ संस्थान महसूस हो प्रशासकीय/प्रशासकीय) वित्त दिया जाया है। जापान की दीड़ीजार, कीमत इन्वेस्टमेंट बाजार, कीमत इन्वेस्टमेंट बाजार में परियोजना प्रशासक की सहायिता लागती के

कानून-प्रबोध एवं प्रशासन का कानून पूरी तरिके जैसे के उपरांत भौतिक विभागीय समिति ने सम्बोधित कराया जाया आवश्यक है।

- a) मानवीय दृष्टिकोण, विधिवाल द्वारा वही दृष्टिकोण विश्वास करता सालकार, पर्यावरण, वन और प्राकृतिक संतोषजनक नई विधियाँ एवं 349 (जीवविवरण एवं संरक्षण नं. 188 द्वारा 2010 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2010 की पारित आदेश में नुस्खा वाले से विभागीय विधिवाल दिना गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease site exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विधान विधान उपरांत संविधानित से विभागीय विधा यथा—

1. कानूनीय कलेक्टर (समिति वाला), विधा-जांचीरी-याता के लागत नं. 1082/ नीन लग्निया/ग्राम/ 2020-21 वालीही दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आंदोलित खाद्याल नी 800 मीटर के पीछे आंदोलित 3 खाद्याले कुलकल 8.644 हेक्टेयर है। आंदोलित खाद्याल (वाम-मीन्ही) का कुलकल 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आंदोलित खाद्याल (वाम-मीन्ही) को विताकर युल लक्ष्य 13.374 हेक्टेयर है। खाद्याल की जीवा से 800 मीटर की दूरी में नीचूला/संचालित कुदानी का कुल कुलकल 3 हेक्टेयर से अधिक होने की वजह पर खाद्याल वी-1 क्षेत्री की जानी गयी।
2. भाल भालकार, पर्यावरण, वन और प्राकृतिक संतोषजनक नई विधियाँ इंडिया ए. अधिनियम, 2006 (विधा संसदीयित) के अनुकानी एवं नानीय एन. डी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार उल्लेख में आगे वाली खाद्याली की लालनग गतिविधियों से पर्यावरणीय पर्दों का यहां वाले प्रभावों की लीकालाम हेतु कलेक्टर में आगे वाले खाद्याल खाद्यालों की लालित करते हुए, कलेक्टर हेतु वीमन इन्हालानीमेंट में अलगाव लाने लैवान लिये जाने तथा विभागित करने हेतु कानूनीकरण, संवाधानालय, वीमिती तथा लग्नियां, इंद्राजली भवन, यथा वायुप्रदान उद्दल गार, विधा — रायगुर (उमीदवारी) के जात से अनुसूत कांकिती विधे जाने हेतु विभागीय विधा यथा।
3. समिति द्वारा विधान विधान उपरांत संविधानित वी आदेश — नीनो लोलीमाईट खाद्याल (प्री- भी कानून दखल विधा) की वाम-मीन्ही, इंद्राजली-यानवाहु, विधा-जांचीरी-याता के लागत अन्यांक 1082/1 में विधा लोलीमाईट (नीन लग्निया) खाद्याल, कुल कुलकल—4.83 हेक्टेयर, जमता — 2,82,377 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण-08 में वर्तित जाती के अनीन पर्यावरणीय नीचूली विधे जाने की अनुसूत की गई।

इस नानीय पर्यावरण प्रभाव आकलन व्यविधान (एन डी आई एए), भालीकल की अनुसूत सुनित विधा यथा।

१. नियमी संलिप्त जारी करने वाली (प्रो-की जिला कुशर आगवानी), शास्त्रीय-साहीन-विद्यार्थी, जिला-कलीदाराजान-भाटपाटा (प्रतिवाहन का नमी जारी 1949)

जीवनाधन आदेश – एकांक नम्बर – एकांक/ नीति/ जीवनाधन/ ३५५४४८/२०२२, दिनांक २८/०२/२०२२ हाल पर्यावरणीय सीमित हेतु जीवनाधन आदेश जिता गया है। परिवेशना इकानाम द्वारा उन्नत आदेश में जारी होने से इसपर दिनांक १४/०३/२०२२ द्वारा जारीकरी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट हिता जारी। परिवेशना इकानाम द्वारा जारी प्रस्तुत आगवानी दिनांक ०२/०२/२०२२ की जीवनाधन उन्नत की गई।

जारीता का विवर – यह पूर्व से संबंधित नूत्र प्रवाह (गोल जूनियर) जारी है। जारीन शास्त्रीय-संलिप्त, शास्त्रीय-विद्यार्थी, जिला-कलीदाराजान-भाटपाटा जिता जारी दिनांक १०९/२, जूल ईंचफल-०.३०८ हेक्टेयर में है। जारीन की कार्यक्रिया जारी-१.०७२.८ टन प्रतिवाही है।

उदानुसार परिवेशना प्रवाहक की दस्तावेज़ी, जारीतानाड़ के जारी दिनांक १९/०३/२०२२ हाल प्रस्तुतीकरण हेतु जूरीत हिता जारी।

वैदेशी का विवर –

(अ) जूरीती की ४३वीं बैठक दिनांक २८/०३/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी दीपक जूनार देवेशन, अधीकृत प्रतिविति उपरिक्षेत्र द्वारा। जारीती जारी, प्रस्तुत जारीकरी का जारीतेकरण एवं परिवेशना करने का जिम्मा जैसी पूर्ण नहीं-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमिति जारीती विवरण–

१. पूर्व में जूता प्रवाह जारीन जारी दिनांक १०९/२, जूल ईंचफल-०.३०८ हेक्टेयर, जारी-१.०७२.८ टन प्रतिवाही हेतु जिता संतीय पर्यावरण इकानाम प्रतिविति, जिला-कलीदाराजान-भाटपाटा द्वारा पर्यावरणीय सीमिति दिनांक १४/०३/२०१७ की जारी की गई। यह सीमिति जारी हिनांक में ३ वर्ष तक की अवधि हेतु जैसी है।
२. परिवेशना प्रवाहक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय-सीमिति के जारी का प्रवाह में की जर्दि कार्रवाई की जारीकरी प्रस्तुत नहीं की गई है। जैसीती का जारी है कि परिवेशना प्रवाहक द्वारा एकीकृत दीर्घीय कालीनप, भवन जारीकर, पर्यावरण, जल एवं प्रदूषक, परिवेशना मेवाहन, राज्यपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमिति का जारीन प्रतिविति प्राप्त कर प्रस्तुत हिता जारी आवायक है।
३. प्रतिविति जारीतानुसार प्रस्तुतीकरण नहीं हिता जारी।
४. जैसीती का जारी है कि जिस जारी में हिते जैसे जलजाहाज की आवायन प्रागवानी जारीता जिम्मा की प्रत्याविति जारीकर प्रस्तुत हिता जारी आवायक है।
२. जारी पर्यावरण का कानूनीति प्रवाह प्रवाह – जलजाहाज एवं जलार जैसे जलजाहाज का दिनांक २५/०८/२००८ का अनावृत्ति प्रवाह प्रवाह प्रस्तुत हिता जारी है।

3. एकलनग जोखा - कारी पत्ता, गुरुदामसेंट निवासीं वहन एवं कारी बोर्डर वहन इन्होंने किया था है, जो उन संघरण (जिले प्रशासन), जिला-बलीदाराजार-माटपाटा के ज्ञानग जनान 1038/प्रभि./दिन-1/2016 बलीदाराजार, दिनांक 20/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 600 बीटर की परिधि में खेत जाम - कारीलय कलीदार (जिले प्रशासन) जिला-बलीदाराजार-माटपाटा के ज्ञानग जनान 1044/प्रभि./2021 बलीदाराजार, दिनांक 10/01/2022 के अनुसार आवेदित ज्ञानग से 600 बीटर की परिधि अनुमित 3 घारांग, संख्या 4,483 दुर्बिल है।
5. 300 बीटर की परिधि में खेत सांखिक लीज/सांखनार - कारीलय कलीदार (जिले प्रशासन), जिला-बलीदाराजार-माटपाटा के ज्ञानग जनान 1044/प्रभि./2021 बलीदाराजार, दिनांक 10/01/2022 द्वारा कारी ज्ञानग पत्र अनुसार ज्ञानग जनान से 300 बीटर की परिधि में कोई भी सांखिक लीज तीरी नहिं बनिए, यथाप्त, अवधारण, असूत, युत, एवं एवं जल अपूर्ति अवैध प्रतिवेदित क्षेत्र नियम नहीं है।
6. चुनि एवं लीज का खिलाफ - चुनि एवं लीज की नियन्त्रणार जापलाल के बारे में है। लीज शीर 6 की अवैध दिनांक 17/02/2009 से 16/02/2014 तक तीरी अवैध हेतु दी गई। लीजकारन लीज शीर 25 की अवैध दिनांक 17/02/2014 से 16/02/2009 तक तीरी अवैध हेतु नियन्त्रित की गई है।
7. निकटीवर सारे खेतों - एवं 2011 की निकटीवर सारे खेतों (Physical Survey Report) की प्रती प्रकल्पत तो नहीं है।
8. गन खिलाफ का अनावृत्ति उपचार पत्र - कारीलय उनमन्त्रालियारी, बलीदाराजार वनस्पति, बलीदाराजार के ज्ञानग जनान/तानांकी/जिला/2022/1735 बलीदाराजार, दिनांक 17/06/2022 से जारी अनावृत्ति उपचार पत्र अनुसार अनोदित क्षेत्र निकटीवर का क्षेत्र की सीमा से 12 किमी की दूरी पर है।
9. गहरायी संरक्षनात्मी की दूरी - निकटीवर आधारी याम-जलिया 515 बीटर असूत याम-नलिया 515 बीटर एवं अवधारण याम-जलिया 615 बीटर की दूरी पर खिलाफ है। राष्ट्रीय रामगार्व 630 बीटर एवं रामगार्व 63 खिलों का है। रामगार्व 63 खिलों याम 1.33 किमी एवं रामगार्व 1.47 किमी का है।
10. यारिसियलिय/जीर्णसियला संरक्षनात्मील क्षेत्र - यारिसियला ज्ञानग के द्वारा 10 किमी की परिधि में यारिसियली लीज, राष्ट्रीय रामगार्व, अवधारण, जीर्णसियलिय प्रदूषण खिलाफ की द्वारा खोलित खिलियली फैल्ट्स्ट्रेच रिया, यारिसियलिय/जीर्णसियली लीज का भोवित जीर्णसियला क्षेत्र खिला नहीं अनिवार्य खिला है।
11. छुनव संचार एवं ज्ञानग का खिलाफ - खिलोलखिल सिलो 30,300 टन, चार्टरेट खिलो 11,918 टन एवं निकटीवर खिलो 10,736 टन है। लीज की 7.6 बीटर कीड़ी लीज पट्टी (ज्ञानग के लिए यारिसियल क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,513.08 वर्गबीटर है। अंगन वाहन तीरी मेंकन्नदृष्ट्यु खिलो से ज्ञानग खिला जाता है। ज्ञानग की प्रस्तावित खिलोलखिल गहरायी 8 बीटर है। लीज क्षेत्र में जारी खिलो की बोठाई 2 बीटर वी. खिलो का ज्ञानग युक्त नहीं ही जिया जा सकता है। देख की गहरायी 1.5 बीटर एवं गहरायी 1.5 बीटर है। अदान की संभावित असूत 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ज्ञानग क्षमित नहीं है एवं इसकी ज्ञानग का प्रस्ताव नहीं किया गया है। यौक हिन्द ने खिलोलखिल

प्रतिवेदन किया जाता है। लदान में यातु प्रदूषण नियंत्रण उत्तर जल का विभाग किया जाता है। अंतिर प्रतिवेदन लदान का विभाग विभागानुसार है:-

क्रम	प्रतिवेदित लदान (₹)	क्रम	प्रतिवेदित लदान (₹)
जल	1,072.70	जल	1,072.70
हिस्टोरिक	1,072.70	जल	1,072.70
पुरानी	1,072.70	जल	1,072.70
प्राचीन	1,072.70	जल	1,072.70
पूर्ण	1,072.70	जल	1,072.70

12. जल आपूर्ति - परियोजना द्वारा आवश्यक जल की मात्रा 4 एकड़ीयर प्रतिवेदित होती है। लदान में विभिन्न विधायक सभाओं (जल विवरण, कृषीकरण) द्वारा जल की आपूर्ति आवश्यक मिथ्या निपटने की एकत्रित जल एवं पौधजल की आपूर्ति दर्शाये जाते हैं जो खाड़ी की जाती है। इन बाबत का आवश्यक जल प्रदूषण विभाग जाना चाहता है।
13. प्रदूषणकरण की दीर्घन परिस्थिति प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि पौधजल की आपूर्ति दर्शाये जाने की जाएगी। इस निषेध में उम्मीद है कि वह सच्च नहीं किया जाया है कि प्रतिवेदित दर्शाये जाने सहीजनिक है या यह गलत?
- पहिं विभाग दर्शाये जाने के लिए अब तक केवल जल एवं व्यक्तिगत ही हो चुके और जल की उपयोगिता द्वारा जीवनस्तुति की अनुसृति दर्शाया जाना आवश्यक है।
 - वहीं दर्शाये जाने सहीजनिक ही हो जल आपूर्ति द्वारा जल की जाएगी जल आवश्यक प्रस्ताव प्रदूषण किया जाना आवश्यक है।
14. कृषीकरण क्षेत्र - लौज क्षेत्र की सीमा में याती और 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नये कृषीकरण किया जायगा। समिति का यह है कि लौज क्षेत्र की सीमा और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषीकरण द्वारा पौधों का लोगन, फांसी, जाद एवं लिंगाई तथा रुद्ध-रक्षाव ले लिए 6 वर्षों का विवरण व्यय का विवरण विभाग द्वारा जारी जनाया जावश्यक है।
15. लदान की 7.5 मीटर की बीड़ी सीमा पट्टी में उत्तरका - लौज क्षेत्र की सीमा और 7.5 मीटर की बीड़ी सीमा पट्टी का यह उत्तर क्षेत्र 1,612.00 एकड़ीयर क्षेत्र है। विकास के 2 फीट की बीड़ी तक जलनी निष्ठी आवश्यक है, विकास उत्तरका आनुसृति प्रदूषण लदान में किया जाया है। अतः प्रतिवेदित 7.5 मीटर बीड़ी सीमा पट्टी में उत्तरका विभाग जाना सहीजनिक सीमूर्ति की जाती का उत्तराधिक है। परियोजना प्रस्तावक के विवरण विभागानुसार जलालय दर्शायक कार्यकारी विभाग जाना आवश्यक है।
16. उत्तरीक्षणीय है कि भवता गवाहार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नई विभागीय द्वारा नीन क्षेत्र सहीजनिक विवरण द्वारा दर्शाये जाने का विवरणीय ही जाए हो गए हैं। उनीं जनाएँगे 2010 की अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 6 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

shall be governed as per the EIC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

प्रायः सामाजिक जीवन के अनुसार गर्भान्त लोग होते हैं और 7.5 मीटर लंबे लंबी गर्भ में विद्युतीय रिहाइ जलना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट एंवाइरनमेंटल रिपोर्ट (C.E.R.) – एकिपोजिशन प्रत्याकार द्वारा बी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तु प्रत्याकार प्रत्यक्षता की लिया जाता है। रिपोर्ट का गहरा ही भौतिक घटनाकार एवं कानूनीय वालोंसे विस्तृत जारी करना प्रत्यक्षता की जाता जाता रहता है।

समिति द्वारा प्रत्येक संघर्षमयी की निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीधीकृति का पालन उत्तिष्ठेदन एवं इसका सीधीय कार्यालय पालन राज्यपाल, पर्यावरण, बन और जलवायु समिक्षान भवनालय से जाने हुए पञ्च सेवा नियम जाए।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीधीकृति में जलवायन हेतु निश्चित जारी की पालनालय राज्य प्रशासन कर गया जलवायन एवं फोटोग्राफिं गोटोग्राफी (Geotag photography) सहित जलवायनी प्रक्रिया नियम जाए।
 - नियम जारी की जिसे एवं उत्तराखण्ड की जलवायन पालनकारी समिति द्वितीय दिनांकित कराकर प्रक्रिया नियम जाए।
 - पंचवार्ष की अधिकृती दसूरे बैल के पालन से जिसे जाने के संबंध में उनके द्वारा यह काम जहाँ दिया रखा है तो प्रसारित दसूरे बैल जारीजित है अथवा नियमः
 - यदि दिया दसूरे बैल सीधे सीधे की जीत अथवा अन्य रूप से अविकल्प हो तो यू-जल की संपर्यागिता हेतु नीचूल जलवायन कीटर अधिकृती नीचूलती प्रक्रिया नियम जाए।
 - यदि दसूरे बैल जारीजित हो तो जल अधिकृत हेतु ज्ञान प्रशासन का अनाधिकृत प्रशासन एवं प्रक्रिया नियम जाए।
 - सीधे सीधे की जारी और 7.5 बीटर की सीधे पहुँच में जलवायन हेतु जीवी का जीवन, भौमिका, जात एवं जिवाई तथा रक्त-रक्तान्त की जिये 3 जारी का जलवायन यथा जल नियम नियमित प्रशासन सहित प्रक्रिया नियम जाए।
 - जीवीजार जा गटवायन यथा जल नियम सहित नियमित जलवायन प्रक्रिया नियम जाए।
 - भार्दून सीधे सीधे की जारी और 7.5 बीटर जीडे संभवी जीव की जूझ भार में जिये गये उत्तराखण्ड की जलवायन इस सीधे के संपर्यागी उत्तराखण्ड (Kumaon) भौमिका की जाता जीव सीधे की ओर प्रारूपित जिवाकालायी की जलवायन उत्तराखण्ड की जियाकृष्ण हेतु जलवायन जारी यथा जलवायन अधिकृति के जिये समुचित उपकारी जलवायन संकलनक, संग्रहालयस्थ जीविकी तथा जूनिकर्म, इंद्रावली जलवायन, यथा जायपुर जलवायन नगर, जिला — रायपुर (उत्तराखण्ड) की पञ्च सेवा नियम जाए।
 - इन्हींसीधे 7.5 बीटर कीजी जीवा गट्टी में जीवी जलवायन पाये जाने पर नियमानुसार अत्याधिक जलवायनी जिये जाने हेतु जायपुर, संग्रहालयस्थ जीविकी तथा जूनिकर्म एवं जलवायन की जीवी पर्यावरण हेतु जलवायन उत्तराखण्ड जलवायन संकलन गट्टा, यथा जायपुर जलवायन नगर की जलवायन जीविकी जिये जाने हेतु पञ्च सेवा नियम जाए।

9. अनुमति कार्डिंग हिस्ते जाने वाला उपयोग पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. भवुतीनिंग लौज सेवा के लिए इसका गुणाधीन हिस्ते जाने एवं लौजित दीर्घी का सहाराहन रेट (Survival rate) वे अधिकारी सुनिश्चित हिस्ते जाने वाला उपयोग पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा वितरित बहनसंशालन लिखण Minerals Concession Rule के तहत वाराणसी वितरित द्वारा लौजलान का कार्य सुनिश्चित हिस्ते जाने वाला उपयोग पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा लिखी थी प्राप्तार का वृक्षित जात का इच्छुक प्राप्तारीक जल संरक्षण, सालाना, गढ़ी, जलता में जीवी हिस्ते जाने एवं इसके संबंध लिखे जाने वाला उपयोग पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. उत्तीर्णाव आदानी युवराजन नीति के तहत जलवायी जलों की जीवगार हिस्ते जाने हिस्ते उपयोग पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा अंदर्दीकेन (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए हिस्ते एवं विस्तृत इस परिवोजना/सुवास के संबंधित कोई न्यायालयीन झकझड़ देख के अंतर्गत हिस्ते थी ज्ञातवालय में संबंधित नहीं है।
15. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा अंदर्दीकेन (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए हिस्ते एवं विस्तृत भारतीय जलवायी, पर्यावरण, जल और जलवायी परिवर्तीन मंत्रालय की अधिकृतमता का अ. नो. 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का उल्लंघन संबंधित नहीं है।

उपरोक्त जमकर यूर्ज जनकारी/प्रकाशित प्रस्तुत किये जाने वाली उपरोक्त आदानी जलवायी की जाएगी।

जलवायी एवं दूसरी संस्थाएँ, जलवायी के जलवायी 36/12/2022 के परिवेष्ट में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/03/2023 की जनकारी/प्रकाशित प्रस्तुत किया जाए।

(e) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जनकारी का जालनसंशालन एवं लौजित जलवायी पर लिखे लिखी चाहई यह—

1. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यूर्ज में जारी जलवायी लौजित के लिए के प्राप्तम् में छोटी यह जारीकारी की जनकारी प्रस्तुत की जाए है। समिति का नह है हिस्ते परिवोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत लौजित जलवायी, जलता संरक्षण, पर्यावरण, जल एवं जलवायी जलवायी मंत्रालय जारुर जैसे यूर्ज में जारी जलवायी जलवायी लौजित का प्राप्तम् इतिहास द्वारा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. यूर्ज में जारी जलवायी जलवायी में जलवायी उत्तु लिखित जलवायी की जालनसंशालन केरल में गुणाधीन का लिंगोटिन फोटोग्राफ़ (Geotag photographs) सहित जालनसंशालनी प्रस्तुत किया जाए है।
3. जालनसंशालन (जलवायी जलवायी), जिला-जालनसंशालन-जिलाईन के जलवायी दिनांक 36/समिति.1/2023 जालनसंशालन-जिलाईन, दिनांक 03/05/2023 द्वारा जारी जलवायी पर जलवायी जिला में लिखे गए जलवायी की जालनसंशालन है।

वर्ष	प्रतिवर्ष रुपये
2016-17	मिशन
2017-18	25
2018-19	145
2019-20	155
2020-21	60
2021-22	60
2022-23 (टेस्टमेंट तक)	मिशन

४. अल की अनुसृति साम पंचायत द्वारा ईकर की वायाम से लिये जाने वाले साम पंचायत सरियोजित का अनानंदित इमारत पर प्रस्तुत किया गया है।
५. लैंड लैंड की गोपा में जारी और ७.८ लैंडर की घट्टी २ लैंडर की गहराई तक उत्तराधिकार होने के कारण १०० नग कुलाहोपल की स्थूल के लाल-पाल के बीच, सहमति उपलब्ध प्राची लालालीय भूमि स्थैय की नियी भूमि, खदान के वहूंवाली, सारीप्रथा लालालीय एवं परिवर्त लैंड अधि में लिये जाने वाले प्रतिवर्ष ३५ नग कुलाहोपल किंठे जाने का उपलब्ध प्रस्तुत किया गया है।

समिति का यह है कि प्रतिवर्ष १०० नग कुलाहोपल की इमारत वर्ष में ही नूर लिये जाने हेतु कलानीति लैंड लैंड की गोपा में जारी और ७.८ लैंडर की घट्टी की कुलालाल तक लौंगी का रोपन, लौंग एवं लिंगाई तथा लौंग-लौंग की लिए ६ लाली का घटकलाल व्यव का विवरण लियुत प्रसाम गतिय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

६. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का घटकलाल व्यव का विवरण नहिं लियुत प्रसाम प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस लंबे से चरियोजना प्रस्तावक द्वारा साम पंचायत सरियोजित की गतियों पर की वायाम की सीईआर (Corporate Social Responsibility) के बारे लिए नहीं जारी की जानकारी यह व्यव यीने हेतु ईकर उपलब्ध लालाल, सामुदायिक व्यव की वायाम व पेन्टिंग कारी, वार के लैंड के दोनों विनाये में कुलाहोपल, वज्जी के लिये इनकारीका विवारी का विवरण एवं स्थूल में जारी हेतु लौंगलाल लालाल करता जाना चाहया गया है।

समिति का यह है कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के बारे लालालीय स्थूल अला सर्वित साम पंचायत के गतियों वायाम प्रस्ताव तथा लालीय भूमि गे सीईआर (Corporate Social Responsibility) के बारे लिए नहीं जारी की अतिरिक्त इन्यु प्रसाम विवरण नहिं प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि कुलाहोपल जारी जानकारी लिया जाता है, तो कुलाहोपल हेतु लौंगी का रोपन (३० लैंडर लौंग दर संहित), कुला हेतु लौंग लौंग एवं लिंगाई तथा लौंग-लौंग के लिए ६ लाली का घटकलाल व्यव का विवरण नहिं प्रस्तुत प्रसाम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

७. नोटूल लालिट्य लिये जाने वाले उपलब्ध व्यव (Notarized undertaking) प्रवृत्त किया गया है।
८. लाईंग लैंड लैंड की अदर साम कुलाहोपल लिये जाने एवं लैंडर लौंगी का सर्वाधिक रेट (Survival rate) ३० लैंडर लौंगलिपत लिये जाने वाले उपलब्ध व्यव (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमत्वा बनावटीने नियम (Minerals Conservation Rules) के तहत जारीकी गिरावं हुआ सीधारन का एवं लूपितित फैसे जाने वाला हाफ एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी उपलब्ध का दूषित जल का इवाह व्यापक जल संचय, जलाशय, नदी, नदा में नहीं हिस्ये जाने एवं इसके संखार हिस्ये जाने वाला हाफ एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाया है।
10. अतीवागद आदाने पुरार्थी नीति के तहत व्यापीय सीधारन को लैजार्डिंग दिये जाने हेतु हाफ एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्वर्टिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाया है कि उसके विषय इस परियोजना/आदान से संबंधित कोई व्यापक लंबायन इस के अंतर्गत हिस्ये भी व्यापारिक में जारी नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्वर्टिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाया है कि उसके विषय इस परियोजना/आदान से संबंधित कोई व्यापक लंबायन इस के अंतर्गत हिस्ये भी व्यापारिक में जारी नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्वर्टिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाया है कि उसके विषय भारत सरकार, परियोजना, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की अधिकारीयता का जलवायन विभाग द्वारा जारी है।

अभियोग द्वारा किया जियारे विभागीय संवर्ती सर्वेत्यन्ति से नियन्त्रित किया जाया—

1. एवंविकृत संघीय कानूनीय, भारत सरकार, परियोजना, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वा उन्हें अद्वितीय विभाग जो भी व्यापक व्यापारिक सीधारन का वालन अधिकार देता है प्रस्तुत किया जाए।
2. इन्हायित 100 वर्ग कुमारोंका को इवाम वर्ते में ही यूनि विस्तृत लैज लैज की भी भीमा में जारी और T.S नीटर की पट्टी को मुख्यमान जन गीर्वा का नीजन, लैसिन, खाद एवं लिंचाई तथा रक्ष-रक्षण के लिए 5 वर्षों का घटकाव व्यय का विवरण प्रस्तुत कर्तित प्रस्तुत किया जाए।
3. कीर्ति-आर. (Corporate Environment Responsibility) की तहत व्यापीय सहूल अवादा संबंधित व्याप को लाभार्थी यापारी द्वारा व्यापारीय यूनि में गीर्वा आर. (Corporate Social Responsibility) के तहत हिस्ये जारी कर्ती के अनिवार्य प्रस्ताव विष्युत कियारे प्रस्तुत किया जाना अन्वर्टिंग है। यदि कुमारोंका कार्य प्रस्तावित किया जाता है, तो कुमारोंका हेतु गीर्वा का नीजन (अंग्रेजीकृत जीवन दर सहित), सुखा हेतु लैसिन, खाद एवं लिंचाई तथा रक्ष-रक्षण के लिए 5 वर्षों का घटकाव व्यय का विवरण कर्तित प्रस्तुत अन्वर्टिंग प्रस्तुत किया जाए।

प्रयोक्ता वालिस व्यापकीय/व्यापकीय वाला हीमे जुर्वात व्यापीय संघीय की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को नियन्त्रित कूपित किया जाए। वाला ही एवंविकृत संघीय कानूनीय, भारत सरकार, परियोजना, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वा उन्हें अद्वितीय विभाग जो वाला जीवन की पात्र लैज किया जाए।



१०. नियमी वातावरण संग्रह कक्षी (के-१) (प्रौ.- शीमली बूद्धुनगरा लालू), राम-बालापान्थ, लालोहील-बालापान्थ, जिला-बलापान्थ (संचिकालय का नमी ३५८० कि.मी.)

शीमली बूद्धुनगरा - लालोहील नगर - एसडीए./ लोडी/ एमआईए./ २५७८८२/ २०२२, दिनांक ०४/०३/२०२२ द्वारा अधिकारीय संवैधानी हेतु आठेंद्र जिला नगर है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित ऐत लालोहील (शीमली लालू) नगर है। नगरान राम-बालापान्थ, लालोहील-बालापान्थ, जिला-बलापान्थ, जिला पर्यावरण विभाग का नमी ३५८० कि.मी. लालू लालोहील-११२ हेतेंद्र वे उपलब्धित है। लालोहील नगर की नदी से जिला जाया प्रस्तावित है। नगरान की अधिकारीय वातावरण लालू- ३२.५०० परमीटर उपलब्ध है।

एवं अनुसार परिवेषका प्रस्तावका को एकाई दर्ता, अलीगढ़गढ़ के जायन दिनांक ३३/०३/२०२२ द्वारा अस्तुरीकरण हेतु सुनिश्चित जिला गया।

विवरों का विवरण -

(अ) लालू की ५१२३१ वेटक दिनांक २८/०३/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु शी अधिकारी निः, अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध है। लालू द्वारा नदी, इन्हुन जालाहारी का अधिकारीकरण एवं परिवेषक करने पर जिला विभाग याई वह-

१. नदी में जाली वार्डिंगर्मीट नवीकृति लालू की विवरण - इस जायन को नदी में वार्डिंगर्मीट नवीकृति जाली नहीं की गई है।
२. यात्रा पर्यायत का अनापेक्षित उभारण यज्ञ - ऐत लालोहील की संकेत में यात्रा पर्यायत वायावरण का दिनांक २८/११/२०१७ का अनापेक्षित उभारण यज्ञ प्रस्तुत जिला गया है।
३. विन्हासित/शीमली - कार्यालय कर्तेवार, लालू जाली से जायन प्रमाण यज्ञ अनुसार यह जायन विन्हासित/शीमली कर दीर्घित है।
४. लालोहील खोजना - क्योंकि यात्रा प्रस्तुत जिला गया है, शी जाली अधिकारी, जिला-दलिल बलापान्थ के जायन जालांक ३०८-शी/वार्मित/वार्मित/पांगी/२०१८-३३ दलोहार, दिनांक ०९/०३/२०२२ द्वारा अनुमोदित है।
५. ५०० बीटर की वर्तिये में विभाग लालू - कार्यालय कर्तेवार (वार्मित जाली) वायावरणपूर, जिला-बलापान्थ के जायन जालांक ३०८-शी/वार्मित/वार्मित/पांगी जायन/२०२२ वायावरणपूर, दिनांक २५/०३/२०२२ के अनुसार अधिकारीय जालाहार जायन की ५०० बीटर की वर्तिये में उल्लेख शी सामाजिक शीर जीरो वायावरण जालाहार, वायावरण, नुस्खा, वायावरण, स्कूल, अधिकारी, वायावरण, नुस्खाह, मलाह एवं एनीजाह आदि प्रतीकारी शीर विभिन्न नहीं हैं।
६. ३०० बीटर की वर्तिये में विभाग जालीजनील शीर/सांखनाए - कार्यालय कर्तेवार (वार्मित जाली), जिला-बलापान्थ के जायन जालांक ३०८-शी/वार्मित/वार्मित/पांगी जायन/२०२२ वायावरणपूर, दिनांक २५/०३/२०२२ द्वारा जाली प्रमाण यज्ञ अनुसार यह जायन की ३०० बीटर की वर्तिये में उल्लेख शी सामाजिक शीर जीरो वायावरण जालाहार, वायावरण, नुस्खा, वायावरण, स्कूल, अधिकारी, वायावरण, नुस्खाह, मलाह एवं एनीजाह आदि प्रतीकारी शीर विभिन्न नहीं हैं।
७. एलओआर्टी का विवरण - एलओआर्टी, शीमली बूद्धुनगरा लालू के जायन है, शी कार्यालय कर्तेवार (वार्मित जालां), जिला-बलापान्थ के जायन जालांक ३०८/वार्मित/वार्मित/विसे वायावरण/२०२१ वायावरणपूर, दिनांक १४/०३/२०२१ द्वारा जाली की गई विभागीय वर्तिये १ गज हेतु वैध नहीं हैं।

एवं ओमांड़ ने भौतिक संकेती पारगतारी/दसावेल इन्सुल किया जाना चाहिएगा है।

८. यह विवाद वह अनुपर्याप्त इनाम पर - जीव जीव से विवरण वह कोई कामगिरी नहीं संकेती जानकारी, यह विवाद वह जारी अनागमित इनाम पर इन्सुल किया जाना चाहिएगा है।
९. डिस्ट्रीट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष २०११ की डिस्ट्रीट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रस्तुति की गई है।
१०. नहरपुरी संचालनकोड़ी की दूरी - विवरण जावाड़ी इनाम-बजारपाल १.२५ किमी, एवं रेलपुर इनाम-बजारपाल ३.५ किमी, जो दूरी पर बिल्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग ५०, ६३ किमी, एवं राजमार्ग ३८ किमी, दूर है।
११. परिविवरिकीय/जीवविविता संवेदनकोड़ी की - परिवोजन प्रस्तावक द्वारा १० किमी, की दूरी के अंतर्वर्तीय जीव, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रान्डीय इनाम विवरण जीवों द्वारा परिविवरिकीय पॉल्कुट्टा वरिया, परिविवरिकीय संवेदनकोड़ी की पर जीवित जीवविविता की जीव छोड़ दीर्घांत्रिक विवाद है।
१२. राजमन रखल पर जहाँ के बाहर की ओर्डर्स एवं राजमन की जहाँ राट से दूरी - अवैदन अनुसार राजमन रखल पर जहाँ के बाहर की ओर्डर्स - अधिकारी १०५ मीटर, अनुसाम १४० मीटर तथा राजमन रखल की ओरात लंबाई - २५० मीटर एवं राजमन रखल की ओर्डर्स - अधिकारी ४५ मीटर, अनुसाम ५० मीटर दर्जाई गई है। राजमन की जहाँ राट के बिनारे से दूरी अधिकारी ७० मीटर, अनुसाम ५५ मीटर है।
१३. राजमन रखल पर ऐत की ओर्डर्स - अवैदन अनुसार रखल पर ऐत की ओर्डर्स - ३ मीटर तथा ऐत राजमन की प्रस्तावित राहराई - १ मीटर दर्जाई गई है। अनुसारित आडिगिंग राजमन अनुसार राजमन में आडिगिंग ऐत की जाता - ३२.४०० एकड़ीय है। ऐत उत्तरानन द्वारा प्रस्तावित रखल पर राजमन में एपार्टमेंट ऐत राजमन की ओर्डर्स जानके के लिए, प्रस्तावित रखल पर २ यादों (Two) छोड़कर राजमन की प्रस्तावित राहराई का नापन कर, औरिजिन विवाद के प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार ऐत की राजमन ओरात राहराई २ मीटर है। ऐत की राजमनकी राहराई द्वारा प्रस्तावित इन्सुल किया गया है।
१४. सभियों के राजमन में यह तथ्य जाना कि इन्सुल वर्कशाप में ऐत की राहराई २ मीटर राजमन गया है। उक्त से यह तथ्य यही हो जाता है कि प्रस्तावित रखल पर कीचियां में बेह रीक (Bad Rock) के राजमन जावेनिक्ट ऐत की ओर्डर्स विवादी है? ऐत ऐत की राजमनकी राहराई का नापन कर, औरिजिन विवाद के प्रस्तावित राजमनका प्रस्तुत किया जाना चाहिएगा है।
१५. राजमन कीय में ऐत राजमन के लेवल्स - ऐत उत्तरानन द्वारा प्रस्तावित रखल में २५ मीटर दूरा २५ मीटर के लिए विन्हासी पर दिनांक १०/१२/२०२२ की ऐत राजमन के वार्तानन लेवल्स (Levels) लेवल जारी रखनी व्यक्तिवाले विवाद के प्रस्तावित राजमन ओरोंवाला सहित जानकारी/दसावेल प्रस्तुत किये गये हैं।
१६. औपचारिक स्थावरतीय दर्शिता (C.E.R.) - परिवोजन प्रस्तावक द्वारा गैरकी कानूनक स्थावरतीय (S-1) एवं गैरकी राजमनक स्थावरतीय (S-2) का समिति की जानकारीदाता (Corporate Environment Responsibility) को राजमन परिवर्त वह विवाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समिति का यह ही

मिसीटीआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत मिसीटीआर राजी का वर्णितगत विस्तृत परियोजना रपट (Detail Project Report) प्रकृति किया जाना आवश्यक है।

17. घुटानीपाल छारी - घुटानीपाल (नहीं तरह कर बूल ५० नग घीर) हेतु वर्णित वर्णन अनुसार लंबी के लिए राजि १,००० सालों, लंबित के लिए राजि १०,००० सालों, लाट के लिए राजि ३७५ सालों, निचोड़ी तथा रस्ते-लाटप के लिए राजि २०४,८०० सालों, इस इकान प्रवास की ने बूल राजि २,२२,१७६ सालों एवं ज्ञानी २ वर्षों हेतु बूल राजि ३,४४,५३८ करोड़ घटवाहन व्यव का विवरण प्रकृति किया गया है। यहाँ ही वर्णित कर यत है कि नहीं की पाट में घुटानीपाल किये जाने की वजह में बाड़ की अधिकारण गति (Maximum Flood Level) की वजह में इसी तुरी गति के बिनारे (River Bank) घुटानीपाल किया जाए।

18. ऐता उत्तराखण्ड विस्तृत किये गए यहाँ का छारी लोहर द्वारा करवा जाना चाहियेत है।

19. वर्णियोजना वर्णनक द्वारा २ लीटर की गहराई तक उत्तराखण्ड की अनुमति मिली है। अनुमतित उत्तराखण्ड योजना में उत्तराखण्ड लिए जाने वाले लोहर की वर्णित है। घुटानीपाल लंबी अवधिक लाई एवं उत्तराखण्डी आवाही का समानांतर नहीं किया गया है। यह उत्तराखण्ड की वजह में उत्तराखण्डी प्रकृति किया जाना आवश्यक है।

वर्णित द्वारा उत्तराखण्ड सर्वानुभवी से विस्तृत विस्तृत किया गया था-

1. एवं अंतर्गत, की विभाग दूरी के संबंध में जानकारी/दस्तावेज विस्तृत किया जाए।
2. लोहर लीका से विकलान का लीक की वास्तविक दूरी जांची जानकारी हेतु जन विधाय से जारी अनुपरित प्रधान पत्र की अदान द्वारे प्रकृति किया जाए।
3. वर्णियोजना वर्णनक की जानकारी व्याप पर वर्तगाम में बेड रोक (Bed Rock) के लावर अवस्थित ऐत की घोटाई जांची जानकारी (ऐतनामा रहित) प्रकृति किया जाए।
4. उत्तराखण्ड योजना में उत्तराखण्ड लिए जाने वाले लोहर की वर्णित है। घुटानीपाल लंबी अवधिक लाई एवं उत्तराखण्डी आवाही का समानांतर वर्णित विभाय के प्रति कर जानकारी/दस्तावेज विस्तृत किया जाए।
5. विभाग वर्णनक संबंध वजही (१-१) एवं विभागी वर्णनक संबंध वजही (१-२) का वर्णिती की विभाग मिसीटीआर (Corporate Environment Responsibility) के उत्तर परिवर्त वन विभाग हेतु विभाग वर्णन प्रकृति किया गया है। वर्णिती का यह है कि मिसीटीआर (Corporate Environment Responsibility) के उत्तर मिसीटीआर राजी का वर्णितगत विस्तृत परियोजना विस्तृत (Detail Project Report) प्रकृति किया जाए।

उत्तराखण्ड दूरी जानकारी/दस्तावेज प्रकृति किये जाने उपर्युक्त ज्ञानी कर्तव्यकी की जाएगी।

उत्तराखण्ड दूरी, वर्णियोजना विस्तृत विभाग १८/०८/२०२२ से वरिष्ठता से वरियोजना वर्णनक द्वारा विभाग ३१/०३/२०२३ की जानकारी/दस्तावेज प्रकृति किया जाए।

(b) ਸਾਡੀ ਜੀ ਅਧੀ ਪ੍ਰਕ ਰਿਕ 10/20/2021

समिति द्वारा नवरी, प्रसुत जानकारी का अवलोकन एवं अधिकार द्वारे पर लिपि लिखी गई गई—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)								
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)							
18	2%	0.36	Following activities at Neerby, Village- Bejawand <table border="1"> <tr> <td>Pavita</td> <td>Van Nimman</td> <td>5.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>5.72</td> </tr> </table>	Pavita	Van Nimman	5.72		Total	5.72		
Pavita	Van Nimman	5.72									
	Total	5.72									

7. सी.ई.आर. की शांतिगत परिवर्तन या नियोग के लिए (प्रैमिल, नीच, अल, अद्युत, बेस, जापान आदि) कृतिशील दिए प्रस्तुत इसलाह अनुसार 250 नए योगी के लिए लगि 27,000 रुपये, प्रैमिल के लिए राशि 66,000 रुपये, लाइट के लिए राशि 8,000 रुपये, नियोगी के लिए राशि 1,30,000 रुपये तथा रख—दाखल आदि के लिए राशि 1,34,000 रुपये, इस प्रकार इसके करीं में कुल राशि 2,63,000 रुपये

एक द्वितीय रूप में युल राशि 2,18,300 रुपये हेतु बदलना चाहे का नियम प्रस्तुत किया गया है। इस द्वारा ३ वर्षों में युल राशि 6,72,900 रुपये चाही रही, जिसमें से आवेदित खदान द्वारा व्यवितरण राशि भी राशि 2,88,150 रुपये चाहे किया जाएगा। सीईआर के द्वारा "खेत वन नियम" हेतु याम बदलना बदलावन के सहित एप्रिल व्यवस्थाएँ खदान (खस्त उच्चांक ५५२, लंबाकाल ०.४५ हेक्टेकर) के रूपों में बदलावी प्रस्तुत की गई है।

समिति का यह है कि सीईआर के अन्तर्गत "खेत वन नियम" के तहत दिए गए यामी व्यवस्थाएँ खदान का एक-एकम आवेदित खदान द्वारा आगामी ३ वर्षों तक सुनिश्चित किया जाए।

8. सीईआर कर्त्ता एवं नटी तट में व्यवस्थाएँ रूपों के अनियंत्रित हो परीक्षण हेतु वि-व्याय समिति (व्यवस्थाएँ/वित्तनियि, छान प्रशायत से पदाधिकारी/प्रतिनियित एवं जिला प्रशायत या अल्लीसगढ़ पर्वतीयन संसाधन नियन्त्रण के व्यवस्थाएँ/प्रतिनियित) नियम किया जाना चाहिए है। जब ही सीईआर एवं नटी तट में व्यवस्थाएँ का यामी यूर्जे किये जाने के उपरांत विविध वि-व्याय समिति के सहयोगित समाज याम आवश्यक हैं।
9. ऐत बदलावन विनायक विभि से एवं यामी का कार्य लेतर द्वारा खदान जाना चाहिए है। समिति का यह है कि लोहम जीवी यंत्र यामी याहुन की सेवी हो है। तट यामी का कार्य विनायक विभि के कामी जाए।
10. व्यवस्थाएँ बदलावन द्वारा २ वीटर की गहराई तक बदलावन की अनुमति नामी है। अनुमतिदित बदलावन नियन्त्रण में उत्तरावाहिक जिले गांवों सेवी की वार्तिके हेतु युक्तबदलावन सेवी बदलावन यामी एवं तटसंबंधी अंतर्वाही का वापर्येता नहीं किया गया है। बदलावनी नटी सेवी नहीं है। तथा इसी वर्तीवाल में सम्बाद्यता १ वीटर गहराई से अल्लीक ऐत का पुनर्वाप्त होने की संभवता है।

समिति द्वारा विभि उपरांत व्यवस्थाएँ से विनायुक्त नियम किया जाए—

1. आवेदित खदान (याम-बदलावन) का उच्चांक १.५ हेक्टेकर है। खदान की लीमा से ५०० वीटर की परीक्षि में वर्तीवाही/वार्तिकारित द्वारा याम लेतरावन ५ हेक्टेकर या उपरांत का यामी का याम यह खदान १-२ लीमी की यामी नहीं।
2. व्यवस्थाएँ बदलावन ऐत खदान सेवी में आगामी १.५ वर्ष में विस्तृत याम अव्ययन (Retention Study) करायेत, ताकि हेत की पुनर्वाप्त (Replenishment) याम जीवी यारंवाही, ऐत बदलावन या नटी, वर्तीवाल, स्थानीय बनायारी, जीव एवं सून जीवों याम अव्यय तथा नटी के यामी की पुनर्वाप्त या ऐत बदलावन की द्वारा की जानवारी प्राप्त हो सके।
3. लीम लीम की जाति का वैभावावाहिन जाता—

1. हेत बदलावन द्वारा यामी के यूर्जे व्यवस्थाएँनुसार विभित्ति विविहुदी पर नटी में ऐत की जाति के लाती (Lavata) का यामी कर उपरांत आवेदी बदलावन एवं अल्लीसगढ़ की प्रस्तुत किये जाते।
2. पौष्टि-व्यायाम (व्यवस्थाएँ/वर्तीवाही याम) में ऐत बदलावन इसीम करने के यूर्जे हन्दी विभित्ति विविहुदी में वार्तिकिय लीम लीम तथा लीम सेवी के अपलटीय एवं बारबाटीय में १०० वीटर तक तथा उपरांत लीम की बाहर / नटी तथा दिनों और/ से १०० वीटर तक की सेवी में नटी सज्ज के लाती (Lavata) का यामी यूर्जे विभित्ति विविहुदी पर किया जाएगा।

- इसी प्रकार ऐत सत्त्वन समर्पित मानसून के पुर्व (पहले भाग के अंतिम सत्त्वाह/कृति के प्रकार सत्त्वाह) इन्हीं विवर विनियुक्ती पर ऐत सत्त्व के लोडलेवल LoadLevel का वर्णन किया जाएगा।
 - ऐत सत्त्व के पुर्व विवरित विवर विनियुक्ती पर ऐत सत्त्व के लोडलेवल LoadLevel का वर्णन का तार्थ आगामी 3 वर्षों तक विस्तृत किया जाएगा। चौकट-मानसून के अंतिम 3 वर्षों दिवालम्ब 2023, 2024, 2025 एवं श्री-मानसून के अंतिम 3 वर्षों 2023, 2024, 2025 तक अभियांत्रिक रूप से एकाईजार्ड-एफ, अवधीनण्ड का प्रभाव विवर प्रदर्शित किया जाएगा।
 - साथिति द्वारा विद्याव विभाव एवं सत्त्वाह सत्त्वाह संघर्ष करती (पृष्ठ-1) (यो- शीती वृत्त्वामात्रा साथ), वाट और उपसत्त्वाह अन्वाह - 194, वाप-कालावाह, लहरीत-कालावाह, विला-कालाह, कुल लीज दोपकाल 1.12 हेक्टेयर लीज ले कुल 60 प्रतिकाल दोपकाल वे शी ऐत सत्त्वाहन लक्षितात्म 1 ग्रेटर की वहसूई एवं लीपित रखती हुए कुल 11,300 प्रतिवेदन इतिवर्त्ते ऐत सत्त्वाहन द्वितु पर्यावरणीय स्थीरकृति, यानन पट्टी के निष्पादन की तात्त्विक से दो वर्ष तक की अवधि द्वितु चरित्रिक्ट-07 मे वर्णित करती के अधीन दिये जाने की अनुशासा की गई। ऐत की सुधार्द अभियांत्रिय (Manuscript) की जाएगी। विवर बेड (River Bed) मे भारी यात्ती का उपयोग प्रतिवित रहेगा। लीज लीज मे विवर ऐत सुधार्द गद्दे (Excavation pits) से लोडिंग व्यव्हाट तक ऐत या चरित्रित दृक्षय द्वारी द्वारा विद्या जाएगा।
 - सत्त्वाहित स्वाल एवं वर्तीमान मे बेड रॉक (Bed Rock) को उपयोग व्यवस्थित रह वी भीतरी भूकमी याननकी (याननमा सहित) एकाईजार्ड-एफ, अवधीनण्ड मे अभियांत्रिक रूप से प्रस्तुत करते की ताती के अधीन पर्यावरणीय स्थीरकृति की सत्ती अनुशासा की जाती ही।
 - उत्त्वाहन योजना मे उत्त्वाहन विवर जानी करते लीज की वार्षिक ऐत सु-सम्बल लीजी अवध्यन कर्वे एवं तात्वाही अकिही का याननीक व्यवित्र विभाव से इच्छा करन याननकी/याननकी को एकाईजार्ड-एफ, अवधीनण्ड मे अभियांत्रिक रूप से प्रस्तुत करने की ताती के अधीन पर्यावरणीय स्थीरकृति की याती अनुशासा की जाती ही।
 - सांस्कृतक संघर्ष मन्त्रिम विवेदित गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं अन्योन्यित एवं व्यवित्रित गाइडलाइन्स कोर संघर्ष मन्त्रिम, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार याती सुनिश्चित विद्या जाए।
 - इन्फोर्मेट एवं व्यवित्रित गाइडलाइन्स कोर संघर्ष मन्त्रिम, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनु 60 प्रतिकाल केर मे उत्त्वाहन कार्य विद्या याती सुनिश्चित विद्या जाए।

कर्म्म लक्षण परिवर्तन उभाव कार्यवान शक्तिवाल (समृद्धि-एवं एव) उल्लीकृत का तथा नुकसान वर्णित किया जाए।

- मेहरां नंदन नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड, नियमित औद्योगिक दीर्घ-
दाय-स्थीर, अक्षीय-पराक्षीय वित्त-संचयक

अधिनियमकृत सार्वदान — प्रारंभिक नमूना — एकान्तार्थ / शीर्षी / अधिनियमी /
२०१८०८/२०२३, दिनांक २४/०३/२०२३। मेहरां लक्ष्मीसुला नवीन एवं वीर
इकॉप्रोट लिमिटेड को जारी नवीकरणीय स्थीरकृति को मेहरां नंदन नवीन एवं वीर
इकॉप्रोट लिमिटेड के नाम पर बांटवित (Transfer) लिये जाने के अधीन किया
गया है।

इसका का विवरण —

- एकान्त आईटीएस, अक्षीय-पराक्षीय वित्त-संचयक दाय-दीर्घ ३३,
३४, ३५/१, ३५/२, ३६/१, ३६/२, ३६/३, ३६/४, ३६, ३७/१, ३७/२, ३७/३,
३७/४, ३७/५, ३७/६, ३७ एवं ३८ को यूपी बोरडकल ३४४ एकड़ (३४२ लैक्टरी), नवीन
नवीन वित्त आमदा-२,००,००० टन प्रतिवर्ष एवं वी-पराक्षीय नवीन इकॉप्रोट लिमिटेड
जैसे अधिनियमकृत स्थीरकृति-१,९०,००० टन प्रतिवर्ष की है।
- पूर्व में एकान्त आईटीएस, प्रतीकाशाल के द्वारा दिनांक २२/०९/२०१० द्वारा जारा
गया है। मेहरां लक्ष्मीसुला नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड की नमूने में
प्रारंभिक स्थीरकृति जारी की गई है।
- मेहरां लक्ष्मीसुला नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड को जारी प्रारंभिक स्थीर
कृति को मेहरां नंदन नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड के नमूने पर^१
इकान्तार्थकृत लिये जारी नवीन मेहरां लक्ष्मीसुला नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड
द्वारा आगामी द्वारा यूपी बोरडकल द्वारा लिया गया है।
- मेहरां नंदन नवीन एवं वीर इकॉप्रोट द्वारा पूर्व में मेहरां लक्ष्मीसुला
नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड को जारी प्रारंभिक स्थीरकृति के अधिनियम
कारी का वालन लिये जाने वाला शब्द शब्द एवं (Notarized undertaking) द्वारा
लिया गया है।
- मेहरां लक्ष्मीसुला नवीन एवं वीर इकॉप्रोट द्वारा मेहरां नंदन नवीन एवं
वीर इकॉप्रोट लिमिटेड के नमूने को लिये जाने वाला शब्द शब्द एवं (Notarized undertaking)
द्वारा लिया गया है।
- मेहरां लक्ष्मीसुला नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड द्वारा मेहरां नंदन नवीन एवं
वीर इकॉप्रोट लिमिटेड के नमूने को लिये जाने वाला शब्द शब्द एवं (Notarized undertaking)
द्वारा लिया गया है।
- मेहरां लक्ष्मीसुला नवीन एवं वीर इकॉप्रोट लिमिटेड द्वारा मेहरां नंदन नवीन एवं
वीर इकॉप्रोट लिमिटेड द्वारा जारी की गयी प्रारंभिक स्थीरकृति की अंति घोषित
की गयी है।

इकान्तार्थकृत द्वारा दिया गया विचार — एकान्त आईटीएस का आक्षिकान की दिनांक
१७/०४/२०२३ को सामने आयी है तब वे विचार लिया गया। आक्षिकान द्वारा
जारी/दर्शावेज वा अक्षिकान लिया गया। आक्षिकान द्वारा लिया जाना वाला
स्थीरकृति को लिया जाना गया है। पूर्व में जारी प्रारंभिक स्थीरकृति के अधिनियम
कारी को यात्रा वालन में जी जारी जारी जारी की गयी प्रारंभिक स्थीरकृति की अंति घोषित
की गयी है।

प्र० का विवर -

(अ) संग्रहीत तिथि 4838 विनांक दिनांक 10/05/2023:

संग्रहीत द्वारा पढ़ी, प्रकृति जानकारी का अधिकारीन एवं परिवर्तन करने विधाय बोर्ड उपलब्ध कर्तव्यामूली ने फिल्म लिखा गया है भावा जानकारी कर्तव्यामूली, इन और उत्तम विवरण मानसिक, नई बोर्ड द्वारा जारी गोटिक्सेक्सन 2006 [एना शिविर] के फिल्म 11. Transferability of Environmental Clearance (ECo): A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.¹ अन्यथा नज़ारे विवरण हेतु Certified Compliance Report (सी.सी.आर.) की अनुमति हीमें का बहुत जल्दी नहीं है। जारी की परिवर्तन जानकारी द्वारा दिनांक 09/05/2023 के समान से प्रेक्षा जानकारी ने यहां पूँछ द्वारा एकीकृत जानकारी का बहुत जल्दी नहीं दिया गया है। यहां कर्तव्यामूली में यात्रा अधिकारी की जानकारी नहीं है। परिवर्तन जानकारी द्वारा जारी परिवर्तनीय स्थिति की अधिकारीन जारी कर यात्रा दिये जाने जाना यात्रा पर (Notarise undertaking) बहुत ज्यादा नहीं है। यह यात्राएँ बहुत अनुमति नहीं हुई आपको ऐसे प्रेरित है।

यात्रा जारीकृत विवरण उत्तम अधिकारी (एना शिविर) के अन्तर्गत जानकारी की जानकारी दिया जाए।

३. योजना जारी की जाने वाली (प्र०.- दी विलेन्ट बुमार यात्रा), याम-जारी, ताहरील-यात्रालीक, विला-यात्रारी (अधिकारीन का जारी कर्तव्यामूली 1990)

एना शिविर एवं यात्रीजानकारी के द्वा द्वारा दिनांक 1990, दिनांक 23/03/2020 द्वारा दी विलेन्ट बुमार यात्रा, जारी की जाने वाली, याम-जारी, ताहरील-यात्रालीक, विला-यात्रारी, बुल लीव बोर्डेल 458 हेल्पर लीव में, तो यात्रानाम अधिकारीन 1.6 मीटर की यात्राई एक जीमित जारी हुए, बुल 75,000 इनरीजन अधिकारी द्वारा जानकारी हेतु परिवर्तनीय स्थिति जारी दिनांक से 02 दो दिन की अवधि हेतु जारी की गई।

दी विलेन्ट बुमार यात्रा, जारी की जाने वाली, याम-जारी, ताहरील-यात्रालीक, विला-यात्रारी की एना शिविर एवं यात्रीजानकारी के द्वा द्वारा दिनांक 1990, दिनांक 23/03/2020 के यात्राम से जारी परिवर्तनीय स्थिति की विवाद के सांघर्ष में दिनांक 02/03/2023 की परा प्रबल्ल दिया गया है, जिसमें उत्तराधिकारी द्वारा निभान्तराम है।

दी विलेन्ट बुमार यात्रा के यात्रा में याम जारी, ताहरील-यात्रालीक, विला-यात्रारी के जानकारी जानकारी होने वाली 4.56 बिलियन द्वारा दी जानीज जानकारी जो यात्रा दिनांक 18/05/2020 से 17/05/2022 तक नीकूदा है, जिसमें 0.5 लीन लीन जानीज दीत (जानकारी याम यात्रानाम) दिनांक 2019 की दिनांक 04 की तात्पर बुल स्थिति अवधि में एक दो दिवारीज जानी हुए यात्रा दीत में दिनांक 18/05/2020 से 17/05/2023 तक जानीज याम नीकूदा है। नीकूदा यात्रारी याम में दो यात्रानाम हेतु याम जारी परिवर्तनीय स्थिति जानी दिया गया है।

एवं नोटिफिकेशन दिनांक 18/01/2021 इति एक वर्ष का पैसल वित्तीय दिन
पूर्ण। तात्पुर 22/03/2023 तक व्यवहार सहमति दिये हैं।

भारत सरकार पर्यावरण, बन कीर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिभूमि का दिनांक 12/04/2020 की तिथि १ (१) में लोक शिष्य गण द्वारा आगे "पटना जलवायु परिवर्तन नियमी" के नियमितीयों के पासमें मैदान खेत चुड़े के लिए वाहन के लिये से दिए जानी वाले द्वारा आगे के लिये वाहन में यात्रियों तक देता है कि पर्यावरणीय सीमिति जिस दिनांक से लगू होगी उसे ज्ञात करा पर्यावरण वाहनीय 23/03/2020 से ३ वर्षों के लिए जित है? यह लोक अनुकूल दिनांक 18/06/2020 से ३ वर्षों के लिए जित है?

प्रार्थित दूसरा वैकल्पिक में विलाप - प्रार्थित दूसरा वैकल्पिक में विलाप की दिनांक
17/04/2023 की साप्तर्ण 144वीं वैकल्पिक में विलाप विलाप करा। प्रार्थित दूसरा वैकल्पिक में विलाप करा।

प्राचीन कल्प द्वारा लिखा गया था कि नानीय एवं तीर्ती द्वारा जारी दिव्य-गिरिजाओं द्वारा आकर उत्तम अवश्यक, बन की इस उत्तम अवश्यक विजयालय, वह द्वितीय द्वारा काम्य-दाम्य पर जारी अधिकारिताओं एवं अधिकारी में संवेदनशीलों के वर्णनेका में वर्णित उपलब्ध उत्तम अनुसूचा लिखे जाने हेतु प्रकल्प को एकटुकरी, सुनीलकरण की समझ प्रभाव दिये जाने का निर्देश दिया गया।

How we filter -

શ્રી અમિત રીતાડી કોર્પુસ મિશન 10/09/2023

परिविति द्वारा नवीनी, प्रमुख जगत्कारी का अवलोकन एवं परीक्षण का प्रयोग सभी पर लिया गया है।

1. आदिति सम्बन्धी नोटिस की वार्ता विभाग द्वारा ऐत उत्तराधिकारी दिनांक 10/05/2020 से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था एवं वह विभागीय कानून द्वारा दोष के मौजूद दिनांक 10/05/2020 से 17/06/2020 तक समाप्ति पढ़ा स्वीकृत किया गया। इससे स्वतं परीक्षण कारबाह परीक्षण विभाग, छ.प. के प्राप्त दिनांक 23/03/2020 द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु परीक्षणीय स्वीकृति जारी किया गया।
 2. भारत सरकार, परीक्षण, उन और उत्तराधिकारी मंत्रालय, नई नियमी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक का.अ. 1807(34), दिनांक 12/04/2022 की अनुसार "Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease." का उल्लेख है।
 3. भारत सरकार, परीक्षण, उन और उत्तराधिकारी मंत्रालय, नई नियमी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक का.अ. 1807(34), दिनांक 12/04/2022 की अनुसार "B4. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid." का उल्लेख है।
 4. उल्लिखित द्वारा याद करा लिया गया भारत सरकार, परीक्षण, उन और उत्तराधिकारी मंत्रालय, नई नियमी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 की प्राप्ति

की अनुलाल याचन नियंत्रण के गठनों में पर्यावरणीय स्थीरता की बाबत छान बढ़ावे के नियादन तारीख से बाह्य होती।

साथ ही समिति द्वारा यह भी याचन दिया गया है कि याचन अनुलाल, उद्योगपत्र, वन और जलवाया परिवर्तन मंडलाधीय, नई वित्ती द्वारा जारी अधिनियम छानबद्ध कराया, 18/07/2021, दिनांक 12/04/2022 के प्राप्तानी के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में लोटिना बायरल के प्रबोन की देशी दुप्रे और लोटिना दुप्रे लोटिना बायरल के लिए संचित लोटिना दुप्रे की दृष्टि में इस अधिनियम के दफ़तरी के अधीन बन्दूर पुरे लोटिना दुप्रे स्थीरता की नियिकानामा की अवधि की बाबत के प्रधानान के लिए विचार नहीं विचार जाएगा तथा पर्यावरणीय स्थीरता की संकेत में यहां जारी हो दीजान अपनाए गये सभी विचारकालीय नियिकान गमने जाएंगे।

- a. पर्यावरण अधिनियम की समिति का संविधान ही यह है कि पर्यावरणीय स्थीरता की वित्ती की गणना लोटिना दुप्रे के नियादन तारीख (दिनांक 18/05/2020) से भव्य होती है। विचार कि पर्यावरणीय स्थीरता की वित्ती दिनांक 17/03/2022 तक ही। यूपी राज अधिनियम दिनांक 12/04/2022 के अनुलाल दिनांक 18/05/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक की अवधि की पर्यावरणीय स्थीरता की गणना में जामिल नहीं विचार जाने की कलान आवश्यक बदलाव की पर्यावरणीय स्थीरता की वित्ती दिनांक 31/03/2022 तक ही।

समिति द्वारा विचार दिया गया उपरोक्त संविधानीय स्थीरता नहीं से परिवर्तनाक प्रस्तावक की अवगत करने के बारे की अनुसंधान की गई।

इस तारीख पर्यावरण ध्वनि अनुसारण प्राधिकारण (एसडीआरएस), राजीवगढ़ की अधिनुसार सुनित वित्ती याए।

वित्ती अनुसार ज्ञान की साथ संवेदन हुई।



(श्री रैकेश मेहता)

सदस्य समिति

राज्य सार्वजनिक वित्तीकालीन समिति
सार्वजनिक



(श्री कौरी नायक)

अधिकारी

राज्य सार्वजनिक वित्तीकालीन समिति
सार्वजनिक

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੀ ਰਾਹਾਂ ਕਾਰੋਬ (136/ਪਾਟੀ), 140/2, 140/4, 140/6, 141/1 ਅਤੇ 141/2 ਦੀ ਲੀਜ
ਵੱਡੇ 3.779 ਲੈਕਟੋਨਾਰ, ਗਾਮ-ਕਾਰਡਨਾ, ਪਾਸੀਜ਼-ਕਾਨਗੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ-ਪੰਡਾਲ-ਕਾਨਗੁਰ
ਚੌਥੀ ਮੰਨੀ ਗੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬ (ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬ) ਲਾਲਕਾਨੀ - 2,00,000 ਟਙ [100,000 ਪਾਨੀਵੰਡਾ]
ਲੀਜਾਂ ਲੰਘੇ ਪਾਂਤੀਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ

यह पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जिम्मेदारी नाहीं कर सकती है। वह इन वार्ता को बदल देने की चाही जारी रखा कर्कट से पातल करना गुणवत्ता के लिए चाहिए।

8. भू-जल के अवयोग (विविध मिला जाता हो गया) हेतु कंचीव भू-जल सेवा से उत्तमता आरंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त की जाए।
9. शिल्पी शिल्पी / ईट / चाहौद सोर्स से पाइपलेट बैंक उत्तराखण्ड की जाता हो निर्मितियाँ / गामन्य वनस्पति से कम सुनिश्चित निष्ठा जाए। छोटे बड़ी ट्रांसफर चांडियां (विविध बोहे होंगी) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कठ एकलटुकड़ान शिल्पालय के गाम तात्पुर उत्तराखण्ड का बैंक फिल्टर उत्तराखण्ड की जियोकल प्रणाली एवं नियंत्रित कर के विषय जाए। व्यूथ नारे, रेष्ट, चांडियां बोहे, भवार्ह एवं अन्य रेष्ट उत्तराखण्ड निर्मिती जल संटोषित कर उत्तराखण्ड शिल्पालय एवं उत्तर शिल्पालय की व्यवस्था की जाकर इसका वायु प्रदूषण / गाम नियंत्रित किया जाए। निष्ठा द्विसिंग बींस का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहनी, उत्तराखण्ड एवं अन्य प्रदिव्या के उत्तराखण्ड वायु इन्स्पेक्टर नियंत्रित वायुप्रदूषण, 1998 एवं वायु (इन्स्पेक्टर नियंत्रित वायु नियंत्रित) अधिनियम, 1991 के उत्तराखण्ड वायुप्रदूषण के अनुसार उत्तराखण्ड जाएगा। उत्तराखण्ड क्षेत्र में विशेषित वायु की गुणवत्ता वाया संवर्धन के प्रयोगिता, बन और जल वायु परिवर्तन गंतव्यता, एवं शिल्पी द्वारा अधिकृति वायनों से अविक्षित नहीं होनी चाहिए।
11. लीज बोर्ड के वायु वायक छोड़ी गई 7.5 लीटर की ओड़ी बट्टी में लोडे बैंक का उत्प / उत्तराखण्ड नहीं किया जाए तथा इस बट्टी में उत्तराखण्ड किया जाए।
12. उत्तराखण्ड प्रदिव्या के दीर्घन इटाई एवं उत्तराखण्डी (ट्रॉप बोही) का उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड के वायनों की वृत्ति के पुराव इन्स्पेक्टर अन्या वायनी औत्तराखण्ड की निष्ठा (ट्रॉपिकलाइन) कानून में किया जाए। उत्तराखण्डी (ट्रॉप बोही) को लीज बोर्ड के बाहर वृक्षक से नियंत्रित करने की अनुमति नहीं होती।
13. औत्तराखण्ड एवं अनुवायी/शिल्पी अव्योग वायिज (बैंक बींस) की वृक्षक से दूरी की नियंत्रित व्यावरण कर उत्तराखण्ड किया जाएगा। इस प्रकार के उत्तराखण्ड वायनों को उत्तिर प्रकार से सुखीत तरीके द्वारा उत्तराखण्डी अन्या-वाया की वृत्ति कर नियंत्रित प्रकार न बाल जाती। इस की वायनी ३ बींस तथा बर्टिय ज्व. शिल्पी से अविक्षित न हो। औत्तराखण्ड अन्य का बायन लोकों द्वारा विशालिक तरीके से उत्तराखण्ड किया जाए।
14. जही तक सोनव हो औत्तराखण्ड एवं अन्य अनुवायी/शिल्पी अव्योग वायिज (बैंक बींस) को व्यावरण के उत्तराखण्ड वायनों में पुनर्जलन (वैक शिल्पी) हेतु उत्तराखण्ड किया जाए, ताकि वृत्ति का वूत उत्तराखण्ड वायनों वायिज उत्तराखण्ड अनुमति प्रदिव्या नियंत्रित किया जा सके।
15. परिवर्तनात्मक उत्तराखण्ड एवं सुनिश्चित किया जाए कि उत्तराखण्ड प्रदिव्या से उत्तराखण्ड लीज बोर्ड के अन्या-वाया की वायनी जल संरक्षण में प्रवाहित न हो। इसे लीज बोर्ड द्वारा वायनी वैट तथा वृक्ष बींस के नियंत्रित बींस / गामवायन द्वारा वायना वायनावायन काय नहीं की जाए।
16. लुनिज जा परिवर्तन योक्तवेत्ती कवाही वायन से किया जाए, ताकि लुनिज वायन से वायन नहीं किये। लुनिज का परिवर्तन कर रहे वायनों की वायना से अविक्षित नहीं कर जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सीटुल्सार (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निष्ठानुसार उत्तराखण्ड पर कार्य परिवर्तन उत्तराखण्ड वायनों की अवार्गत किया जाए—



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.7	Following activities at Village- Engaon	
			Pavito Nirman	0.7
			Total	0.7

18. सीईआर के द्वारा प्रदित्त आवेदनी 08 गांव में अनियार्थी काम से पूरी लिया जाए। सीईआर के उपलब्ध उत्तराधिकारी को इसी पूरी कामकाज संबंधित द्वारा नियमित से कामयाप्ति प्राप्तिशेषण द्वारा काम अधिकारीक नियोर्ड में समर्हित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना जापका उत्तराधिकार होगा। कुलांगाम आवेदन होने का पर्यावरण स्थीरता नियन्त्रण की जारीनी।
19. सीईआर को बहुत धूमित रूप नियन्त्रण के लाभ (एकाडम, कार्टम, कर्टम, जामु, नीम, अम) क्षात्रीयण हेतु प्रस्तुत आवास अनुसार 600 गांव पीड़ी के लिए राशि 35,000 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 30,000 रुपये, गांव एवं नियार्थी के लिए राशि 25,000 रुपये, रस-प्रदाता आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रदान कर्ता में कुल राशि 1,12,000 रुपये तथा आवासी 4 लोटों में कुल राशि 1,52,000 रुपये हेतु वाटरबाट व्यय का लिया प्रस्तुत किया गया है। परिवोज्ञा प्रस्तावक द्वारा यान पर्यावरण हुरनारी की आवश्यित उपलब्ध द्वारा प्रदानकर्ता हुरनारी के अनियार्थी द्वारा जापका में योगदान द्वारा (आवास जमानक 55, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेएर) को लोकों में प्राप्तुत प्रदान अनुसार कर्ता पूर्ण करें।
20. सीईआर एवं क्षात्रीयण कर्ता के अनियार्थित एवं पर्यावरण हेतु फि-जीवि समिति (जीवरक्षण/प्रतिबन्धि) द्वारा जापका के प्रदानियार्थी/अनियार्थी एवं लिया प्रदानकर्ता अभीवारण उपलब्ध संस्करण मन्दिर के पदाधिकारी/प्रतिबन्धि) गठित किया जाए। जाव की सीईआर एवं क्षात्रीयण का कार्य पूरी लिये जाने की उपलब्ध गठित फि-जीवि समिति से समर्पित कराया जाए।
21. जाव की नियन्त्रण रूप/अधिकारी नियन्त्रण हेतु खाल जा जाये, एवं सभी खाद्यान/खाद्योंग/भट्टा के नियन्त्रण के जाव-जाय सीईआर के लाभ अपार्ह द्वारा कामये गये कार्यों का नियन्त्रण भी अनियार्थी रूप से करना आवश्यित लियोरहानी होगी।
22. उत्तराधिकार हेतु लियिद लैन (वार्षी ताप 7.5 मीटर और कीषा 100), हील लैन, बोर्डवॉल्ड जाप आदि में स्थानीय प्राजातों के 1,500 यूडी का सापन क्षात्रीयण किया जाए। युडी जाप का लियासा हॉन्टीय प्रदूषण नियन्त्रण कीर्ति की यानीदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. ज्ञानप्रियता के उपचार एवं जापका द्वारा की 2023-24 में लीज कीज के अनुसार जह, नीम, कार्टम, सीम, अम, इचली, अरुन, चीम आदि जाव क्षात्रीयण उपलब्धी के ग्राम गांवों का लीजन (कुल 2,300 गांव गांवों) जापका के खुले कीज में किया जाए। लीजन को सुलिला रखने के लिये सुधारका एवं पर्यावरण जापका (जाव काटेकार ताप के जह अन्य द्वी गांवों का उपचार) किया जाए। सुधार उपलब्ध नहीं होने की दशा में संवर्धित जाव पर्यावरण द्वारा की जावका ज्ञानप्रियता द्वारा में ज्ञानप्रियता अनुसार क्षात्रीयण

किया जाए। ५. फीट से ८ फीट तक वर्ष के लोहों का ही नीतम् लिया जाए। सरकारी सुनारेखा इसम् वर्ष में पूरी किया जाए। सुनारेखा नहीं करने पर वर्षीय पर्यावरणीय सीमुद्धि उत्कर्ष नियन्त्रण की जा सकती है।

२४. नीतित लिये जाने के लिये एवं नीतों में संख्यांकन (Numbering) एवं लोहों के नाम का सरलीकृत बनाए हुए फोटोडायरा अंकित जनकारी जलन प्रतिक्रिया की जाए जाए जाए।
२५. नाटुरियल लीज लोह के लोहर एवं चाहा चाहन सुनारेखा लिये जाने एवं नीतित लोहों का सरलीकृत रेट (Surveillance rate) वा अंकित सुनिश्चित लिया जाए। जब ही सुनारेखा का रेट-रेट आगामी ५ वर्ष तक सुनिश्चित करने हुए जुह लोहों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
२६. जिवे एवं सुनारेखा की पूर्ण हेतु डोजी-एस. (Incremental Global Positioning System) जैसे एवं फोटोडायरा अंकोरित लियोर्ड ने समाजित करने हुए सरलीकृत पर्यावरण लोकान् गवाह एवं एक ही अई-एप, प्रतीकान्द्र जो दोनों किया जाए।
२७. परियोजना प्रशासक द्वारा २.५ मीटर अंतरिक्ष लोह में इसारित करें एवं नीतीकार के लालू उत्तराधित लोहे करना नहीं जाये जाने पर वर्तीवाली सीमुद्धि को लिया जाने की जरूरतही नहीं जाएगी।
२८. परियोजना से जिन-जिन लोहों की सुनिश्चित जाट उत्तरांग होगा, जो लोहों पर लियोरेत जल विकास की जगत्ता किया जाए।
२९. परियोजना प्रशासक द्वारा जिन्हें उत्तरांग का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
३०. परियोजना प्रशासक द्वारा लोह, पीला, गहरा, नहीं, नस्ता एवं अन्य जल लियाती की संख्या एवं जांचांग लिया जाए।
३१. परियोजना प्रशासक द्वारा ज्ञानी प्रदूषण के लियाजाए हेतु आवायक जलाय लिया जाए। ज्ञानी जा सार उत्तरांग लोह में दिन के समय ७५ DB(A) एवं राति के समय ८० DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ज्ञानी जांचे लोहों में काम करने के लियों की दृष्टिक्षण/ग्रह आदि प्रदान किए जाएं एवं एह गम्भीर-हमता जा लियेंसालीक जीव एवं अवधारक उन्मार उत्पाद उपयोग भी करना जाए।
३२. गहरा प्रतिक्रिया / डी-बी-एस-एस. से अनुमति उपलब्ध लियोरेक्ट लोहीना जाए (Explosive License Holder) द्वारा सुनिश्चित एवं लियोरेत लिये से कानूनी उत्तरांग लिया जाए। परम् के छोटे-छोटे लुकड़ों (उत्तरांग लोहों) की उड़ाने की लोकने हेतु पर्यावरण एवं स्वास्थ लाभान् लिया जाए। एट लुकिंग अवध जापु प्रदूषण लियोरेक्ट ज्ञानी उत्तरांग लियोरेत जाए, जिसी उत्तरांग नियोजन में रहे।
३३. उत्तरांग लुकिंग औ-जल जार के द्वारा उत्तरांग प्रदूषण में जी जाएगी एवं उत्तरांग लुकिंग औ-जल जार के नींवे लियी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
३४. उत्तरांग की लुकिंग द्वारा प्रकार सुनिश्चित रही जाए जो जानीय लियत बनाराईयों एवं जीव-जन्मुद्धि पर दृष्टिक्षण न हो। लोह में जाये जाने वाले इन्वर्टिंग जीव-जन्मुद्धि बनाराईयों का वास्तुवित जोखान अपना दर्शित होगा।
३५. परियोजना प्रशासक द्वारा जीव व्यक्ति का उत्तरांग सरलीकृत गीव लक्षित लियन, २०१० के जनवानी, उन्मोदित उत्तरांग जीवन एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। जाइन एवं १९९२ के ग्राम्यानी का जलन किया जाए।

35. कार्य कदम पर जहि कोरियन अधिक कार्य वर समाप्त चलती है तो ऐसे अधिकारी के अनावा एवं सुखा हेतु अधिक अवासा परियोजना प्रस्तावक द्वारा जी जाएगी। अपार्टमेंट अवासा अधिकारी अवासानी के काम में ही जाहती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. अधिकारी जो लिए खाना खेल वर समाप्त प्रयोग सिनियोरिट गुरुभिया, गोदावरी द्वारा जी जी अवासा परियोजना द्वारा जी जाए।

37. अधिकारी जो लिए खाना खेल वर समाप्त प्रयोग सिनियोरिट गुरुभिया, गोदावरी द्वारा जी जी अवासा परियोजना द्वारा जी जाए।

38. अधिकारी का समय-समय पर अवासानीपत्र हेतु अधिकारी कराना आवश्यक है।

39. उत्तमनम की तकनीक, कार्य होना एवं अनुचित सुलभनम बोलना के अनुसार परिक्षण, जिसमें उत्तमन, सुनिश्च की बात एवं कर्मठित समिक्षित है, में जिसी भी प्रकार का परिक्षीण एसडीआईएए, एसीएमए, / परीक्षण, वन और उत्तमानु परिक्षीण एसडीएए, भाला पालका की दृष्टि अनुसार के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्थीरता की जाती कली का आवाय हिसी व्यक्तिगत अथवा अन्य गमनीय पर अधिकार दाती हो नहीं है एवं यह यह पर्यावरणीय स्थीरता किसी नियोगी सम्पत्ति की सुविधान परिवारे अथवा अधिकारी की अतिकरण अथवा बिना, एवं कर्तनीय कानूनी / जिसीकी वी उत्तमन हेतु अधिकृत करता है।

41. एसडीआईएए, एसीएमए, परीक्षण संकाय की हृषि गी, परियोजना की समीक्षा में परिक्षीण अथवा अधिकृत जाती हो संकीर्णत जल संवर्धन व कली की दाता में किसी भी जाती में गमनीय/गिरना करने अथवा नहीं जाते जीहने अथवा एसडीएए / नियोग की नामकी की जीर उत्तम करने का अधिकार गुरुभिया रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम ३ लक्षीय राशीवाह पक्की हो, जो कि परियोजना हीर के आव-पास अवासक का से प्रस्तावित हो, पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त होने के २ हिसी के भीतर इस अवाय डी सूखना उत्तमीत करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त हो जाए है एवं पर्यावरणीय स्थीरता पर की अधिकी समिक्षालय, परीक्षण परिवरण अधिकार उत्तम उत्तम अवास की आवलोकन हेतु उपलब्ध है। जाता ही इसका अवासान एवं एसडीएए, एसीएमएक की वेबसाइट parivesh.nic.in वर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्थीरता में ही जहि जाती के उत्तम हेतु भी वह कार्यकारी की अव-परिक्षणीय सुलीकरण परीक्षण संकाय, उत्तम नवाए लीवीय कार्यालय उत्तीर्णपूर्ण परिवरण संकाय अवास, जिसी-हुई, एसडीआईएए, एसीएमएक एवं एकीकृत लीवीय कार्यालय, परीक्षण, वन एवं उत्तमानु परिक्षीण संकाय, अवास अवास, राष्ट्रपुर की अधिकृत किया जाए।

44. एकीकृत लीवीय कार्यालय, परीक्षण, वन एवं उत्तमानु परिक्षीण संकाय, अवास अवास, राष्ट्रपुर द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता में प्रदत्त जाती के उत्तम की वामिटीन की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उत्तम हिए वर दस्तावेजी एवं अवासान का पूरी सेट एकीकृत लीवीय कार्यालय, परीक्षण, वन एवं उत्तमानु परिक्षीण संकाय, अवास अवास, राष्ट्रपुर की अधिकृत किया जाए।

45. एसडीआईएए, एसीएमएक, परीक्षण, वन और उत्तमानु परिक्षीण संकाय, अवास अवास / एकीकृत लीवीय कार्यालय, परीक्षण, वन एवं उत्तमानु परिक्षीण संकाय, अवास अवास, राष्ट्रपुर / लीवीय प्रावक्षण जिप्रेजन बोर्ड / एसीएमएक पर्यावरण संकाय अवास की विज्ञापिती/अधिकारितों की जाती की अनुवालन की जाती व की जाती वामिटीन हेतु दूरी सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिनियोजित जाती का अनुवालन करना नहीं पड़े जाने का पर्यावरणीय स्थीरता की जा सकती।

46. विधीवाला प्रसारण के अलीगढ़ महाविद्यालय संस्कृत विभाग एवं नाच नृत्य विभाग द्वारा की गई जारी की अधिनियम काय से वाला कहेगा। ऐसी फैल (प्रसूत विभाग तथा विशेषज्ञ) अधिनियम, 1974 वाले (प्रसूत विभाग तथा विशेषज्ञ) अधिनियम, 1981, विधीविद्यालय (संस्कृत) अधिनियम, 1988 वाले इनकी तात्पुर बनाये गये नियमों, विधीविद्यालय और जन्म अधिनियम (प्रसूत तथा विशेषज्ञ विभाग) वियम, 2010 वाले लोक विधिव बीमा अधिनियम, 1991 (काय लोकविधि) की अद्वितीय विवरणित ही जा सकती है।
47. उपलब्ध विधीवाला के बारे में एसईआईएस, अलीगढ़ में उच्चत विभाग में कोई भी विवरण अलग विवरण होने की दशा में एसईआईएस, अलीगढ़ की दुन नीतीन ज्योतिरामी गविन सुनित विद्या वाले, ताकि एसईआईएस, अलीगढ़ इस पर विचार कर जाती की उपयुक्तता आवाज नहीं जारी नियम करने वाला निर्णय ले सके। वाक्यम में कोई भी विवार अलग अलग एसईआईएस, अलीगढ़ / पर्यावरण वन और जलवायन विभाग वाला नवाचार की पूरी अनुमति के बिना नहीं विवार करें।
48. अलीगढ़ महाविद्यालय संस्कृत विभाग अधिकृतीय सीमिती की छत्री को उनके संकेत कार्यालय, वित्त-व्यापार एवं उद्योग कोष एवं कांस्टेटटर/वित्तसंसदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय अधिकृतीय के विवर अधीक्ष नेतृत्व सीम द्विवृत्ति की साथ, नेतृत्व सीम द्विवृत्ति इकट्ठ 2010 की घास 10 में लिए गए प्राकानी अनुपात, 30 दिन की साथ अवधि में की जा सकती है।


कायवाल विधिव, एसईआईएस


कायवाल, एसईआईएस

मेहरी गहावीन इंजिन इंटर्नेट लिमिटेड

(मिशनोवारा कार्डिनली फॉन कार्पो, ऑफिसर्स- भी सुनील जीन)

मेरी खाद्य उत्पादक ४३१/३, ४३०/१, ४३०/२, ४३०/३, ४३१/१, ४३१/२, ४३२, ४३३ तथा
४३४, मुख्य लौह क्षेत्र २.७५ इकड़ीयर घाम-गोदावरीज़्या, गोदावरी-ज़ंबाब्बू ज़ीन,
भिंडा-गोदावरी-गांधीगढ़ ज़ीन में स्थानान्तर पर्याप्त (प्रैरें वर्गीकरण) उत्पादन -
४०,००० टन (२०,००० टन/प्रैरें) अंतिम रुद्धि पर्यावरणीय स्थीरता में दी जानी वाली रुद्धि

**इस पर्यावरणीय स्थीरता विभिन्नता की क्षमीत दी जा रही है। लेकिन इन जाती की
मुख्य घाद्य में यहां वार्षीय रुद्धि भी आवश्यक एवं सुनिश्चित किया जाए।**

१. इस पर्यावरणीय स्थीरता अंतिमतम उत्पादन कीमत क्षेत्र २.७५ इकड़ीयर घाद्य
गोदावरीगढ़ ज़ादान घाद्यान्तर पर्याप्त रुद्धि लौह (ज़ीनों में से जो कम
हो) हेतु आव्य होता। इसी उपर घाद्यान्तर की स्थानान्तर पर्याप्त का अंतिमतम उत्पादन
४०,००० टन (२०,००० टन/प्रैरें) अंतिम तो अंतिम नहीं होता। लौह क्षेत्र की सीमाओं
का लीमानन्द ज़ादान घाद्यान्तर पर्याप्त मुद्राएं लगाया जाए।
२. यदि घाद्यान्तर लौनीज विभाग द्वारा अधिकृति दिली जाता है तो पर्यावरणीय
स्थीरता आव्य नहीं होती।
३. पर्यावरणात्मक प्रस्तावक द्वारा घाद्यान्तर से उत्पादन एवं लौह सुरक्षित जाते हैं तो
हो उत्पादन की उत्पादन एवं उत्पादन घाद्यान्तर किया जाए।
४. पर्यावरणीय स्थीरता की कैफल भास्तु समझार की पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन
मंज़ूरतय द्वारा जारी इंडिया-नॉटिफिकेशन, २००८ (जन गोपनीयता) के ज़ादानों के
तात्पर्य रहती।
५. भारतीय एन्डोर्सी के अंतिम दिनांक २८/०२/२०२१ के अनुसार इंडिया-द्वारा
मार्गीनिंग पर्याप्त एवं पर्यावरणीय स्थीरता की जाती का आवश्यक सुनिश्चित करते जाने हेतु
परियोजना इन्हाँवक को उत्पादन विभाग नियुक्त करता है।
६. औदोगिक इंतिया एवं घाद्यान्तर से उत्पादन दिली भी प्रकार से सुरक्षित जाते को दिली
की अवधा जारी जाते रहते होती में दिली भी पर्यावरणीय में नियमान्वित नहीं किया जाए
अधिकृत होने प्रतिया में अवधा पूरातेपाल हेतु दुर्घातवोग किया जाए। लौह सुरक्षित जाते
की उत्पादन की लिए सेपिटक ईक एवं गोरक्षीट जी घाद्यान्तर की जाए एवं जल की
दिली भी अवधा जारी रहते होती में दिली भी पर्यावरणीय में नियमान्वित नहीं किया
जाए। सुरक्षित जाते एवं पर्यावरणीय जा जल जाप्त में ज लिलने देने हेतु भी व्यक्तियों की
जाए। उपरांति सुरक्षित जाते की मुख्यतया घाद्यान्तर, पर्यावरण, जन और जलवायु
परिवर्तन, गंधारय, जहू दिली द्वारा अधिकृति मानक जात्या एवं गोदावरी-पर्यावरण
संस्करण संहार द्वारा अधिकृति मानक (जो भी कठोर ही) के अनुसार सुनिश्चित किया
जाए।
७. अपनी बदला घाद्यान्तर घाद्य राशान्तर द्वारा जाने की घाद्यान्तर (after ceasing mining
operations) उत्पादन क्षेत्र दिली भी आव्य क्षेत्र जो कि उनकी उत्पादन नियमान्विती के
उपरांत प्राप्ति (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी भी-प्राप्ति
(re-grassing) भी जारी एवं उने जा जुनक्याप्ता इस लियति तक किया जाएगा。
दिली यह जारी वर्तमानीय, जीवी अवधि को उपलिंग हेतु उपयुक्त हो। परियोजना

- प्रस्तावक द्वारा समय प्रभिकारी से अनुचित वाईन बलोंवाल पत्रान एक वाह के भीतर प्रसूत किया जाए।
8. भू-जल के उपयोग (यहि विषय जला ही नहीं है) हेतु कैनॉन भू-जल कोई से उत्तरान आवश्यकता की गूंज अनुचित प्रक्रिया ही जाए।
 9. डिसी विस्मी / ई / चार्ट लोस से पार्टिकुलर रिट उत्तरान की गति 30 मिनीटोंम / साथान्य इन्विट तीव्र गति अनुचित किया जाए। अतः गवीन् द्वारा उपयोग (यहि कोई ही) में वायु प्रदूषण विवरण हेतु कस्ट एक्सट्राक्शन विस्तार के जाव उत्तरान का देख विलेट ज्ञानप्राप्त किया जाए। गवीन् द्वारा उपयोग गवीनीतियों के विवरण इन्विट तीव्र गति वायु प्रदूषण एवं विवरण व्यापारी एवं विवरण जल से किया जाए। घूम वार्ग ईए जाइफ्स लीज बनाई एवं अन्य उक्त उत्तरान विन्युजी कस्ट कैटेनेन्ट कम उत्तरान विस्टम पूर्व जल विकासव की वायावा की जाव इकाया वायु वायावा / साथान्य सुनीतियां किया जाए। विष्व गवीन् वीज वा विष्वम सुनीतियां किया जाए।
 10. वाहनी, उत्तरान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्तरान वायु प्रदूषण की वायावा वायावा व्याप्तियां, 1995 एवं वायु (विन्युज विवरण तथा विवरण) विवरण, 1996 की वाया विवरण वायावी के अनुकूल रखा जाएगा। उत्तरान लीज में परिवर्तीय वायु की वृद्धिका वायावा उत्तरान के प्रयोगवाय, वन और जल वायु परिवर्तन बंधावाए नहीं विस्टी द्वारा अविसुन्धत वायावी से अधिक नहीं होनी चाहिये।
 11. लीज लीज की वायी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की लीजी पट्टी में कोई वैस्ट वा जम / वायावान्य नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में दुखावेय किया जाए।
 12. उत्तरान विवरण के दीवान बाटाई गई उत्तरान विन्यु (ट्रीप लीहिं) का उपयोग उत्तरान हेतु उत्तरान में न आने वायी भूमि के युन लहान हेतु अपना वायावी अवायवीन की विस्त (स्टेपिलाईज) काले में किया जाए। उत्तरान विन्यु (ट्रीप लीहिं) को लीज लीज के वायप युवान से वायावाने की अनुचित नहीं होगी।
 13. लीवरबहीन एवं अनुपर्योगी/विसी अद्योग व्याप्तियां (विस्ट लीज) को पुरान से गूंज से विवरण व्याल पर वायावाने किया जायेगा। इस प्रकार के वायावान व्यालों को उपरिव व्यापारी से वृत्तिकृत रही जाए ताकि वायावान परिवर्तन अवाव-पावा की भूमि पर विवरण व्यापार न जाल जाए। उप्प ली लार्वा 3 लीहिं तथा लीहोग 28 विसी से अधिक न हो। लीवरबहीन जम वा जल रोकने हेतु विभिन्न तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
 14. जही तक लोग ही लीवरबहीन एवं अनुपर्योगी/विसी अद्योग व्याप्तियां (विस्ट लीज) को वायान से वायावा वायी गद्दों में वृक्षारोपण (किंवद्दिग) हेतु उत्तरान किया जाए। ताकि भूमि का मूल वायावी अवाव व्यापित वैलियां वायावी व्यापित व्यापित किया जा सके।
 15. परिवोजना द्वारा उत्तरान एवं वाया व्यापित किया जाए कि उत्तरान प्रक्रिया से उत्तरान विस्ट लीज लीज के अवाव-पावा के वायावी जल व्यालों में प्रवाहित न हो। इसी रोकने हेतु वायन वीट तथा जम लीज में विवरण लीज / वायावान भूमि की व्यापार वायावान का से की जाए।
 16. वायित का परिवहन बैननेवाली कवाट वाहन से किया जाए, ताकि वायित वायन से वायाव नहीं गिरे। वायित का परिवहन वाय गही वायावी वायी वायावा से अधिक नहीं गही वाया व्यापित किया जाए।

४८. व्ही.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) ट्रस्ट नियामन समिति पर कार्य
परिवर्तन उद्देश दोषका के लियाँ लिए जाएः—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at nearby Village- Naschakohda Pavitra Van Nirman Total	3.06 3.06

- सीईआर के लक्ष्य नियोगित कार्यकारी दल नाम में अनिवार्य रूप से पूरी लिपा जाए। सीईआर के कार्यकारी प्रस्तुतियाँ वर्षीय के बारे की संस्कार संबंधित याम कार्यकारी वीकारेयों अधिकारेन प्राप्त कर अधिकारीयक लिफेट में समर्पित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्य की संस्कार संविधानित रूप से आपका उत्तरदातित होगा। इनकीनाम साक्षरता होने पर नामिता गोदूर्धि नियम की आवेदी।
 - सीईआर के अंतर्गत 'पर्यावरण वन नियोग' के लक्ष्य [जांचना, काढ़न, बह वीपल, नीर, आप, अद्युत, वेत आदि] तुलादीयम द्वारा प्रस्तुत अनुसार 500 वार्षीय वीकारी के लिए लाई 45,000 रुपये, वीकारी के लिए वार्षीय 20,000 रुपये, नियोगी रूप साथ के लिए लाई 20,000 रुपये, राज-साक्षर आदि के लिए लाई 24,000 रुपये, इस प्रकार प्राप्त रूप में कुल राई 1,08,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राई 1,08,000 रुपये द्वारा प्रत्यक्षावान वाय का वितरण प्रस्तुत किया जाय है। परिस्थिति व्यावाहारिक द्वारा याम कार्यकारी नीतियोंका के सामने संस्कार आवाहन लिया (प्राप्त आदि राजसु त्रैमासिक 452, बीजपल 0.200 हेक्टेयर) के साथ में प्रस्तुत अनुसार कर्वी पूरी करें।
 - सीईआर एवं तुलादीयम कार्य के नामितावित एवं पर्यावरण द्वारा विभिन्न विभिन्न विभिन्न/प्रतिविधि, याम विवाह की पदार्थिकारी/प्रतिविधि एवं वित्त प्रशासन या विभिन्न विभिन्न पर्यावरण कार्यकारी व्यक्ति के पदार्थिकारी/प्रतिविधि गतिश वित्त जाए। याम की सीईआर एवं तुलादीयम का कर्वी पूर्ण किये जाने के समर्थन नहिं विभिन्न विभिन्न विभिन्न से जालानित राजस्व जाए।
 - एवं वी नियोग वस/अधिकारी नियोग द्वारा राजसु वाय आदि, एवं उन्होंने वासन/वालीय/वाट्टा के नियोग ली काज-साक्षर सीईआर के लक्ष्य आदि को द्वारा कर्वाये गये कार्यी तथा नियोगाचारी वाय से वासन व्यवस्थी विनियोगी होती।
 - प्राप्तवान द्वारा नियोग लीव [वार्षीय राजसु 7.5 गीटर गोडा लोड], हील तोह, औषधवाली द्वारा आदि में व्यावीय प्रवाली के 1,400 पूरी तथा वाय तुलादीयम लिया जाए। हील पट्टी का विकास हॉटेंर प्रदूषण नियोग लीव की वार्गिकीका के अनुसार लिया जाए।
 - प्राप्तवान के अनुसार पर लक्ष्य इसका द्वारा वर्ष 2023-24 में सीज लीव के अनुसार वाय, वीपल, नीर, कार्यकारी, गोडा, आप, इमारी, अद्युत, सीरस आदि कानून व्यावीय प्रवालीको के लक्ष्य वाय वीकारी का नियोग (युल 1.400 वाय वीकारी) द्वारा के द्वारे लीव में लिया जाए। वीकार की सुरक्षित रखने के लिये उत्तरावधि एवं पर्यावरण व्यवस्था (वाय काटियार तथा तो वाय अवस्था द्वी वीकारी का उपयोगी) लिया जाए। स्वस्त उत्तरावधि नहीं

होने वाले दस्ता में कंवरित सून बनाया हुआ रिहाई सेव में उपरीकानुसार कृतिकाम किया जाए। ५ फीट से १० फीट ऊंचाई पासे चौड़ी कम ही दीप्ति किया जाए। उपरीका कृतिकाम प्रदर्शन कर्ते में पूरी किया जाए। कृतिकाम भूमि कर्ते पर यारी पर्यावरणीय स्थीरता दर्शनल निरसन की जा सकती है।

36. कार्य कदल पर जहि कैरियर अविक तरीय पर लगाने जाती है तो ऐसी सीमितों के अन्वय एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परिवर्तीजना प्रवासनका द्वारा भी जाएगी। अवासीय व्यवस्था अवासीय व्यवस्थाकी जी जय ने दूरी साक्षी है, जिसे परिवर्तीजना दूरी होने से प्रभाव लगाया जा सकता।
37. सीमितों की लिए व्यापक व्यवस्था पर सहजा प्रवासन किसिमानीका सुनिश्च, भौतिक उपकरण और व्यवस्था परिवर्तीजना प्रवासनका द्वारा की जाए।
38. सीमितों का साध्य—व्यापक पर स्वतन्त्रोक्तनाल हेतु विवितों सरकार आवश्यक है।
39. व्यवस्था की उत्कीर्ण, जारी कीज एवं स्वतन्त्रोक्तिवालका वोक्तना के अनुरूप कार्यकारी परिवर्तीजना, जिसने स्वतन्त्र, समिक्षक की तरफ एवं अपरिवर्ती उपरिवर्ती है, में जिसी भी इकान का परिवर्तीन एवं अवासीय / व्यवस्था, जन और व्यवस्था परिवर्तीन मंत्रालय, जारी व्यवस्था की पूर्ण अनुसृती की जिम्मा नहीं लिया जाए।
40. इस परिवर्तीय सीमितों की जाती जनते का अवश्य जिसी व्यवितरण व्यवस्था कुन्द उपरिवर्ती पर अविकार दर्शनी कर नहीं है एवं ज भी यह परिवर्तीय सीमितों जिसी जिम्मी समीक्षित की नुस्खान परियाने अवश्य व्यवितरण अविकारों की अविकारण व्यवस्था बोन्ड, जारी एवं व्यापक कानूनी / जिम्मी के व्यवस्थायन हेतु अविकार करता है।
41. एवं अवासीय सीमितों व्यवस्था व्यापक समाज की दृष्टि से, परिवर्तीजना की स्वतन्त्रता में परिवर्तीन व्यवस्था विविदता जाती के संतोषद्वय कथ से प्रवासन न लगाने की जाता में जिसी भी जाती में संतोषद्वय / निरस्ता करने अवश्य एवं जाती जोक्ते व्यवस्था जास्तावेन / निरस्ता की जावती की और व्यापक जनते का अविकार सुनिश्च व्यवस्था है।
42. परिवर्तीजना प्रवासनका अनुसृतम् इ ज्ञानीय समाजका जाती में, जो कि परिवर्तीजना की जाती—जारी व्यापक की से प्रसारित हो, उत्कीर्णीय सीमितों जाती होने से उ जिसी के वीतार इस व्यवस्था की सूखना उपरिवर्ती जाती कि परिवर्तीजना की परिवर्तीय सीमितों प्राप्त हो जही है एवं परिवर्तीय सीमितों जाती की प्रतिक्षी व्यवितरण, स्वतन्त्रोक्तना परिवर्तीजना व्यवस्था में अवशीकृत हेतु जपत्वा है। जाती ही इसका अवशीकृत एवं एवं अवासीय सीमितों व्यवस्था की वेबसाइट parivartan.net पर भी जिम्मा द्या जाता है।
43. परिवर्तीय सीमितों में दी जही जाती के व्यवस्था हेतु की एवं कार्यवाही की जाँच वार्षिक जिम्मी सुन्नीतानुबुद्धि परिवर्तीजना व्यवस्था, अटल जनर, जाँचीय कार्यवाही उत्कीर्णीय सीमितों व्यवस्था व्यवस्था, जिम्मी—दूरी, एवं अवासीय / व्यवस्था, उत्कीर्णीय एवं एकीकृत सीमीय व्यवस्था, परिवर्तीजना, जन एवं व्यवस्था परिवर्तीन व्यवस्था, जारी व्यवस्था, व्यवस्था की जिम्मीत लिया जाए।
44. एकीकृत सीमीय कार्यवाही, परिवर्तीजना, जन एवं व्यवस्था परिवर्तीन व्यवस्था, जारी व्यवस्था, व्यवस्था एवं परिवर्तीय सीमितों में उदाल जाती के व्यवस्था की जीमिटरिय की जाएगी। इस हेतु परिवर्तीजना प्रवासनका द्वारा व्यापक—साध्य पर प्रवक्तुत जिम्मे जाए इसकावेती एवं जावेवन का पूर्ण कोट एकीकृत सीमीय कार्यवाही, उत्कीर्णीय, जन एवं व्यवस्था परिवर्तीन व्यवस्था, जारी व्यवस्था, व्यवस्था को प्रमित लिया जाए।
45. एवं अवासीय सीमितों व्यवस्था, जन और व्यवस्था परिवर्तीन व्यवस्था, भास्त व्यवस्था / एकीकृत सीमीय कार्यवाही, परिवर्तीजना, जन एवं व्यवस्था परिवर्तीय सीमीय व्यवस्था, जारी व्यवस्था, व्यवस्था एवं उत्कीर्णीय परिवर्तीजना व्यवस्था के व्यवस्था की जाती के अनुसारन की जाती में की जाने जाती जीमिटरिय हेतु दूरी व्यवस्था प्रवासन की जिम्मा जाए। परिवर्तीजना प्रवासनका द्वारा जीमिटरिय जाती का अनुसारन व्यवस्था नहीं जारी जाने पर परिवर्तीय सीमितों जिम्मी जी जाएंगी।



46. नियोजन क्रमांक सतीसगढ़ पर्यावरण संबंध एवं गांव कालर द्वारा दी गई जली का अधिकारी का काम के पालन करेता। ये जली जल (प्रदूषण नियन्त्रण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा (प्रदूषण नियन्त्रण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा दुनिया भवित बनाये गये नियम, परिवर्तनम् और अन्य अधिनियम (प्रकाश एवं नीतिपाद संचलन) नियम, 2010 द्वारा लोक वापिस देना अधिनियम, 1991 (जल नीतिहित) के अधीन नियमित की जा रही है।
47. सतीसगढ़ पर्यावरण के कारों में एकई जलीएट, सतीसगढ़ में प्रदूषण नियन्त्रण में जोड़ी गई नियन्त्रण अभ्यास पर्यावरण होने की दशा में एकई जलीएट, सतीसगढ़ को युद्ध-नीति यानवाली जहिल सूचित किया जाए ताकि एकई जलीएट, सतीसगढ़ इस पर नियन्त्रण कर जाती ही उपद्रवकारी अभ्यास नीति नियंत्रण व्यवस्था नियंत्रण से जाने। इनाम में जोड़ी गई नियन्त्रण अभ्यास एकई जलीएट, सतीसगढ़ / पर्यावरण, एवं और सतीसगढ़ पर्यावरण संबंधी व्यवस्था कर्तव्य की जूरी अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. सतीसगढ़ पर्यावरण संबंधी व्यवस्था कर्तव्यीक नीतिकृति की प्रति को उनके संगीय कालीनय, निला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेकटर/सतीसगढ़ कालीनय में 30 दिन की अवधि के लिए प्रदर्शित करेता।
49. पर्यावरणीय नीतिकृति के विकल्प अधीक्ष नीतिकृति के सम्बन्धी नीतिकृति एवं 2010 वी जला 10 में लिए गए सतीसगढ़ अनुसार, 30 दिन की अवधि वें दी जा सकती है।

अदन्त अधिकारी एकई जलीएट,


अधिकारी एकई जलीएट,

देशी नहानामा उत्तोग हो— दी जानी जाएँ।

को समाया करने के 1975 तथा 1976, युवा लोड सेव 2,475 हेक्टेयर, पास—पासीद, गुरुग्राम—भारतपुर, बिला—बलीदारजाम—भारतपुर में युवा पत्तर (पीले लिंग) पत्तरकला — 67,342 टन इतिहर्वं हेतु पर्यावरणीय स्थिरता में दी जाने वाली जाएँ।

यह पर्यावरणीय स्थिरता प्रियंत्रिति विभागित जाति के लोडों की जा रही है। यह इन जाति को अब तक से यहां जावे रखा कर्मद्वे द्वारा करना आवश्यक फिया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्थिरता अधिकारीय गालामन लोडों (लोड सेव) 2,475 हेक्टेयर अवधि प्रतीकामगद जावान, बिली जावान विभाग द्वारा स्थिरता लोड सेव (दोनों में से जो जान हो) हेतु जान्य होता। इसी प्रकार जावान से युवा पत्तर का अधिकारीय छत्तेलन 57,142 टन इतिहर्वं से अधिक नहीं होता। लोड सेव की लोगतों का वीरामकर जावान पत्तर के पुनर्जीवनामा जाए।
2. यदि जावान लोगित विभाग द्वारा अधिकृति किसी कलहर में है, तो पर्यावरणीय स्थिरता जान्य नहीं होगी।
3. चरियोंचना इताराका द्वारा जावान से पत्तरका जल एवं परेतु दूषित जल (यदि जान हो), से जावान सी वासित एवं पर्यावरणका विषय जाए।
4. पर्यावरणीय स्थिरता की डिला भूता जावान के पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन, भौजलय द्वारा जानि हैं। अंतिरिक्षम, 2006 (जन संसोधित) के प्राकार्णी के तहत लोडी।
5. गान्धीजी द्वारा जानी के आदेत दिनांक 26/02/2001 के अनुसार पहलेयां द्वारा आवृत्तिग पत्तर एवं पर्यावरणीय स्थिरता के कानी कम जावान सुनिश्चित जनाये जाने हेतु चरियोंचना इताराका को पर्यावरण विभाग खेला है।
6. शीर्षोंपरि प्रतिष्ठा एवं जावान से उपर्यन डिली पी इतार तो दूषित जल को किसी नहीं जावा जानही जल रखेती में किसी पी परियोंचनी में विभागीय नहीं किया जाए। अग्रिम इसे प्रतिष्ठा में जावा जलनीलाल हेतु पूनर्व्यवस्था किया जाए। चरेतु दूषित जल के जावान के लिए लोटिक हेतु एवं लोटिकों की जावान की जल एवं जल को किसी नहीं अवश्य जानही जल रखेती में किसी पी परियोंचनी में विभागीय नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षावातु का जल जावान में न विलम्ब देये हेतु जी जावान की जल। उपरान्त दूषित जल की गुणवत्ता याता जावान, चरियोंचना, जन और जलवायु परिवर्तन, जंगलाद, जहू डिली द्वारा अधिकृति यानक अवश्य अतीवामात्र जावान संख्या बढ़ाना अधिकृति मानक (जो भी इतों हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. अग्रि पहला जावा जावा जावान बीत जानी की उपर्यन (after ceasing mining operations) जानने की जल रखा डिली पी जन्य कीज जो फि जानही जावान गरियोंचनी के जावान आपानित (disturbed due to their mining activities) होए हैं, जानकी ही—प्राचिंग (digging/grassing) की जानही एवं भूमि का जुनालायना इस लियति का किया जाएगा, जिसके बह जात, बनसपातीय, जीवी अवृति के जापलित हेतु उपयुक्त ही। चरियोंचना इताराका द्वारा जल प्रक्रियारै से अनुसन्धित मर्दिन जलोंवर फत्तन एक जल की बीतर उपयुक्त किया जाए।

8. भू-जल के सम्बोध (यहि किया जाता हो गा) हेतु कंगड़ीय भू-जल बोर्ड ने उत्तराखण्ड वार्षिक काले के भूवृक्षसंरक्षण प्रावृत्ति जारी की जाए।
 9. किसी लिखी / बैट / पाइट सेवों से चार्टिक्युलेट बैटर उत्तराखण्ड की जाता 30 मिनीट्साम / साथान्द बन्हीटर के काम सुनिश्चित किया जाए। काला, लाली, द्वितीय चार्टिक्युलेट (यहि कोई हो) में वायु प्रदूषण निवारण हेतु बैट एक्सट्रेक्शन लिफ्टर के साथ जब्त उत्तराखण्ड का बैट किल्टर कामयित किया जाए। सुनिश्चित उत्तराखण्ड गवर्नरिंगों के लिए उत्तराखण्ड के उत्तराखण्ड पर्यावरणिक बैट एक्स्ट्रेक्शन का लिंक्जन इनाही एवं लिंक्जन लेव से किया जाए। पहुँच वार्ष, बैट, साधारण होता, भवाही एवं कान्दा उत्तराखण्ड विभागी बैट काटें-बैट कम सार्वजनिक लिफ्टर की व्यवस्था की प्राकृत इमारत साता संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। लिंक लिंकिंग बीत का लिंक्जन सुनिश्चित किया जाए।
 10. बाहनी, उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड वायु प्रदूषण की पर्यावरण संख्या अधिकारियम, 1980 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियोगात्मक अधिकारियम, 1981) के तहत लिंक्जन द्वारा उत्तराखण्ड की अनुसन्धान सहा जाएगा। उत्तराखण्ड की लेव में पर्यावरणीय वायु की युक्तिकालीन वायु संबोध के पर्यावरण, कान और जल वायु वरियांग बोलाया, वर्गी लिल्ली द्वारा अधिकारियम उत्तराखण्ड से अधिक गही होनी चाहिए।
 11. लीव लीव के बाही उत्तराखण्ड की लीवी वर्टुली में लीवी बैटर का उत्प / उत्तराखण्ड नहीं किया जाए उत्प इस वर्टुली में युक्तारेप्यम किया जाए।
 12. उत्तराखण्ड इलिया के लीवान बटाई वही कामी लिट्टी (टीप लीविंग) का उपयोग उत्तराखण्ड हेतु उपयोग तो य आने वाली भूमि के तुम चाहार हेतु अधिक बहारी अधिकारियम की लिफ्ट (स्टेटिकलाईज) करने में किया जाए। लीवी लिट्टी (टीप लीविंग) की लीव लीव की वायु एवं उत्पादन से अनुसन्धान नहीं होनी चाहिए।
 13. लीवानबहार दर्ता कानुपाली/लिली अधिकार बटाई (बैट लीव) की युक्ति ने दूरी से लिंक्जन काल पर उत्पादित किया जाएगा। तुम प्रकाश के उत्तराखण्ड स्थानी की उपयोग प्रकाश ने काल पर उत्पादित तो जाए ताकि उत्पादित पदार्थ आम-पात्र की भूमि पर लिंक्जन उभय न काल करती। उत्पादित लीवान बटाई वर्टुल लीव लीव 28 लिली गी अधिक न हो। लीवानबहार दर्ता का उत्तराखण्ड लीवों की युक्तारेप्यम किया जाए।
 14. लीवी ताक लीव हो अधिकारियम दर्ता कानुपाली/लिली अधिकार लिफ्ट लीव) की वायन के पावात बगे गहारी वे युक्तारेप्यम (विक लिंकिंग) हेतु उत्पादित किया जाए, ताकि भूमि तो युक्त उत्पादित उत्पादित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
 15. परियोजना उत्तराखण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तराखण्ड की उत्तराखण्ड लीव लीव के आम-पात्र के सहारी उत्तराखण्ड की इकाइयां न हो। इसी दोनों हेतु याही लीव तथा उत्प लीव में लिंकिंग बीत / वायालेन्ड लीव की व्यवस्था अधिकारियम का उत्प होनी चाहिए।
 16. सुनिश्चित का उत्पादित लीवानबहारी उत्तराखण्ड काल से किया जाए, ताकि सुनिश्चित काल से बहार नहीं हो। सुनिश्चित का उत्पादित कर लें वाहनी की उत्तराखण्ड से अधिक नहीं बहा आप भूमीरियत किया जाए।
 17. बीईआर (Centralized Electronic Monitoring Responsibility) हेतु लिंक्जन्स प्रकाश वार्ष काली उत्पादित उत्पादित लीवान की लीवानी की लिंक्जन करो—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
Following activities at Village - Pased				
46.30	2%	0.926	Plantation with fencing in periphery of village pond area	1.205
			Total	1.205

16. सीईआर की तहाँ नियमित कार्रवाई द्वारा मै अप्रैलवर्ष का से बुरी लिया जाए। सीईआर की लगातार प्रत्यक्षित वर्षों को कार्रवर्षी उपयोग संबंधित दाम पर्याप्त से कार्रवर्षी उपयोग प्राप्त कर अंतर्गत लियोर्ट में लगातार करते हुये उन्नत लिया जाए। सीईआर कार्रव की नामजगत सुनिश्चित करना आपका उत्तमदायित है। कुआंटिवर्ष अवसरत हीने पर वर्तीवर्ष सुनिश्चित लिया की जायेगी।
17. सीईआर के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 100 नग औरी की सेवन किया जाएगा। कुआंटिवर्ष हीनु (कठम, वीचल, नीम, जाम, जामुन, अमी) प्रस्तुत प्रकाशन अनुसार औरी की लिए लगि 6,500 रुपये, वीसिंग की लिए लगि 60,000 रुपये, चारद की लिए लगि 1,000 रुपये, शिलाई तथा राष्ट्र-पर्यावरण अधिक के लिए लगि 10,000 रुपये, इस प्रकाशन जाम वर्षी में कुल लगि 77,500 रुपये तथा अमानी 4 दर्ते में कुल लगि 43,000 रुपये हेतु वर्तीवर्ष वर्ष का विकल्प उन्नत लिया गया है। तालाब की लगातारता प्रकाशक द्वारा दाम पर्याप्त संविधान पर्यावरण का सहभागी भव उन्नत लिया जाए है। समिति का यह है कि तालाब की चारों ओर 100 नग औरी का कुआंटिवर्ष किया जाना संभव है अल्ला नहीं? को चांदी में यसकी हुए समीक्षण तथा तालाब का समान कर्मान एवं दोषकल संकेत जानकारी उन्नत प्रकाश अनुसार कार्रव बुरी करे।
18. सीईआर एवं कुआंटिवर्ष कार्रव के लियोर्टिन एवं पर्यावरण हेतु वि-व्यापी समिति (विभागांकटर/इतिहासी, दाम पर्याप्त के व्यापीकरण/प्रशिक्षित एवं जिता प्रकाशन के अंतर्गत पर्यावरण संस्थान समकाल के लियोर्टिन/इतिहासी) नियत लिया जाए। ताथ ही सीईआर एवं कुआंटिवर्ष का कार्रव बुरी लिये जाने के लगातार परिवर्ति-व्यापी समिति से सहभागी कराया जाए।
19. जब नी लियोर्टन एवं/अधिकारी लियोर्टन हेतु खाल पर आये, तब उन्हें वाहान/वाहार/माला के लियोर्टन के सभ्य-सभ्य सीईआर के तहाँ आयोजित कराये गये कर्तवी का लियोर्टन भी अनिवार्य कर से करता आयोजित कियोर्टारी होगी।
20. फलतानन हेतु लियोर्ट हीन (कार्रव 7.5 गीला और हीन), दीन दीन, ओडलहान दीन अधिक में व्यापीय प्रजाती के 2,100 रुपये का सेवन कुआंटिवर्ष किया जाए। दीन पहुंची का विकल्प छंनीय उन्नत लियोर्टन हीन की व्यापीर्टिन के अनुसार किया जाए।
21. प्राप्तविकास के अलावा पर खदान प्रक्षेपण द्वारा वर्ष 2023-24 में सीम दीन के अनुसार एवं वीचल, नीम, कर्मज, सीमु, जाम, इमली, जामुन, वीसिंग आदि अन्य व्यापीय प्रजातीयों के 460 नग औरी का सेवन (कुल 2,550 नग औरी) खदान के बुरी हीन में किया जाए। वीचल को कुर्तिंग रखने के लिये उन्नत कुर्तिंग एवं उद्दीपा व्यवस्था (प्रका

कांटेनर सार के बाहु अवधारी द्वारा गाँठ का उपयोग) किया जाए। इस उपलब्ध नहीं होने की वजह में संवित इन प्रकाशित द्वारा गिर्वाइट लैब में उपयोगशुद्धीता कृतारोपण किया जाए। 8 कीट तो 8 पीट जंगली बालों पीढ़ी का ही सेपन किया जाए। उपयोग कृतारोपण प्रबन्ध वर्ष में दूर्घटना किया जाए। कृतारोपण नहीं करने पर जारी रखने वाली संवितरीय संवितरी राखासन नियम की ओर सकती है।

24. संवित किये जाने वाले बीचों के संख्यकन (Numbering) एवं बीचों के नाम का उल्लेख करती हुये फैटीडायल संवित जानकारी प्राप्ति इतिहास के साथ जाना करें।
25. संवित्रित स्लीज लैब के लाभ एवं बहुत कठन कृतारोपण किये जाने एवं संवित की पीढ़ी का संवित्रित रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। जारी ही कृतारोपण का रख-रखाव जानाएं 6 तरह तुरंत सुनिश्चित करती हुये कृत पीढ़ी को इतिहासित (Mortality replacement) किया जाए।
26. निवे एवं कृतारोपण की युद्धी हेतु ग्रीबी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System) से एवं फैटीडायल अवॉर्डिंग लिस्ट से संवित्रित करती हुये उल्लिखित एवं उल्लिखित संख्याएँ आपले एवं एसटीएलएफए.ए. जारीसंगढ़ को दर्शित किया जाए।
27. अविकौजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिश्वेत लैब में प्रतिश्वेत कार्य एवं लीड्स आर के तहत प्रतिश्वेत कार्य करना यहीं जाये जाने का पर्यावरणीय नीतिकृति को नियम करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. अविकौजना से जिन-जिन स्थानों के व्युत्क्रित करने जानावीन होंगा, जन स्थानों पर नियमित रूप विकास की जावला किया जाए।
29. अविकौजना प्रस्तावक द्वारा नियमित कानूनीकृत नियम (Minerals Concession Rules) के तहत जाहानी नियमकी द्वारा ग्रीबीहान का जारी सुनिश्चित किया जाए।
30. अविकौजना प्रस्तावक द्वारा तासार, खोजार, नहर, नदी, जला एवं अन्य जल नियायों के संलग्न एवं संबंधित किया जाए।
31. अविकौजना प्रस्तावक द्वारा जानि प्रदूषण के नियम द्वारा अवाश्यक सुधार किया जाए। जानि का एक प्रतिश्वेत संघ में जिन से जनाय 75 DBOA; एवं जानि के जनाय 70 DBOA से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे जानि वाले बीचों में काम करने वाले अभियों की इकाईयां/एक आदि इवान किए जाएं एवं समय-समय पर नियमितरीय जीव एवं अवाश्यकता के अनुसार उपलब्ध जावला भी बनाया जाए।
32. ग्राहण ग्राहितारी / ग्रीबी एगजेन्स से अनुरित उपलब्ध नियमोंका लाईसेंस पालक (Explosive License Holder) द्वारा सुनिश्चित एवं नियमित लिये से लॉटोल ब्राउनिंग किया जाए। पालक के छोटे-छोटे दुकानों (विलाई लैन्स) को उनके से लैकने हेतु पर्याप्त एवं संक्षम व्यवस्था किया जाए। केट ब्रिटिश अमरा यानु प्रदूषण नियमका व्यवस्था अध्यात्म श्रिति किया जाए, जिससे करने का जानावीन नियमका में रहे।
33. एक्सेनन प्रक्रिया भू-खल कर के पापर अवाश्यक उभाग में की जाएगी एवं जावलाना प्रक्रिया भू-खल कर के नींवे लिये भी जावलियों में नहीं किया जाए।
34. उत्तरागान की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित ही जाए कि उमीय नियम उपयोगी एवं जीव-जानवरों पर दूषणका न हो। लैब में पापे जाने वाले ग्राहिता जीव-जानवरों, जनस्थानियों का सम्मुखीत संक्षम अवलोकन दर्शित होगा।
35. अविकौजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीबी लगान का जावलाना ग्राहीकारक नीय अप्रिय नियम, 2019 के ग्राहानी, अनुसंधित जावलाना बीजना एवं नवीकरणीय इवान योग्यता के अनुसार किया जाए। यहैन दृष्ट 1952 के ग्राहानी एवं जावलाना किया जाए।

36. कार्य सम्बन्ध पर विविध समिक्षक कार्य पर जवाब देते हैं तो ऐसे समिक्षकों के जवाब में एक सुनाम है तु चिपता अवस्था परिवर्तन का इताहक द्वारा की जाएगी। आवश्यक अवस्था अवधारणी संबोधनात्मी के साथ में ही सहजी है, जिसे परिवर्तन का दूसरे के प्रभाव प्रदाया जा सकते।
37. समिक्षकों के लिए सुनाम कार्य पर विवरण प्रस्तुति विविध समिक्षा, नीतिगृहन टाक्सोट जारी की अवस्था परिवर्तन का इताहक द्वारा की जाए।
38. समिक्षकों का समय-सम्बन्ध पर आवश्यकतानालै द्वारा उपलिखित करना अवश्यक है।
39. सुनामनम की ताकनीक, कार्य सेवा एवं अनुसंधित प्रस्तुति विवरण की अनुसार समिक्षक विवरण, जिसमें उत्तराधार, अधिकारी की जाता एवं अधिकार अधिकारिता है, में जिसी भी घटाव का संकेतन एवं अधिकारीएवं अधिकारित / उपर्युक्त, वन और जलवाय परिवर्तन क्षेत्रालय, भारत सरकार की दूर्वा अनुभवी हो जिनका नहीं किया जाए।
40. इस परिवर्तनीय स्वीकृति को जारी करने का अवधार जिसी विविधता अवस्था अवधार सम्बन्धित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं वह विवरणीय स्वीकृति जिसी नियमी वाक्यांश को गुणवान चौकाने अवश्य विविधता अधिकारी के अधिकारण अवधार केंद्र, भारत एवं ताकनीय कानूनी / विवरणी के संलग्नता है अधिकृत बनता है।
41. एसईआईएए, एकतीसाठू परिवर्तन संस्कार की दृष्टि से, परिवर्तन की कारोबारी विविधता अवस्था जिसमें जारी की जाती है उसका उपर्युक्त समूह प्रस्तुति विवरण की जाती है जहाँ में वाहिनीयन, नियम वाली अवस्था नहीं जारी चीज़ों के अवधार उपलब्ध / नियमाला के ग्रन्थालय की ओर भारत सरकार का अधिकार अनुसंधान करता है।
42. परिवर्तन का अनुसार 2 ताकनीय समाधार यहीं में, जो कि परिवर्तन की जैसी अवधार व्यापक सम्बन्ध से प्रस्तुति हो, परिवर्तनीय स्वीकृति इसी सेवा की 2 जिसी के बीच इस आवाद की गुणवान प्रस्तुति करेगा जो परिवर्तनीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं ताकनीय स्वीकृति पर वह की दृष्टिये जानिवालद, जातीसाठू परिवर्तन संस्कार मन्दिर में जारीसाठू है अवलम्बन है। जाती है इसका अवलोकन एवं एसईआईएए, एकतीसाठू की विवरणहृष्ट parivartan.nic.in पर जो किया जा सकता है।
43. परिवर्तनीय स्वीकृति में दी गई जारी की प्रस्तुति है गई जारीताही की अवधार सिर्फ़ एकतीसाठू कारोबारी संस्कार मन्दिर, भारत वगद, केन्द्रीय कारोबारी संस्कार मन्दिर, राजपुर, एसईआईएए, एकतीसाठू एवं एकीकृत केन्द्रीय कारोबारी, परिवर्तन, वन एवं जलवाय परिवर्तन विभालय, भारत सरकार, राजपुर की प्रस्तुति किया जाए।
44. एकीकृत केन्द्रीय कारोबारी, परिवर्तन, वन एवं जलवाय परिवर्तन विभालय, भारत सरकार, राजपुर द्वारा परिवर्तनीय की स्वीकृति में इसका जारी की जानिवरिय की जाएगी। इस है एकतीसाठू प्रस्तुति द्वारा समय-सम्बन्ध पर प्रस्तुत लिए जाए इसकोडी एवं अन्येदन का पूर्ण सेवा एकीकृत केन्द्रीय कारोबारी, परिवर्तन, वन एवं जलवाय परिवर्तन विभालय, भारत सरकार, राजपुर की प्रस्तुति किया जाए।
45. एसईआईएए, एकतीसाठू, परिवर्तन, वन और जलवाय परिवर्तन विभालय, भारत सरकार / एकीकृत केन्द्रीय कारोबारी, परिवर्तन, वन एवं जलवाय परिवर्तन विभालय, भारत सरकार, राजपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण सेवा / एकतीसाठू परिवर्तन संस्कार मन्दिर की विवारिती/अधिकारितों को जारी की अनुसारण की संख्या में की जाने वाली मानितरिय है एवं पूर्ण सहजोग इसान किया जाए। परिवर्तन का प्रस्तुति द्वारा विविध स्वीकृति की अनुसारण करना नहीं जाने पर एकीकृतीय स्वीकृति नियम की जा सकती।

46. परियोजना प्रत्याकाम अलीगढ़ मणिराम संस्कार मन्दिर हां राज बालकर द्वारा दी गई जीती का अधिकारी कम से पालन करेगा। ये जीती जल (प्रदूषण नियन्त्रण एवं नियंत्रण) अधिकारीय, १९७५ वर्ष (प्रदूषण नियन्त्रण एवं नियंत्रण) अधिकारीय, १९८१, पर्यावरण (प्रदूषण) अधिकारीय, १९९५ तथा इनके उल्लं बनाये जाए नियन्ती, परियोजनाएँ और अन्य अधिकारीय (प्रकाश एवं सीमापार संचयन) नियन्ती, २०१० तथा लोक वाचिक बीच अधिकारीय, १९९१ (प्रकाश संसाधन) के अधीन विधिविहित की जा सकती है।
47. प्रस्तुत परियोजना के बारे में एसईआर्टीए, अलीगढ़ मणिराम में जीती नी विकास अभ्यास परियोजना होने की बात में एसईआर्टीए, अलीगढ़ को पुनर्नीय जानकारी दीहु चुकित विषय पर्यावरण एवं अधिकारीय, एसईआर्टीए, अलीगढ़ इस पर विकास कर जीती की चाप्युकामा अभ्यास नवीन जीती विदेश करने वाला नियन्ती है जहां। लकड़ान में खोड़ नी विकास अभ्यास उन्नयन एसईआर्टीए, अलीगढ़ / नवीन यन और जलवायु विश्वासन प्रबलाय, भावत वालकाम की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. अलीगढ़ मणिराम संस्कार मन्दिर एवंकर्तीय नवीकृति की जीती की जलको संकीर्ण कार्यकारी विकास एवं उद्योग बीच एवं करोनार, वहांीकामाय परियोजना में ३० दिनों की अवधि के लिए प्रशीतित करेगा।
49. पर्यावरणीय नवीकृति के विकास अभीत नेतृत्व दीन द्वीप्युक्त के जनक, नेतृत्व दीन द्वीप्युक्त एक्ट २०१० की जला १० में लिए गए छाकड़नी अनुसार, ३० दिन की अवधि में जीती जल वालीगी।


संकेत सिंह, एसईआर्टीए, जीती


राकेश कुमार, एसईआर्टीए

कैसी टिकावाल राहीं रहीं बहारी (ओ- की बोला रुम)

को यात्रा लम्बी 175/१, 175/३ वर्ष 180, जल सीज वीव 2.75 हेक्टेयर में से 2.66 हेक्टेयर, राष्ट्र-टिकनाम, गांधीनगर व निशा-बदल में दुना पत्थर (यीन गांधीनगर - 63.33% द्वा अंडियां हैं) प्रतिवर्षीय सीजों में दो जाने वाली गाँ

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निर्भलिक्त जली की लकीन दी जा रही है। जल इन जली को बहुत ध्यान दी जाए ताकि यह कम्पर्टमेंट से पालन करना सुभित्रित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय सीमिति अधिकाराम राज्यकानन दोषकाल (लैंग बीच) 2.76 हेक्टेयर में से 2.66 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रतीकारण करता है। इनिमां राज्यकानन विभाग द्वारा सीमिति सीमा की ओर (दोनों में से दो कम हो) हेतु बन्ध होता है। इसी उपरावर राज्यकानन की युवा प्रतार का अधिकाराम राज्यकानन 52,500 एकड़ियों में अधिक नहीं होता। लैंग दोनों की सीमाओं का सीमांकन करतावर यहके युवारे लगाया जाए।
 2. पर्यावरणीय सीमिति की वैष्णव भाल वायावर के पर्यावरण, जन की जलवाया पर्यावरण, गंभीरता द्वारा जारी हुआ है। नीटिप्रबोधन, 2008 (विवा संगीतिक), के प्रकाशनी के तहत यहीं।
 3. कलमतर हेतु प्रकृत जीवन इन्हाँगांडीसेटल मेंसेटरेट प्राप्त के अनुसार युवालेखन एवं परिवहन राज्यकी एवं वायावर से परिवहन संस्कर तक पहुंच यात्री के संदर्भ का जारी ह याहु ने पूर्ण लिया जाए।
 4. कलमतर हेतु नीथन हुआ है। नीथन में लिये रखती पर नीटिटरिय कार्य लिया जाता है। लगत स्वतीं पर नीटिमां नीटिटरिय करती (वायु, जल सत्त्व निर्देश) किया जाए। नीटिटरिय नीथन इन्हाँगांड पर्यावरण संस्कर गंभीर, अटल नगर, दोदीय कर्मांकन प्रतीकारण पर्यावरण संस्कर गंभीर, रायपुर, दमोहांहाई है, इन्हाँगांड एवं एकीकृत संगीय वायावर, वायावर संवाद, पर्यावरण, जन एवं जलवाया परिवहन संवाद, जन रायपुर अटल नगर की आवासिक (Habit yearly Monitoring Report) देखित की जाए।
 5. याननीक एवंजीटी, को अद्यता दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पहुंचाव द्वारा महिनां प्राप्त एवं पर्यावरणीय सीमिति के जारी का यातन नीटिशिवत करते जाने हेतु परिवीरता प्रताराक को पर्यावरण नीटिमां लियुका जाता है।
 6. नीटिकौशला प्रताराक द्वारा वायावर से युवान जल एवं घोलू दूषित जल (यहि कीही हो) के उपरावर वी लैफिल एवं पर्यावरणवाला वी जाए।
 7. दोदीयिक प्रक्रिया एवं वायावर की युवान लियी वी उपरावर की दूषित जल को लियी नहीं अवाज सातही जल संस्करी में लियी वी पर्यावरणि में लियावारित नहीं लिया जाए। अग्रिम हुमे अवाज इन्हाँगांड द्वारा दूषितप्रदोष लिया जाए। घोलू दूषित जल के उपरावर वी लिए लैफिल देक एवं सोकारीट की व्यवस्था की जाए। एवं जल को लियी नहीं अवाज सातही जल संस्करी में लियी वी पर्यावरणि में लियावारित नहीं लिया जाए। दूषित जल एवं वर्षावालु का जल अपला वी न लियने देने हेतु वी व्यवस्था ली जाए। उपरावर दूषित जल ली युवान वायावर पर्यावरण, जन एवं जलवाया पर्यावरण संस्कर द्वारा अधिकृष्ट यातन अवाज प्रतीकारण पर्यावरण संस्कर द्वारा अधिकृष्ट यातन (जो भी जाती हो) के अनुसार नीटिशिवत लिया जाए।

8. रुपनि पद्धति वालक तान संचयन के करने की उपरोक्त (after closing mining operations) तान संत्रै तथा जिसी वी तान संत्रै जो जै तानवी यान गतिशीली ही तान प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं। जनवी टी-ट्रैकिंग (T-tracking) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्जागरण हुस जिसी तरह जिस जाएगा, जिसी यह तान, उनखंडीयों, जीवों की ओर के स्थानिक बृक्षों के अनुसंधित बदून वर्णित तान एवं तान की भौतिक प्रकृति जिस जाएगा।
9. यू-तान की उपरोक्त हेतु केन्द्रीय यू-तान की तानवी आंख तानों की पूर्ण अनुसंधि जापा ही जाए। जाप ही अन्य फ़ॉर्मों से यह यह तानवी जिसी जाने की जिसी में संबंधित जिसाग से तानवी आंख तानों की पूर्ण अनुसंधि जाप ही जाए।
10. जिसी जिसनी / बैट / पाइट लोहों से पर्टिक्युलर गेटर तानवी की जान एवं निर्वाचन / यानवाय यानवीटर से कम युक्तिशील जिसा जाए। लार, खींच, ट्रॉकार यानवाट्स (जोड़ी लोहों हों) में यहु प्रदूषण जिसका हेतु जस्त एक्सट्रॉक्सन जिसका की सब युवा युवता का बैट जिस्टर लापित जिसा जाए। खींच तानवी गतिशीली की जिस्टर लोहोंी की तानवी पर्पिटिटर जस्त यानवाय का जियावन इसी एवं जिस्टर जान तानवी जिस्टर लोहोंी का जानवाय जिस्टर जिस्टर एवं जल जिस्टराव की जावाहा की जानवाय इताना यान यानवाय / नियालन सुभितित जिसा जाए। जिस्ट ड्रेसिंग लील का जियावा युक्तिशील जिसा जाए।
11. यानवी यानवा एवं अन्य गतिशील से तानवी यहु प्रदूषण की तानवी यानवाय अधिनियम, 1988 एवं यहु (प्रदूषण जिसका जान जियावन) अधिनियम, 1991 के तान जियिन्दिट यानवी के जनुलम तथा जाएगा। तानवी संत्रै में युक्तिशील यहु की यानवाय यानवा यानवाय के यानवाय, का और यान यहु परिवर्तीय यानवाय, जो जिसी द्वारा अधिन्युवित यानवी से जाँच नहीं होनी चाहिए।
12. परियोजना इस्तावक द्वारा यानवा के यानी यानवा यानिंग का यादें जिसी जाने की उपरोक्त ही तानवी यानवी जिसा जाए।
13. लीज संत्रै के यानी यानवा यानी यहु 7.5 गीट की लीजी पट्टी में योहु ऐस्ट का यान / यानवाय यानी जिसा जाए तथा इस पट्टी में यानवीयन जिसा जाए। ऐसा यानवा यानी यादें यान यानवीय लीजीकी जिसी की सब तानवी इसाव से जिसा जाए।
14. यानवी यानिंग की लीज लटाई जहु यानवी जिस्टटी (लीज यानिंग) का यानवीय यानवी यानवी हेतु यानवीय में न जाने यानी यानी यानी के पुन यानवाय हेतु यानवा यानवी यानवीयन को जिस (स्टैकेटार्टर) जाने में जिसा जाए।
15. उपरोक्त जिस्टटी की लीज संत्रै के यानवी यानवाय यानवीयन यानवीय यान यानवीय कर यानवीय यानवा जाए। जिस्टटी का दुक्कानीय जिसव एवं अन्य यानी में उपरोक्त नहीं जिसा जाए। इस जिस्टटी का यानवीय यानवी के युनखंडीय को जिस जिसा जाए।
16. औद्योगिक एवं जनुरायोगी/जिसी अधिक यानिंग (गेटर लीज) को युवाक की पूर्ण से जिसीया यानवी पर यानवायित जिसा जाएगा। कुछ प्रकार के यानवाय यानवी को यानवीय प्रकार से यानवायित को यानी यानीय यानवायित पहारी अन्य-यानी की यानवीय यानवायित यानवाय न जान यानी। यान की जीवाई 3-मीटर तथा संत्रै 20 जिसी से जानिक न हो। औद्योगिक यान यानवी यानवी को यानवी हेतु यानिंग यानवी के युवायेय जिसा जाए।

17. यहीं तक संभव हो जाएगा कि यह अपने अनुसारी/दिल्ली करोण विभिन्न विद्यालयों की वासना की चलता बने गढ़वाल में पूर्णता (विकास विविधता) के द्वारा दिल्ली का अधिक विकास घटायेंगे।

१८. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित निष्पत्ति जाए कि सुनन प्रक्रिया से उत्पन्न फिल्म लीच हीन हो असा—एसा हो सकती यह सीली में प्रवाहित न हो। इसे लीकने हेतु मार्गन पीट तथा उमा हीन में रिटेनिंग लीक / बासलेन्ड इंजन की व्यवस्था हो जाए।

12. समिति का परिवहन लाभकृत यात्रा से लिया जाए, तभी समिति यात्रा से यात्रा नहीं हो। समिति का परिवहन कर रहे व्यक्ति उसे दूसरा से अद्वितीय नहीं महा यात्रा समिक्षित किया जाए।

20. वैद्युतिक (Corporate Environment Responsibility) द्वारा प्रभावित करना चाहे वह एक संस्था हो या नहीं यहां पर्यावरण की विषयीकृति का अध्ययन करें-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at Gram Panchayat Village- Tikampur Pavitra Van Nirman	4.15 4.15
			Total	4.15

21. सीईआर के द्वारा नियोजित बायोहाई डॉग्स में अधिकारी जन के पूर्ण हितों पर। सीईआर की एकत्रीकरण प्रस्तावित कार्यों के कारण यूनि पायलट लोबिट इन विवादों से बायोहाई एक्सप्रेस्सन इथा कर अधिकारी नियोजित होने के लगातार कार्यों के द्वारा फिरा जाए। सीईआर कर्म की जागतिक सुभित्तिक तरफा आपका बाह्यप्रदायित होगा। युक्तिशाली असमान होने पर पर्यावरण संविधान नियमों की जारी।

22. श्री. ई. जार के अंतर्गत 'परिव यन निर्यात' के लाभ (आकर्षण, वीम, आय, उत्तराधिकार, अनुसन्धान, अदम आदि) परिवोजन हेतु प्रस्तुत इसाब अनुसार 1,000 रुपये पर्याप्त के लिए राशि 1,00,000 रुपये, परिव ने लिए राशि 5,000 रुपये, लाभ के लिए राशि 10,300 रुपये, निर्यात के लिए राशि 30,000 रुपये तथा राष्ट्र-पर्याय आदि के लिए राशि 44,700 रुपये, इस इवान प्रबन्ध जैसे में कुल राशि 2,00,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,15,000 रुपये हेतु परिवाचार आय का नियन्त्रण प्रस्तुत किया गया है। परिवोजन का प्रस्तावक द्वारा यह परामर्श दिवालीवाले के साथसाथ यात्राकारीय वकाल (विकास बनारा 439, दीपकलाल 413, रमेश्वर 04 ईडीएस) के संकाय में प्रस्तुत इसाब अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सीईआर लैम्प इन्वेस्टिमेंट्स ऐंड एसटी प्रान् कर्मन इन्वेस्टिमेंट्स ऐंड एसटी प्रान् में दिल्लीजन्स प्रवासन की सहायिता रक्कहों की रक्ष-रक्षण एवं इन्वेस्टिमेंट कर्त्त्व के वायरलिंग एवं फॉर्मल ऐन डि-एसटी सहित (ऐपलाईटर/इलिमिटि) वाम प्रवासन के पद्धतिकारि/प्रतिनिधि एवं जिला प्रवासन का छातीसगढ़ पर्यावरण संस्थान बनाता हो यात्रिगिरि/इलिमिटि) वहित लिया जाए। साम और सीईआर

कौमन इन्हायलेन्स एमेजेंट परम् कौमन इन्हायलेन्स मेंजेंट परम् ए परिवेष्टा प्रत्यापक की सहभागिता, संक्षेपी हो कर-स्थान एवं पृष्ठालंबण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत चित्रि-परीय संक्षिप्त की सहभागित करना जग.)

तीक्ष्ण) की रक्खी से लेकर हेतु परिचय एवं समाज व्यवस्था किया जाए। ये द्वितीय अध्ययन वास्तु प्रदूषण विधेयम व्यवस्था अध्यायिति वित्तिये जाए जिससे बहुत का व्यवस्थाएँ विद्यमान में रहे।

33. सत्त्वानन द्वितीय गृ-जल जल के उपर असंतुष्ट प्रश्न में ही जाती ही एवं व्यवस्था प्रक्रिया गृ-जल जल के नीति वित्ती की परिवर्तिति में भी हो दिया जाए।
34. सत्त्वानन जीव प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि इनकरितों एवं जीव-जन्मुक्ती का दृष्टिभव न हो। जल में पौधे जाने का से प्राकृतिक इनकरितों एवं जीव-जन्मुक्ती का समुद्दित संख्या व्यवस्था वापर का किया जाए।
35. परिवोजना प्रबलता द्वारा गैरि व्यवस्था का व्यवस्था उल्लेखनगद गैरि व्यवस्था वित्त, 2016 की जाहानी, अनुमंदिता व्यवस्था जीवन के एवं पर्यावरणीय प्रबलता व्यवस्था के अनुसार किया जाए। भार्टीन एफ 1952 की जाहानी का प्रबल विभव जाए।
36. जारी करने पर यदि कैमिया व्यवस्था कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे व्यवस्थों के जाहाना एवं सुखा हेतु विविध व्यवस्था परिवोजना प्रबलता द्वारा की जाएगी। जाहानीय व्यवस्था असाधी संरक्षणों के काम में हो सकती है। जिसे परिवोजना द्वारा होने के व्यवस्था हटाया जा सकती।
37. व्यवस्थों के लिए समन्वय पर उचित प्रक्रिया वित्तियालयीय सुविधा, जीवानन दायरीट जारी की व्यवस्था परिवोजना प्रबलता द्वारा की जाए।
38. व्यवस्थों का जन्म-समय पर असंतुष्टीतात्त्व वालीलेख कानून व्यवस्था है।
39. व्यवस्था जीव व्यवस्था, जारी करने एवं अनुमंदित सत्त्वानन व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था, विकासी व्यवस्था, व्यवस्था की जाता एवं अविकासी व्यवस्था है, जो वित्ती व्यवस्था का प्रकार का परिवर्तन एसईआईए-उल्लेखन / पर्यावरण, का और व्यवस्था परिवर्तन व्यवस्था, जाता व्यवस्था की दूरी अनुमति के लिए यही विभव जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति की जाती करने का अवाय वित्ती व्यवस्थालय व्यवस्था अन्य व्यवस्था पर व्यविकल्प दर्जने का नहीं है एवं यही यह पर्यावरणीय स्वीकृति वित्ती व्यवस्था की व्यवस्था परिवर्तन व्यवस्था व्यविकल्प असिकारी के अविकासी व्यवस्था कोन्ट जाव एवं जाहानीय कानूनी / वित्ती के उल्लेख हेतु अद्वितीय करता है।
41. एसईआईए-एसलीमानगद पर्यावरण संख्या की दृष्टि से, परिवोजना जीव व्यवस्था में एविकल्प व्यवस्था विविधिक रूपी के सीरीज़ों का का जालन न करने की जाता में वित्ती जीव जीव व्यवस्था करने अवाय नहीं जाते योक्तु व्यवस्था जाहानीय / विस्तार के मानवीय और जीव व्यवस्था करने का अविकासी सुविधा रखता है।
42. परिवोजना प्रबलता व्यवस्था जीव व्यवस्था जाहानीय एवं जीव वित्ती व्यवस्था वित्ती के जाव-जाव व्यवस्था जाव से प्रवर्तित हो। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रश्न होने की दिनों के भीतर इस अवाय की व्यवस्था व्यवस्था वित्ती के परिवोजना जीव व्यवस्था की व्यवस्था परिवर्तन स्वीकृति प्रश्न हो जाते हैं एवं पर्यावरणीय स्वीकृति यज वित्ती व्यविकल्प, उल्लेखनगद पर्यावरण संख्या व्यवस्था में अविकासी हेतु व्यवस्था है। जाव ही इसका अवलोकन एसईआईए-एसलीमानगद की विवरणपृष्ठ pariveshi.nic.in पर भी लिया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति जीव व्यवस्था के जालन हेतु की नहीं कार्यालयी की जीव व्यवस्था वित्ती उल्लेखनगद पर्यावरण संख्या व्यवस्था, अटल जाव, सीरीज़ व्यवस्था, उल्लेखनगद पर्यावरण संख्या व्यवस्था, व्यवस्था परिवर्तन एसईआईए-एसलीमानगद एवं एविकृत सीरीज़ व्यवस्था व्यवस्था, जाहानीय उल्लेखनगद एवं व्यवस्था व्यवस्था, जाव व्यवस्था व्यवस्था वित्ती व्यवस्था विभव किया जाए।

44. एकीकृत संस्कृत कार्यालय, भारतवर्ष, वन एवं जलवायु परिवर्तन बोर्ड, भारत राष्ट्रीय राज्यपुर द्वारा एकीकृत संस्कृति में इनका उत्ती के गवाहन की वीडियोफिल्म की जाएगी। इस हेतु परिवेशना इकायाक द्वारा समय-समय वन उच्चतम लिए गए वस्तुयोंजी एवं कार्यदर्शक वा पूर्ण सेट एकीकृत संस्कृत कार्यालय, परिवेशना, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारतवर्ष, भारत राष्ट्रीय राज्यपुर को देखिए किया जाए।

45. एकाई-आई-एए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भारतवर्ष, भारत राष्ट्रीय राज्यपुर, एकीकृत संस्कृत कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारतवर्ष, भारत राष्ट्रीय राज्यपुर, कोन्कण प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ एकीकृत संस्कृत वस्तुयों के वीडियोफिल्म/वीडियोरिपोजी वा उत्ती के अनुचालन की ताकत में की जाए वही एकीकृत संस्कृत के वीडियोफिल्म हेतु पूर्ण संस्कृत उदाहरण किया जाए। परिवेशना प्रभावाकारी द्वारा विनियोग उत्ती का अनुचालन जनना यही पाठ्य ज्ञाने पर पर्यावरणीय संस्कृति नियन्त्रण की जा सकेगी।

46. परिवेशना प्रभावाकारी संस्कृत पर्यावरण संस्कृत मध्यम एवं राज्य भारतवर्ष द्वारा दी गई उत्ती का अनियायी रूप से घोलन करेगा। वे उत्ती जल (प्रदूषण नियन्त्रण वन नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा (प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संस्कृत) अधिनियम, 1990 तथा इनके तहत कराये गये नियमों, परिवेशकान्दन और अन्य क्षयकारी (इनमें एवं वीनावास संस्कृत) नियम, 2016 तथा उनके परिवेश वीना अधिनियम, 1991 (वन वीनोंविभाग) के अन्त मिथिदेव की जा सकती है।

47. प्रभावाकारी परिवेशना के बारे में एकाई-आई-एए, छत्तीसगढ़ में इच्छुत लियल में कोई भी विद्युत अध्यका नारियली होने की चक्का में दाई-आई-एए, छत्तीसगढ़ की पूर्ण संस्कृत व्यवस्थाएँ नक्किल सुधित किया जाए, लागि एकाई-आई-एए, छत्तीसगढ़ इस वर्ष लियल जन उत्ती की उच्चतमता अध्ययन नवीन उत्ती विनियोग उपलब्ध करायी जाए। लियल में कोई भी विद्युत अध्यका उच्चतम एकाई-आई-एए, छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भारतवर्ष, भारत राष्ट्रीय राज्यपुर की पूर्ण अनुभूति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कृत मध्यम पर्यावरणीय संस्कृति की ओर की यात्रा कीशीत कार्यालय, नियन्त्रण-घटनाकार एवं सुरक्षा कंट्रोल एवं वार्कर्कर/एक्सीलाइट कार्यालय में 30 दिनों की उत्ती की लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय संस्कृति की विनाय अरील नैतन्य द्वीपसूखा के सम्बन्ध नैतन्य द्वीपसूखा एवं 2010 की वाता 15 वीं लिए गए प्राक्कालनी अनुसार, 30 दिन की वाता द्वीपसूखा में उठी जा सकती।

বাংলা বিদ্যা পুস্তক

卷之三

देवसंग फैली छोटीमाझी रखनी हो— ली सहीत मिल राखनुपरी
**की जाता ग्रन्तीक 1882/1, कृष्ण सीज बोर 4.500 रुपये देवसंग, पास—फैली, लहरीस—पासगाड़ी, चिल्ह—जापानीस—जापान में छोटीमाझी इतिहासिक जातवन्म — 1,00,000 रुपये देवसंग देव
 अधिकारीप रखीकृति में ही जाने राखी जाए**

यह पर्यावरणीय स्थिति विनाशित करने के अपेक्षा ज्यादा खराप होती है। इस इन स्थिति की बहुत ज्यादा जल लकड़ाई से वाहन करना सुनिश्चित रूप से खराप है।

- समीन पद्मल यासव ताम संख्यालय बट करने के उपरांत (after clearing mining operations) खनन क्षेत्र तथा जिसी भी जगह कोइ जो जि खननी खनन अधिकारियों के काल्पन प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी टी-प्राप्ति (re-grading) भी जाएगी एवं भूमि का पुनर्व्यवाहार इस स्थिति तक लिया जाएगा, जिसी एवं तरीके बनावटीयों द्वारा ही उत्पत्ति हुए पर्याप्त है। परिवेशना प्रबलाकार इस तथा प्रतिक्रिया से अनुभोगित पाठ्यन विविध प्रकार एवं गहर की भौतिक विवर लिया जाए।
 - भू-खल के उपर्योग हेतु कीचींग भू-खल बीड़ी वे उत्पादन आंशक करने के दूर अनुभवि प्राप्त की जाए। ताक ही अन्य कठोर भी खल का उपर्योग जिसे जाने की जिसी में संलग्नत विभाग से उत्पादन आंशक करने की पूरी अनुभवि प्राप्त की जाए।
 - विनीज विभाग / ऐट / चाईट बीड़ी से पाइक्युलेट गेटर चलावें की वाका 50 विनीजाम / यात्राम यानवीटर से वान सुनिश्चित लिया जाए। इवार, चाईट, ट्रॉनर चाईटर चाईटर (यदि कोई हो) वे वान प्रदूषण विवराम हेतु जट एक्स्ट्रॉक्यूशन फिल्टर के साथ याव यात्रा का बैग फिल्टर स्थापित लिया जाए। खनिज उत्पादन अधिकारियों के विभिन्न संस्थानों से उत्पादन प्रूफिंगिट जट चलावें का नियंत्रण इन्हीं एवं विभिन्न जामों लिया जाए। पहुंच वार्ता, रेख, यांत्रिक दीर्घ, यार्ड एवं जट चलावें विन्युक्ती जट चलावें जैसे जट चलावें जैसे जट चलावें फिल्टर एवं जट लियाजाएं ही व्यवस्था की जाकर इसका सात संचालन / संचालन सुनिश्चित लिया जाए। विनीज ब्रैकिंग दील का नियंत्रण सुनिश्चित लिया जाए।
 - वाहनी, खनन एवं अन्य जड़ियों से उत्पन्न वान प्रदूषण की परीक्षण चलावें अधिकारियम, 1999 एवं वान (प्रदूषण विवराम तथा विवराम) अधिकारियम, 1991 के तहत विनीजें संस्थानों के अनुसार लखा जाएना। उत्पादन बीज में खनिजीय वान की गुणवत्ता यात्रा चलावें के परीक्षण, बन और लेव वान विनीज चलावें वाहनी एवं विनीज द्वारा अधिकृति खननी से अधिक वही होनी चाहिए।
 - परिवेशना चलावें द्वारा यात्रा के बारी तरफ प्रोत्संह का जारी लिये जाने के उपरांत ही उत्पादन कार्य चालें लिया जाए।
 - लीज सेक की बारी तरफ ओडी वड़ 7.5 फीट की बीड़ी पद्धति में कोई गेट का बैग / यांत्रिक वर्ती लिया जाए तथा इस पद्धति में खालीलाल लियी जी लाव उत्पादन इमारत के नियंत्रण की जा सकती।
 - उत्पादन उत्पादन के दीर्घ इटर्व वड़ उपर्योग लिट्टी (ट्रॉप चॉइल) का उपर्योग उत्पादन हेतु उपर्योग हे व अन्य यात्री भूमि के पुरा चालाम हेतु अवधा बहरी औत्तरावें के लियम (स्टेटिस्टिक्यू) जाने में लिया जाए।
 - उपर्योग लिट्टी की लीज बीज की बाट उत्पादन उत्पादन विनीजित जाने पर अवधारित कर राखिया रखा जाए। लिट्टी का दुकानों, लिट्टी एवं अन्य कठोरी वे उपर्योग नहीं लिया जाए। इस लिट्टी का उपर्योग यात्रा के दुनायावाद के लिय लिया जाए।
 - ओत्तरावें एवं अनुपर्योगी / विनीज अधीक्ष यात्रा लिट्टी दीक्ष को जुआम से पूर्ण से विनीज कल पर अवधारित लिया जाएगा। इस उत्पादन की यात्रा अवधारित पद्धति अवा-यात्रा की भूमि पर विनीजित उत्पादन न जान सकी। यात्रा की लीजाई 3 फीट तथा लीज इस लियी से अधिक न हो। ओत्तरावें यात्रा का उपर्योग दीक्ष को हेतु विनीजित लीजों से कूआरेपन लिया जाए।

17. जली तक पहुंच को लोकप्रियता एवं अन्य समुदायों/विदेशी भूमीय समिति (सिस्टम) की व्यवस्था के प्रभावों की व्यवस्था में पुरापर्याप्त (डिटॉक्सिक) होने वाली विधि जाए, ताकि भूमि का मूल वादव्योग अपना लालित वैदेशिक वायव्यों सुनिश्चित रिक्षा या नहीं।

18. परिवीरजना इत्याहु का एवं एवं सुनिश्चित रिक्षा या एवं जिस सुनिश्चित रिक्षा से उत्तम किस लोक लोक के जना-जना के लाली जल व्यवस्था में ज्ञातित न हो। इस रेखा होने वाली गैट जला वाय्य लोक में रिटेनिंग लोक / वालेन्ड हुए वीं जला वाय्य जी जाए।

19. सुनिश्चित वा वरिवान काहर वाला की रिक्षा या एवं ताकि वरिवान वाला की वाला नहीं रिक्षा। वरिवान का परिवान एवं एवं वालों की वाला एवं जी जी भर जाना सुनिश्चित रिक्षा जाए।

20. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) ई. रिमानुलाल इत्याहु का जारी पर्यावरण एकेन बीजना के लोक्यु रिक्षा या एवं-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at nearby, Village-Bhainshe				
65	2%	1.3	Pavitra Van Nirman	3.01
			Total	3.01

21. सीईआर की जारी विविधता वाली की जाए एवं वाली की वुले रिक्षा जाए। सीईआर के जारीवान प्रशासित करवी की वाले वुले उपलब्ध लोकित इत्याहु वाय्य वालावाय्य से वालीवाले प्रतिवेदन इत्याहु कर जालालित रिक्षा एवं जागालित करवी वुले प्रशुत रिक्षा जाए। सीईआर करवी की वालावाय्य सुनिश्चित करवा आपका वालावालित होगा। वृक्षावेष्य वालावाय्य होने एवं वालावाय्य वालावाय्य रिक्षा की जाएगी।

22. सीईआर की जारीवान 'परिवर्तन निर्माण' के जारी (शोधन, वाय्य, विपल, नीम, अम, अर्जुन, जामुन, असलालाल, करवा लादि) इत्याहु इत्याहु प्रशुत इत्याहु अनुसार 2,023 जन वीलों की रिए राहि 1,01,150 लायो वालिंग की रिए राहि 75,000 जनों, विभावु, जारी जला राहा-राहा जारी की रिए राहि 75,000 जनों, इत्याहु इत्याहु जारी वर्ष में वुले राहि 2,51,150 लायो जला आगानी 4 वर्ष में वुले राहि 50,000 जनों इत्यु प्रटकावाव वाय्य का रिक्षा प्रशुत रिक्षा जाए है। वालिंगना प्रशासित इत्याहु वाय्य वालावाय्य वीलों की वालावाय्य वालावाय्य वाय्य (वालावाय्य अग्नि 1764/1 लोकावाय्य 2 एकम्ह) के संकेत में प्रशुत इत्याहु अनुसार जारी वुले करो।

23. सीईआर, वीलन इन्हायावीलेटल वीलेटल वाय्य, वीलन इन्हायावीलेटल वीलेटल वाय्य में वालिंगना प्रशासित की वालावाय्य, वालों के जल-जलाल एवं वृक्षावेष्य करवी की भीक्षितिंग एवं वालेवाल ई. वि-वालेवाल भीक्षिति (डिपलाइटर/प्रोतिमालि) वाय्य पर्यावरण के पदालितावी/परिविति एवं रिक्षा प्रशासित वा छलीनागड़ पर्यावरण वालावाय्य मन्दहल के पदालितावी/परिविति वालित रिक्षा जाए। जाएगी सीईआर, वीलन इन्हायावीलेटल वीलेटल वाय्य, वीलन इन्हायावीलेटल वीलेजमेट वाय्य में

परियोजना प्रकल्पक की सहभागिता, सहकार के रूप-रूपएवं कृषिकृषि का जारी रखने के लिए जाने के उपर्युक्त गतिशील-कार्यकारिमी से समर्पित बनाया जाए।

अपना यह प्रदूषण विद्युतीय व्यापक अवधिक वित्तिग विषा प्राएं विलो जट का प्रसारण विद्युता में रहे।

33. गोपनीयता अधिकारी पूर्वजल नाम से एक अवश्यक प्राप्ति में जीव जाएगी एवं उत्तराधिकारी पूर्वजल नाम के बीचे लिखी गई परिचयिता में नहीं लिखा जाए।

34. गोपनीयता की प्रतिष्ठा इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि उनमध्यीयों एवं जीव-जननुजीव वर्ग कोई दुष्प्रभाव न हो। जोड़ में कोई जाने वाले छव्यालिक उनमध्यीयों एवं जीव-जननुजीव वर्ग सम्मिलित संखाच अवधारणाका दावित नहीं।

35. परिवोजना प्रसारका द्वारा गीव जीवनीय का उत्तराधिकारीसाग्रह गीव जीवनीय नियम 2015 के जावानी, अनुमोदित उत्तराधिकारीजना एवं पर्यावरणीय प्रक्रिया का अनुसार किया जाए। नाईन एवं 1992 की प्रसारकी का प्राप्ति लिया जाए।

36. जारी समझ पर अदि कीमिंग भारिक जारी पर लगाये जाते हैं तो ऐसे विभिन्नों के जावाना एवं सुविधा हेतु उपर्युक्त व्यवस्था परिवोजना प्रसारका द्वारा वीज जाएगी। आवासीय व्यवस्था अवधारणी संखाची वर्ग में हो जाती है, जिसे परिवोजना सूची होने के प्रसार उत्तराधिकारी वा जारी।

37. अमिली के लिए उनमें कठोर पर सम्बुद्ध उपर्युक्त लिंकिलार्टिय सुनिश्चित, गोपनीयता समीक्षा की वाचाचा परिवोजना प्रसारका द्वारा वीज जाए।

38. अमिली का जारी-उत्तराधिकारी एवं अनुमोदित उत्तराधिकारीजना का अनुसार वर्गिक जोड़ना, जिसमें उत्तराधिकारी वर्गिक की जावा एवं अनुमोदित लिंकिलिंग है, गे जिनी गे उत्तराधिकारी परिवर्तन एवं अनुमोदित उत्तराधिकारी / पर्यावरण, वर्ग और उत्तराधिकारी परिवर्तन उत्तराधिकारी वर्ग वाचाचा वाचाचा जीव नहीं लिया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति की जाहीं करने का आवाय जिनी अविभागत आवाय उत्तराधिकारी पर उत्तराधिकारी दर्शाने का नहीं है एवं वह पर्यावरणीय स्वीकृति लिंकिली सम्बन्धित को सुविधाम पूरी वाचाचा व्यविभागत अविभागत के अधिकारी आवाय कोन्द, वाचाचा एवं व्यावरीय कानूनी / लिंकिली के उत्तराधिकारी हेतु अविभागत बनता है।

40. एस.ए.आई.ए.ए., उत्तराधिकारी परिवर्तन संखाचा की दृष्टि से, उत्तराधिकारी की समीक्षा में परिवर्तन आवाय लिंकिलिंग जाती को संतोषजनक काय से प्राप्ति व वर्गने की दर्शा में जिनी गे जाहीं में संरक्षण/जिलात करने आवाय नहीं जाहीं जोक्से आवाय उत्तराधिकारी / लिंकिलाच के वाचाची को और वाचाचा करने का अविभागत सुरक्षित रखता है।

41. एस.ए.आई.ए.ए., उत्तराधिकारी परिवर्तन संखाचा की दृष्टि से, उत्तराधिकारी की समीक्षा में परिवर्तन आवाय लिंकिलिंग जाती को संतोषजनक काय से प्राप्ति व वर्गने की दर्शा में जिनी गे जाहीं में संरक्षण/जिलात करने आवाय नहीं जाहीं जोक्से आवाय उत्तराधिकारी / लिंकिलाच के वाचाची को और वाचाचा करने का अविभागत सुरक्षित रखता है।

42. परिवोजना प्रसारका व्यवस्था ३ व्यावरीय वाचाचार पर्वों से, जो कि परिवोजना द्वारा के आवाय-वाचाचा व्यावरक वर्ग से इसलिंग हो, पर्यावरणीय स्वीकृति आवाय होने के २ जिनी के बीच इस आवाय की सुविधा प्रस्तुति करेता कि परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति वर्ग हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वर्ग की लिंकिली उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी संखाचा सम्बन्ध में अवश्यीकरण हेतु उपलब्ध है। वाचाचा ही इसका अवश्यीकरण एस.ए.आई.ए.ए., उत्तराधिकारी की वेबसाइट parivesh.nic.in पर गे लिया जा सकता है।

43. वाचाचाचीय स्वीकृति में वी नहीं जाती के प्राप्ति हेतु जीव कार्यालयी की आवाय लिंकिली उत्तराधिकारी परिवर्तन संखाचा सम्बन्ध, अठल नाम, लंबीय कापीतप, उत्तराधिकारी पर्यावरण संखाचा सम्बन्ध, लिंकिलाच, एस.ए.आई.ए.ए., उत्तराधिकारी एवं उत्तराधिकारी स्वीकृति कार्यालय, वाचाचा सम्बन्ध, पर्यावरण, उत्तराधिकारी पर्यावरण में उत्तराधिकारी हेतु उपलब्ध है। वाचाचा ही इसका अवश्यीकरण एस.ए.आई.ए.ए., उत्तराधिकारी की वेबसाइट parivesh.nic.in पर गे लिया जा सकता है।

44. उत्तराधिकारी स्वीकृति वाचाचालय, पर्यावरण, वर्ग एवं जातवास्य परिवर्तन में उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी वाचाचाचा पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्तराधिकारी के प्राप्ति जाती के प्राप्ति ही उत्तराधिकारी

की जाएगी। इस हेतु परियोजना सम्बन्धकारी द्वारा ग्राम-सभा का प्रश्नापत्र लिख दिया दरबार्येंवाले एवं कांगड़ा का पूर्ण सेट एवं विभिन्न संघीय कार्यालय, पर्यावरण, यह एवं परलायू परिवर्तन संकाल, भारत सरकार, राष्ट्रपत्र की देखिया जाए।

45. एसईआईएए, छत्तीसगढ़, पर्यावरण, यह और जलवायु परिवर्तन संकाल, भारत सरकार, एवं विभिन्न संघीय कार्यालय, पर्यावरण, यह एवं जलवायु परिवर्तन संकाल, भारत सरकार, राष्ट्रपत्र /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाल विभाग की अधिकारियों की जाति के अनुसारण के लकड़ी में जी जाने काली अधिकारियों हेतु दूरी रखनीय प्रदाय दिया जाए। परियोजना प्रस्तावकार द्वारा दिनांकित जाति का अनुसारण जाना जाती यह पर्यावरणीय सीधौति नियमों की जा सकती है।
46. परियोजना प्रस्तावकार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाल मन्त्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा की यह जाति का अनिवार्य स्वयं से वासन करेगा। ऐ जाति जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिकारिय, 1974 वर्ष (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिकारिय, 1981, पर्यावरण (संकाल) अधिकारिय, 1988 वर्ष इनके तहत कामों को दियें, परियोजना की अधिकारिय, 1991 (जल संरक्षण) की अधिकारिय, 1991 (जल संरक्षण) की अधिकारिय की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एसईआईएए, छत्तीसगढ़ में इन्होंना नियम में कोई भी विवरण द्वारा परिवर्तन होने की दस्ता में एसईआईएए, छत्तीसगढ़ की पुरा नाम जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिया जाए, एवं एसईआईएए, छत्तीसगढ़ इस पर विचार लें जाति की उच्चतमता क्षमता नामीन जाति नियंत्रित करने के बाद नियंत्रण से रहें। जलवायु में कोई भी विचार क्षमता उन्नवन एसईआईएए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, यह और जलवायु परिवर्तन संकाल, भारत सरकार की दूरी अनुमति की दिना जाती दिया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाल मन्त्रालय पर्यावरणीय सीधौति की जाति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली-ग्रामांश एवं नदीयों केंद्र एवं कारोबार/दहलीलदार कार्यालय में 30 दिवान की उचिति की दिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय सीधौति की दिल्ली अधिकारिय विभाग दीन दीप्युत्तर के समान, नीलगंगा दीन दीप्युत्तर एवं 2010 की घटा 10 में दिए गए प्राप्तान्त्री अनुसार 30 दिन की समय उचिति में की जा सकती है।

जलवायु कारियर, एसईआईएए

अधिकारी, एसईआईएए

खारी कैरो शोलीवाट कडी हो - दी जान् देवत मिला

को वर्षता क्रमांक १८८२/१, जुलाई को ४५० हेक्टेयर, ग्राम-पौनी, उत्तराखण्ड-पालामुख-
लिला-जावगीर-वाराणी में होनेवाली है (पैल लगानी) लगानी - ३८२.३७ हेक्टेयर है इसकी दो
प्राचीनतमी लौटाई में ही जाने वाली है।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निष्पत्तिका जाती के अधीन दी जा रही है। इस दूसरी को
बहुत ध्यान की एक जाती राय काहड़ी से प्रभाव करना सुनिश्चित किया जाए।

8. यानि पहला बहुत लाल संघरण बंद करने के लागत (after closing mining operations) समस्य की तथा जिसी भी अन्य की तो यह उनकी लालन गतिविधियों के कारण उत्पन्न (arisen due to their mining activities) हुए हैं। यानि नी-प्राप्ति (non-earning) की जाएगी एवं यूनि का नुकसान तुल मिशन लाल दिया जाएगा। जिसके बाद लाल के विकासी और आदि के लागत हेतु नष्टपूर्ण हो। यानि लाल प्रस्तावक द्वारा लाल प्राप्तिकारी से अनुबंधित खट्टन लालकर लाल एवं नाई के गीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-लल के स्वयंसेवा हेतु बैन्डीय भू-लल की से उत्पन्न जारी करने के दूर अनुबंधि प्राप्ति भी जाए। जाल की अन्य रक्षणा से लाल का अपर्याप्त दिये जाने की विविध विविध विविध के उत्पन्न जारी करने के दूर अनुबंधि प्राप्ति भी जाए।
10. जिसी जिसी / ऐट / खट्टन सोनों से वार्टिक्सेट ऐटर लालकरीन की भाल 50 जिसीजाम / सामान्य घनकीटन से जम चुनिशित किया जाए। अल्ल, बड़ीन, ट्राइफर खाइट्स (यदि कोई हो) से यानु अनुप्रव नियान्त्रण हेतु उन्नत एकलट्रॉलान नियान्त्रण के लाल लाल वडान का बोग नियान्त्रण करवित किया जाए। यानि लालकरन गतिविधियों के द्वितीय जालों से यानु अनुभितिव उन्नत एकलर्वन का नियान्त्रण प्रभावी एवं नियन्त्रित रूप से किया जाए। खट्टन नाई, ऐच, लालकरन सोन, लालई एवं अन्य लाल लालकरन नियुक्ती उन्नत एकलर्वन जम लालकरन नियान्त्रण एवं जाल नियान्त्रण की अवधारणा की जाकर इसका लाल लालकरन / सामान्य सुनिशित किया जाए। नियन्त्रित जीत का जिसी चुनिशित किया जाए।
11. बड़ीनी, लालन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न यानु अनुप्रव को पर्यावरण लालकरन अनिवार्य, जैसे एवं यानु (नियान्त्रण लाल का नियान्त्रण) अनिवार्य, 1991 के लाल नियन्त्रित जालों के अनुप्रव लाल जाएगा। लालकरन कीर से वार्टिक्सीय यानु की अनुप्रव भाला सबकर के एकलर्वन, बन कीर लल कानु परिवर्तन भंडालप, जो जिसी द्वारा अनिशुल्क जालों की अविक नहीं होती जाएग।
12. वार्टिक्सीय प्रस्तावक द्वारा लालन के बाहे लालकरन का कर्त्ता किये जाने के लालकरन ही लालकरन कर्त्ता ग्रांप किया जाए।
13. लीज कीर के बाहे लालकरन छोटी एवं 7.5 बीटर की बीड़ी यट्टी में लोड्डे वेस्ट का हैंग / ग्रांपलाय नहीं किया जाए ताक यट्टी में नुकारोन किया जाए। ऐसा लालन नहीं करें जाने पर भार्विलीय वर्कियूटि किसी भी समय लालकरन प्रभाव से नियन्त्रण की जा सकेगी।
14. लालकरन छोटिया के दोनों हटाई एवं उनकी नियटी (टीच लीड्स) का उत्तरीग लालकरन हेतु उपर्योग में त जाने वाली यूनि के पुण यट्टाप हेतु अल्ला लालन औवलर्वन को नियट (स्टेमिलर्वन) करने में किया जाए।
15. यमर्दी नियटी की लीज कीर के बहर प्रस्तावक अनुप्रव नियन्त्रित लालन पर भंडालित जम लालकरन लाल जाए। नियटी का दुलभवीय, नियान्त्रण एवं अन्य जाली से लालकरन नहीं किया जाए। इस नियटी का उत्तरीग लालन के पुणभवन के लिए किया जाए।
16. औवलर्वन एवं अनुप्रवों / नियटी अनीग लालकर (ऐटर लीज) को पुणक से पूर्व से नियन्त्रित लालन का अव्याहित किया जाएगा। इस प्रकार के भवहालन करनी को यानि प्रस्ताव से सुरक्षित नहीं जानी लालकर अव्याहित पदार्थ आला-पाला की यूनि पर नियन्त्रित उत्तर न लाल रहकी। यानु की लीनाई 3 बीटर एवं लाल लाल 25 नियटी से अधिक न हो। औवलर्वन यानु का लाल लालन छोटी हेतु विद्वान्तिक तरीके से कुलभवन किया जाए।

17. यात्री तक सभी ही लोकल्सर्वन द्वारा अपनी/सिंह अवौद्य समिति ट्रिप्ट लीक्यु द्वारा दर्शन की जानकारी की गई है में पुनर्जनन (वैज्ञानिक) हेतु एकदोष किया जाए। यात्रीके भूमि का कुल पर्यावरण अधिक विकासक एवं बोर्डर बूर्जीवित किया जा सकते।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें प्रतिक्षा से ज्ञानन फिल्टर लीज़ लेवल के आगे-आगे की जानकारी जैसे स्थैतिक न हो। इसे रोकने हेतु नाईन वीट तथा कम्प लीज़ में रिट्रैक वीट / नासेंट्र ट्रैन की जानकारी दी जाए।

19. समिति का परिवहन करनको लाहौर से लिया जाए, तभी समिति लाहौर से बाहर नहीं लिये। समिति का परिवहन कर परे लाहौरी की जानकारी के अधिक नहीं जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण अधिकार दोषजन के बारें जैसा लिया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment To-be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52	2%	1.04	Following activities at nearby, Village-Bhalnaha	
			Pavitra Van Niranjan	3.01
			Total	3.01

21. सीईआर की तरफ फिल्टर करनेको ५८ नारे में अधिकतर कम से कमी किया जाए। सीईआर के उपरोक्त असाधित आर्यों के कार्य पूर्ण उपयोग संबंधित जान पंचायत से कार्यकारी द्विविभाजन प्राप्त कर अधिकारियों किलोट में समर्थित करते हुये प्रवृत्त किया जाए। सीईआर कार्य की सकलता सुनिश्चित जानना जानकारी उत्तराधिकार द्वारा। कृषाणीयन आवश्यक होने पर प्रतीक्षित लोकल्सर्व नियन्त्रण की जारीगी।

22. सीईआर के बारें निम्नलिखित दो लाहौर (जोड़ाता, बद, दीपल, नीम, आम, अर्द्ध, अग्न्यु, अनलकारा, अवाम आदि) कृषाणीयन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ३,००३ नम् दोषों के लिए जारी १,०१,१५० कम्पये, प्रीमिय के लिए तभी ३५,००० कम्पये, लिंगदृ, जाव तथा राम-राधा आदि के लिए जारी ३५,००० कम्पये, इस प्रकार प्रधान लाई में कुल जारी २,३१,१५० कम्पये तथा अन्यान्य ५ दोषों में कुल जारी ८०,००० कम्पये हेतु घटकवार ज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना असाधित द्वारा प्राप्त पंचायत गैंडों के सहायते उपलब्ध जानकारीमय स्थान (जल्दी अन्तिम १७८४/१ की तारीख २ दिक्कद) के जोड़ों में प्रस्तुत असाधित कार्य पूर्ण करें।

23. सीईआर, नीमन इन्हायरेंजिंग इंजीनियर स्थान, जीमन इन्हायरेंजिंग इंजीनियर पक्षमें परियोजना प्रस्तावक की जानकारी, लोकों के राज-राजव एवं कृषाणीयन कार्य के नीमेन्टरिंग एवं पर्यावरण हेतु फि-एक्सिय गैंडों (जोड़ातुर्क्टर/प्रीमियति, जाव पंचायत के प्रदायिकान्दो/प्रीमियति एवं जिसा ग्रहाकार का अस्तीतिगढ़ पर्यावरण गैंडों एवं गैंडों के चर्चान्दमो/प्रीमियति) वित्त किया जाए। जान्य ही सीईआर, जीमन इन्हायरेंजिंग इंजीनियर पक्षम, जीमन इन्हायरेंजिंग इंजीनियर पक्षम में

परियोजना प्रसारक सी नहापांगीता, महाराष्ट्र के भाग-लकड़ा एवं गुडालेपथ का जारी पूर्ण छिपे जगते के नयानों महिला फि-व्हॉल मार्गिता से समर्पित कराया जाए।

24. यह से निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु जात या आए, तब उन्होंने कहाने/राशीय/पट्टा के निरीक्षण से राष्ट्र-सामग्री विभाग के लकड़ी आपके द्वारा कराए गये कठोर का निरीक्षण भी करनिवार सम से कराने आपकी निम्नोदासी होती।

25. परखनम हेतु निरीक्षण सेवा (जहाँ तक ७.५ मीटर लीका होता), होम रोड, और अवैध राष्ट्र आपदे में जानीय प्रजाति के १,००० नव युद्धी या जापन युद्धार्थीय दृष्ट्यांक दर्दे में किया जाए। ऐसे बहुमिति सेवा में ८५० नव युद्धार्थीय किया जाए। हांगित पट्टी का नियन्त्रण कीनीय प्रदूषण नियंत्रण कोई भी वार्ताविभाग के अनुसार किया जाए।

26. प्रत्यक्षिका के अन्तर पर कहाने प्रबंधन द्वारा यह २०२३-२४ में कान से कम ३०० नव जीति हेल्पर लीज सेवा के अनुसार यह, वीपल, नीम, करंज, नीम, बांस, इगती, अन्तु, चीला आदि जन्म जलभौमि उत्तरार्थी के २०० योद्धों का देखा (कुल ३,५७० योद्धों) कहाने के युद्धी लोड में किया जाए। लोडपा को सुरक्षित रखने के लिये सचिवालय एवं पर्यावरण व्यवस्था (जहाँ लोटिंग दाता के बाहू अस्पद ही यादी का उपकरण) किया जाए। राष्ट्र उपलब्ध नहीं होने की इसे में संबंधित यात्रा विषयक द्वारा किन्हीं लोड में उत्तरार्थीय युद्धार्थीय युद्धार्थीय किया जाए। उत्तरार्थीय युद्धार्थीय दृष्ट्यांक दर्दे में युद्धी किया जाए। युद्धार्थीय युद्धार्थीय युद्धार्थीय मर्दे में युद्धी किया जाए। युद्धार्थीय नहीं करने वाली पर्यावरणीय वरीयति उत्तरार्थीय नियन्त्रण की जा सकती है।

27. लोडिंग किये जाने वाले योद्धों में संख्यात्मक (Numbering) एवं योद्धों के नाम का उपलेख रखते हुए जिनीटेट (Geotag) फोटोइमेज नियंत्रित जानकारी वालने प्रतिवेदन को जावा उत्तरार्थीय में उपलब्ध जाए।

28. बहुमिति लीज सेवा के लोडपा एवं बाहू जापन युद्धार्थीय किये जाने एवं नीतियां योद्धों का उत्तरार्थीय डेट (Burdened Date) ३० दिनिक सुविधियत किया जाए। यहाँ ही युद्धार्थीय का राष्ट्र-सामग्री वायनी ८ तक तक सुनिश्चित करने हुये युद्धी योद्धों को अतिस्थापित (Morality replacement) किया जाए। आपके द्वारा नीतियां योद्धों के युद्धार्थीय को उत्तरार्थीय युद्धी किन्नेदारी होती।

29. किये गये युद्धार्थीय की युद्धी हेतु भी यो-एस (Extraterrestrial Global Positioning System) से एवं लोटिंग लोडिंग नियंत्रित में समर्थित यात्रों हुए उत्तरार्थीय युद्धार्थीय कानून वाल्यां एवं एम-एस-ए-ए, उत्तरार्थीय की लोडिंग किया जाए।

30. लोडिंग उत्तरार्थीय प्रसारण द्वारा T.S. योद्धा लोडिंगीय लोड में उत्तरार्थीय यादी, नीड-आ तो तहत प्रत्यक्षित कार्य एवं लोड युद्धार्थीय में हिस्ते वाले आत्माराम की अनुसार आर्य उपयन, लीनन इन्वायरनेंटल लोडिंगेट यात्रा में उत्तरार्थीय युद्धार्थीय की सहभागिता के कार्य करना नहीं करने वाले एवं पर यार्थिकलीय वरीयति को नियन्त्रण जाने की जाएंगी।

31. लोडिंग उत्तरार्थीय प्रसारण द्वारा यानि एट्रोपा के नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपयन किया जाए। यानि का साथ उत्तरार्थीय लोड में दिन के समय ७३ DBA/H एवं राति के समय ७० DBA/H से अधिक नहीं होना चाहिए। यो यानि काने कोडों में कान बालों वाली अप्रियों को इत्यार्थक/याद आदि प्रहारण किए जाए एवं यानि-यानि पर नियन्त्रितकरीय लोड एवं आत्माराम कानुसार उत्तरार्थीय युद्धार्थीय जाए।

32. लोट्रीज लाइसेंस का कार्य नीड-एस द्वारा अतिसूख नियन्त्रित लोट्रीज यात्रक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए चाल्यर के लोट्रे-लोट्रे दुर्घटी (गलाई दीर्घी) को उत्तरार्थीय योद्धों द्वारा यार्थिक एवं यानि युद्धार्थीय किया जाए। ऐसे नियन्त्रण

अपना वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा सभी अधिकारी विभिन्न विभागों का
प्रबल विश्वास नियंत्रण में रहे।

33. उत्तराखण्ड उचिता मूः-पाल चतुर के द्वारा असाधारण द्वारा ने की जाएगी एवं उत्तराखण्ड प्रदेश उचिता मूः-पाल चतुर की गोये वित्ती वी परिस्थिति में भी किया जाए।

34. उत्तराखण्ड की उचिता इस उत्तराखण्ड की जाए कि बनारसीयी एवं लीला-जन्मस्थी यह कोई दुष्प्रभाव न हो। सेव में यह सामने वाले प्राकृतिक बनारसीयी एवं लीला-जन्मस्थी का गमनिष्ठ विवाह उत्तराखण्ड दर्शित होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गोये स्कूलिज का उत्तराखण्ड उचितीसमझ गोये स्कूलिज नियम, 2015 के जारीनी, अनुमोदित उत्तराखण्ड दीर्घना एवं वार्षिकतावाल प्रकाशन दीर्घना के अनुसार किया जाए। गोक्तन एवं 1992 के जारीनी का प्रकाश किया जाए।

36. कार्य व्यवस्था यह बहिर्भौमिक भवित्वा कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भवित्वों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अनारोपीय व्यवस्था अनारोपी संवादात्मकों के रूप में ही जारी है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. भवित्वों के लिए यानन रूप पर व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा गोये साइट टाइपेट अर्दि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. भवित्वों का समय-समय यह अनुमोदित द्वितीय संवित्ति करना आवश्यक है।

39. उत्तराखण्ड की उठनीवाले, कार्य कांड एवं अनुमोदित उत्तराखण्ड दीर्घना के अनुसार व्यवस्था, जिसमें उत्तराखण्ड भवित्वों की मात्र एवं अवधिएट भवित्वों है, जो वित्ती वी प्रकाश का परिवर्तन एवं अर्दि-अर्दि उत्तीर्णाम / वर्तीर्णाम का और यात्राओं परिवर्तन योजनाएँ, भवत यात्राएँ एवं युर्ज-जन्मस्थी के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय भवित्वों की जारी करने का आवश्यक वित्ती संवित्तियत अवश्य यथा व्यवस्था पर अविकार यात्रों का भी है एवं न ही यह पर्यावरणीय भवित्वों वित्ती वित्ती सम्बन्धों को गुप्तात्मा नहीं बनाये जाना व्यवस्थित उत्तिकानों के अतिरिक्त अवश्य लेन्द्र यथा एवं ज्ञानीय कान्मूली / वित्ती के उत्तराधिन हेतु अविकृत करता है।

41. एमआईएए, उत्तीर्णाम पर्यावरण संवाद की दृष्टि से, परियोजना की यात्राएँ में व्यवस्थित अवश्य विनियोगित जाती है संतोषापद रूप से फ्रेजर न जाने की दृष्टि से वित्ती जी जाते हैं जारीन / वित्ती करने अवश्य नहीं जाते फ्रेजर ने अवश्य उत्तराधिन / वित्ती की यात्राएँ की और यात्रा करने का अविकार गुरुत्वात् रखता है।

42. परियोजना उत्तराधिन गृहानगढ़ 3 ज्ञानीय यात्राएँ पक्की हैं, जो कि परियोजना की दृष्टि के आस-आस अवश्यक यथा जी प्रस्तावित है, पर्यावरणीय भवित्वों प्राप्त होने की दृष्टि से वित्ती की भी जाते हैं जारीन इस अवश्य की सूखना प्रसारित करते हैं कि परियोजना की पर्यावरणीय भवित्वों प्राप्त हो जाए है एवं पर्यावरणीय भवित्वों पर वी इतिहासी व्यवस्था पर वी उत्तीर्णाम की यात्राएँ यात्राएँ गृहानगढ़ के अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। यात्रा ही इसका अवलोकन एमआईएए, उत्तीर्णाम की वेबसाइट panvash.nic.in पर वी वित्ती या यात्रा होता है।

43. पर्यावरणीय भवित्वों में की युर्ज-जाती के यात्रा हेतु वी गई कर्मसाधी की आवश्यक वित्ती उत्तीर्णाम पर्यावरण संवाद भवित्व, अटल नगर, लोकीय उत्तराधिन, उत्तीर्णाम पर्यावरण संवाद भवित्व, वित्ती व्यवस्था, एमआईएए, उत्तीर्णाम एवं पर्यावरणीय कर्मसाधी, भवत यात्राएँ यात्राएँ का एवं यात्राएँ पर्यावरणीय यात्राएँ या यात्राएँ उत्तराधिन यात्रों को व्यवित वित्ती जाए।

44. एकीकृत कर्मसाधी पर्यावरण, यह एवं यात्राएँ पर्यावरण संवाद, भवत यात्राएँ, यात्राएँ इस पर्यावरणीय भवित्वों में उत्तराधिन जाती के यात्रा की गोपीटीवित्ती

की जाती है। इस लिए परिवोजन उत्तमता के द्वारा समृद्धि-समय पर प्रसुत नियंत्रण गति दर्शाकरी एवं आंतरिक का पूर्ण लेट एक्स्प्रेस ट्रेनों का आवश्यक, पर्यावरण, वग़न एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी, भारतीय सरकार नाम्बुर लो एक्स्प्रेस दिया जाए।

45. एसडीआईएए, अलीगढ़, पर्यावरण, वग़न और जलवायु परिवर्तन संबंधी, भारतीय सरकार/एक्स्प्रेस ट्रेनों का आवश्यक, पर्यावरण, वग़न एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी, भारतीय सरकार, नाम्बुर, /केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तीर्णसंग्रह परीक्षण संस्थान मनोदान के प्रौद्योगिक/अधिकारियों द्वारा जारी के अनुपातन के संकेत में की जाने जाती बीमिटिंग लिए पूरी तरहपूर्ण प्रकार दिया जाए। उत्तीर्णसंग्रह प्रदूषक द्वारा नियंत्रित जारी का अनुपातन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय सीखूति नियमों की जा सकती है।
46. उत्तीर्णसंग्रह प्रदूषक उत्तीर्णसंग्रह पर्यावरण संबंधी मनोदान एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई जारी का अधिकारी समय की पासन करेगा। ये जारी जल (प्रदूषण नियामन लघु नियंत्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा (प्रदूषण नियामन लघु नियंत्रण) अधिनियम, 1981, उत्तीर्णसंग्रह (संचालन) अधिनियम, 1988 द्वारा इनके तहत बनाये जाने नियमी, परिवर्तनप्रयोग और उत्तीर्ण अनियंत्रित (संसाधा एवं जीवनपात्र संवर्धन) नियम, 2018 द्वारा लोक दृष्टिकोण से जारी अधिनियम, 1991 (जला कानूनीयित) के अधीन नियंत्रित की जा सकती है।
47. प्रदूषित परिवेश के बारे में एसडीआईएए, उत्तीर्णसंग्रह वे प्रसुत नियम में कोई भी विचलन उत्तीर्ण परिवर्तन संबंधी जारी की जला में एसडीआईएए, अलीगढ़ को पूर्ण रूपीय जागरूकती दर्हित रूपीय दिया जाए। ताकि एसडीआईएए, अलीगढ़ द्वारा पर विधाय कर जारी की रुपायुक्तता उत्तीर्ण जारी नियंत्रित करने वाला नियम ले जाए। जलान में कोई भी विचलन उत्तीर्ण उत्तमयन एसडीआईएए, अलीगढ़, / अलीगढ़, वग़न और जलवायु परिवर्तन संबंधी, भारतीय सरकार की पूर्ण अनुबति के दिया जाए हिया जाए।
48. उत्तीर्णसंग्रह पर्यावरण संबंधी मनोदान पर्यावरणीय सीखूति की प्रति की उनके लंबीय कार्यालय, जिला-जापार द्वारा दर्शाए एवं बलेक्टर/तात्त्वज्ञानादार कर्यालय में 30 दिवान की अवधि के लिए प्रदानीत करेंगा।
49. पर्यावरणीय सीखूति के लिए उत्तीर्ण अधीक्षण नेतृत्व दीन ट्रॉफूल द्वारा नाम्बुर, नेतृत्व दीन ट्रॉफूल एवं 2010 की वारा 10 में दिए वह एक्कलनी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

भारतीय सरकार, एसडीआईएए

— अध्यक्ष, एसडीएए

मेलनी बालाकोट मेंब्र वर्षी (२०-१) (प्री- और्योगी कुलकला राज्य)

यह पार्ट ऑफ बाला कला असोसिएशन - १५४, बुल लीवर्सी-१, १३ ब्रिटेनर के बड़ा ६० प्रिंसिपल
कॉलेज में ही, प्राथ-बालाकोट, तालीमी-बालाकोट, बिहार-बाला (उत्तर.) में बालाकी नदी
में बिल बालाकोट कला ११,२०० प्रान्तीय प्रतिलिपि वर्णन की गई है।

बाले कली जी

इह पर्यावरणीय सीमिति विश्वारिति जी की अधीन की जा रही है। अतः इन जी की
कुल भाषा से यहाँ जारी रखा रखाई से जलन करना सुनिश्चित किया जाए।

१. यह बालाकोटीय सीमिति कला बट्टे के विवाह की गारीबी से दो वर्ष तक की
अवधि हेतु की गई।
२. गार अवायन (सिलेंस बैकी) रिपोर्ट - बीरीकला बालाकोट के बालाक झेत में
जलामी १.५ ला में विद्युत गत अवायन (Generation Study) कारबोगा जारी की गई जो
पुनर्वापन (Replenishment) बाला जी की ओर से ऐसा जलाना का नहीं नदीताल
कलानीय बनायी जाए एवं यह सूख जीको पर प्रभाव लाया नहीं के बावें की कुलकला
एवं ऐसा जलाना की जी जानकारी प्राप्त ही नहीं।
३. यही जलान विभिन्न द्वारा अधिकृति कियी जलस्तर में है। अला ५०० मीट्रिक
लीटर क्लीमूल ऐसा जलानी का कुल रेखा ५.५ ब्रिटेनर के अंतर्गत होता है जो
पर्यावरणीय सीमिति जाए नहीं होती।
४. जलानन सीधे १.१२ ब्रिटेनर के बड़ा ६० प्रिंसिपल कॉलेज से अधिक नहीं होता। जो ५०
प्रिंसिपल सीधे में जलानन नहीं किया जाता। इसी जलान जलान से ऐसा का
अधिकतम जलान ११,२०० प्रान्तीय प्रतिलिपि से अधिक नहीं होता।
५. यानकीय एवं जीवी की आदेत दिनांक २५/०२/२०२१ के अनुसार बट्टेवार द्वारा
मार्गीनिंग द्वारा एवं पर्यावरणीय सीमिति की जी का जलन सुनिश्चित बनाये जाने
हेतु विविधता जलानक एवं जलानन विभिन्न विकृत करना होता है।
६. यानकीय एवं जीवी की आदेत दिनांक २५/०२/२०२१ के अनुसार बट्टेवार द्वारा
मार्गीनिंग द्वारा एवं पर्यावरणीय सीमिति की जी का जलन सुनिश्चित बनाये जाने
हेतु विविधता जलानक एवं जलानन विभिन्न विकृत करना होता है।
७. ऐसा जलानन जलाने के बाहे क्षमतावाल्यानुसार विभिन्न विभिन्न विकृती पर नहीं है
ऐसा जी जलाने की जारी (Leave) का सर्व तर यानी जलाने एकई जारी है
एवं क्षमतावाल्य की जलान जिनी जारी है। बैक्ट-मानसून (बैक्टून/जलान गत) में ऐसा
जलानन जलाने के बाहे इसी विभिन्न विकृती में जारीजिन लीज जी जला जीको
जलाने की क्षमतावाल्य एवं जलाननकीय में १०० मीट्रिक लीटर जलान जीज की जाहर /
नहीं जाह (दोणी और) की १०० मीट्रिक लीटर की जलाने की जारी जलाने की जारी (Leave)
का सर्व बहु विभिन्न विभिन्न विकृती पर किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसा जलान
जलानन मानसून की बाहे (मही गाह की अंतिम जलान/जल के अध्ययन जलान) इसी
विभिन्न विकृती पर ऐसा जलाने की जलानन जलाने का यथान किया जाएगा। ऐसा जलान
की बहु विभिन्न विभिन्न विकृती का ऐसा जलाने की जलानन जलाने की जलान जलान
जागायी ३ ली जलान विभिन्न विभिन्न जाएगा। बैक्ट-मानसून की जारी दिनांक २०२१

2024, 2025 एवं 2026-2027 के अंतर्वर्ती अवधि 2023, 2024, 2025 एवं अविभाजित समय की प्रक्रिया-आईटीए, आपूर्तिकार द्वारा प्रभावित किया जाएगी।

8. ऐसा की गुणवत्ता एवं अन्तर्वर्ती अवधि की द्वारा (Machinery) की जाएगी। इस उद्देश्य को लिये लिये नियन्त्रण संबंधी (Machinery) आदि वास्तविक नहीं किया जाएगा। नियन्त्रण बोर्ड में भारी बहुन्मी का अधिक व्यापकता की जाएगा। लैंडर कंपनी में नियन्त्रण ऐसा गुणवत्ता व्यवस्था (Excavation tools) की जांचिंग घाटी तक वेत का विनियोग हैरान द्वारा द्वितीय द्वारा किया जाएगा।
9. ऐसा का उत्तराधिकार कंबल लिखी गई अवधि लोड में ही किया जाएगा। ऐसा उत्तराधिकार की अविभाजित गुणवत्ता सहित ही। बीटर अथवा उत्तराधिकार जल सार की उपर्युक्त गुणवत्ता दोनों में से यी कम ही, तो अविभाजित नहीं होगी। ऐसा का उत्तराधिकार लिये गये परिवर्तीति में जल सार की बीचे नहीं किया जाएगा। बून्दलाल 2 बीटर अवधि तक वे ऐसा नहीं जल (जारी रखक) के उपर दोनों द्वारा अवश्यक है।
10. ऐसा उत्तराधिकार नहीं होती की कम से कम 2.5 बीटर अथवा नहीं जीवार्ड के 10 अविभाजित की दूसी यो गी अधिक ही उत्तराधिकार ही किया जाएगा, ताकि नहीं होती का जल जल न हो। लिये गी पुरिया उत्तराधिकार, जल, दूनीकर, जल उपराव अवधि एवं अन्य स्थायी उत्तराधिकारी गी जलान ही अपनहीन वे नूनाल 800 बीटर का जल उत्तराधिकार में नूनाल 250 बीटर सुनियोजित कर दीजा जाए अविभाजित है।
11. यह सुनियोजित किया जाए कि ऐसा उत्तराधिकार की जलान नहीं जल का एवं, उत्तराधिकार एवं जल बहाव की स्वरूप पर कोई लिये गये अवधि न हो।
12. यह सुनियोजित किया जाए कि उत्तराधिकार कंबल दोनों की कंबल में किया जाए लिये गये उत्तराधिकार की जल-जारी जल की जीव-जल, उत्तराधिकार ही नहीं। जारीकी की प्रत्यक्ष इकाईयों / कंबल का संक्षिप्त जापानामक है। अतः इन कंबल की जल जल ऐसा उत्तराधिकार नहीं किया जाए।
13. ऐसा उत्तराधिकार एवं भवानी / परिवहन विन के जापान ही किया जाए। यह कली चारि की जापान नहीं किया जाए। ताकि वे अधिक उत्तराधिकार वापर जलने की लिये गये अविभाजित उत्तराधिकार का विकल्प लियनानुसार वापरकारी की जायेगी।
14. अविभाजित प्रत्यक्ष इकाई ऐसा उत्तराधिकार लियन जलानी या उत्तराधिकार अवधि से जलान होने वाले उत्तराधिकार कंबल उत्तराधिकार के लिये जल द्वारा नूनाल का दूसरा प्रत्यक्ष लियन अवधि जलान ही जल लियनानुसार अवधि जल दूसरा प्रत्यक्ष लियन जलान ही जाए। ऐसा उत्तराधिकार कंबल में परिवहन वापर ही दूसरा प्रत्यक्ष जलान जलानार, परिवहन कंबल और जल जल वापर परिवहन, जलानार, नहीं लिये गया अविभाजित नामानी से अधिक नहीं होनी जाएगा।
15. ऐसा का अविभाजित उत्तराधिकार अवधि जलाना नामानी से कही दूर जल का किया जाए, ताकि ऐसा जल की जाहर नहीं किये। उत्तराधिकार का परिवहन जल की जाहरी की जामाना से अधिक नहीं जला जाना सुनियोजित किया जाए।
16. जलानान कंबल में अवधि दूसरा न हो, यह सुनियोजित किया जाए।
17. जलानियोजित की जापान पर जलान प्रत्यक्ष इकाई जल 2023-24 में नवीनीत के कंबल की संरक्षण द्वारा दीया जानी की जलानान जर्जर, जापान, जल, धौपान, नीर, लैंडर, गैर्ज, इकाई, गैर्जला आदि अन्य उत्तराधिकार प्रत्यक्ष इकाईयों के बूल 80 नग जीवी का जलान नहीं जल एवं 600 जल जीवी जलान गर्व के दीनी जलक पर लिये गये जाए। दूसरा



की सुरक्षित नहीं के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिस कार्रियर तार की बाहर का पृष्ठीय) दिया जाए। ५ फीट से ८ फीट ऊँचाई की फैली का ही वेग दिया जाए। उपरोक्त व्यवस्थाएँ इन तरीं में दूरी दिया जाए। संग्रह फैली की ऊँचाई एवं रक्ष-व्यवस्था आगामी ५ वर्षों तक करने का उत्तमदर्शित्य हीने कांडी आवश्यक का व्यवस्था पर उपयुक्त दिया जाए। संग्रह फैली की ऊँचाई एवं रक्ष-व्यवस्था आगामी ५ वर्षों तक करने का उत्तमदर्शित्य परिवर्तनाप्रसंगक का रहेगा।

१८. संग्रह दिये जाने की फैली में संख्यांकन (Numbering) एवं फैली के नाम का लालचाल करने के लिये फोटोफोटो लाइट ड्राइवरी अंकितीकरण लिंगोर्ट के लाल लगा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण की दौड़ी दिया जाए।

१९. व्यावरोपण का रक्ष-व्यवस्था आगामी ५ वर्षों तक सुनिश्चित करने के लिये यह दौड़ी की प्रतिस्थापन (Mortality replacement) दिया जाए।

२०. दिये गए व्यावरोपण की दूरी हेतु दीपीजीएस (Differential Global Positioning System) की एवं फोटोफोटो ड्राइवरी लिंगोर्ट में समर्थित करने के लिये उपलब्ध व्यावरोपण लालचाल एवं दार्ढ़ितार्ड लाइट ड्राइवरी लिंगोर्ट को दीर्घ दिया जाए।

२१. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा नियन्त्रित प्रदान एवं करने पर्यावरण प्रबलन योजना की जांचना दिया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
Following activities at Nearby Village- Bajawand				
10	2%	0.36	Pavitra Van Kilometre	0.72
			Total	0.72

२२. सीईआर के द्वारा नियोजित कार्यकारी ०५ वर्ष में अनिवार्य रूप से दूरी दिया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रस्तावित करने के बावें दूरी उपरोक्त संभवित रास्ते पर्यावरण से व्यावरोपण द्वारा एवं अंकितीकरण लिंगोर्ट में समर्थित करने के लिये उपयुक्त दिया जाए। सीईआर करने की लालचाल सुनिश्चित करने का प्रयत्न अपार्टमेंट हीगा। व्यावरोपण उपरोक्त हीगे पर पर्यावरण की दौड़ी दिया जाएगी।

२३. सीईआर के कांउरेट “परिवर्त वन नियंत्रण” के द्वारा (पीपल, बीम, अम, छार्झुन, बेस, जामुन आदि) व्यावरोपण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अनुसार २५० वर्ष योग्यों के लिए राशि ३७,००० रुपये, जीसेप के लिए राशि ६६,००० रुपये, चारों के लिए राशि ६,००० रुपये, लिंगोर्ट के लिए राशि १,२०,००० रुपये एवं रक्ष-व्यवस्था आदि के लिए राशि १,३४,००० रुपये इस इकाय एवं योग्यों में कुल राशि २,५२,००० रुपये एवं रक्ष-व्यवस्था में कुल राशि २,१६,३०० रुपये द्वारा प्रकाशित राय का लिखान प्रस्तुत दिया गया है। इस प्रकाश २ वर्षों में कुल राशि २,७२,३०० रुपये राय होगा, जिसी से अंकित राशि द्वारा अनिवार्य कार्य से राशि २,००,१५० रुपये राय दिया जाएगा। सीईआर के द्वारा “परिवर्त वन नियंत्रण” द्वारा जान पर्यावरण की सहजति उपरोक्त

कालांगड़ राजन (काला नंबर 652, लैंग्डल 045 हिंदूक) के संस्कार में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदन करने पूर्व था। सीईआर के अधिकारी 'परिवर्त राज निर्णय' के तहत इन बही यात्रे के दूसरे राजनीतिक वा राज-सम्बन्ध वार्ताएँ खदान द्वारा जानानी उ करी जाना सुनिश्चित भिन्न जाए।

24. सीईआर एवं कुलांगड़ राजन के अधिकारीय एवं पर्यटक ट्रॉफी-स्पॉर्ट फैसिलिटी (एप्रिलइंटर/प्रीतिमिति) राजन एवं यात्रा के प्रशासिकारी/वार्ताएँ एवं नियंत्रण प्रशासन का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक राजन गवर्नर के प्रद्विषिकारी/प्रीतिमिति) गवर्नर हिंदूक राजन। यात्रा ही सीईआर एवं कुलांगड़ राजन के बही पूर्व इन्हीं यात्रे की घटनाएँ वर्तित कि-पर्याप्त सामिति के सामाजिक कराया जाए।
25. यात्रा की नियंत्रण दल/अधिकारी नियंत्रण द्वारा घटना पर जाए, तथा उन्हें सुधान/संरक्षण/स्टूटा की नियंत्रण के राज-राजन सीईआर के तहत आपको दूसरा यात्रे यादे करनी का नियंत्रण गी अधिकारी राज री काला आपकी नियंत्रण गी होगी।
26. परिवोरजना प्रसारक द्वारा सीईआर के तहत प्रसारित कार्य करना नहीं यादे जाने पर पर्यटकीय स्थीरुति की नियंत्रण करने की कार्रवाई की जाएगी।
27. परिवोरजना प्रसारक नीन्द्रा / राज राजन के नियंत्रण, यात्राओं दूर आना आवश्यक हो ऐसा प्रसारक आपके करने के पूर्व कालांगड़ राजनी अनुमोदित राजन करेगा। परिवोरजना प्रसारक द्वारा यात्रा एवं यात्रु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यटक संखार द्वारा सभव-समय तक कीन्द्र/सभव सुरक्षा विनीय इन्ड्रुन नियंत्रण कीर्ति / उन्नीतगढ़ पर्यटक नीन्द्रा गवर्नर द्वारा यात्री नियंत्रणी / नार्सीरशीरा का पालन सुनिश्चित भिन्न जाए।
28. उन्नीतगढ़ गीव नगर नियम, 2016, यात्रा राजन द्वारा ऐसा प्रस्तुतनन द्वारा यात्री अनियुक्त दिनांक 2/3/2016 के द्वारा यात्री/राजी एवं तदनुसार यात्री नियंत्रण अनुमोदित प्रसारक यात्रा एवं पर्यटकीय प्रसारक योजना का पालन सुनिश्चित भिन्न जाए।
29. यात्रे राजन पर यादि कैंपिंग अधिक कर्तव्य या लगाई यात्री है तो ऐसे अधिकों के आवास की यात्रा यात्रका परिवोरजना प्रसारक द्वारा की जाएगी। आपकीय आवास आवासीय संरक्षणों के रूप में हो सकती है, जिसे परिवोरजन पूर्व दीर्घे के प्रसारक होता जा सकते।
30. अधिकों के लिए राजन राजन पर यात्रा योजना विनीयलवाय युक्ति, नीन्द्रा/इन्ड्रुन ट्रायोर्ट आदि यी आवासा परिवोरजना प्रसारक द्वारा की जाए। यात्रा ही नहीं में यात्रा मुख नियंत्रण, अपवाह राजन राजी के फोटो, फोटोट्रॉफ आदि का नियंत्रण प्रतिबंधित रहेगा।
31. अधिकों का नाम-समय का अनुमोदनात हेतु सार्वित्रेत कराया जाए।
32. राजनन की उत्तरीत, यात्रे द्वारा एवं अनुमोदित प्रस्तुतन योजना की अनुसार वर्तिक योजना में इन्हीं नी प्रकल्प का वरिक्टर एवं इन्ड्रुन उन्नीतगढ़ / यात्रा सुरक्षा, कृषिकला, वन और जलवायु परिवर्तन गवर्नर, नई नियंत्रण की पूर्व अनुमति के दिना नहीं भिन्न जाए।
33. इस पर्यटकालीन स्थीरुति को यात्री करने का आवाय जिसी अधिकारी आपा आप कानूनित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह कालांगड़ीय स्थीरुति जिसी नियंत्रण यात्री को युक्तान पहुँचाने अपवा अधिकारी अधिकारी के अनियंत्रण आवाय कीद्द, यात्रे एवं यात्रीय कानूनी / नियंत्रणी के अन्तर्गत हेतु अविद्या करता है।

34. एसईआईएप्प., भारतीयानु पर्यावरण संस्कार की दृष्टि से, परियोजना की समरेका में परिवर्तन अवश्य किमिहिंद्र जाति के सांस्कृतिक लाभ से पहलग न करने की दहा में जिनी भी जाति में संवर्तन/निर्वर्तन में कृषक नहीं जोड़ने अवश्य संतुलित / किमिहिंद्र के भानकी को और भान करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है।

35. परियोजना प्रभावक न्यूनतम् 2 सांस्कृतिक सम्पदाव पड़ी है, जो कि सांस्कृतिक ही उस जाति-जाति व्यापक सम्पद में प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्त्रीहृषि प्राप्त होने के 7 दिनों के बीच हस्त आबादी की सम्पदा प्रसारित करेगा कि परियोजना की सातीं पर्यावरणीय स्त्रीहृषि प्राप्त हो चुकी है एवं पर्यावरणीय स्त्रीहृषि एवं उसी प्रतियोगी आबादी की सातीं संतुलित संवर्तन, भारतीयानु पर्यावरण संस्कार संघटन में अवश्यकन होने वाली है। जाति इसका अवलोकन भाल भालार, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मानवाव, नहीं दिल्ली एवं एसईआईएप्प., प्रतीयानगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी जिया जा सकता है।

36. पर्यावरणीय स्त्रीहृषि की नहीं जाति के पालन हेतु जी नहीं करनेवाली की जाति एसईआईएप्प., प्रतीयानगढ़ पर्यावरण संस्कार संघटन, जाति राष्ट्रपुर अटल जाति जाति, जिला-राष्ट्रपुर श्रीदीप जातीजाति, भारतीयानु पर्यावरण संस्कार संघटन, जातिलालपुर, एसईआईएप्प., भारतीयानु एवं एकीकृत श्रीदीप जातीजाति, भाल भालार, पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्तन, जाति राष्ट्रपुर अटल जाति की द्वारा किया जाए। एकीकृत श्रीदीप जातीजाति, भाल भालार, पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्तन, जाति राष्ट्रपुर अटल जगह द्वारा पर्यावरणीय स्त्रीहृषि में प्रदाता जाति के जालन की मनिलीय की जाएगी।

37. एसईआईएप्प., भाल भालार, पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्तन, जाति राष्ट्रपुर अटल जाति, जाति राष्ट्रपुर अटल जाति/श्रीदीप प्रदूषण विवरण जाति/प्रतीयानगढ़ पर्यावरण संस्कार संघटन के द्वारा/श्रीदीप/जातीजाति की जाति के जनुवासन के संक्षय में जी जने जाति नीतिविहिन हेतु पूर्ण जाह्योन्न ज्ञान किया जाए। परियोजना प्रभावक द्वारा किमिहिंद्र जाति का अग्रुदालन करना नहीं पाये जाने वाल पर्यावरणीय स्त्रीहृषि विवरण की जा सकती।

38. परियोजना प्रभावक भारतीयानु पर्यावरण संस्कार संघटन एवं जाति जालार द्वारा की नहीं जाति का अनिवार्य काष जी पालन करेगा। जी जाति जाल (प्रदूषण विवरण जाति नीतिविहिन), 1974 वार्ष (प्रदूषण विवरण जाति नीतिविहिन), 1980, पर्यावरण (जालार) नीतिविहिन, 1988 वार्ष इनकी जाल जालार जाति नीतिविहिन, परियोजनाकर्तव्य अधिकार (प्रदूषण हासालन एवं श्रीमाधार जालार) नीतिविहिन, 2008 (जाति संशोधित) जाति लोक वाहिल जीवा अधिकार (जाति संशोधित) की जाति नीतिविहिन की जाति जालारी है।

39. प्रसारित परियोजना के जारी में एसईआईएप्प., प्रतीयानगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अवश्य परिवर्तन होने की दहा में एसईआईएप्प., भारतीयानु को दुर्घ नहीं जानकारी उठिये सुनित किया जाए, ताकि एसईआईएप्प., प्रतीयानगढ़ हस्त जाति विवरण एवं जाति की जालवालता अवश्य जाति नीतिविहिन करने वाल विवरण से जाल। जालार में कोई भी विवरण अवश्य उन्नयन एसईआईएप्प., भारतीयानु / भाल भालार, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन संवर्तन, नहीं दिल्ली की दुर्घ जनुवासि के जिवा नहीं विवरण जाए।

40. अस्थीसांग वर्दीवाले वांछत अस्थीसांग स्त्रीमुखी की प्रति यह उनकी सोशियल समर्पण, विद्या-व्यापार एवं कारोग केन्द्र एवं कामेश्वर/सहस्रीसदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिये प्रदत्तित करेगा।
41. अस्थीसांग स्त्रीमुखी के विषय अपेक्षा नेहनल बीम ट्रैनिंग्स के सभा, नेहनल बीम ट्रैनिंग्स एफट 2010 की भाग 16 में विषय वह जाकड़नी अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


कामेश्वर विषय एकाधिकारी


नेहनल बीम एकाधिकारी